# शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार

[illegible]
श्रीमती सरला चतुर्वेदी,
एम० ए०

विशाल प्रकाशन
45, [illegible], इलाहाबाद—[illegible]

प्रकाशक
विशाल प्रकाशन
45, सराय खुल्दाबाद
इलाहाबाद-211001

•

लेखक

•

प्रथम सस्करण 1982

•

पवतीय मुद्रणालय
१८, राय रामचरन दास रोड
इलाहाबाद-211002

मूल्य 40 रुपये

# अपनी बात

मध्य प्रदेश अनेक विविधताओ एव विरोधाभासा का राज्य है। शिक्षा मे यहा अनेक प्रयोग, नवाचार होते रहते है तथा नए आयाम जुडते रहते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा के मध्य प्रदेश मॉडल की ख्याति इतनी फैली कि केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय ने इसे देश के सम्पूर्ण राज्या के लिए अनुशसित किया है। "होशगाबाद विज्ञान" का अभिनव प्रयोग जा यहा चल रहा है देश मे अद्वितीय है। 'पढो और कमाओ' योजना मूर्त रूप मे देखी जा सकती है। हम लगता है कि हम कुछ एसे अंधेरे मे हैं कि हमे अपना हाथ ही नही सूझता है। हमारे आसपास, देश व प्रदेश म शिक्षा के क्षेत्र म क्या हो रहा है इसकी अद्यतन जानकारी इस पुस्तक मे मिल सकेगी। वर्ष 80-81 से प्रदेश के बी० एड०, एम० एड० पाठ्यक्रमा मे नवाचारा, नए आयामो को समाविष्ट किया गया है। इन सभी की एक साथ जानकारी यहा उपलब्ध हो सकेगी। श्री सुरेश चन्द्र जी द्विवेदी, एम० ए०, एम० एड०, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष लोक शिक्षण सचालनालय म० प्र० तथा अन्य विद्वतजनो के हम आभारी हैं जिनकी प्रेरणा और माग दशन से यह पुस्तक लिखी जा सकी है।

हम लोग विद्वान तो नही है लेकिन 'ब्याहे न बारात गए" की श्रेणी के भी नही है। जा कुछ देश व प्रदेश मे शिक्षा के क्षेत्र मे हो रहा है, होन क लिए विचार मथन चल रहा है उसे लिख दिया। "निज कवित्त केहि लाग न नीका' के अनुसार हम लोग क्या कह, बी० एड०, एम० एड० के छात्र गण, विद्वान शिक्षक प्रशिक्षक तथा शिक्षा म रुचि रखने वाले, शिक्षा मे शाध करन वाले विद्वतजन ही इसका निणय कर सकेंगे कि इसम 'नाना पुराण निगमागम सम्मतम् यद" के अलावा "क्वचित अन्यतोपि" है।

यदि शिक्षा मे रुचि रखने वाला, छात्रा, एव शोधार्थियो को इससे कुछ लाभ हुआ तो हम लाग अपनी मेहनत सफल समझेंगे।

उमा शकर चतुर्वेदी
तथा
श्रीमती सरला चतुर्वेदी

बसत पचमी
1982

पूज्य पिता जी (दादा जी)

को

सादर

समर्पित

# अनुक्रमणिका

# औपचारिकेतर शिक्षा

## (Non-Formal Education)

शिक्षा पद्धति मे हम हमेशा लकीर के फकीर रहे हैं। अंग्रेजो से प्राप्त शिक्षा पद्धति का हम ढोल पीटते आए हैं। हम किसी भी पद्धति मे डरते-डरते बदलाव करते हैं। शिक्षा को सही दिशा मे मोडने के लिए अनेक बार चिंतन हुए, प्रयास हुए लेकिन यथा स्थिति ही बनी रही। हमने उन माता पिता या सरक्षको का कुछ ध्यान नही रखा जो खेती-किसानी या अन्य धधा मे लगे है, गरीब हैं और अपने बालकों को शाला नही भेज पाते है। हमारा देश 80 प्रतिशत गावो मे बसता है। किसानो के विचार आज भी शिक्षा के विषय मे है कि "अधिक पढे ता घर से गए, थोडे पढे तो हल मे गए", अर्थात् अधिक पढ जाने पर बालक घर से दूर चला जाता है और कम पढने पर हल चलाने से दूर भागता है। जब हमारे कृषि प्रधान देश के किसान अपने बच्चो की शिक्षा के प्रति ये विचार रखते हो तो यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियो, देश के कर्णधारो के लिए गंभीर चुनौती है।

हमारे देश की औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था मे कोई रागात्मक सम्बन्ध नही है। हमारी शिक्षा-व्यवस्था औपचारिकताओ की भूल-भुलैया मे खो सी गई है। शाला-भवन, शिक्षक, आवासगृह, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके, शाला-समय, उपकरण आदि अनेक बातो मे कही कमी तो कही विसगतियाँ है तो कही अटपटापन है। इन्ही कारणो से हम काफी प्रयास करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र मे आगे नही बढ पा रहे है। हमने अपने ढग से शालाओ के समय निर्धारित किए है, अपने ढग का पाठ्यक्रम बनाया है, बिना यह सोचे समझे कि शाला-समय या पाठ्यक्रम उनके अनुकूल है या नही जिनके बालक-बालिकाओ को हम शिक्षा दे रहे है। हमने यह भी नही सोचा कि पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओ के अनुकूल है या नही। जब खेती-किसानी का काम प्रारम्भ होता है तभी स्कूल खुल जाते हैं। जब अनाज की बोनी और कटनी का समय होता है तब शालाओ मे अर्द्ध वार्षिक और वार्षिक परीक्षाएँ आयोजित होती हैं। इस प्रकार कृषि परक परिस्थितियो के विपरीत हमने शाला के कार्य-दिवस रखे हैं।

वही हाल शाला समय का है। दिन में जब किसानों को खेतों में काम रहता है, अन्यान्य काम रहते हैं तभी उनके बच्चों को स्कूल जाना होता है अर्थात् खेती किसानी तथा अन्य धंधों का जो समय होता है वही शाला लगने का समय होता है, परिणाम यह होता है कि या तो बालक-बालिकाएँ अपने माँ बाप को सहयोग दें या शाला पढ़ने जायें। इस विरोधाभास की स्थिति में वही होता है जो होता चला आ रहा है। बालक शालाओं में नहीं जाते हैं या जा जाते हैं व भाग आते हैं। कुछ बालक कुछ दिन बाद शाला त्याग कर देते हैं। हमने यह भी नियम बना रखा है कि बालक एक ही कक्षा एक वर्ष में उत्तीर्ण कर सकता है। इन सब बातों का ऐसा अटपटा परिणाम निकला कि अभी भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन दशक बाद भी हम प्रारम्भिक शिक्षा के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। देश में 6 11 आयु वर्ग के 84 9 प्रतिशत तथा 11 14 आयु वर्ग के 39 8 प्रतिशत बालक शालाओं में आ सके। दर्ज संख्या की दृष्टि से आज भी आठ प्रान्त काफी पिछड़े हुए हैं। ये प्रान्त हैं—आन्ध्र-प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

देश में क्षति एवं अवरोध की समस्या भी प्रारम्भिक स्तर पर काफी चिन्तनीय है। मोटे तौर पर देश में 70 प्रतिशत बालक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने के पूर्व शाला त्याग देते हैं। मध्य प्रदेश में तो और भी स्थिति खराब है। यहाँ प्रारम्भिक स्तर पर यह स्थिति 76 प्रतिशत है। शाला परित्याग के कुछ कारण इस प्रकार हैं—

(1) परिवार की गरीबी

(2) सामाजिक परिस्थितियाँ

(3) अनाकर्षक प्रारम्भिक शिक्षा

(4) बालक एवं समाज की आवश्यकताओं से शिक्षा का अलगाव।

हमारे सामने बालकों को शालाओं में लाने के साथ साथ शालाओं में उन्हें बनाए रखने (रिटेन्सन) की भी समस्या है। स्थानाभाव, उपकरणों की कमी परीक्षाओं का बंधन, शालाओं का अनाकर्षक वातावरण, सभी तो उन्हें शालाओं से दूर भगाते हैं। आज हमारे सामने स्थिति यह है कि जो बालक शालाओं में आ रहे हैं उन्हीं के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं जुटा पा रहे हैं, यदि हमने शतप्रतिशत बालकों को शालाओं में लाने का लक्ष्य रखा है तो हम अपने सारे खर्चे बंद कर शिक्षा पर ही व्यय करना होगा।

किन्तु यह शायद सम्भव भी न होगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम अपनी शिक्षा-व्यवस्था औपचारिकता से परे नहीं कर सकते है ? हमे लोक से परे हटना ही होगा। लीक से हटकर ही क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं।

औपचारिकेतर शिक्षा क्या है ? अस्तु औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था से तो हमारा अभीष्ट पूरा होने से रहा। इस व्यवस्था ने अपने हाथ ऊँचे कर दिए हैं। हमे अपने भविष्य के नागरिकों को शिक्षित करना ही है अत विकल्प यही है कि औपचारिकता से हटकर ऐसी शिक्षा-व्यवस्था हम अपनाएँ जिसमे ये सब तामझाम, औपचारिकताएँ न हो जो शिक्षा प्राप्त करने मे बाधक हैं। समस्या के निराकरण के लिए औचारिक शालेय शिक्षा के अतिरिक्त औपचारिकेतर शिक्षा द्वारा बालको का शिक्षा दी जाय। इस औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्था मे न समय का बधन है, न पाठ्यक्रम की कठोरता, न भवन उपकरणो की चिन्ता। यह व्यवस्था सभी बधनो से मुक्त है और इसीलिए भारतीय गरीब जनता के लिए जो गावो म बसती है, उसके लिए ग्राह्य होगी। इस व्यवस्था द्वारा पढ सकने वाले वे बालक जो आर्थिक, सामाजिक, तथा वातावरणीय असुविधाओ के कारण नही पढ पाते हैं उन्हे प्रजातन्त्र के लिए उपयोगी, सुपठित, साक्षर और समझदार नागरिक बनाया जा सकता है।

औपचारिक ढांचे मे अक्सर स्कूल की दुनिया और बाहर की कामकाजी दुनिया मे कोई रिश्ता नही होता है। औपचारिकेतर शिक्षा इन दोनो के बीच एक सार्थक सम्बन्ध खोजती है और बढाती है। काम छोडकर पढने की जरूरत नही है बल्कि काम के बाद पढा जा सकता है। औपचारिक परम्परा मे बच्चे को सिखाया जाता है जबकि इस व्यवस्था मे बच्चे स्वय सीखते हैं और इसम उनकी सहायता भर की जाती है। उम्मीद यही है कि बच्चे इस तरह से पढने के बाद या तो आगे जाकर औपचारिक व्यवस्था में वापस आ जायेंगे या व इतना ज्ञान पा लेंगे कि उनकी सामाजिक उपयोगिता और निजी क्षमता एक पुष्ट आधार पा जायगी।

औपचारिकेतर शिक्षा को सुविधाएँ—निम्नांकित सुविधाएँ हैं—

1 समय की सुविधा—इसमे सबसे बडी सुविधा शाला-समय तथा शाला के अवकाश की है। स्थानीय आवश्यकताओ के अनुसार शिक्षण का समय, शिक्षण की अवधि तथा छुट्टिया को निश्चित किया जा सकता है।

2 भवन सम्बन्धी सुविधा—इन औपचारिकेतर केन्द्रो के लिए अलग से शाला-भवन की आवश्यकता नही होती। सार्वजनिक स्थानो, शाला

मंदिरों, उत्साही नागरिकों द्वारा दिए गए स्थानों पर सुबह, शाम या किसी भी समय शालाएँ लगाई जा सकती हैं।

3 शैक्षिक सामग्री की सुविधा—औपचारिकेतर केन्द्रों के लिए स्थानीय शाला तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं का सहायक सामग्री के उपयोग की सुविधाएँ प्राप्त हैं।

4 अध्यापकों की सुविधा—प्रोत्साहन राशि के कारण अध्यापक पाठन कार्य के लिए सुगमता से मिल जाते हैं। शासन का पूर्णकालिक शिक्षक का वेतनवार भी बचता है, अध्यापकों को भी आर्थिक लाभ होता है।

5 बहु बिन्दु प्रवेश—प्राथमिक पाठ्यक्रम को १८ इकाइयों में बाँटा गया है। आवश्यक नहीं है कि बालक पहली इकाई में ही भरती हो, वह जिस स्तर का ज्ञान है उसी इकाई में भर्ती किया जा सकता है।

6 समय की बचत—प्राथमिक पाठ्यक्रम जो औपचारिक स्कूलों में 5 वर्ष में पूरा होता है बालक इस व्यवस्था में 2 साल में ही पूरा कर सकता है।

7 प्रशासनिक सुविधा—इस विधि में प्रवेश तथा उपस्थिति के नियमों का बंधन औपचारिक शालाओं की तरह नहीं है।

8 शैक्षणिक सुविधा—(अ) अध्यापक को यह सुविधा है कि वह बालकों की प्रगति के अनुसार अपने शिक्षण क्रम तथा विधि को बदल सकता है।

(ब) छात्र को पाठ्यक्रम पूरा करने में समय का बंधन नहीं है वह अपनी सुविधानुसार इकाइयाँ पूरी करता है। छात्र अपने पारिवारिक और व्यावसायिक कामों के साथ-साथ शिक्षा को जारी रख सकता है।

औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा

1 औपचारिक, शिक्षा (फार्मल एजुकेशन)—औपचारिक शिक्षा एक निश्चित ढाँचे में बँधा हुई शिक्षा है। इसमें शाला का समय, सत्र, प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम तथा कक्षोन्नति आदि सबके निश्चित नियम होते हैं। इसमें व्यक्तिगत बालक की सुविधाओं का ध्यान में रखना सम्भव नहीं है। शिक्षक को नियमों में परिवर्तन करने की छूट नहीं है। इस पद्धति में छात्र संख्या अधिक होने से सामूहिक-शिक्षण समान रूप से सबको दिया जाता है। इस पद्धति में नियम, व्यवस्था, श्रेणी-बद्धता की बाध्यता इतनी होती है कि यह निर्धन लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है।

2 अनौपचारिक शिक्षा (इन फारमल) या सहज शिक्षा—यह मनुष्य जीवन के प्रारम्भ से अंत तक चलने वाली शिक्षा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति

अपने दैनिक अनुभवों के माध्यम से परिवार व समाज में प्रचलित कार्य-कलापों से ज्ञान प्राप्त करता है। आकस्मिक और संयोगवश शिक्षा ही अनौपचारिक शिक्षा है। व्यक्ति जितना ही वातावरण की ओर सजग होगा उतना ही अधिक सीखता है।

3 औपचारिकेतर शिक्षा (नान-फारमल एज्युकेशन)—औपचारिकेतर शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की जटिलता, औपचारिकता तथा रूढ़िवादिता नहीं रहती है। इसमें औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, तथा मूल्यांकन ता है परन्तु समय, स्थान, तथा प्रवेश नियम आदि बहुत सरल तथा लचीले होते हैं। यह शिक्षा छात्रों की सुविधा अनुसार दी जाती है। बालक अपने घर गृहस्थी तथा रोजी-रोटी का काम करते हुए भी पढ सकता है। वास्तव में जो बालक अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किसी भी शाला में प्रवेश नहीं ले सके अथवा मध्य में ही शाला छोड चुके हैं उनके लिए यह व्यवस्था वरदान है।

औपचारिकेतर शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुशसाएँ

1 अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन "होने की सीख" (लर्निंग टु बी) (Learning to be) में सभी पहलुओं से विचार कर शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुशसाएं की हैं। इन अनुशसाओं के आधार पर कई देशों में बड़े व्यापक रूप से औपचारिकेतर शिक्षा का कार्य प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

2 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' ने औपचारिकेतर शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी अनेक बैठकों में अनुशसाएँ की हैं। इनमें से विशेष उल्लेखनीय 1947 एव 1976 की अनुशसाएँ हैं।

(अ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने 9-14 आयु वर्ग के बालकों के लिए औपचारिकेतर शिक्षा से सम्बन्धित प्रस्ताव निम्नानुसार हैं।

"केवल औपचारिकेतर शिक्षा विधि पर मात्र दिए गए महत्व को छोडना होगा और शिक्षा-प्रणाली में औपचारिकेतर शिक्षा को भी जोडना होगा। बहु-बिन्दु प्रवेश एव अंश कालीन शिक्षा के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करना होगा।"

'मण्डल का यह विश्वास है कि सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य केवल औपचारिक विधि को आधार मात्र मानकर तथा एक बिन्दु प्रवेश, क्रमिक स्वरूप, पूर्णकालिक शालेय शिक्षण एव पूर्णकालिक व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा प्राप्त

नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के पुनर्गठन हेतु समस्त राज्यों का कार्यक्रम बनाकर प्रारम्भ कर देना चाहिए। इन परिवर्तनों के पक्ष मे जनमत को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय शासन राज्य के शिक्षा सस्थान, राज्य शिक्षा विभाग, निरीक्षणालय एव शिक्षण समुदायो द्वारा विशाल कार्यक्रम बनाना चाहिए। राज्यो के शिक्षा विभागो को नवीन चुनौतियों को ग्रहण करने के लिए शिक्षकों के उन्मुखीकरण के विशेष प्रयास करने चाहिए। राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, आवश्यक पाठन सामग्री, तथा तकनीको को तुरन्त तैयार करना चाहिए।

(ब) औपचारिकेतर शिक्षा तीन श्रेणी के बालको के लिए अनुशंसित है—

(i) वे बालक जिनका कक्षा 1 मे प्रवेश नही हुआ किन्तु 2-5 वर्ष मे शाला जाने के इच्छुक हैं, 6 या इसके लगभग आयु के वे बालक जो कक्षा 1 में प्रविष्ट हुए हैं परन्तु कुछ माह पश्चात् शाला छोड गए, जिन बालको ने पाँच वर्ष का प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बगैर किसी भी स्तर पर शाला छोड दी, इन सब बालको को अशकालीन-औपचारिकेतर शिक्षा देना होगा जिससे वे 11+की आयु मे छटी कक्षा म प्रवेश लेने हेतु योग्य बन सकें।

(ii) व बालक जिन्होंने पाँच वर्ष की विद्यालयीन शिक्षा पूर्ण कर छटी कक्षा मे 11+ या उसके लगभग आयु में प्रवेश लिया था, किन्तु कुछ महीनों के पश्चात् ही किसी बिन्दु पर तीन वर्षीय माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पहले ही शाला त्याग दी, अश कालीन शिक्षा द्वारा इन बालको को इस योग्य बनाना होगा, कि वे 14+ आयु में 9 वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें।

(iii) पाँचवी कक्षा पास वे बालक जो शाला छोड चुके हैं, किन्तु अब आगे पढना चाहते हैं, इन बच्चों को अशकालीन शिक्षा द्वारा 6वी में प्रवेश लेने हेतु योग्य बनाना होगा।

(स) सन् 1976 को बैठक की अनुशसाऐं—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने अपने वर्ष 1976 की बैठक म निम्नानुसार अनुशसा की है —

(i) "पाचवी योजना मे औपचारिकेतर शिक्षा के कार्यक्रमो की समीक्षा करने के उपरान्त समिति को सन्तोष है कि औपचारिकेतर शिक्षा की विचार-धारा, जिसका इस देश मे एक लम्बी परम्परा रही है, फिर से मूर्त रूप ले रही है। यह भी सतोष की बात है कि धीरे-धीरे हमारी शिक्षा-प्रणाली के एक अनिवार्य अग के रूप मे हमारे समाज के सीखने की ओर बढते हुए महत्वपूर्ण कदम के रूप में और राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता प्राप्त करती जा रही है। इसके माध्यम से समस्त नागरिक अपने

कत्तव्यों, अधिकारा, और जिम्मेदारिया के प्रति जागरूक बनेंग और एक अभिनव, जनतांत्रिक, धम निरपेक्ष और समाजवादी समाज की रचना मे अविरल भागीदारी के लिए तैयार हांगे। इस कायक्रम को हमे इस प्रकार आगे बढाना चाहिए कि हमे बडे पैमाने पर आवश्यक अनुभव प्राप्त हो जाय, स्रोत व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाय, आवश्यक शिक्षा सामग्री तैयार हा जाय, राष्ट्र, राज्य और जिला स्तरो पर आवश्यक सगठनो का निर्माण हो जाय और इस कार्यक्रम के पक्ष मे प्रबल जनमत तैयार हो जाय। उससे हम छटी योजना मे इस कायक्रम को सारे राष्ट्र मे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकसित कर सकेंगे। समिति इस बात पर भी बल देना चाहती है कि औपचारिकेतर शिक्षा सभी वर्गों के युवा और प्रौढ शिक्षार्थियो के लिए जो उपयोगी कौशल और ज्ञान प्राप्त करना चाहत हैं, सीखने की एक प्रभावी विधि है।

(ii) प्राथमिकताएँ—औपचारिकेतर शिक्षा के निम्नलिखित कायक्रम राष्ट्रीय महत्व के हैं अत उ ह सारे देश म प्राथमिकता मिलनी चाहिए —

(1) वे कायक्रम जो आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों की आवश्यकताओ को पूरा करते हैं, इन वर्गों मे भी उनकी जो बीस सूत्रीय कायक्रम से सीधे सम्बधित हैं, अथवा उससे लाभ उठा रहे हैं।

(2) वे कार्यक्रम जो परिवार-कल्याण के प्रयासो को शैक्षिक समथन दत हैं।

(3) वे कार्यक्रम जो बच्चा, युवका और महिलाओ की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओ की पूर्ति करते हैं, युवको के लिए वे कार्यक्रम जिनमे उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(4) कृषको एव औद्योगिक मजदूरा के लिए कायक्रम जिससे देश की आर्थिक प्रगति तजी से हो।

(द) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विचार

"औपचारिकेतर शिक्षा एक ऐसा शब्द है जा अब शैक्षिक भाषा का एक अग बन गया है, यद्यपि यह शैक्षिक कायक्रम का एक सच्चा और पूरा भाग नही हो पाया है। औपचारिकेतर शिक्षा की समग्र दृष्टि को प्रतिबिम्बित करती है और उसे स्कूलो और कालेजो तक अर्थात् सस्थागत शिक्षा एव निर्देशन की सकुचित धारणा से मुक्त करती है, क्योकि यह ध्यान मे रखना आवश्यक है कि सीखना मनुष्य मात्र का एक अनिवाय लक्षण है जो पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व एव विकास के लिए आवश्यक है। जीवन की सब परिस्थितियो मे मनुष्य सीखता है। ज्ञानार्जन एव ज्ञान के अनुप्रयोग विशिष्ट अथ में सीखने की प्रक्रिया केवल

स्कूल मे ही नही चलती वरन घर म और वन मे परिवश म भी काम म धर्म एव जीवन की अधिकाश परिस्थितियो म चलती रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य मे औपचारिकेतर शिक्षा का अपना पूण और विशिष्ट अथ प्राप्त होता है।'

(घ) यूनेस्को का दृष्टिकोण

स्पष्ट हा निरक्षरता यदि विकास की दृष्टि स पिछड़पन का एक पहलू है ता साक्षरता प्रसार किसी एम विकास कायक्रम का अभिन्न अग होना चाहिए जो मनुष्य को अपन स्वय का स्वामी बनन और अपन विकास के लिए जानबूझ कर प्रयास करने म सहायक हो। उपयुक्त निष्कष ही उन क्षेत्रा म शैक्षिक, सामाजिक, और आर्थिक कायक्रमा के रूप मे सक्रिय साक्षरता के सिद्धात का जनक है जो क्षेत्र विकास कायक्रमा के लिए प्राथमिक आधार पर चुन गए हैं और जहाँ निरक्षरता एक बडी बाधा के रूप म उपस्थित है।

ससार के लोगा को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा म पर्याप्त प्रगति हुई है। इस प्रयास का प्रभाव दूरगामी और दर असल इस जारी रहना चाहिए, फिर भी वतमान पीढी का इस परिस्थिति क कुप्रभाव स बचाने क लिए निम्नलिखित अनेक हलो को सावधानी स सतुलन करना सभव हो सकता है।

"पूणकालिक पूरी प्राथमिक शिक्षा, अशकालिक पूरी प्राथमिक शिक्षा, समुचित अतर से आवृत्ति के रूप मे प्राथमिक शिक्षा, बालका तथा प्रौढा के लिए अपूण प्रारम्भिक शिक्षा और 12 से 16 वष की आयु के युवका के लिए और विशेषकर उनके लिए जो कभी स्कूल नही गए है।

औपचारिक एव औपचारिकेतर शिक्षा—तुलनात्मक विवेचन

दोनो शिक्षा पद्धतिया मे निम्नानुसार अतर स्पष्ट किया जा सकता है।

| औपचारिक शिक्षा | औपचारिकेतर शिक्षा |
|---|---|
| (अ) उद्देश्य | |
| (1) दीघकालीन और सामा य | (1) अल्पकालीन एव विशिष्ट |
| (2) प्रमाणपत्र आधारित शिक्षा | (2) प्रमाण पत्रा की मा यता विहीन शि ा प्रणाली |
| (ब) समय | |
| (1) दीघ चक्राय | (1) लघु चक्राय |
| (2) नियोजनात्मक। | (2) तात्कालिक। |
| (3) पूर समय की शिक्षा | (3) अशकालीन शिक्षा |

| | |
|---|---|
| **(स) विषय वस्तु** | |
| (1) पुस्तकीय तथा मानवीकृत। | (1) उत्पादन केन्द्रित तथा वैयक्तिक। |
| (2) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम। | (2) प्रयोगिक पाठ्यक्रम। |
| (3) प्रवेश के नियमो से प्रवेशार्थी का निश्चित किया जाना। | (3) प्रवेशार्थी की सुविधानुसार प्रवेश नियमो का बनाया जाना। |
| **(द) सामान्य प्रणाली** | |
| (1) सस्था आधारित | (1) पर्यावरण आधारित |
| (2) प्रयक्कृत | (2) समुदाय सम्बधित |
| (3) सुनिश्चित सरचना | (3) परिवर्तनशील लचीली सरचना। |
| (4) शिक्षण केन्द्रित | (4) शिक्षार्थी केन्द्रित |
| (5) खर्चीली शिक्षा | (5) कम खर्चीली शिक्षा |
| **(य) शासन एव प्रबन्ध** | |
| (1) बाह्य व्यवस्था | (1) आत्म व्यवस्था |
| (2) पारस्परिक अनुशासन | (2) जनतन्त्रात्मक अनुशासन |
| **(र) अन्य** | |
| (1) एक बिन्दु प्रवेश | (1) बहु बिन्दु प्रवेश |
| (2) सभी बालको की शिक्षा | (2) 9-14 वर्ष की आयु के शाला अप्रवेशी तथा शाला त्यागी बालको के लिए शिक्षा |
| (3) प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष में पूरी की जा सकती है | (3) प्राथमिक शिक्षा 2 वर्ष में पूरी की जा सकती है। |
| (4) घरेलू कार्यों के साथ शिक्षा सभव नही है | (4) घरेलू कार्यों के साथ शिक्षा सभव है। |
| (5) कक्षा पद्धति | (5) कक्षा पद्धति नही है। |

**मध्य प्रदेश मे औपचारिकेतर शिक्षा**

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् इतने विशाल अन्तराल तथा पाच पचवर्षीय योजनाएँ पूरी करने के बाद भी हम प्रारम्भिक शिक्षा के शतप्रतिशत लक्ष्य को पूरा नही कर सके हैं। इतने वर्षों में हमने जो प्रगति की है वह ज्यादा प्रशसनीय नही कही जा सकती है। पांचवी योजना के अन्त तक म० प्र० में 6-11 आयु वर्ग के 63% तथा 11-14 आयु वर्ग के 28% बालक-बालिकाओ को हम

शालाओ म आ सक हैं । यदि 6-14 आयु वग के लें तो लगभग 51% बालक/बालिकाएँ शालाओ में आए हैं अर्थात् शाला जान योग बालक-बालिकाओं क आधे बाहर घूम रहे हैं । जो भर्ती हैं उनम स भी कितने स्कूल छोड़ जाएंगे यह भी निश्चित नहीं है ।

हमारे सामने, हमारे प्रश्न के सामने कुछ समस्याएँ भी थी जिससे हम प्रगति नहीं कर सके । य प्रमुख समस्याएँ हैं —

1 अनुसूचित जाति और जन जाति की विशाल जनसंख्या
2 प्रश्न का विस्तृत फैलाव
3 बालिकाओ का शैक्षिक पिछड़ापन
4 भौगोलिक असंतुलन परिस्थितियाँ
5 बालका की आर्थिक, सामाजिक स्थिति
6 प्रारम्भिक स्तर पर क्षति एव अवरोध

प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति से जब हम राष्ट्रीय स्तर की तुलना करते हैं तो हम बहुत पिछड़े हुए लगते हैं ।

बालक बालिकाओ की दर्ज संख्या (लाखों म)

भारत (1978-79 की स्थिति)

| आयु वर्ग | बालक | बालि | योग | बालक | बालि | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | म० प्र० | | |
| 6-11 | 433 | 280 | 713 | 29 88 | 13 98 | 43 86 |
| प्रतिशत | 101 0 | 68 2 | 84 9 | 83 00 | 41 11 | 62 66 |
| 11-14 | 125 | 60 | 185 | 7 79 | 2 66 | 10 45 |
| प्रतिशत | 51 4 | 26 5 | 39 8 | 41 00 | 15 65 | 28 24 |
| 6-14 | 558 | 350 | 898 | 37 67 | 16 64 | 54 31 |
| प्रतिशत | 82 8 | 53 5 | 68 6 | 68 51 | 31 98 | 50 75 |

तालिका से स्पष्ट है कि अभी वतमान स्थिति को ही लें तो संविधान की धारा 45 की मंशा पूरी करने के लिए शाला जाने योग्य कुछ बालक बालिकाओं की आधी संख्या अर्थात् लगभग 54 लाख बालक/बालिकाओ को शालाओ मे लाना होगा । छटी योजना के अन्त तक और वृद्धि होगी वह अलग बात है । इतने बालको को सामान्य शिक्षा ढाँचे से शिक्षित करना संभव हो नही असंभव है । वित्तीय साधनों को देखते हुए न तो शालाएँ ही उपलब्ध कराई जा सकती है,

न शिक्षक और न शालाभवन, उपकरण। एक ही विकल्प हमारे सामने बचा था और आज भी है और वह है औपचारिकेतर शिक्षा-व्यवस्था द्वारा शिक्षा।

हमारा प्रयोग—औपचारिकेतर शिक्षा के विस्तृत आयाम हैं। यह औपचारिक शिक्षा के साथ चलने वाली हैं तथा इसकी समाप्ति के बाद भी चलने वाली है। इसके विविध आयामों से परिचित होते हुए म० प्र० शिक्षा विभाग ने औपचारिकेतर शिक्षा के लचीलेपन का तत्व एक सीमित लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनाया है। यह लक्ष्य है शिक्षा की सुविधाओं से वंचित 9-14 आयु वर्ग के ऐसे बालक-बालिका जो शाला में प्रवेश न हुए हों या शालात्यागी हों, को शिक्षा के ऐसे अवसर देना जो समय, स्थान, अवधि, आदि की दृष्टि से उनके अनुकूल हो। औपचारिकेतर शिक्षा का दृष्टिपथ आगे जाकर बहुत विस्तृत हो जाता है परन्तु फिलहाल म० प्र० में यह लक्ष्य सामने है कि शिक्षा-वंचित बालक-बालिकाएँ अपनी सुविधानुसार प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर लें और वे चाहें तो फिर शिक्षा की मुख्य धारा से आ जावें। वास्तव में हमारी औपचारिकेतर शिक्षा लक्ष्य है विद्यालयीकरण एवं पुनर्विद्यालयीकरण (स्कूलिंग एण्ड रिस्कूलिंग)।

उद्देश्य—प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में औपचारिकेतर शिक्षा एक प्रभावशाली पूरक प्रयास है इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं—

1 9-14 आयु वर्ग के ऐसे बालक-बालिकाएँ जो शाला अप्रवेशी या शाला त्यागी हों उन्हें प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सुलभ कराना।

2 प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।

3 2 वर्ष की अवधि में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कराना।

4 उसी प्रकार 2 वर्ष की ही अवधि में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कराना।

5 शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करना जिससे छात्रों को आजीविका तथा पारिवारिक कार्यों में बाधा न हो।

प्रयोग की शुरुआत और प्रगति

1 फरवरी 1957 से म० प्र० में योजना का प्रथम चरण प्रारम्भ हुआ और 10 जिलों में 5-5 केन्द्र के हिसाब से 50 औपचारिकेतर शिक्षा-केन्द्र खोले गए। प्रयोग के तौर पर केन्द्र के लिए वे ग्राम चुने गए जहाँ शाला में प्रवेश कम तथा शैक्षिक क्षति अधिक थी। ये बालिका शिक्षा-निधि से खोले गए।

2 द्वितीय चरण जुलाई 1957 से प्रारम्भ हुआ। राज्य की प्रत्येक बुनियादी संस्था के मार्गदर्शन में एक-एक केन्द्र खोला गया। इस प्रकार कुल 45 केन्द्र खोले गए। ये केन्द्र भी बालिका शिक्षा निधि से खोले गए।

3 मई, जुलाई और अगस्त 1977 में 51 केन्द्र पुन: बालिका शिक्षा निधि से प्रारम्भ किए।

4 मार्च 1978 में 250 केन्द्र शासन द्वारा उदयपुर क्षेत्र में खोले गए तथा 1 केन्द्र बालिका शिक्षा-निधि द्वारा खोला गया।

5 फरवरी 1978 में 200 केन्द्र शासन द्वारा खोले गए।

6 वर्ष 79-80 में 2000 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र शासन द्वारा खोले गए। पूर्व में चल रहे 117 केन्द्र जो बालिका शिक्षा निधि से खोले गए थे शासन ने केन्द्रों में समाहित कर लिया गया और 79-80 में सभी औपचारिकेतर शिक्षा शासकीय निधि से चल रहे हैं और इनकी संख्या 2450 है।

7 इन केन्द्रों पर 45000 से ऊपर छात्र शिक्षा पा रहे हैं। ये बच्चे अपने काम भी करते हैं और सुविधानुसार शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जिन छात्रों ने प्राथमिक परीक्षा दी है उनके परिणाम भी 50 प्रतिशत से ऊपर रहे हैं।

### नई व्यवस्था के आकर्षण

इस व्यवस्था में कुछ ऐसे आकर्षण हैं जो अपने आप बालक-बालिकाओं को आकर्षित करते हैं।

1 सीमित साधनों द्वारा ज्ञान की उपलब्धि।

2 9-14 वर्ष के शालात्यागी और अप्रवेशी सुविधा वंचित बालकों की शिक्षा।

3 घरेलू कार्य के साथ शिक्षा की प्राप्ति।

4 स्थान, समय और भवन का बन्धन नहीं।

5 बहु बिन्दु प्रवेश।

6 पाँच वर्ष की शिक्षा 2 वर्ष में।

7 कक्षा की पद्धति नहीं। 5 वर्ष का पाठ्यक्रम 2 वर्ष में पूरा होता है।

8 बालक और पालकों की सुविधा से शिक्षा-केन्द्र का समय।

9 सरल और सस्ती व्यवस्था। औपचारिक व्यवस्था में जहाँ कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर एक बालक पर 550 रु० व्यय आता है वहाँ इस व्यवस्था पर लगभग 90 रु० व्यय आता है।

10 शासकीय/अशासकीय/स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा केन्द्र चालन।

11 शिक्षार्थी प्रति छात्र 50 रु प्रोत्साहन राशि।

12 पाठ्यपुस्तकों का बिना मूल्य छात्रों को प्रदाय।

13 गरीब बालकों को सुलभ शिक्षा ।

14 बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा मे पुन लाना ।

**वित्तीय व्यवस्था**

1 यह योजना अशासकीय निधि म० प्र० बालिका।शिक्षा-निधि से प्रारम्भ की गई ।

2 बाद मे सभी केन्द्र अब शासकीय निधि से चल रहे हैं। बालिका शिक्षा निधि वाले केन्द्र भी शासकीय मे समाविष्ट कर दिए गए ।

3 प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष 100 रु० आकस्मिक व्यय के लिए दिए जाते हैं।

4 छात्रों को पुस्तकें और कापियां मुफ्त प्रदान की जाती हैं ।

5 शिक्षकों को 50 रु० प्रति छात्र के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ।

6 भवन व्यवस्था पर कोई व्यय नहीं किया जाता है ।

7 २० छात्र वाले केन्द्र पर प्रतिवर्ष लगभग 1100, रु० का व्यय आता है।

**प्रशासनिक व्यवस्था**

(1) म० प्र० मे औपचारिकेतर शिक्षा योजना का निर्देशन, पर्यवेक्षण लोक शिक्षण सचालनालय द्वारा होता है ।

(2) प्रशिक्षण, सदर्शन एव निरीक्षण का कार्य राज्य शिक्षा सस्थान करता है।

(3) केन्द्रों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा-सस्थान तथा सभागीय शिक्षा अधीक्षक कार्यालयों मे औपचारिकेतर शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं ।

(4) चुने हुए जिलों मे स्थापित केन्द्रों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं ।

(5) बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाओं से सलग्न केन्द्रों का निरीक्षण बुनि० प्रशि० सस्थाओं के प्राचार्य करते हैं ।

(6) शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र मे स्थित केन्द्रों का पर्यवेक्षण शिक्षा महाविद्यालय करते हैं ।

**शैक्षिक व्यवस्था**

(1) जिला के केन्द्रों पर कम से कम २० तथा बुनि० प्रशिक्षण सस्थाओं के केन्द्रों पर न्यूनतम ३० छात्रों की सख्या निर्धारित है ।

(2) जिला के केन्द्रों पर एक अध्यापक काम करता है और इसके लिए उसे अपनी नियमित नौकरी के अतिरिक्त प्रति छात्र 50 रु० प्रोत्साहन राशि प्रदान करते हैं।

(3) बी० टी० आई० में केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अध्यापन कार्य होता है क्योंकि उसे अध्यापन का एक अंग माना जाता है।

(4) प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का शिक्षण अपेक्षित है।

(5) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र द्वारा अपना अवकाश निर्धारित किया जाता है।

(6) शाला का समय छात्रों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाता है।

(7) शिक्षण विधियों में स्वाध्याय तथा व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है।

(8) लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र को फिर उपस्थित होने पर उसका शिक्षण वहीं से प्रारम्भ होता है जहाँ उसने छोड़ा था।

(9) नए प्रवेशार्थी की उचित जाँच पड़ताल कर उपयुक्त इकाई में प्रवेश दिया जाता है।

(10) प्रत्येक छात्र की उपस्थिति और प्रगति का विधिवत अभिलेख रखा जाता है।

औपचारिकेतर शिक्षा पर रखे जाने वाले अभिलेख

केन्द्र की समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि केन्द्र के कार्य और सामग्री का लेखा जोखा रखा जाय। ये अभिलेख केन्द्र प्रभारी को बाँधने के लिए नहीं बल्कि उसके कार्य को सुगम और सरल बनाने के लिए हैं। ये अभिलेख निम्नानुसार हैं—

| | |
|---|---|
| 1—सर्वेक्षण अभिलेख | बालक, बालिकाओं का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण अभिलेख। |
| 2—सम्पर्क पंजी | केन्द्र प्रभारी द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में समाज में किए गए सम्पर्क का विवरण। |
| 3—प्रवेश पंजी | छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी विवरण होना। |
| 4—उपस्थिति पंजी | छात्रों की उपस्थिति का समुचित रिकार्ड रखा जाता है। |
| 5—कैश बुक | निर्धारित प्रारूप में। |

| | |
|---|---|
| 6— स्टाक रजिस्टर | निर्धारित प्रारूप मे। |
| 7—पत्र आवक/जावक पंजिका | इसम डाक के आने-जाने तथा पत्रो का विवरण होगा । |
| 8—शिक्षक डायरी | इसमे शिक्षक अपने शिक्षण तथा कार्य का विवरण रखेगा । |
| 9—वार्षिक योजना | प्रत्येक केन्द्र अपनी वार्षिक योजना बनाकर रखेगा । |
| 10—मूल्यांकन प्रपत्र | इसमे छात्रो की प्रगति एवं केन्द्र का मूल्यांकन रखा जायगा । |

पाठ्यक्रम निर्माण

पाठ्यक्रम के तीन मुख्य पक्ष होते है व्यक्ति, समाज और अध्ययन विषय। जिस पाठ्यक्रम म ये तीनो का अच्छा सामंजस्य होगा वह पाठ्यक्रम उपयोगी होगा ।

पाठ्यक्रम निर्माण मे निम्नांकित निर्देशक बिन्दु ध्यान म रखे जाने चाहिए—

1—पाठ्यक्रम का आधार शिक्षार्थी की आवश्यकताओ, आकांक्षाओ को बनाना चाहिए ।

2—पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसमे पाठ्य-विषयो को सरलता से जोड़ा जा सके ताकि औपचारिक शिक्षा की धारा मे जा मिलने की आकांक्षा रखने वाले छात्रो को सुविधा रहे ।

3—विद्यार्थियो के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवो का लाभ उठाते हुए शिक्षार्थी का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर उन्हे वाञ्छित विषय-वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए ।

4—प्रत्येक शिक्षार्थी को एक इकाई समझ कर व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करना चाहिए ।

5—पाठ्यवस्तु का माध्यम स्थानीय भाषा ही हो ताकि शिक्षार्थियो को विषय-वस्तु ग्रहण करने मे कोई कठिनाई न हो ।

6—विद्यार्थियो को स्थानीय परिवेश एवं आवश्यकताओ से सम्बन्धित समस्याओ के निराकरण के लिए भी सक्षम बनाना चाहिए ।

इस योजना के लिए पाठ्यक्रम उपर्युक्त बातो को ध्यान मे रखकर राज्य शिक्षा-संस्थान म किया गया है ।

1—प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनो स्तर का पाठ्यक्रम पुर्नगठित किया गया है।

2—प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम 18 इकाइयो मे विभक्त है।

3—पाठ्यक्रम कक्षावार नही है।

4—दो वष म पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार पूव माध्यमिक स्तर का भी।

5—पाठ्यक्रम पुनगठन मे तारतम्यता नही टूटी है।

शक्षिक सामग्री का निर्माण

1— प्रत्येक इकाई की विस्तृत योजना तैयार की गई है।

2—इकाइयो के आधार पर अध्यापको द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है।

3—कुछ सहायक सामग्री सस्थाओ एव स्थानीय स्रोतो से उपलब्ध की जा रही है।

4—अपनी शाला की समस्त सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक औप चारिकेतर के द्र पर करता है।

राज्य शिक्षा सस्थान की भूमिका

राज्य शिक्षा सस्थान म० प्र० को इस योजना के क्रिया वयन का दायित्व सौंपा गया है। इस हेतु रा० शि० सस्थान में "औपचारिकेतर शिक्षा प्रकाष्ठ" की स्थापना की गई है। काय सचालन विधि इस प्रकार है—

1—औपचारिकेतर शिक्षा के द्र प्रारम्भ करने हेतु क्षेत्र का चुनाव सर्वेक्षण।

2—के द्र खोलने हेतु अनुमति प्रदान करना।

3—शिक्षको स्रोत पुरुषो का उ मुखीकरण।

4—सम्बधित साहित्य का निर्माण व के द्रो पर वितरण।

5—प्राथमिक, पूव माध्यमिक पाठ्यक्रम का सक्षिप्तीकरण।

6—क्रिया वयन की काय योजना तैयार करना।

7—प्रशासन और पयवक्षण।

8—शिक्षको को प्रोत्साहन राशि का वितरण।

9—प्रगति का मूल्याकन करना।

10—के द्रो को मागदशन एव उनकी कठिनाइयो का निराकरण।

11—के द्रो की प्रगति के बारे मे लोक शिक्षण सचालक व शासन को अवगत करना।

12—भावी योजना का निर्माण।

**औपचारिकेतर केन्द्रों को प्रभावशाली कैसे बनायें ?**

औपचारिकेतर शिक्षा-केन्द्रों का प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं—

1—केन्द्रों का पर्यवेक्षण नितान्त आवश्यक है।

2—जिस गाँव में केन्द्र संचालित हो रहा है उस गाँव के विद्यालय के प्रधानाध्यापक का निवेदन किया जाय कि वह भी माह में केन्द्र का एक बार आकस्मिक निरीक्षण करे।

3—सहायक जिला शाला निरीक्षक प्रतिमाह केन्द्र का निरीक्षण करे।

4—शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए इन केन्द्रों के संचालन में सहयोग देना एवं इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन में इस कार्य का स्थान मिलना चाहिए।

5—केन्द्र का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन होना चाहिए। प्रत्येक जिले के उत्तम केन्द्र का प्रशंसा पत्र दिया जाना चाहिए।

**औपचारिकेतर शिक्षा योजना की ख्याति**

मध्य प्रदेश में प्रारम्भ की गई औपचारिकेतर शिक्षा योजना की ख्याति सारे देश में इतनी फैली कि अनेक शिक्षा शास्त्री व विशेषज्ञ इसे निकट से देखने का मोह संवरण नहीं कर सके। 1977 में योजना आयोग भारत सरकार का एक दल म० प्र० में आया और इस दल ने सागर संभाग के कुछ केन्द्रों का निरीक्षण कर भूरि-भूरि प्रशंसा की। 1978 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के एक दल ने केन्द्रों का निरीक्षण और प्रगति पर हार्दिक सन्तोष व्यक्त किया।

म० प्र० में इस योजना का सफल क्रियान्वयन देखकर केन्द्र सरकार ने अन्य सभी प्रान्तीय सरकारों का निर्देश दिया कि औपचारिकेतर शिक्षा के म० प्र० मण्डल को आदर्श मानकर कार्य किया जाय। इस पुनीत कार्य में संलग्न प्रदेश के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों के लिए इससे बढ़कर और अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है। केन्द्र शासन इस व्यवस्था के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराता है जो केन्द्र और राज्य के बीच 6 और 5 के अनुपात में होती है।

सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो भूला हुआ नहीं कहलाता है। यदि इस योजना द्वारा हम प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण कर सकें तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है और हम भटके हुए नहीं कहलायेंगे।

# जनसख्या शिक्षा

(Population Education)

भूमिका—हमने दत्तचित्त होकर जितना समय और शक्ति देश की जनसख्या वृद्धि करने म खर्च की है उतना शक्ति और दूसरे निर्माण और विकास के कार्यों मे लगाते तो हमारा देश स्वर्ग बन गया होता। एक ओर हम देश को समृद्ध बनाने के प्रयास म लगे हैं किन्तु बढ़ती हुई जनसख्या हमारे सारे प्रयासो को विफल कर रही है, विकास की गति धीमी पड रही है। परिणाम यह है कि न केवल हमारा देश वरन् विश्व के अनेक राष्ट्र अभी भी निर्धनता, बेकारी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं। जिस गति से विश्व की जनसख्या बढ़ रही है उस पर यदि नियत्रण नही किया गया तो हमारी सारी योजनाओ पर पानी फिर जायगा। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसख्या 371 करोड थी। विश्व के समस्त विकसित और विकासशील राष्ट्र इस समस्या पर चिन्तित हैं। १९ अगस्त 1974 से 30 अगस्त 74 तक बुखारेस्ट मे जनसख्या की समस्या पर काबू पाने के लिए विश्व के 135 राष्ट्रो का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और भविष्य की व्यूह रचना वै कई सयुक्त-राष्ट्रो ने भी वर्ष 1974 का "जनसख्या शिक्षा" वर्ष घोषित किया और समस्त राष्ट्रो को इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए आह्वान किया।

आज हमारे देश की अनेक समस्याओ का मूल कारण अनपेक्षित जनसख्या ही है। हमारे देश की जनसख्या म प्रतिवर्ष १ करोड 13 लाख के लगभग नए बच्चे जुड जाते हैं। यदि इस वृद्धि पर काबू नही पाया गया तो जो भारत की आबादी सन् 1971 मे 54 7 करोड थी, सन् 2000 तक 1 अरब हो जाने की सभावना है। इस प्रकार की अप्रसाशित जनसख्या-वृद्धि हमारे लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है। हमारे उत्पादन, हमारे विकास की गति, जनसख्या-वृद्धि की गति के सामने कमजोर पड रही है। हमारे सामने एक बडा भारी प्रश्न चिह्न खडा हो गया है। अभी तक देश का जनसख्या वृद्धि की गति आगे की तालिका से आँकी जा सकती है—

| जन गणना वर्ष | जनसख्या (10 लाख मे) | प्रति दशक वृद्धि की प्रतिशत दर |
|---|---|---|
| 1901 | 238 4 | — |
| 1911 | 252 2 | 5 75 |
| 1921 | 251 3 | - 0 32 |
| 1931 | 279 0 | 11 01 |
| 1941 | 316 7 | 14 02 |
| 1951 | 361 1 | 13 31 |
| 1961 | 439 2 | 21 50 |
| 1971 | 547 0 | 25 0 |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की जनसख्या आजादी के बाद बडी द्रुतगति से बढी है।

जनसख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण

1—परिवार को सीमित और नियत्रित करने मे सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध।

2—भावात्मक कारण यथा बच्चा को ईश्वरीय कृपा समझना और परिवार को सीमित रखने के प्रयासो म असहयोग।

3—बालिकाओ की अपेक्षा बालका के प्रति मोह।

4—गम जलवायु और बालिकाआ का शीघ्र युवा होना।

5—कम उम्र मे लडकिया का विवाह।

6—शिक्षा का अभाव।

7—विवाह को मनोरजन का साधन समझना।

8—विकसित आयुर्विज्ञान, जन-स्वास्थ्य सुविधाओ से शिशुओ की मृत्यु दर मे कमी।

9—विज्ञान और आरोग्य सुविधाओ की वजह से औसत आयु मे वृद्धि और मृत्यु दर मे गिरावट।

10—विभिन्न कारणा से भारत मे ऊँची जन्म दर।

2—वयस्का, बालका को समझाना कि मानव जीवन की क्रियाएँ किस तरह जनसख्या प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं, उदाहरणाथ विवाह की उम्र, परिवार की सीमा, आवास का चुनाव, शिक्षा या व्यवसाय आदि निर्णयों का कितना सम्बन्ध सुखी जीवन एवं जनसंख्या परिवर्तन से है।

3—जनसख्या परिवतन किस प्रकार उसके तथा समाज के जीवन को प्रभावित करते हैं।

4—जनसख्या शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि परिवार का आकार सीमित किया जा सकता है तथा सीमित जनसख्या राष्ट्र के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हो सकती है। सीमित परिवार जीवन की सुख-सुविधाओं को बढाने म सहायक होता है।

5—किशोर छात्रों को यह भी ज्ञान दिया जाय कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, कल्याण, आर्थिक उन्नति तथा सुखी भविष्य के लिए सीमित परिवार का होना लाभकारी है।

6—जनसख्या के परयक्ष ज्ञान को समझाना और उसके शैक्षिक महत्व की प्रस्थापना कर शालाओं मे उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।

7—एक विकासशील देश में अत्यधिक जनसख्या राष्ट्र के विकास के लिए कितनी बाधक है, इसका ज्ञान कराकर राष्ट्रीय विकास मे सहायता देना।

8—इससे सम्बन्धित योग्यता का निर्माण करना और स्रोत सामग्री यथा नक्से, चार्ट्स, रेखाचित्र आदि बनाना और उसकी व्याख्या करना।

9—छात्रों को कुछ क्षेत्रीय अध्ययन हतु प्रोत्साहित करना, जैसे स्थानीय समुदाय की जनगणना, सर्वेक्षण, नागरिको की प्रवृत्तियों और आकाक्षाओं का अध्ययन।

10—जनसख्या की अत्यधिक वृद्धि के परिणामों के प्रति चेतना विकसित करना, जैसे—(i) अपर्याप्त आहार, (ii) प्रति व्यक्ति आय, (iii) जीवन स्तर म गिरावट, (iv) बेराजगारी, (v) शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था, (vi) आवास की कमी, (vii) वस्त्रों की कमी।

11—शिक्षकों का प्रेरित करना कि जहा सम्भव हो अपने शिक्षण के पाठ्य-विषय मे इस समस्या की जानकारी दें और उसका प्रतिपादन प्रभावशील ढग से करें।

in the year 585 | 1983

12—उस दशा का वास्तविक ज्ञान कराना जहाँ तक मनुष्य और विभिन्न समाज एक दूसरे पर अत्यधिक आधारित होते जा रहे हैं जिससे उनकी भलाई एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित है।

13—दुनिया के स दर्भ मे भारत की जनसख्या की गतिशीलता, जनसख्या वृद्धि की दर और जनसख्या की सरचना के बारे मे आधारभूत समझ पैदा करना।

14—जनसख्या सम्बन्धी आधारभूत धारणाओ और प्रक्रियाओ की समझ का विकास करना।

15—मनुष्य जीवन के सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक एव आर्थिक क्षेत्रों मे जनसख्या के सुझाव के प्रभाव को जानने हेतु समझ का विकास करना।

16—इस विचार का समझने के लिए प्रोत्साहित करना कि अलग-अलग परिवारो के लाभ के लिए परिवार का आकार नियोजित किया जा सकता है।

17—छोटे परिवार को एक व्यवस्था के रूप में लेने की समझ पैदा करना जिसमे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का उच्चस्तर पाने की अधिक समावनाएँ हैं।

18—देश की जनसख्या सम्बन्धी नीतियो एव कार्यक्रमों के बारे मे चेतना का विकास करना।

जनसख्या शिक्षा का महत्व—वर्ष 1974 म बुखारेस्ट मे हुए विश्व जनसख्या सम्मेलन मे जनसख्या शिक्षा का महत्व इस प्रकार स्वीकार किया गया—

1—उन्नति की प्रेरणा प्रदान करने मे शिक्षा का सर्वोपरि स्थान है तथा उसके द्वारा युवक-युवतियाँ अपनी उन्नति के लिए सकलित होने की प्रेरणा प्राप्त करते ह।

2—शिक्षा का चरम उद्देश्य राष्ट्रीय एव अन्तराष्ट्रीय उन्नति के लिए भावी नागरिका के ज्ञान, कौशल, योग्यताओ एव अभिवृत्तियो का उन्नयन कर सम्पूण मानवी साधना का विकास करना है।

3—प्रत्येक राष्ट्र की सम्पूण जनसख्या के लिए आहार, आवास स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा प्राप्ति के अवसर, उच्च जीवन स्तर एव सुखी पारिवारिक जीवन की समस्याओ के हल प्राप्ति से सम्बद्ध होने के

कारण जनसख्या शिक्षा समूचा शिक्षा-व्यवस्था का वास्तविक एव सार्थक बनाती है।

4—जनसख्या शिक्षा का अत्यन्त विशुद्ध शैक्षिक आधार है। प्रत्येक राष्ट्र की जनसख्या की विशिष्टताएँ तथा उसमे हो रहे परिवर्तन का सीधा सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक के सम्पूर्ण जीवन से है चाहे राष्ट्र की आबादी घनी हो या विरल अथवा राष्ट्र विकसित या विकासोन्मुखी हो।

जनसख्या शिक्षा के अवयव—जनसख्या शिक्षा के निम्नांकित अवयव हो सकते हैं—

1 जनसख्या वृद्धि के निर्धारक—इसमे छात्रो को यह बताया जा सकता है कि जनसख्या वृद्धि के निर्धारक या कारण कौन-कौन से है। भारत मे जनसख्या वृद्धि के कुछ कारण है—छोटी उम्र मे विवाह, गरीबी, निरक्षरता, अंध विश्वास आदि।

2 डेमोग्राफी—इसके अन्तर्गत छात्रो को भूतकाल एव वर्तमान काल मे जनगणना प्रपत्रो की तुलना करके जनसख्या परिस्थितियो को समझाया जा सकता है। लोगो को एक स्थान से दूसरे स्थान को परिव्राजन करने का क्या प्रभाव पडता है। जन्म मृत्यु तथा जनसख्या दर क्या है? जनसख्या वृद्धि मे होने वाले प्रभावो को समझाया जा सकता है।

3 जनसख्या वृद्धि के परिणाम—इसके अन्तर्गत जनसख्या वृद्धि के कारण आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवाओ, शिक्षा स्वास्थ्य, आवास रोजगार तथा उच्च जीवन स्तर पर पडने वाले गलत प्रभावो की ओर बच्चो का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

4 मानव पुनरुत्पादन प्रक्रिया की आधारभूत जानकारी—इस प्रकार की जानकारी विभिन्न कक्षाओ के छात्रो को उनकी अभिरुचि तथा बौद्धिक परिपक्वता के क्रमानुसार दी जा सकती है। विज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। कई शालाओ मे छात्रो के आयुस्तरो के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा एव गृहविज्ञान की कक्षाओ मे इस विषय का समावेश भी उपयुक्त ही है। बालक-बालिकाओ को इस विषय से सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन इस तरह कराया जाय कि उनके नैमित्तिक पाठ्यक्रम मे स्वाभाविक क्रम मे आवे।

5 शिशु जन्म से सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाओ की जानकारी—माता के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली जो बाते है तथा जिनकी खोज अन्वेषण एव

अनुभव के आधार पर की जा चुकी है उन्हे इसके अन्तर्गत बताया जा सकता है।

(क) अल्प वय माता तथा प्रौढ़ा माता के गर्भ धारण।

(ख) विभिन्न गर्भों के बीच न्यूनतम अन्तर।

(ग) उच्च समनुल्यता न्यूनतम अन्तर।

यह भी विचार किया जा सकता है कि उपर्युक्त तीन अवस्थाओ मे उत्पन्न बच्चा की स्वास्थ्य समस्याऐ क्या हैं। इस तरह बताया जा सकता है कि परिपक्व आयु म विवाह होन से माता और उनकी सन्ताना पर क्या प्रभाव पड़ता है। य विशयास छोटी कक्षाओ की स्वास्थ्य शिक्षा म प्रारम्भ हो सकत हैं और उच्च कक्षाओ मे स्वास्थ्य शिक्षा और विज्ञान की कक्षाओ म इनका विस्तृत विवचन किया जा सकता है।

6 परिवार के आकार पर सुखी जीवन निर्भर—अच्छे नागरिकों के दायित्व निभान क लिए प्रत्यक छात्र को यह स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि जनसख्या नीतिया एव परिवार नियोजन क कार्यक्रमो का सीधा सम्बन्ध है। प्रारम्भ म सामान्य जानकारी देकर उच्च कक्षाओ म जनसख्या नीतियां एव सुखी परिवार के साधना का विस्तृत ज्ञान दिया जा सकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयो म सामाजिक अध्ययन क साथ इसको पढ़ाया जा सकता है। माध्यमिक विद्यालयो म नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा भूगाल की कक्षाओ म यह विषय पढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार बालिकाओ के लिए गृह विज्ञान कक्षाओ मे स्वाभाविक रूप स इस बनाया जा सकता है।

### जनसख्या शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र

जनसख्या शिक्षा क क्षेत्र को दो प्रमुख भागा म विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष या औपचारिक शिक्षा और दूसरी अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक एव सामुदायिक शिक्षा। बालक, युवा, तथा विश्व विद्यालयीन छात्र अनेक सगठनो स परिचित एव सगठित रहत है तथा श्रमिक तथा विभिन्न कार्यकर्ता समुदायिक संगठना यथा कल्याण केन्द्र, महिला-मण्डल, युवा सगम, सहकारी सगठन तथा कृषि समितिया आदि स सम्बन्ध होन के कारण इनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकत हैं।

(1) औपचारिक शिक्षा ( Formal Education )—युवको म नवाचार के माध्यम स पाठ्यक्रम की सीमा एव परिधि के बाहर इस प्रकार की जागरुकता उत्पन्न की जाय जिसस उनम परिस्थितियो को समझन एव उन्हे सुगमता स समझन एव हल करन की क्षमता उत्पन्न हो सके। शैक्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षक

प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रश्न और शैक्षिक प्रशासन को अधिक मुखरित किया जाना आवश्यक है।

शिक्षण में निम्नांकित विचार बिन्दु ध्यान म रखने होगे। स्थानीय परिस्थितियाँ विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तथा बौद्धिक प्रतिवेश तथा परिपक्ष्य को दृष्टिगत रखना होगा। प्रकरणो का निर्धारण इन बिन्दुओं पर भी किया जा सकता है।

(क) डेमोग्राफिक झुकाव उनके निर्धारक एव परिणाम।

(ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास उद्देश्य विधियाँ एव आँकड़े।

(ग) मानवीय समस्याएँ एव जनसख्या वृद्धि।

(घ) समाज समुदाय एव परिवार का सगठन।

(ङ) अन्तसबन्धो के परिप्रेक्ष्य म पारिवारिक जीवन।

(च) वनस्पति जगत, पशु जगत और मानव जगत मे प्रजनन।

(छ) परिवार का आकार इसके मानदण्ड।

(ज) मानवीय विकास के प्रारम्भिक मूल्य एव गुण।

इन सबके लिए भूगोल, समाजिक अध्ययन, जीवन विज्ञान, गृह विज्ञान आदि को जीवन्त बनाना होगा। जनसख्या-शिक्षा में शिक्षक और छात्र के मध्य ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि इस शिक्षा को जीवन की शिक्षा बनाया जा सके।

(ii) अनौपचारिक शिक्षा (*Informal Education*)—एक ओर औपचारिक शिक्षा जनसख्या का कतिपय विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन माग प्रशस्त करती है तो दूसरी ओर अनौपचारिक शिक्षा जीवन की चुनौतियाँ स्वीकार कर सकती है। विकासशील दशा मे भी अशिक्षितों की सख्या काफी बढ रही है। जब तक ग्रामीणो और अशिक्षित जनता का जनसख्या शिक्षा कायक्रम में सामिल नही किया जायगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। अनौपचारिक शिक्षा में चुनौतियाँ भी काफी हैं।

जनसख्या शिक्षा का आरम्भ किस स्तर से हो ?

बहुत स विशेषज्ञो की यह राय है कि सामान्य जनसख्या शिक्षा का आरम्भ प्राथमिक स्तर स होना चाहिए। विकासशील देशो म प्राथमिक शालाओं का ग्रामीण क्षेत्रों मे जीवन के मूल्यो एव आदर्शों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ग्रामीण छात्रो के लिए शिक्षा का एक मात्र माध्यम प्राथमिक शाला ही है। जो छात्र माध्यमिक एव उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं उनके लौटने की

समावना कम रहती है । आवादी के परिवतनो से पीडित ग्रामवासियो पर अपना प्रभाव नही डाल सकेंगे । दूसरा तर्क यह है कि परिवार की सीमा सम्बन्धी धारणाएँ जीवन के आरम्भिक समय मे ही निर्मित होती हैं इसलिए जनसख्या शिक्षा का समावेश एव प्रारम्भ प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए ।

कुछ विद्वानो का मत है कि विकासशील देशो मे जनसख्या शिक्षा के लिए सीमित बजट और सीमित कार्यकर्ता उपलब्ध होने से माध्यमिक एव उच्चतर माध्यमिक स्तर से ही जनसख्या शिक्षा प्रारम्भ की जाय ।

अच्छा तो यह होगा कि जनसख्या शिक्षा की प्रारम्भिक अवधारणाएँ प्रारम्भिक ज्ञान प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाय और विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओ मे क्रमश समाविष्ट की जाय । जनसख्या शिक्षा के सम्पूण कार्यक्रम मे अनेक प्रकार की शिक्षा सस्थाओ का योगदान होगा । प्राथमिक शालाएँ, माध्यमिक शालाएँ, उच्चतर माध्यमिक शालाएँ, अध्यापक प्रशिक्षण सस्थाएँ एव विश्वविद्यालय सभी इसम सहयोगी भूमिका निभाएँगें । विकसित एव विकासशील देशो म विस्तार सेवा-कायक्रम भी प्रारम्भ किए जा रहे हैं ।

### जनसख्या शिक्षा की चुनौती

1—जनसख्या शिक्षा के प्रति सम्बन्धित व्यक्तियो का विश्वास उत्पन्न करना ।

2—जनसख्या शिक्षा की योजनाओ को तैयार करना तथा उनमें समन्वय बनाए रखना ।

3—प्रचलित पाठ्यक्रमो मे जनसख्या शिक्षा का समावेश करना ।

4—जनसख्या शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्येतर काय कलाप विकसित करना—

जैसे—अध्यापक प्रशिक्षण, अनुसधान एव औपचारिकेतर शिक्षा ।

5—विद्यालयो एव अध्यापक प्रशिक्षण सस्थाओ मे जनसख्या शिक्षा के कार्यान्वयन एव नियत्रण के लिए नवीन व्यूह रचना के अनुसार मानवीय साधन, सामग्री एव समय तथा आवश्यक काय स्थल प्राप्त करना ।

6—प्रगति का सुसगठित मूल्याकन करना । योजनाओ से सम्बन्धित सस्थाओ एव अध्यापको से प्राप्त सुझावों के आधार पर सतत् सुधार की व्यवस्था करना ।

7—आवश्यकतानुसार क्रियात्मक अनुसंधान ( एक्सन रिसर्च ) प्रोत्साहित करना।

अध्यापक संगठनों के दायित्व—जनसंख्या शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक संगठनों के निम्नानुसार दायित्व होना चाहिए—

1—जनसंख्या शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण के सभी स्तरों के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाना—पृथक पाठ्यक्रम के रूप में अथवा वर्तमान पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर।

2—अध्यापकों, प्रशिक्षण विशेषज्ञों एवं छात्राध्यापकों के लिए जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कार्य गोष्ठियों, परिचर्चाएँ एवं व्याख्यानों का आयोजन करना।

3—अध्ययन एवं अध्यापन सामग्री विकसित करने के लिए कार्य गोष्ठियों का आयोजन करना ताकि पाठ्यक्रम निर्देशिकाएं एवं नवीन सामग्री प्राप्त हो सके।

4—जनसंख्या शिक्षा के लिए सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन करना तथा योजनाओं के लिए सुसंगठित प्रयास करना।

5—सरकारों एवं अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करना कि वे अध्यापकों के लिए विभिन्न स्तरों पर अध्ययन शिष्य वृत्तियाँ उपलब्ध कराएँ, और जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सक्षम विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक हों।

6—अध्यापकों के व्यावसायिक संगठनों से आग्रह करना कि वे जनसंख्या शिक्षा के मूलभूत ज्ञान के विकास में सहायता करें।

7—जनसंख्या शिक्षा के अभिलेखों एवं सामग्री का संकलन तथा प्रकाशन कर उसका प्रसारण संगठन के सदस्यों में करना।

8—आवश्यकतानुसार सलाहकार सेवाएँ, शिष्य वृत्तियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों का आदान प्रदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

9—जनसंख्या शिक्षा के लिए कार्य समूहों को प्रोत्साहित करना।

10—राष्ट्रीय अध्यापक संगठनों को अपने देश के जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा करना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उसी प्रकार की समीक्षा करना चाहिए ताकि दोनों स्तरों पर समन्वय स्थापित हो सके।

**परिवर्तन हेतु अभियान**

संसार में कहीं भी जनसंख्या शिक्षा के आदर्श नमूने नहीं हैं जिन्हें शिक्षक अपना नमूना या अपना आधार बना सकें। इस सम्बन्ध में शैक्षिक सामग्री के चयन की सुविधाएँ भी सीमित हैं। जनसंख्या शिक्षा की पूर्व वर्णित धारणाओं और शिक्षा प्रणाली की विविधताओं के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं।

**1—शिक्षा एवं परिवार-कल्याण संस्थाओं के मध्य तालमेल**

जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश योजना निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य शिक्षा के नियंत्रण में होना चाहिए। यह समझ लेना आवश्यक है कि जनसंख्या शिक्षा, परिवार-कल्याण कार्यक्रमों से पृथक है। अतः परिवार-कल्याण विशेषज्ञों को शिक्षकों पर अपने मत का आरोपण नहीं करना चाहिए। दोनों में तालमेल अवश्य रहे लेकिन कार्यक्रम भिन्न होंगे क्योंकि शालाओं की विषय सामग्री अनेक बिन्दुओं पर वयस्कों के कार्यक्रम से भिन्न होगी।

**2—शिक्षक प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता**

शिक्षक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की ओर सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवर्तन सरल होते हैं। शिक्षक का इस दिशा में रुचि बढ़ाने के अनेक आयाम हैं। जनसंख्या शिक्षा को शिक्षकों की सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। कुछ स्रोत पुरुष तैयार करने होंगे और शैक्षिक विधियों में भी परिवर्तन करना होगा।

**3—ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का अध्ययन**

के० ए० पी० (Knowledge, Attitude and Personality) के अन्वेषणात्मक अध्ययन वयस्कों के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उन्हें शाला के बालकों की अभिरुचि के लिए भी अपनाया जा सकता है। परिवार-कल्याण के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के निष्कर्षों से शिक्षकों को यह ज्ञान होगा कि जनसंख्या कार्यक्रमों की शैक्षिक आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाय।

**4—बुनियादी सन्दर्भ ग्रन्थों का प्रकाशन**

जनसंख्या शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री का निर्माण विशेष महत्त्व रखता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सामग्री में संशोधन करना होगा। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई जनसंख्या शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तकों का निर्माण विशेष सावधानी से करना होगा।

इस प्रकार की पुस्तक देश-विदेश की जानकारी का समावेश होगा और यह पुस्तक सभी के लिए सन्दर्भ ग्रन्थ का काम देगी।

5—प्रचलित पाठ्यक्रम के संशोधन की क्रिया का जनसख्या शिक्षा से मेल

शालाओ के प्रचलित पाठ्क्रम को सशोधन कर स्वाभाविक रूप मे जन सख्या शिक्षा सम्बन्धी सामग्री का समावेश करना।

6—जनसख्या विशेषज्ञो का प्रशिक्षण

कुछ ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने होगे जो इस कार्यक्रम मे सहायता कर सकें। जनसख्या शिक्षा म आने वाली कठिनाइयो का निवारण कर सकें और अन्यो को प्रशिक्षित भी कर सकें। विशेषज्ञो का प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

भारत मे जनसख्या शिक्षा के काय का इतिहास

एशिया के देशो म छटवे दशक म "जनसख्या शिक्षा" की खोज अचानक हो गई।

भारत के परिवार-कल्याण सघ ने इस दिशा मे सर्व प्रथम कदम उठाया। उसने महाराष्ट्र सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसम शालेय पाठ्क्रमो म सशोधन कर जनसख्या शिक्षा को सम्मिलित करने का आग्रह किया। इस सगठन ने जन मानस का ध्यान आकर्षित करने के लिए सगोष्ठियाँ, शिक्षक पुनअध्ययन आदि आयोजित किए।

इस बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद् तथा भारत सरकार के शिक्षा मत्रालय के सहयोग से 21 राज्यो के शिक्षा मत्रियो से जन- सख्या शिक्षा के प्रचार के लिए आग्रह किया गया।

हरियाणा और म० प्र० सरकारो ने जनसख्या शिक्षा को पाठ्क्रम मे सामिल कर लिया है। अब इस समय लगभग सभी सरकारो ने इसे अपने पाठ्यक्रम मे सम्मिलित या तो कर लिया है या करने को तैयारी कर ली है।

जनसंख्या शिक्षा की औपचारिक एव अनौपचारिक विधियो के अन्तगत पाठ योजनाए, वार्ताएँ, वाद-विवाद आदि तरीकें उपयोग म लाए जा रहे हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है। चूंकि भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अचलो मे निवास करती है अतएव शिक्षा का सबल आधार ग्रामो मुखी शिक्षा होना चाहिए।

## मध्य प्रदेश मे जनसख्या शिक्षा की प्रगति

प्रदेश म जनसख्या शिक्षा के कार्य को गति प्रदान करने, मार्ग-दर्शन देने तथा कृत काय की समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा संस्थान म० प्र० मे जनसख्या शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ की स्थापना निम्नाकित उद्देश्यो से की गई है।

### उद्देश्य

1—जनसख्या वृद्धि एक सकट है अत इसका प्रचार प्राथमिक शिक्षा से करना।

2—सतुलित जीवन यापन की सुविधा एव प्रेरणा देना।

3—जनसख्या वृद्धि करने वाली सामाजिक व धार्मिक कुरीतियो की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना।

4—परिवार-कल्याण तथा नियोजन की विचारधारा का पाठयक्रम में सम्मिलित करना।

5—शालेय शिक्षा के विषयो के अनुरूप पाठ तैयार कर पाठ्यपुस्तका मे जोडना।

कार्य—जनसख्या प्रकोष्ठ निम्नानुसार काय सम्पन कर रहा है :—

1—साहित्य सृजन—प्राथमिक और पूव माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान एव सामा य ज्ञान विषया के लिए जनसख्या शिक्षा पर आधारित पाठा का निर्माण, क्षेत्र परीक्षण, सशोधन व पुनरावलोकन।

2—शिक्षण सामग्री का निर्माण—स्लाइडा व फिल्मो, जनसख्या के रिटो, चार्टों का निर्माण करना।

3—जनसख्या शिक्षा की सकल्पना का प्रचार व प्रसार—जनसख्या शिक्षा पर आधारित स्लाइडा व फिल्मा द्वारा प्रचार व प्रसार करना।

4—सेवा कालीन प्रशिक्षण—इस प्रयोजना के अन्तर्गत समस्त शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचाय व व्याख्याता, शिक्षक, सहायक जिला शाला निरीक्षक, प्रधानाध्यापक, पूव माध्यमिक तथा प्राथमिक शाला के लिए उन्मुखीकरण सगोष्ठियाँ आयोजित करना।

कृत कार्य—अभी तक इस प्रकार काय किया जा चुका है :—

1—कक्षा 3 से 11 तक के लिए सामाजिक अध्ययन एवं भाषा के पाठों का निर्माण कराया गया।

2—शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री निर्मित की गई।

3—शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्यों का उन्मुखीकरण किया गया जिसमें जनसंख्या शिक्षा के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।

4—प्रदेश के सौ विद्यालयों में इन पाठों का क्षेत्र परीक्षण कार्य कराया जा रहा है।

5—क्षेत्र परीक्षणाधीन 100 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया।

# वालिका शिक्षा

(Girls Education)

पृष्ठ भूमि—भारतीय नारी का चित्रण करते हुए महाकवि तुलसी ने लिखा है कि "सुन्दरता कहुँ सुन्दर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई" किन्तु हम भारतीय नारियों को अन्धकार मे रखते आए हैं। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" के आदर्श वाले देश मे बालिकाओं की अशिक्षा एक चिन्तनीय विषय है। भारतीय नारी "वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि" एवं 'आंचल में है दूध और आंखों मे पानी" जैसे विरोधाभासीगुणो से मण्डित है। एक ओर हमने उसे अबला कहा है तो दूसरी जगह "का न करै अबला प्रबल' भी कहा है। जहाँ एक ओर अपनी हरन, हसन, और तीखी चितवन से घायल करती है तो दूसरी ओर लक्ष्मीबाई जैसी रणचण्डी का वेष धारण कर लाखो को रण मे भी घायल कर देती है, अर्थात् भारतीय नारी किसी बात मे कम नही है केवल कितावी शिक्षा हम उसे नही दे पाए है। हमारी अबोध बालिकाएँ आज भी अपने माँ बाप या पालकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण शिक्षा से वंचित हैं। अधिकाश पालकगण आज भी बालिकाओं को शिक्षा पर किए गए व्यय को व्यर्थ मानकर तथा उन्हें पराया धन मानकर उनके हाथ पीले कर देने मे अपना कर्त्तव्य मानते हैं।

वस्तुतः देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का भविष्य अच्छी शिक्षा युक्त बालको पर निर्भर करता है और बालको को सस्कार युक्त बनाने तथा उन्हे शिक्षित करने का काफी उत्तरदायित्व माँ पर ही है। माँ का शिक्षित और सस्कार युक्त होना इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है। नारी शिक्षा ही राष्ट्रनिर्माण की कुंजी है। डा राधाकृष्णन जी के शब्दों मे "एक व्यक्ति को शिक्षा देने का मतलब एक व्यक्ति को ही शिक्षित करना है तथा एक महिला को शिक्षा देना समस्त परिवार को सुशिक्षित करना है।" देश, समाज, परिवार का सर्वाङ्गीण उन्नति महिला शिक्षा पर ही निर्भर करती है। नारी शिक्षा ही वह धुरी है जिस पर राष्ट्र की कार्य कुशलता निर्भर करती है। बालिका, महिला शिक्षा की प्रगति के बिना हमारे सभी सपने अधूरे रहेंगे।

स्वतन्त्रतापूर्व बालिका/महिला शिक्षा—विश्व में महिला शिक्षा की प्रगति व अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। जिस युग में हमने उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा उसके लिए प्रगति के द्वार खुले रहे जब उन्हे सम्मान नही दिया तो उनके लिए शिक्षा अनावश्यक महसूस की गई। वैदिक काल में हमारे यहाँ महिलाओं को समादृत करने का आदर्श रहा है और तभी से यह युग हम जागरण एवं प्रगति की प्रेरणा देता आ रहा है। उस युग में नारी को सम्मान देने के साथ-साथ पुरुषों से बराबर का स्थान दिया गया। सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। माता-पिता अपने बालक-बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा व्यवस्था करते थे। इस सामाजिक व्यवस्था में वैदिक युग में अनेक विदुषी महिलाएँ पैदा हुई जिन्होंने वेदों की ऋचाओं का प्रणयन किया। नारी शिक्षा की व्यवस्था विश्व इतिहास में वैदिक काल की बहुत बडी विशेषता थी। याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करने वाली विदुषी महिला गार्गी तथा जगद्गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाली मंडन मिश्र की पत्नी भारती को कौन नहीं जानता। इनके अलावा विश्ववारा, अपाला मैत्रेयी, लोपमुद्रा आदि अनेक महिलाएं तथा मुस्लिम युग की जेबुन्निसा, रजिया, गुलबदन एवं नूरजहाँ आदि नारियों के नाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाता था। इन महिलाओं ने सिद्ध कर दिया कि महिलाएँ भी पुरुषों के बराबर योग्यताएँ और क्षमताएँ रखती हैं बशर्ते उन्हें अवसर और सुविधाएँ तथा माता-पिता की प्रेरणा मिल सके।

इसके बाद कुछ बीच में ऐसा समय आया जब इस स्वर्णिम व्यवस्था का लोप हो गया। बालिकाओं, महिलाओं की शिक्षा-व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया और हमने उसे मकान चहारदीवारी में ही रख लिया। अठारहवी शताब्दी तक महिला शिक्षा के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य व प्रयास नही हुए। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ तक भी कुछ शैक्षिक प्रगति नही हुई और औपचारिक शिक्षा के लिए काफी कम व्यवस्था थी। सन् 1901 में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 0 8 था। स्कूलों में दर्ज 100 लडकों के मुकाबले में बालिकाओं की संख्या प्राथमिक स्तर पर 12 और माध्यमिक स्तर पर 4 थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लडकियों का कुल नामांकन 264 था। बीसवी सदी से कुछ बालिका शिक्षा के विषय में ज्यादा जागरूकता आई। स्वामी विवेकानन्द ने नारी शिक्षा की महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है कि—"हम चाहते है कि भारत की नारियों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्त्तव्य को भलाभाँति निभा सकें और संघ मित्रा, लीला, अहिल्याबाई,

तथा मीराबाई आदि भारत की महान् नारियों द्वारा चलाई गई परम्परा को आगे बढा सकें तथा वीर प्रसू बन सकें। सर्वप्रथम नारी जाति को सुशिक्षित बनाओ फिर वे स्वय कहेंगी कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है।" इस प्रकार नारी की गिरी हुई अवस्था, उनमे व्याप्त अशिक्षा, रुढिवादिता और धर्मान्धता को दूर करने के सुनियोजित प्रयत्न प्रारम्भ हुए। किन्तु अनेक प्रयासो के बावजूद भी महिला शिक्षा की प्रगति धीमी रही जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है—

| वर्ष | प्राथमिक शालाओं मे प्रति 100 छात्रों पर छात्राओं की संख्या | मिडिल स्कूलों मे प्रति 100 छात्रों पर छात्राओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1901-02 | 12 | 4 |
| 1911-12 | 18 | 5 |
| 1921-22 | 23 | 6 |
| 1931-32 | 36 | 8 |
| 1941-42 | 37 | 12 |
| 1946-47 | 39 | 21 |

यद्यपि बालिका शिक्षा मे उत्तरोत्तर क्रमिक विकास हुआ है किन्तु बालकों की तुलना मे यह प्रगति काफी कम है। सामान्य साक्षरता के मामले मे भी यही स्थिति है जो नीचे की तालिका मे देखा जा सकता है।

(साक्षरता प्रतिशत मे)

| | 1951 | | 1961 | | 1971 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला |
| भारत | 27 14 | 8 86 | 40 40 | 15 33 | 39 45 | 18 70 |
| म० प्र० | 18 01 | 3 58 | 32 19 | 8 09 | 32 70 | 10 92 |

तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि सामान्य साक्षरता और स्त्री साक्षरता मे क्रमशः वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु अभी भी स्थिति अत्यन्त सोचनीय है।

आज भी देश मे लगभग 81 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं तथा म० प्र० में लगभग 89 प्रतिशत । अत इस दिशा में गम्भीर चिन्तन करना होगा ।

स्वतन्त्र भारत मे बालिका/महिला शिक्षा की प्रगति व अवरोधक कारण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सविधान मे स्त्री और पुरुषा मे समानता तथा समाज के अनेक क्षेत्रो मे उनकी महत्ता प्रतिपादित की गई । सविधान की यह मशा हमारी सभी पचवर्षीय योजनाओ म परिलक्षित हुई है । सभी योजनाओं मे बालिका शिक्षा की प्रगति के लिय विशेप प्रयास किय गये हैं । ससार के सभी राष्ट्र महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर चुके हैं । 1952 में यूनेस्का द्वारा सभी राष्ट्रा को प्रश्नावली भेजी गई थी जिसके निष्कप रूप में यह सामने आया कि विश्व के सभी राष्ट्र महिला शिक्षा को अनिवाय और महत्वपूर्ण मानते हैं ।

हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें बालिका/महिला शिक्षा के प्रति चिन्तित हैं तथा तदनुसार प्रयास किये जा रहे हैं । भारतीय सविधान के पन्द्रहवें अध्याय की प्रथम धारा मे स्त्री और पुरुषा को शिक्षा प्राप्ति का समान अधिकार है । भारत सरकार ने बालिका/महिला शिक्षा को व्यापक बनाने व उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध मे विचार कर सुझाव देने के लिये समय-समय पर अनेक समितियो का निर्माण किया है जो इस प्रकार हैं —

1—माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जिसने सभी के साथ-साथ बालिकाओ की शिक्षा के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किये ।

2—भारत सरकार शिक्षा मत्रालय के प्रस्ताव क्र०/एफ/34-12/57 बी–5 दिनाक 19 मई 1958 के द्वारा "दि नेशनल कमेटी आन वीमन एजुकेशन" का गठन किया । श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता म इस राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित सभी समस्याओ का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये ।

3—श्रीमती हसा मेहता की अध्यक्षता मे बालक/बालिकाओं की पाठ्य चर्चाओं मे विभेदीकरण के लिये नियुक्त समिति ।

4—श्री एम० भक्त वत्सलय की अध्यक्षता में नियुक्त समिति, जिसने कम विकसित लडकियों की शिक्षा वाले छह राज्यो मे समस्या का अध्ययन किया ।

5—शिक्षा आयोग 1964-66, जिसने बालिका शिक्षा पर भी विस्तृत विचार प्रकट किये ।

6—'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के लिए गठित ससद सदस्या की कमेटी 1967 ।

7—राज्या म राज्य स्त्री शिक्षा परिषदो का गठन ।

8—प्रारम्भिक शिक्षा क लोकव्यापीकरण के सम्बन्ध म गठित कार्यवाही दल 1978 ।

भारत शासन तथा प्रान्तीय सरकारा के विभिन्न प्रयासा के बावजूद भी बालिका शिक्षा की प्रगति काफी कम है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स अभी तक की स्थिति इस प्रकार है —

भारत मे शिक्षा के विभिन्न स्तरा पर बालक/बालिकाओ की दर्ज सख्या-प्रतिशत

| | 1950-51 | 55-56 | 60-61 | 65-66 | 68-69 | 73-74 | 78-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्तर | | | | | | | |
| बालक | 59 8 | 70 3 | 81 4 | 93 0 | 93 4 | 1 00 | 100 2 |
| बालिका | 24 6 | 32 4 | 41 9 | 54 6 | 57 0 | 65 0 | 67 8 |
| योग | 42 6 | 55 9 | 62 3 | 75 1 | 76 0 | 84 0 | 84 5 |
| पूर्व माध्यमिक स्तर | | | | | | | |
| बालक | 20 7 | 25 5 | 35 9 | 43 8 | 45 0 | 47 0 | 49 2 |
| बालिका | 40 ɔ | 6 9 | 12 1 | 16 7 | 18 0 | 21 0 | 26 0 |
| योग | 12 7 | 16 5 | 24 3 | 34 6 | 32 0 | 35 0 | 38 1 |
| उ० मा० स्तर | | | | | | | |
| बालक | 8 7 | 12 8 | 18 5 | 24 2 | 27 0 | 28 0 | 25 6 |
| बालिका | 1 8 | 2 6 | 4 4 | 7 8 | 10 0 | 11 0 | 11 5 |
| योग | 5 3 | 7 8 | 11 7 | 16 1 | 18 0 | 20 0 | 18 8 |

विद्यालयो की सख्या मे वृद्धि, शिक्षिकाओ की अधिकाधिक नियुक्तियो तथा उन्हे अनेक प्रदत्त सुविधाओ, बालिका शिक्षा क लिये गठित समितियो की सिफारिशो व उनके क्रियान्वयन के बावजूद भी बालिकाओ की शिक्षा मे उल्लेखनीय प्रगति नही हो पाई है। देश मे वर्ष 78-79 की स्थिति म 6-11 आयु वर्ग की 72 प्रतिशत बालिकाए तथा 11-14 आयु वर्ग की केवल

28 6 प्रतिशत बालिकाएँ एवं 14-17 वय की 11 5% ही शालाओं में जा रही हैं। ऐसी स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। भारत देश में बालिका शिक्षा की सामान्य समस्याओं के अध्ययन एवं उनके निराकरण के उपायों के साथ ही क्षेत्र विशेष की विशिष्ट समस्याओं का समुचित निराकरण अत्यन्त आवश्यक है। अभी दो बातें सामने हैं —

(1) पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा में जो विशाल खाई है उसे उतनी जल्दी नहीं पाटा जा रहा है जितना आवश्यक है।

(2) देश के कम विकसित क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति के लिए कुछ करने को बाकी है।

किये गये प्रयास—बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने तथा उनका सामाजिक, आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये यथा —

(i) छात्राओं के लिये छात्र वृत्तियाँ।
(ii) स्कूल मदम की नियुक्तियाँ।
(iii) बालिका शालाएँ खोलना।
(iv) महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति।
(v) महिला शिक्षिकाओं को आवास गृह।
(vi) शिक्षक प्रशिक्षण में महिला शिक्षकों को स्टायपण्ड का प्रदाय।

इन प्रयासों के बावजूद लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच जो काफी बड़ी खाई थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही है फिर भी अभी बालिकाओं की शिक्षा बालकों के स्तर तक लाने में काफी प्रयास अपेक्षित हैं। ससद सदस्यों की शिक्षा पर रिपोर्ट (1967) जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में दी गई थी, के अनुसार "स्वातन्त्र्योत्तर काल में बालिकाओं की दर्ज सख्या तथा शिक्षिकाओं की सख्या में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर काफी वृद्धि हुई है किन्तु बहुत कुछ किये जाने के बावजूद भी बालक और बालिकाओं की दर्ज सख्या में शिक्षा के हर स्तर पर काफी अन्तर है। इसलिये बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिये तथा बालिका शिक्षा की प्रगति के लिये प्रमुख प्राथमिकता के आधार पर राशि आवंटित कर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। शीघ्र क्रियान्वयन के लिये तेज प्रयास किये जायें। मुख्यत ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए।"

प्रारम्भिक शिक्षा के लाकव्यापीकरण हेतु गठित कार्यकारी दल (1977-78) ने अपने प्रतिवेदन मे लिखा है कि देश मे जो शाला न आने वाला की सख्या है उसमे दा तिहाई बालिकाएँ हैं। 6-11 आयुवग मे 133 लाख और 11-14 आयुवग मे 183 लाख बालिकाएँ शालाओ से बाहर हैं। इसलिये इनको शालाओ म लाने हेतु निम्नानुसा प्रयास करने होंगे।

(1) अभिभावकों म बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सम्मान पदा करने हेतु प्रचार प्रसार।

(2) महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति।

(3) दजसख्या बढाने के लिये प्रात्साहन।

(4) शाला मातृ (स्कूल मदम) की नियुक्ति।

(5) पूव प्राथमिक शालाओ, ननरी शालाओ की स्थापना।

बालक/महिला शिक्षा के पिछडेपन के कारण

बालिकाओ की शिक्षा के पिछडेपन के देश व प्रदेश में अनेक कारण हैं, जिनमे प्रमुख इस प्रकार हैं—

1—पालको की निधनता।

2—परम्परागत रुढिया व अध विश्वास।

3—बालिका शिक्षा के प्रति पालकों की उदासीनता।

4—महिला शिक्षकों की कमी।

5—ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला शिक्षकों का न रहना।

6—घर से विद्यालय की दूरी।

7—महिला शिक्षकों के लिये आवास व्यवस्था की कमी।

8—शाला समय उपयुक्त न होना।

9—शालाओ का दीर्घावकाश कृषि परक परिस्थितियो तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियो के अनुकूल न होना।

10—बालिकाओ के लिये उपयुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें न होना।

11—कन्या शालाओ की कमी।

12—सह शिक्षा के प्रति ग्रामीणो की आपत्ति।

13—बालिकाओ का बाल विवाह व पर्दा प्रथा।

14—बालिकाओ को पराया धन मानने की प्रवृत्ति।

15—बालिकाओ से गृह काय लिया जाना।

मध्य प्रदेश मे बालिका/महिला शिक्षा

1 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। नया म० प्र०, विंध्य प्रदेश, महाकौशल, मध्य भारत, रीवा और भोपाल रियासत को मिलाकर बनाया गया। इन क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की थी। देश की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल में पहला राज्य है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 10 92 है जब कि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 18 70 है। म० प्र० विविधताओं और विरोधाभासों से युक्त राज्य है। यहाँ भौगोलिक विषमता है। प्रदेश की आबादी में लगभग एक तिहाई आदिवासी और हरिजनों की जनसंख्या है जो गरीबी में जीवन बिताते हुए काफी पिछड़े हुए हैं।

प्रदेश निर्माण से लेकर अभी तक यद्यपि शालाओं की संख्या, शिक्षक संख्या तथा व्यय में कई गुनी वृद्धि हुई है तथापि उस अनुपात में बालिकाओं की साक्षरता या दर्जसंख्या प्रतिशत में अनुकूल वृद्धि नहीं हो सकी। क्रमिक विकास अवश्य हुआ है लेकिन मंजिल काफी दूर है। 79-80 की स्थिति 6-11 आयुवर्ग में बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत 41 0, 11-14 आयुवर्ग में 16 0 तथा 14-17 आयुवर्ग में दर्जसंख्या प्रतिशत 6 26 है। राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत 6-11 आयुवर्ग में 72 0, 11-14 आयुवर्ग में 28 6 तथा 14-17 आयुवर्ग में 11 5 है। स्पष्ट है कि हम राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे हैं।

म० प्र० मे बालिका शिक्षा हेतु किए गए प्रयास—म० प्र० में बालिका शिक्षा की प्रगति एवं प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) राज्य स्त्री शिक्षा परिषद् की स्थापना—वर्ष 1960 में राज्य स्त्री शिक्षा परिषद् की स्थापना म० प्र० शासन द्वारा की गई। इस परिषद् का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करना तथा उनके स्तर का उन्नयन करना है। पिछड़े वर्ग और देहात की महिला और बालिकाओं को आगे बढ़ाना इसका विशेष प्रयास रहेगा। इस परिषद् की जिला स्तरीय समितियाँ भी है। परिषद् के निम्नांकित उद्देश्य हैं—

(अ) बालिकाओं, महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए शासन को प्रस्ताव देना।

(ब) बालिका शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय कठिनाइयों और समस्याओं का निदान एवं उपचार।

(स) बालिका शिक्षा विकास के कार्यक्रम और योजनाओं के लिए बैठक एवं सम्मेलन करना।

(द) बालिका एवं महिला शिक्षा के लिए अशासकीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना।

(य) महिला शिक्षा की ओर शासन और जनता का ध्यान आकर्षित करना।

(2) बालिका शिक्षा-निधि की स्थापना—13 दिसम्बर 1972 से बालिका शिक्षा निधि की स्थापना म० प्र० में की गई है। पाँच करोड़ रुपयों का लक्ष्य निर्धारित कर इसकी स्थापना की गई है। काफी बड़ी राशि अनुदान एवं दान द्वारा इकट्ठी हो गई है। यह धन-राशि बालिकाओं को मध्याह्न भोजन, गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी, शिक्षिका आवासगृह तथा औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र आदि के द्वारा शैक्षिक प्रेरणा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

(3) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं की निशुल्क शिक्षा व्यवस्था।

(4) छात्र वृद्धि हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

(5) महिला वर्ष 1975 के दौरान प्रशिक्षित महिलाओं की बिना चयन परीक्षा के नियुक्ति तथा आयु में 35 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में आवासगृहों का निर्माण।

(7) कन्या शालाओं की स्थापना तथा उनमें मूत्रालयों का निर्माण।

(8) गरीब एवं मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ, शिष्यवृत्तियाँ।

(9) हरिजन आदिवासी छात्राओं को ग्यारहवीं कक्षा तक मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रदाय।

(10) पिछड़े एवं गरीब वर्ग की छात्राओं को मुफ्त गणवेश।

(11) शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी में महिलाओं के लिए आरक्षण।

(12) महिला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पण्डा की स्थापना।

(13) महिलाओं के लिए उपयोगी विभिन्न पाठ्यक्रमों से परिपूर्ण विविध शिल्प कला मन्दिर भोपाल की स्थापना।

(14) प्रदेश में चल रही उपशालाओं में स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता।

(15) नसरी शालाओं में शिक्षक की पत्नी की नियुक्ति।

मध्य प्रदेश में बालिका/महिला शिक्षा

1 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। नया म० प्र० विंध्य प्रदेश, महाकौशल, मध्य भारत, रीवा और भोपाल रियासत को मिलाकर बनाया गया। इन क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की थी। देश का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल में पहला राज्य है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 10 92 है जब कि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 18 70 है। म० प्र० विविधताओं और विरोधाभासों से युक्त राज्य है। यहाँ भौगोलिक विषमता है। प्रदेश की आबादी में लगभग एक तिहाई आदिवासी और हरिजनों की जनसंख्या है जो गरीबी में जीवन बिताते हुये काफी पिछड़े हुये हैं।

प्रदेश निर्माण से लेकर अभी तक यद्यपि शालाओं की संख्या, शिक्षक संख्या तथा व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है तथापि उस अनुपात में बालिकाओं की साक्षरता या दर्जसंख्या प्रतिशत में अनुकूल वृद्धि नहीं हो सकी। क्रमिक विका[illegible] अवश्य हुआ है लेकिन मंजिल काफी दूर है। 79-80 की स्थिति 6-[illegible] आयुवर्ग में बालिकाओं का दर्ज प्रतिशत 41 0, 11-14 आयुवर्ग में 16 0 14-17 आयुवर्ग में दर्जसंख्या प्रतिशत 6 26 है। राष्ट्रीय स्तर पर बालि[illegible] का दर्ज प्रतिशत 6-11 आयुवर्ग में 72 0, 11-14 आयुवर्ग में 2[illegible] 14-17 आयुवर्ग में 11 5 है। स्पष्ट है कि हम राष्ट्रीय स्तर [illegible] पीछे हैं।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निर्माण से अभी तक 25 वर्षों मे उ० मा० शालाओ और पूर्व माध्यमिक शालाओ की सख्या मे लगभग 6 गुनी और प्राथमिक शालाओ म तीन गुनी तथा पूर्व प्राथमिक शालाओ की सख्या मे लगभग बारह गुनी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार छात्राओ की दज सख्या और शिक्षिकाओ की संख्या मे भी कई गुना वृद्धि हुई है। किन्तु अभी भी एक काफी बडी सख्या बालिकाओ की शालाओ के बाहर है। नीचे की तालिका से यह देखा जा सकता है—

बालिकाओं की सख्या जो शालाओ मे नहीं हैं (Non Enroled Girls) 1978

| सख्या लाखों मे | 6-11 आयु वग | 11-14 | 14-17 |
|---|---|---|---|
| भारत | 132 00 | 177 00 | 189 40 |
| म० प्र० | 20 56 | 15 35 | 17 3 |

इस प्रकार मध्य प्रदश और पूरे देश म हमे गहन प्रयास करने होंगे जिससे बालिकाओ की एक विशाल सख्या जो शालाओ मे दज नही है उसे शिक्षा दिलाई जा सके।

**छटी योजना मे रणनीति हेतु सुझाव**—छटी योजना (1980-85) के अत तक यदि हमे बालिकाओ की दज सख्या के लक्ष्य 6-11 आयु वग मे 90 प्रतिशत तथा 11-14 मे 45 प्रतिशत, प्राप्त करने हैं तो हमे युद्ध स्तर के प्रयास करना होगे अन्यथा लक्ष्यो की प्राप्ति नही हो सकेगी। यद्यपि हमारे साधन सीमित हैं तो भी सीमित साधनो मे भी हम कुछ कर सकते हैं। ये प्रयास निम्नानुसार हैं।

1—विस्तृत सर्वेक्षण से पता लगाया जाय कि जिन स्थानो पर बालिकाओं की दज सख्या कम है उनके कारण क्या हैं और उन्हे दूर किया जाय।

2—दज सख्या बढाने के लिए शिक्षकों, शिक्षिकाओ को नियमित रूप से प्रोत्साहन राशि दी जाय।

3—गरीब अभिभावकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाय।

4—बालिका शालाओ की सख्या म वृद्धि।

5—बडी सख्या मे शिक्षिकाओ की नियुक्ति।

6—शिक्षिकाओं की भर्ती मे विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाय।

7—ग्रामीण क्षेत्रो म शिक्षिकाओ के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय जिससे वे दूरस्थ स्थानो म आवास की दिक्कत महसूस न करें।

(16) औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में 9-14 आयुवर्ग की शालात्यागी एवं अप्रवेशी छात्राओं की शिक्षा-व्यवस्था।

(17) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15–35 आयुवर्ग की महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था।

(18) यूनीसेफ सहायता प्राप्त एक अत्यन्त क्रांतिकारी योजना द्वारा 0–25 आयुवर्ग की महिलाओं का क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था।

(19) बालिकाओं के लिए उनके अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है तथा ग्रामीण व शहरी परिवेश के अनुसार पाठ्यपुस्तकें उनके लिए तैयार की की गई हैं यथा बालिका भारती, माँ भारती, आदि आदि।

(20) जो पढ़ना नहीं चाहती हैं उन्हें प्रेरित कर पनघट योजना के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है।

बालिका शिक्षा की अभी तक की प्रगति—प्रदेश निर्माण से लेकर अभी तक उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप जो प्रगति हुई है वह नीचे की तालिका से स्पष्ट है।

| शालाओं का प्रकार | बालिका शालाओं की संख्या | |
|---|---|---|
| | 1956 | 1979-80 |
| उच्चतर माध्यमिक | 65 | 367 |
| पूर्व माध्यमिक | 154 | 1040 |
| प्राथमिक | 1388 | 3660 |
| उपशालाएँ | — | 2 |
| पूर्व प्राथमिक शालाएँ | 24 | 302 |

बालिका दर्ज संख्या एवं शिक्षिकाएँ

| शाला का प्रकार | बालिकाओं की दर्ज संख्या | | शिक्षिकाएँ | |
|---|---|---|---|---|
| | 1956 | 1979-80 | 1956 | 1979-80 |
| उच्चतर माध्यमिक | 28749 | 211606 | 1539 | 7[illegible]34 |
| पूर्व माध्यमिक | 458[illegible]4 | 3,[illegible] | 16[illegible]8 | 11356 |
| प्राथमिक | 203158 | 13,[illegible]034 | 3[illegible]3[illegible] | 198[illegible]7 |
| उपशाला | — | 16[illegible]31 | — | 139 |
| पूर्व प्राथमिक | 1564 | 1[illegible]707 | 213 | [illegible]93 |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निर्माण से अभी तक 25 वर्षों मे उ० मा० शालाओं और पूर्व माध्यमिक शालाओं की सख्या में लगभग 6 गुनी और प्राथमिक शालाओं मे तीन गुनी तथा पूर्व प्राथमिक शालाओं की सख्या मे लगभग बारह गुनी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार छात्राओं की दर्ज सख्या और शिक्षिकाओं की सख्या म भी कई गुनी वृद्धि हुई है। किन्तु अभी भी एक काफी बडी सख्या बालिकाओं की शालाओं के बाहर है। नीचे की तालिका से यह देखा जा सकता है—

बालिकाओं की सख्या जो शालाओं मे नहीं हैं (Non Enroled Girls) 1978

| सख्या लाखों मे | 6-11 आयु वर्ग | 11-14 | 14-17 |
|---|---|---|---|
| भारत | 132 00 | 177 00 | 189 40 |
| म० प्र० | 20 56 | 15 35 | 17 3 |

इस प्रकार मध्य प्रदेश और पूरे देश मे हमे गहन प्रयास करने होंगे जिससे बालिकाओं की एक विशाल सख्या जो शालाओं मे दर्ज नही है उसे शिक्षा दिलाई जा सके।

छटी योजना मे रणनीति हेतु सुझाव—छटी योजना (1980-85) के अत तक यदि हम बालिकाओं की दर्ज सख्या के लक्ष्य 6-11 आयु वर्ग मे 90 प्रतिशत तथा 11-14 मे 45 प्रतिशत, प्राप्त करने हैं तो हम युद्ध स्तर के प्रयास करना होंगे अन्यथा लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो सकेगी। यद्यपि हमारे साधन सीमित हैं तो भी सीमित साधनों मे भी हम कुछ कर सकते हैं। ये प्रयास निम्नानुसार हैं।

1—विस्तृत सर्वेक्षण से पता लगाया जाय कि जिन स्थानो पर बालिकाओं की दर्ज सख्या कम है उनके कारण क्या हैं और उन्हे दूर किया जाय।

2—दर्ज सख्या बढाने के लिए शिक्षकों, शिक्षिकाओं को नियमित रूप से प्रोत्साहन राशि दी जाय।

3—गरीब अभिभावकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाय।

4—बालिका शालाओं की सख्या म वृद्धि।

5—बडी सख्या मे शिक्षिकाओं की नियुक्ति।

6—शिक्षिकाओं की भर्ती मे विशेष सहूलियते उपलब्ध कराई जाय।

7—ग्रामीण क्षेत्रों म शिक्षिकाओं के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय जिससे वे दूरस्थ स्थानों म आवास की दिक्कत महसूस न करें।

8—जहा बालिकाओ का दज प्रतिशत कम है वहाँ प्रायमिक कक्षा के पूव बालको की आयु समूह के लिए नसरी शालाओ की स्थापना तथा "पति पत्नी टोली शिक्षक" की नियुक्ति। शिक्षक के साथ उसकी पत्नी को भी प्रतिमाह कुछ निश्चित राशि प्रदान कर प्राथमिक शाला से सलग्न नसरी स्कूल का सचालन कराया जाय। इस प्रकार पति-पत्नी एक साथ जहाँ एक ओर बालिकाओ की शिक्षा मे साझेदारी करेंगे वही उनका आर्थिक और पारिवारिक स्तर भी सुधरेगा। म० प्र० म यद्यपि यह योजना 80-81 स लागू हो गई है किन्तु इसके विस्तार की आवश्यकता है।

9—प्रौढ महिलाओ की तरह बालिकाओ के लिए भी क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था हो।

10—पिछडे वर्ग की बालिकाओ के साथ प्रत्येक वग की गरीब बच्चियो को प्रोत्साहन स्वरूप मुफ्त गणवेश, मध्याह्न-भोजन, पुस्तकें, कागज कलम आदि उपलब्ध कराई जाय।

11—प्रचार-प्रसार माध्यमो द्वारा अभिभावको मे बालिका शिक्षा के प्रति रुचि जागृत की जाय।

12—बालिकाओ के लिए उनके अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तको की व्यवस्था की जाय। यद्यपि म० प्र० मे यह कार्य प्रारम्भ हुआ है किन्तु इसे और भी प्रगति की ओर ले जाना होगा।

13—आदिवासी क्षेत्रो मे शिक्षिकाओ को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण विद्यापीठ की स्थापना आवश्यक है।

14—शालाओ का दीर्घावकाश स्थानीय परिस्थितियो तथा कृषि परक परिस्थितियो क अनुकूल रखा जाय।

15—शाला समय मे परिवतन आवश्यकतानुसार किए जाने की छूट स्थानीय शिक्षक को हो।

16—बालिकाओ क लिए अधिकाधिक छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएँ प्रदान की जाय तथा उन्हे प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें शिथिल की जाय।

17—आदिवासी क्षेत्रो म स्थानीय भाषा म शिक्षण की व्यवस्था।

18—बालिकाओ की शिक्षा मे अशासकीय सस्थाएँ, जन सेवा सस्थाएँ, व्यक्तियो को आगे आना चाहिए तभी बालिका शिक्षा की यह विशाल समस्या पर पार पाया जा सकता है।

19—औपचारिकेतर शिक्षा-व्यवस्था में अधिकाधिक विस्तार किया जाय। जिससे शाला न आने वाली या बीच में छोड़ गईं बालिकाएँ सुविधा अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें।

20—शालाओं विशेषकर माध्यमिक शालाओं के साथ छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे दूर की बच्चियां भी छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके।

बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा ज्यादा आवश्यक है। बालिकाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। वे देश की भावी नागरिक तो बनेगी ही सुगृहणियां और माताएँ बनकर घर भी सम्भालेगी। अतः बालिकाएँ शैक्षिक प्रगति में पीछे न रह इसके लिए हमें कोई कसर नहीं उठा रखना चाहिए। एक बालिका शिक्षित होने का मतलब है पूरा घर शिक्षित होना। इसलिए हम अपने प्रयास बढ़ाने चले तो अभी भी देर नहीं हुई है।



# आदिवासियों की शिक्षा

(Tribal Education)

हम सब पढ़-लिखों ने सभ्यता के, शिक्षा के, रहन सहन के अलग अलग मापदण्ड बना लिए हैं। जो बिजली की रोशनी में रहता है, सभ्य है, जो लालटेन या दिए के प्रकाश में रहता है, वह पिछड़ा है और जो लकड़ियाँ, कंडे जलाकर उसी की रोशनी में रोटी बनाकर खाकर सो जाता है वह तो गया-बीता है। फर्राटे से जो अंग्रेजी बोल लेता है वह शिक्षित है, आक्सफोर्ड की अँग्रेजी बोलता है तो और भी अधिक शिक्षित है। केवल हिन्दी ही जानता है तो कम शिक्षित है और अपनी घरेलू या आंचलिक बोली ही बोलता है तो निरा गँवार ही है। पश्चिमी वेशभूषा साहिबी का प्रतीक है। साधारण वेशभूषा गँवारपन का और लँगोटी तो पिछड़ेपन का प्रतीक ही मान लिया गया है। हम अपनी भाषा बोलते हैं तो गँवार हैं, लिखते हैं तो साहित्यक जन उसमें ग्राम्यत्व दोष निकालते हैं। तो ऐसी ही हमने सभ्यता-संस्कृति, शिक्षा आदि की विभिन्न परिभाषाएँ बना रखी हैं। हमें लगता है हमारा चश्मा खराब है या कि दृष्टि दोष है।

हमने आदिवासियों को पिछड़ा मान रखा है। उनके बच्चे हमारी पाठ्य-पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। इस कारण हम उन्हें परीक्षा में फेल कर देते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि उनकी भाषा में यदि हमें पढ़ाया-लिखाया जाय तो हमारी क्या स्थिति होगी। हमने यह कभी नहीं सोचा कि आखिर वे किस बात में कम हैं? उनमें शारीरिक शक्ति भरपूर है, सर्दी, गर्मी, बरसात में रहने और सहने की सहनशीलता भी है। संसार के शोर-शराबे से दूर, न माधो का देना, न ऊधो का देना। तुलसीदास जी के अनुसार "नाथ हमार यही सेवकाई लेहिं न बासन बसन चुराई" के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुख से रह रहे हैं। जीवन का असली आनन्द आदिवासीगण ही उठाते हैं। उन जैसे मेले और मिलन हम लोगों में कहाँ होते हैं? "घोटुल" की कल्पना से ही किसके मन में मिसरी नहीं घुलने लगती? उनके "घोटुल" संसार के उत्कृष्ट प्रणय केन्द्र हैं। क्या हम सभ्य कहलाने वालों का कोई घोटुल है। हम सब तो ऊपरी दिखावे छलावे में ही भ्रमित हैं। व अच्छा प्यार

और स्नेह जानते हैं। सभी एक साथ अपने परिवार में हिलमिल कर रहते हैं। खाते हैं, पीते हैं नाचते हैं, राग-रंग में मस्ती करते हैं। जब वे त्योहारों पर मधुरस पान कर समूहों में नृत्य गान करते है तो उनकी महफिलों रत जगे का आलम ही कुछ और होता है। उनकी सांस्कृतिक धरोहर देश की अमूल्य निधि है।

संसार का सुख और संतोष तो आदिवासी अंचलों में बिखरा मालूम पड़ता है। वे एक चूहा खाकर भी संतोष कर लेते हैं और हम नौ सौ चूहे खाकर भी हज करने की सोचते हैं। नृत्य ऐसा बढ़िया करते हैं कि उनकी हम भी नकल करते हैं, बिरजू महाराज भी चकराते हैं। ईमानदारी में उनकी बराबरी नहीं। संतोष धन होने से उन्हें सारे धन धूल के समान हैं। आदिवासी बालाओं का स्वाभाविक रूप सौन्दर्य, अंगों का उठान, सुघड़ता, कोमलता और कठोरता, लुनाई और लावण्यता, चपलता और चातुर्य और चंचलता देखते ही बनती है। वहाँ की बालाओं की प्रकृतिदत्त लुनाई कुछ और ही है। प्रकृति उसे और भी तराशती रहती है। उस लावण्यता को "ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्वै नैनन, त्यों त्यों खरी निकरै सु लुनाई" वाली पंक्ति अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। उनके जीवन साथी चुनने के तरीके इतने विकसित, फावड़ हैं कि उनके सामने हम सब पिछड़े लगते हैं। उनमें कोई विकार नहीं, मलिनता नहीं जबकि हम सब के रोमांस में विकार दिखाई देता है। उन्हें देखकर मन सहज हो उठता है जबकि भौतिकवाद में वैसी सहजता नहीं है।

जब उन्हें जीवन की सम्पूर्ण शिक्षा हमसे अच्छी प्राप्त है तो भी हमने उन्हें पिछड़ा मान लिया है और वह भी महज इसलिए कि उन्हें किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन्होंने स्कूलों, कालेजों का मुंह नहीं देखा। उनके पिछड़ेपन के लिए हम सभी तो जिम्मेदार हैं। यदि उन्हें किताबी ज्ञान भी देना था तो हम उन्हें क्यों नहीं प्रेरित कर सके कि वे स्कूल जावें और शिक्षा प्राप्त करें। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम साधनों की कमी से उनकी तरफ आवश्यक ध्यान नहीं दे सके। जो जितना चिल्लाया उसे उतने अधिक साधन सुलभ हुए। बेचारे आदिवासी अपनी मस्ती में रहे इसलिए उनकी तरफ ध्यान भी आनुपातिक रूप से कम दिया जा सका। लेकिन हमें फिर आभास हुआ कि प्रदेश की कुल आबादी में 20.1 प्रतिशत जो आदिवासीगण तथा 13.1 प्रतिशत हरिजन हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमने महसूस किया कि उनके लिए किताब, पाठ्यक्रम, उनके हितों का चिन्तन राजधानी की अट्टालिकाओं में न होकर उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं के अंचलों में हो सकता है।

हम सभी और हमारी लोक कल्याणकारी सरकार आदिवासियों का शिक्षा, दीक्षा उनके स्तर उन्नयन के लिए काफी कुछ चिंतित है और काफी चिन्तन कापी प्रयास इस दिशा मे किए जा रहे हैं। हम देखें कि आदिवासीगण, दौनिक दौड में कहाँ है ? सामान्य स्थिति तथा अन्यों के साथ स्तर में क्या कुछ करना होगा इसकी समीक्षा भी करें।

हरिजन एवं आदिवासियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति—प्रदेश म आदिवासियों की लगभग 1 करोड एवं अनुसूचित जाति की 58 लाख जनसंख्या है। दोनों मिलाकर कुल आबादी के एक तिहाई से अधिक हैं। इनकी साक्षरता की स्थिति इस प्रकार है—

(1) साक्षरता का प्रतिशत (1971)

| सम्पूर्ण प्रदेश | साक्षरता प्रतिशत (सभी वर्ग) | अनुसूचित जनजाति | | अनु० जाति |
|---|---|---|---|---|
| योग | 22 12 | योग | 7 62 | 12 33 |
| पुरुष | 32 76 | पुरुष | 13 04 | 22 15 |
| महिला | 10 84 | महिला | 2 18 | 3 88 |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आदिवासीगण साक्षरता म काफी पिछडे हैं। उनकी साक्षरता का प्रतिशत, सम्पूर्ण से लगभग एक तिहाई है। प्रदेश मे महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 10 84 है जबकि आदिवासी महिलाओं का यह प्रतिशत 2 18 है जो कि काफी कम है और चिंता का विषय है।

(2) दर्जसंख्या और उसका प्रतिशत (1978-79)

| अनुसूचित जनजाति | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| (अ) कक्षा 1 से 5 तक की दर्जसंख्या (लाखों मे) | 5 03 | 1 71 | 6 75 |
| (ब) 6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या से दर्ज संख्या का प्रतिशत | 70 00 | 25 10 | 48 20 |
| (स) कक्षा 6 से 8 तक की दर्ज संख्या (लाखों में) | 0 64 | 0 13 | 0 77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (द) 11-14 आयु वर्ग की कुल सख्या से दर्ज सख्या का प्रतिशत | 16 90 | 3 60 | 10 40 |
| (र) कक्षा 9 से 11 तक की दज सख्या | 0 24 | 0 04 | 0 28 |
| (य) 14-17 आयु वग की कुल सख्या से दज सख्या का प्रतिशत | 6 25 | 1 10 | 3 68 |
| **अनुसूचित जाति** | | | |
| (अ) कक्षा 1 से 5 मे दज सख्या | 3 98 | 1 30 | 5 28 |
| (ब) 6-11 आयु वर्ग मे दज सख्या का प्रतिशत | 82 00 | 29 40 | 58 00 |
| (स) कक्षा 6 से 9 तक की दज सख्या | 0 85 | 0 16 | 1 01 |
| (द) 11-14 आयु वग की कुल सख्या से दर्ज सख्या का प्रतिशत | 34 40 | 7 00 | 21 20 |
| (य) 14-17 आयु वग मे दज सख्या | 0 36 | 0 05 | 0 41 |
| (र) दज सख्या प्रतिशत | 13 88 | 2 15 | 8 20 |

इस प्रकार हरिजन और आदिवासी छात्र छात्राओं की शैक्षिक स्थिति काफी पिछडी हुई है। यद्यपि प्राथमिक स्तर पर स्थिति सामान्य के आसपास है किन्तु पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्थिति काफी चिन्तनीय है। अखिल भारतीय स्तर पर इन वर्गों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

भारत मे अनुजाति और जनजाति की दज सख्या प्रतिशत (वष 1978-79)

| आयु वग | अनु० जाति | | | अनु० जन जाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बालक | बालि० | योग | बालक | बालि० | योग |
| 6-11 | 102 9 | 55 9 | 79 9 | 89 3 | 43 4 | 66 4 |
| 11-14 | 37 7 | 14 5 | 26 5 | 25 6 | 10 0 | 17 9 |

राष्ट्रीय स्तर पर भी हरिजन और आदिवासी वर्गों के बालकों की शिक्षा काफी पीछे है। यदि प्रदेश की तुलना राष्ट्रीयस्तर से करें तो हम अनुजाति और जनजाति की शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं।

म० प्र० में हरिजन आदिवासियों की शैक्षिक व्यवस्था

आदिवासी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने अनुजाति एवं जनजाति की शिक्षा का भार हरिजन एवं आदिम कल्याण विभाग को 1964-65 में सौंपा। हरिजन एवं आदिवासी प्रधान 27 जिलों का उपयोजना क्षेत्र का नाम दिया गया। इन क्षेत्रों में शालाएँ खोलने की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग की है, किन्तु योजना निर्माण शिक्षा विभाग करता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय आवश्यकता एवं अनुपातिक रूप में शिक्षा विभाग के बजट से तथा शेष केन्द्रीय अलावा राशियों से होता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग अपने बजट से आदिवासी छात्रावास, आश्रम शालाएँ तथा अन्य शालाएँ भी खोलता है तथा बहुत से प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाता है।

इस समय म० प्र० के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 465 उच्चतर माध्यमिक शालाएँ 2603 मिडिल स्कूल, 16982 प्राथमिक शालाएँ, 388 उप शालाएँ तथा 145 पूर्व प्राथमिक शालाएँ संचालित हैं।

| आदिवासी क्षेत्रों में शालाएँ | (1979 80 की स्थिति) | | |
|---|---|---|---|
| | बालक | बालिका | योग |
| उ० मा० शालाएँ | 399 | 66 | 465 |
| पूर्व मा० शालाएँ | 2322 | 281 | 2603 |
| प्राथमिक शालाएँ | 16082 | 900 | 16982 |
| उप शालाएँ | 388 | | 388 |
| पूर्व प्राथमिक शालाएँ | 68 | 77 | 145 |
| योग | 19259 | 1324 | 20583 |

इन शालाओं के अलावा आदिवासी क्षेत्रों में 151 आश्रम शालाएँ, 1350 छात्रावास संचालित हैं। आश्रम शालाएँ और छात्रावास आदिम कल्याण विभाग के अन्तर्गत हैं।

हरिजन आदिवासियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण

1—हरिजन एव आदिवासी बालक शालायें जाते हैं मगर बहुत कम। उनको समझ मे नही आता कि स्कूल क्या जाना चाहिए।

2—अभिभावको की गरीबी शैक्षिक प्रगति मे प्रमुख कारण है।

3—जो बालक स्कूल जाते हैं वे भी बहुत से बीच मे ही शाला छोड देते हैं। अन्य बालकों मे भी यह प्रवृत्ति है किन्तु इन वर्गों के बालको मे अधिक है। तीन चौथाई बालक पाँचवी तक आते-आते शाला छोड देते हैं।

4—इन वर्गों के बालक अनुपस्थित बहुत रहते हैं। कई कारणो से शाला नही आते हैं यथा शाला का अनाकर्षक होना। खेती-किसानी का काम, त्योहारो पर मौज-मस्ती मारना आदि।

5—हम आदिवासी बच्चो को उनकी भाषा म न पढाकर सबकी भाषा मे पढाते हैं। हमारी भाषा उनकी समझ मे नही आती है, इसी वजह से भाषा मे हिज्जे की गलतिया भी बहुत होती हैं।

6—विज्ञान और गणित मे भाषा के शब्द ही समझना उन्हे कठिन है फिर विज्ञान के मूल तत्व तो समझना और भी कठिन है।

7—हम उन्हे भूगोल का ज्ञान देते हैं। जो बालक घर से बाहर ही नही गया उस तो दूरी का ध्यान ही नही आता है। इतिहास विषय का भी यही हाल है।

8—टाइम टेबुल उन्हे अनुकूल नही है। शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक सभी को टाइम टेबुल बाध रहना है। जो बालक उन्मुक्त रहता हो वह टाइम टेबुल मे कैसे बँधकर पढ सकता है।

9—परीक्षा सर्वांगीण विकास क लिए होना चाहिए। आदिवासी बालक नाचता है, गाता है, काम खूब करता है, शिकार खेलता है, किन्तु हम केवल किताबी ज्ञान की परीक्षा लेकर उसे फेल कर देते हैं।

10—परीक्षा में हम जो पूछना चाहते हैं उसे वह जानता ही नही है तो उत्तर कैसे देगा।

11—पोस्ट मेट्रिक वजीफा प्राप्त बालको के सर्वेक्षण से पता चला कि उन्हे उनके गुणो और रुचियो का परीक्षण कर सही दिशा नही दिखाई गई।

12—समाज मे व्याप्त सामाजिक असमानता, रुढ़िवादिता, अंधविश्वास भी शैक्षिक प्रगति मे बाधक है खास तौर से इन वर्गों की बालिकाओ की शिक्षा मे।

13—पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें उनके अनुकूल नहीं हैं, उनकी रुचि और आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप नहीं हैं।

14—शालाओं का समय भी उनके अनुकूल नहीं हैं।

15—शिक्षा के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार और जागृति की गयी।

उपर्युक्त कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी इन वर्गों के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा काफी पिछड़ी हुई है।

हरिजन, आदिवासियों की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास

इन वर्गों की शिक्षा प्रगति के लिए निम्नानुसार प्रयास किए गए हैं —

1—शालाओं की स्थापना—मध्य प्रदेश के उपयाजना क्षेत्र में शिक्षा विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा खोली गई वर्ष 79-80 की स्थिति 465 उ० मा० शालाएँ, 2603 पूर्व माध्यमिक 16982 प्राथमिक, 388 उपशालाएँ तथा 145 पूर्व प्राथमिक शालाएँ संचालित हैं। वर्ष 80-81 मे म० प्र० मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार सभी ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 300 या अधिक है सभी मे प्राथमिक शालाएँ खोली गई हैं। किसी भी बच्चे को 1 किलोमीटर से अधिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं चलना पड़ेगा।

2—आश्रम शालाएँ—आदिवासी क्षेत्रों मे जो काफी विरल हैं और जन संख्या फैली है उन क्षेत्रों को प्रारंभिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए आश्रम शालाओं की स्थापना की गई है। ये शालाएँ सनिवास शालाएँ हैं। इनकी संख्या वर्ष 78-79की स्थिति में 151 है।

3—पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाएँ—जिन आदिवासी या हरिजन बहुल क्षेत्रों मे साक्षरता कम है वहाँ प्राथमिक शालाओं मे संलग्न नर्सरी शालाएँ खोली गई हैं। गाँव मे प्राथमिक शाला के शिक्षक की पत्नी को नर्सरी शाला चलाने का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षक की पत्नी को प्रतिमाह निश्चित मानदेय प्राप्त होगा। वर्ष 80-81 में इन क्षेत्रों के लिए 2130 पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाएँ स्वीकृत हुई हैं।

4—लघु शालाएँ—जहाँ की आबादी 300 से कम है एवं जहाँ 15-20 बालक उपलब्ध हो सकते हैं ऐसी जगह स्थानीय शिक्षित व्यक्ति को 150 रु० प्रतिमाह मानदेय देकर ये शालाएँ संचालित की गई हैं। इनमे कक्षा 1 से 3 तक कक्षाएँ रहती हैं।

5—छात्रावास—बालक, बालिकाएं गरीबी की वजह से दूर जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः उनकी शिक्षा-व्यवस्था हेतु हरिजन, आदिवासियों के

लिए छात्रावासो की व्यवस्था की गई है जिनमे रहकर वे शालाओं मे पढ सकें। इनका व्यय शासन वहन करता है।

6—भवन निर्माण—उपयोजना क्षेत्र मे कुछ तो राज्य शासन की निधि से और कुछ केन्द्र के अलावा राशियो से शालाभवनो का निर्माण कराया गया है जिससे बालको को शालाओ मे अच्छा परिवेश मिल सके।

7—प्रोत्साहन कार्यक्रम—हरिजन आदिवासियो के बालक/बालिकाओ को शिक्षा मे रुचि जागृत कर अध्ययन जारी रखने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्य क्रम चालू किए गये हैं जो इस प्रकार है।

(i) बुक बैंक योजना—प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्रीय कायक्रम के अन्तर्गत जुलाई 1975 से मध्य प्रदेश की शालाओ मे बुक बैंको की स्थापना की गई है। इन बुक बैंकों के माध्यम से कक्षा 3 से 11 तक शालाओ मे अध्ययन रत सभी हरिजन और आदिवासी बच्चो को निशुल्क पाठ्यपुस्तके प्रदान की जाती है।

(ii) बालिकाओ को गणवेश—गरीब बच्चियो को शालाओ मे आने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निशुल्क गणवेश दिया जाता है।

(iii) मध्यान्ह आहार कायक्रम—उपयोजना क्षेत्र मे आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पोषण आहार कायक्रम सचालित है। इसमे से कायक्रम हैं 6-14 आयुवर्ग के लिए मध्यान्ह आहार कायक्रम तथा दूसरा 0-6 वय आयु वग के शिशुओ व गभवती माताओ के लिए है। वर्तमान मे लगभग 14 लाख बच्चो, माताओ को निशुल्क पौष्टिक आहार प्राप्त हो रहा है।

(iv) अभिभावकों और शिक्षको को आर्थिक प्रोत्साहन—गरीब पालक अपने बच्चो को शाला भेजें और उसमे पढाई के प्रति रुचि जागृत करे, इसके लिए पालको हेतु आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। उसी प्रकार दज संख्या बढाने के लिए शिक्षको को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

(v) छात्र वृत्तिया—हरिजन और आदिवासी छात्र छात्राओ को कक्षा 6 से 11 तक राज्य छात्र वृत्तिया तथा उससे आगे मेटिकोत्तर छात्रवृत्तिया स्वीकृत की जाती हैं। इन्हे समय पर वितरण करने के लिए कारगर व्यवस्था की गई है।

8—औपचारिकेतर शिक्षा-केन्द्रो की स्थापना—आयुवग 9 से 14 के शालात्यागी एव शाला अप्रवेशी छात्र छात्राओ के लिए औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की गई है। इन केन्द्रो पर बच्चो की समय सुविधा अनुसार

पढ़ाई होती है। उपयोजना क्षेत्र में लगभग 1000 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र हैं।

9—विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार—आदिवासी क्षेत्रों में विज्ञान में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हेतु एक विज्ञान म्युजियम की स्थापना की गई है। वर्ष 80-81 से एस्ट्रोनामी के माध्यम से शिक्षकों को विज्ञान प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

(10) मिलन दिवसों का आयोजन—औपचारिक संयोजन का अपने में कोई महत्व नहीं है यदि उसमे भावात्मक मूलता न हो। सभी संस्थाएँ एक परिवार हों और समरस होकर समान उद्देश्य के लिए क्रियाशील हों। इस औपचारिक शिक्षा के लिए 5 दिन रखे जा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन शालावृत्तों के सभी शिक्षक और छात्र एकत्र होकर समान कार्यक्रम में भाग लेते हैं इन्हें मिलन-दिवस कहा जाता है। यह दिवस सम्पूर्ण शिक्षावृत्त की सम्पूर्ण शिक्षा का नाभि-बिन्दु है। यह दिवस विभिन्न ग्रामों में बारी बारी से आयोजित होता है। इसमें गैर विद्यार्थी युवा और समाज के अन्य सदस्य भी सहभागी होते हैं। इस दिन के मुख्य कार्यक्रम होते हैं खेलकूद और परिसंवाद। प्रतिस्पर्धा के लिए सप्ताह भर प्रयास होता है। मिलन-दिवस स्थानीय प्रतिभा के प्रस्फुटन और विकास के लिए संवर्धन स्थल की भूमिका अदा करेगा जहाँ पर उसे अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता, अवसर और मार्ग-दर्शन मिलेगा। वर्ष 79-80 से इस प्रकार के दिवस आयोजित किये जा रहे हैं। 79-80 में प्रथम बार शासन ने सात लाख का प्रावधान इस कार्य हेतु रखा था।

(11) प्राथमिक शिक्षा वृत—कोठारी आयोग ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा परिसरों की कल्पना की थी किन्तु आदिवासी क्षेत्रों मे तो प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षा की समस्या है। अतः पाँच सात पारा या ग्रामों में एवं उनकी शालाओं को मिलाकर एक शिक्षा वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त मे शिक्षा की सम्पूर्ण आवश्यकता की जिम्मेदारी उस वृत्त मे कार्यरत स्कूल की होगी। प्राथमिक शाला या उपशाला में एक-एक शिक्षक वही कार्यरत होगा। यह समूचा वृत ही एक शैक्षणिक परिसर होगा। इसमे अवस्थित संस्थाओं में से एक केन्द्रीय विद्यालय होगा और उस केन्द्रीय विद्यालय का प्रधान सम्पूर्ण गुरुकुल का प्रधान होगा। इस प्रकार शिक्षा वृत्त प्राथमिक शिक्षा की आधारभूत इकाई होगा।

(12) मिलन मड़ई का आयोजन—"मिलन मड़ई" का तात्पर्य है प्रदेश के कोने कोने से आये आदिवासी/हरिजन छात्र छात्राओं का विचारात्मक,

भावात्मक आनन्द, उल्लास एवं रचनात्मक अनुभूति से भरा मिलन महोत्सव। इसका मुख्य उद्देश्य है "विकास में युवाशक्ति का योगदान।" सर्वप्रथम म० प्र० में यह आयोजन 21 से 27 जनवरी 1979 में आयोजित किया गया जिसमें कक्षा 8 से 11 में पढ़ने वाले 14 से 18 आयु वर्ग के 3000 हरिजन/आदिवासी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने अपनी बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक प्रतिभा का परिचय दिया। विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ हुईं, मनोरंजन हुआ।

इस आयोजन के प्रत्येक दिन छोटे-छोटे समूहों ने विकास की दिशा में मुख्य विषयों पर चर्चाएँ भी कीं। मुख्य दिशाएँ ये हैं—

(अ) शिक्षा का संख्यात्मक और गुणात्मक विकास।

(ब) नागरिक शिक्षा।

(स) सहभागिता।

(द) मद्यनिषेध।

(य) वन एवं वृक्षारोपण।

इस प्रकार मिलन मेला कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा रचनात्मक शैक्षणिक आयोजन है। इसके बाद हर 6 माह बाद जिला स्तर पर छोटे-छोटे आयोजन होते हैं।

(13) खेलकूद परिसरों का विकास—हमारे आदिवासी भी खेलकूद में अग्रणी हो सकते हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक माध्यमिक शाला को विशेष रूप से सुसज्जित किया जा रहा है। खेलकूद के अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

(14) स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रशिक्षण—आदिवासी बच्चों को स्काउटिंग एवं गाइडिंग की अच्छी शिक्षा देकर उन्हें देश के अच्छे नागरिक बनाया जा रहा है।

(15) शिक्षिका आवास गृहों का निर्माण—महिला शिक्षक आवास की दिक्कत के कारण गाँवों में नहीं जाती हैं अतः ग्रामीण बालकों की शिक्षा पर काफी विपरीत असर पड़ता है। अतः आदिवासी क्षेत्रों में महिला शिक्षक आवास गृह बनाये जा रहे हैं।

(16) पुस्तकालयों और वाचनालयों का विकास—आदिवासी हरिजन बच्चों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिये विद्यालयों में वाचनालयों का विकास किया गया है। जिला पुस्तकालय भी स्थापित किये गये हैं।

(17) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार—पिछड़े और आदिवासी बच्चों के लिये वर्तमान पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें अनुरूप नहीं था। अतः उनकी आवश्यकताओं और समाज की इच्छाओं के अनुकूल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया गया है। ग्राम भारती, बालिका भारती, आदिवासियों के लिए वन भारती पुस्तकें बनाई गई हैं।

(18) शालाओं में फर्नीचर टाटपट्टी का प्रदाय—आदिवासी क्षेत्रों में सभी स्तर की शालाओं में फर्नीचर और टाट-पट्टी प्रदान कर उनकी भौतिक सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है जिससे छात्रों को असुविधा न हो।

(19) विज्ञान उपकरणों का प्रदाय—उ० मा० विद्यालयों एवं प्रारम्भिक शालाओं में क्रमशः विज्ञान के उपकरण एवं विज्ञान किट्स प्रदान किए गये हैं जिससे विज्ञान की शिक्षा समुन्नत हो सके।

(20) बालक, बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण—अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष से निर्णय लिया गया है कि बालक बालिकाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय। अतः बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और बच्चों को स्वस्थ रहने की सलाह दी जाती है।

छठवीं योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्य की छठवीं आयोजना (1980-85) में आदिवासी एवं हरिजनों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नानुसार प्रस्तावित किए गए हैं—

1—शालाओं की संख्या में वृद्धि।

2—शालाओं में शिक्षकों की कमी को पूरा करना।

3—भौतिक सुविधाओं का विकास।

4—गुणात्मकता के प्रयास।

5—स्थानीय भाषा में शिक्षण।

6—विज्ञान शिक्षा का प्रचार-प्रसार।

7—हरिजन बहुल क्षेत्रों में शालाएँ खोला जाना।

8—प्रोत्साहनों में वृद्धि एवं विकास।

9—प्रशासन में सुधार।

10—आदिवासी हरिजनों की शिक्षा विकास के लिये अलग से शिक्षा संचालनालय का निर्माण।

11—औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों का विस्तार।

12—पढ़ो कमाओ योजना का विस्तार।

आदिवासी/ हरिजनों की शिक्षा के लिए क्या करें ?

आदिवासी/हरिजनों को हम शिक्षित कर सामान्य स्तर तक लाना है। प्रयास ऐसे होने चाहिये जो कारगर हों। मोटे रूप में इनकी शिक्षा के लिये प्रयत्न इस प्रकार होना चाहिये—

(1) इन क्षेत्रों की शालाएँ आकर्षक हों। उन्मुक्त वातावरण हो। या कहा जाय कि स्कूल ही न हो अर्थात् स्कूल ऐसा हो कि उसे स्कूल न कहा जाय।

(2) पाठ्यक्रम स्वतन्त्र हो, कोई लकीर के फकीर पर चलने वाली क्रमबद्धता न हो, जितना चाहो पढ़ाओ जितना न चाहो न पढ़ाओ।

(3) सब चीजें पाठ्यक्रम में आनी चाहिये, वह भी पढ़े उसका गुरु जी भी पढ़े।

(4) पाठ्यक्रम आदिवासी क्षेत्र में बैठकर बनाया जाय।

(5) पाठ्यक्रम खुले छोर वाला हो अर्थात् उसमें सब तरफ से परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन की गुंजाइश रहे। पाठ्यक्रम सतत चलने वाला हो।

(6) प्रारम्भिक स्तर पर बालक की भाषा में ही शिक्षा दी जाय।

(7) पिछड़े क्षेत्रों में जीवन यापन की समस्या है अतः पाठ्यक्रम खाने का बनाया जाय।

(8) आकर्षण के लिये शैक्षिक सुविधाएं दी जाय।

(9) किसी बंधन में बालक को बांधा न जाय।

(10) विज्ञान, गणित के कठिन भाव सरल भाषा में सिखाये जांय और उसके अनुरूप शिक्षकों का प्रशिक्षण भी हो।

हम आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों को खाजना है, इन बालकों को ज्ञान देना है तभी वह दौड़ेगा, काम करेगा। यह देखा गया है कि जो बालक स्कूल जाता है वह नाचता नहीं है, गाता नहीं है, काम भी करना बन्द कर देता है, मां बाप का भी नहीं मानता है। हम उसे ऐसी शिक्षा दें कि वह मेहनतकश भी रहे, नाचे-गाये और मां, बाप तथा अपने गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारी हो। किताबी शिक्षा के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी उसे मिले।

# हरिजनों की शिक्षा

## (Education of Scheduled Caste)

### अनुसूचित जातियाँ

गाँधी जी को हरिजन अत्यन्त प्रिय थे। उनके उत्थान, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक के लिये गाँधी जी ने अधिक प्रयास किया। आजादी के इतने वर्ष बाद भी इनका शिक्षा-दीक्षा सामान्य स्तर तक नहीं आ सका है। आर्थिक स्तर भी अभी कमजोर है सामाजिक स्तर के लिये सामञ्जस्य की भावना पैदा हो रही है। जो लोग, जो वर्ग इतने वर्षों से पिछड़ा हुआ रहा है उसे सामान्य स्तर तक आने में निश्चय ही समय लगेगा, लेकिन यदि समय बद्ध प्रयास न किया जाय तो पूर्व के किये गये प्रयास भी बेकार चले जाते हैं। स्पष्ट है कि हम इनके लिये विशेष प्रयास करने होंगे। अनुसूचित जाति के विकास के लिये निर्मित कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन में विशेष कार्यक्रमों को निर्धारित करने तथा क्रियान्वयन के लिए अनुशंसायें की हैं।

देश में हरिजनों की जनसंख्या कुल आबादी का 15 प्रतिशत है, म० प्र० में इस वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की आबादी का 13 3 प्रतिशत है। पूरे देश की हरिजन जनसंख्या का 5 प्रतिशत म० प्र० में निवास करता है जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है। हरिजन बहुल प्रदेशों में मध्य प्रदेश का स्थान छठवाँ है। हरिजन बाहुल्य आबादी के क्रम में प्रदेश इस प्रकार हैं—उत्तर प्रदेश (हरिजन आबादी 185 लाख), पश्चिमी बंगाल (88 लाख) बिहार (79 50 लाख), तामिलनाडु (73 15 लाख), आन्ध्र प्रदेश (57 14 लाख) तथा म० प्र० (57 52 लाख)। देश एवं प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या को नजर अन्दाज कर हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के 6-11 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का दर्ज संख्या प्रतिशत 79 9 है और 11-14 आयु वर्ग में यह प्रतिशत 26 5 है। 14-17 आयु वर्ग में तो लगभग 15 है। म० प्र० में अनुसूचित जाति के 6-11 आयु वर्ग के 65 2 प्रतिशत, 11-14 आयु वर्ग के 25 48 प्रतिशत तथा 14-17 आयु वर्ग में 8 20 प्रतिशत बालक-बालिकाएँ शालाओं में जा रहे हैं। स्पष्ट है कि इन बच्चों का एक बड़ा वर्ग शालाओं से बाहर है।

' इन वर्गों की शिक्षा तथा आदिवासी शिक्षा की विशेष समस्याओं को देखते हुये म० प्र० में इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी का कार्य आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग को सौंपा गया है। वर्ष 1964-65 से यह विभाग इनकी शिक्षा की देख-रेख करता है। योजना यद्यपि शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण होती है लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा होता है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी अभी हम इन वर्गों को शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे हैं। इस वर्ग का बालिकाओं की शिक्षा और भी चिन्ताजनक है। क्षति एवं अवरोध की समस्या भी इन वर्गों में बहुत अधिक है।

अभी तक की शक्षिक प्रगति—मध्य प्रदेश में 1971 की जनगणना के आधार पर 57 52 लाख जनसंख्या है जो 1980 में लगभग 71 लाख हो गई है। इनकी साक्षरता का प्रतिशत इस प्रकार है—

साक्षरता 1971 की स्थिति—(म० प्र०)

| | सभी वर्ग | अनुसूचित जाति |
|---|---|---|
| पुरुष | 32 76 | 22 15 |
| महिला | 10 84 | 3 88 |
| योग | 22 12 | 12 33 |

स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का वर्ग साक्षरता में काफी पीछे है।

दर्ज संख्या और उसका प्रतिशत

मध्य प्रदेश

| अनुसूचित जाति | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| (अ) कक्षा I-V तक की दर्ज संख्या (लाखो मे) | 3 98 | 1 30 | 5 28 |
| (ब) 6-11 आयु वर्ग में प्रतिशत | 82 00 | 29 40 | 58 00 |
| (स) कक्षा VI-VII तक की दर्ज संख्या (लाखो में) | 0 85 | 0 16 | 1 01 |
| (द) 11-14 आयु वर्ग में प्रतिशत | 34 40 | 7 00 | 21 20 |
| (य) कक्षा 9-11 में दर्ज संख्या | 0 36 | 0 05 | 0 41 |
| (र) 14-17 आयु वर्ग में प्रतिशत | 13 88 | 2 15 | 8 20 |

हरिजनों की शैक्षिक प्रगति प्रदेश में बहुत पिछड़ी है बालिकाओं की शिक्षा तो और भी कम है। अखिल भारतीय स्तर पर इनकी शैक्षिक स्थिति इस प्रकार है—

वज संख्या प्रतिशत भारत

| आयु वर्ग | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| 6-11 आयु वग | 89 3 | 43 4 | 66 4 |
| 11-14 ,, | 25 6 | 10 0 | 17·9 |

राष्ट्रीय स्तर 6-11 आयु वग म शाला जा रहे छात्रों का प्रतिशत 66 4 है। वहाँ प्रदेश मे यह प्रतिशत 58 है किन्तु 11-14 आयु वर्ग मे प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है।

अनुसूचित जाति की शिक्षा के अवरोधक कारण

इस जाति वग की शिक्षा के प्रमुख अवरोधक कारण इस प्रकार हैं—

(1) गरीबी।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें बालकों की इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप न होना।

(3) शाला समय और अवकाश अनुकूल न होना।

(4) सामाजिक और व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान न रखा जाना।

(5) इन वर्गों के बच्चो म शाला त्याग की प्रवृत्ति अधिक है।

(6) इन वर्गों के बालक अनुपस्थित बहुत रहते हैं जिसका कारण है गरीबी, शालाएँ अनाकर्षक होना आदि।

(7) शाला का टाइम टेबुल उनके अनुकूल नही है। व-ह बाँध रखते हैं जब कि बालक स्वच्छ द रहना चाहते हैं।

(8) परीक्षा मे हम वह बातें पूछते हैं जो वह जानता ही नही है।

(9) अभी तक शालाएँ ऐसी जगह थी जहाँ वह मानसिक रूप से पढने को तैयार नहीं हैं। जहाँ ये बालक रहते हैं वहाँ शाला ही नही है।

(10) समाज मे व्याप्त रूढ़िवादिता, शिक्षा के प्रति अरुचि।

(11) यह वग जानता है कि जितने समय मे बालक पढेगा उतने समय मे वह ज्यादा काम कर लेगा जिससे आर्थिक लाभ हो सकता है अत अभिभावक अपने बच्चो को स्कूल नही भेजते हैं।

हरिजनों की शिक्षा के लिये किये गये प्रयास

1—हरिजनों के लिये पृथक से शालाएँ खोलना खासतौर से उन्ही की बस्तों में।

2—आश्रम शालाओं की स्थापना कर विरल ग्रामों के हरिजन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था।

3—औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के द्वारा शालात्यागी या शाला न आते हुये 9-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था की गई। इन केन्द्रो पर सुविधानुसार समय में ये बच्चे शिक्षा ग्रहन करते हैं। इन केन्द्रों से यह वर्ग काफी लाभान्वित हुआ है।

4—लघु शालाओं की स्थापना छोटे-छोटे ग्रामों में की गई है जिससे इन वर्गों के बालक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

5—छात्रावासों की सुविधा प्रदान की गई।

6—तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में भर्ती के लिये आरक्षण की सुविधा।

7—नौकरी म 16 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा।

8—प्रोत्साहन कार्यक्रमों की व्यवस्था।

(i) बुक बैंक योजना—वर्ष 19‑5 से हरिजन आदिवासियो के बच्चों को जो कक्षा 3 से 11 तक अध्ययनरत हैं उन्हे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदाय की जा रही हैं।

(ii) बालिकाओं को गणवेश—इस वर्ग की बच्चियों को शालाओं में आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिय निःशुल्क गणवेश दिये जाते हैं।

(iii) मध्याह्न आहार कार्यक्रम—प्रदेश के उपयोजना क्षेत्र म आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक शालाओ मे अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सचालित है। वर्ष 80-81 से शिक्षा विभाग द्वारा भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(iv) छात्र वृत्तियाँ—सभी हरिजन छात्रों को मेट्रिक पूर्व एवं मेट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियाँ प्रदान करने की शासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है।

9—विज्ञान की शिक्षा—आदिवासी क्षेत्रों मे हरिजन, आदिवासियों के लिए विज्ञान की शिक्षा उसके प्रचार-प्रसार की कारगर व्यवस्था का गई है।

10—मिलन दिवसों का आयोजन—शिक्षा में गुणात्मक विकास, शिक्षा में रुचि का विकास हो इसके लिए मिलन दिवसों का आयोजन किया जाता है।

सप्ताह म एक दिन सभी हरिजन आदिवासी बच्चे मिलकर अपनी प्रतिभा का प्रदशन करत हैं।

11—मिलन मड़ई—हरिजन आदिवासियों का यह प्रमुख शैक्षिक महोत्सव वप 1979 से प्रारम्भ किया गया है। इस कायक्रम में छात्र छात्राएँ अपनी बौद्धिक, शारीरिक, सास्कृतिक प्रतिभा का परिचय दत हैं।

12—खेलकूद परिसरो का विकास—हरिजन आदिवासी बालका के लिए खेलकूद परिसरो का विकास किया गया है।

13—स्काउटिंग एव गाइडिंग का प्रशिक्षण—आदिवासी एव हरिजन बच्चा क लिए बालचर शिक्षा का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

14—पाठयक्रम और पाठयपुस्तको मे सुधार—गन्दी बस्तिया, हरिजनो, दूर दराज क क्षेत्रा म रहन वाले आदिवासियों की इच्छाओ, रुचियो के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा पाठयक्रम म परिवतन किया जा रहा है, इसके लिए यूनीसेफ के द्वारा सचालित प्रायोजना चल रही है। परिवश के अनुकूल पाठयपुस्तको में सुधार किया गया है और उनका क्षेत्र परीक्षण चल रहा है।

15—बालको का स्वास्थ्य परीक्षण—अ तर्राष्ट्रीय बाल वष से निणय लिया गया है कि बालक-बालिकाओ का शालाओ मे नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाय। स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी बीमारी का निदान, इलाज और सलाह दी जाती है।

छठी योजना की व्यूह रचना—छठी योजना मे हरिजनो की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे। प्रयासों की रूप-रेखा इस प्रकार है—

1—हरिजन विशेषाश योजना का निर्माण—वप 79-80 से ही हरिजन विशेषाश योजना का निर्माण किया जाने लगा है। यह योजना हरिजनों को लाभान्वित करन वाली योजनाओ की आयोजना का तत्र है। हमारे सविधान मे हरिजनो की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास का सकल्प लिया गया है। हरिजन विशेषाश योजना मे निम्नाकित चीजें निहित है।

(i) अनुसुचित जातियो के विकास का कायक्रम परिवारमूलक होगा।

(ii) लाभान्वित होन वाल हरिजन परिवारो की सख्या।

(iii) प्रत्यक कायक्रम चाहे शैक्षिक हो, आर्थिक हो उसके क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था।

(iv) योजनाओ क क्रियान्वयन तत्र का विकास।

(v) योजनाओं का मूल्यांकन ।

2—लक्ष्य क्षेत्र

(i) मध्य प्रदेश में 45 राजस्व जिलों में से 19 जिले ऐसे हैं जहाँ हरिजन जनसंख्या 15 प्रतिशत है वह जिले लक्ष्य जिले होंगे ।

(ii) तहसीलों में से 42 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें हरिजन जनसंख्या 20% से अधिक है, इन्हें पहले लिया जायगा ।

(iii) प्रदेश में 459 विकास खण्डों में से 26 जिलों में स्थित 89 विकास खण्ड एसे हैं जिनमें हरिजन जनसंख्या 20% से अधिक है । उन पटवारी हल्कों की संख्या 69 है जिनमें हरिजन जनसंख्या 50% से अधिक है ।

(iv) ग्राम स्तर पर हरिजन बाहुल्य बस्तियाँ या बस्ती समूह हैं जिसकी आबादी ग्राम की जनसंख्या की आधी है, ऐसे 472 बस्ती समूह हैं जिनमें 2400 गाँव शामिल हैं । ग्राम स्तर पर इन्हें लक्ष्य क्षेत्र बनाया जायगा ।

3—शालाओं की स्थापना—लक्ष्य यह होगा कि प्राथमिक शालाएँ हरिजन बस्ती या उसके बिल्कुल निकट स्थापित की जायेगी जिससे उनके बच्चों को कोई झिझक या कठिनाई न हो ।

(4) आश्रम शालाओं की स्थापना

(5) छात्रावासों का विशेष प्रबन्ध व उनमें वृद्धि

(6) छात्र वृत्तियों का प्रदाय

(7) बुक बैंक योजना

(8) शुल्क माफी

(9) सेवाओं में आरक्षण

(10) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार

(11) विकास के लिए तीन स्वरूप होंगे

(i) प्रोत्साहन

(ii) संरक्षण

(iii) आर्थिक उत्थान ।

(12) हरिजन विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अमले का विस्तार

(13) भौतिक सुविधाओं का विकास

(14) गुणात्मक विकास के प्रयास

(15) विज्ञान शिक्षा का अधिक प्रचार-प्रसार

(16) औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों का निर्माण

(17) हरिजन कल्याण के लिए शोध और उससे प्राप्त निष्कर्षों पर
ंयान्वयन ।

मध्य प्रदेश म शालय शिक्षा के लिए छठी योजना में 74 करोड़ की आयो-
ा राशि निर्धारित की गई है जिसम स 14% के हिसाब से लगभग 11 करोड़
राशि हरिजनों के शैक्षिक विकास पर व्यय की जानी प्रस्तावित है। यदि
००। योजना की व्यूह रचना को अच्छी प्रकार तथा बिना किसी व्यवधान के
पूरा किया गया तो अवश्य ही अच्छे परिणाम सामने आ सकेंगे। यद्यपि हमें
लक्ष्य पूरे करने के लिए एक विशाल राशि तथा योजना तंत्र की आवश्यकता
होगी फिर भी सीमित साधनों में अधिक से अधिक विकास करने का हमारा
लक्ष्य होगा।

# प्रौढ शिक्षा

(Adult Education)

हमने शिक्षा की सकुचित धारणा अपना रखी है। जो स्कूल नही गया जिसे पढना-लिखना नही आता है उसे हमने निरक्षर मान लिया है। यदि हम जीवन की सही शिक्षा मिली है, हम सब काम सलीके से कर लेते हैं सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम,स्नेह, दया, भाव भी है, अपने धन्धे का सही ज्ञान है तो भी हमें साक्षर या पढा-लिखा नही समझा जाता है। इसके विपरीत हम स्कूलो, कालेजो मे पढकर गँवारूपन करते है, अशिष्ट व्यवहार करते है तोड-फोड करते हैं, धन्धे का कोई ज्ञान नही, तब भी हम साक्षर है और पढे-लिखो म गिनती है। इसका परिणाम यह हो रहा है जो सामने हैं, विशेष एव गहन प्रयासो के बावजूद भी निरक्षर व्यक्तियो की सख्या बढ रही है।

महात्मा गाधी ने कहा था कि "लिखने-पढने तथा गणित का शुष्क ज्ञान एक ग्रामीण के जीवन का स्थायी अग नही बन सकता है। उनको ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो वह अपने प्रतिदिन के जीवन म प्रयोग कर सके। यह ज्ञान उन पर थोपा नही जाना चाहिए, उनको इसकी भूख होनी चाहिए। एक ग्रामीण को ग्रामीण गणित, ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण इतिहास तथा ऐसा ज्ञान है जो वह प्रतिदिन प्रयोग कर सकें।" गाधी जी के विचारो का वस्तुत सही जामा नही पहनाया जा सका और हम भटकते ही रहे।

भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार "यद्यपि साक्षरता का प्रतिशत सन् 1951 मे 16 6 से बढकर 1961 म 24 और सन् 1966 मे 28 6 हो गया है तो भी तेजी से बढती हुई जनसख्या मे सार्वभौम साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्नो मे देश को और पीछे धकेल दिया है। इससे जो शिक्षा मिलती है वह स्पष्ट है कि साक्षरता द्रुत गति से बढाने के लिए परम्परागत तरीके लगभग व्यर्थ है। यदि इस प्रवृत्ति को बढाना है तो अभिनव राष्ट्रीय प्रयास जरूरी है।"

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो वी० के० आर० वी० राव के मतानुसार "प्रौढ शिक्षा और प्रौढ साक्षरता के बिना न तो उस विस्तार और गति में आर्थिक और

सामाजिक विकास सम्भव है जिसकी हम आवश्यकता है और न ही हमारे आर्थिक सामाजिक विकास को वह तत्व गुणात्मक शक्ति मिल सकता है जो मूल्य और हितकारिता की दृष्टि से उसे साधक बनाए। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक विकास के किसी कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता का प्रथम स्थान मिलना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा क्या है ?—प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य अर्थ निरक्षर प्रौढ़ स्त्रियों और पुरुषों को लिखना-पढ़ना और अंकगणित सिखाना है। लेकिन यह संकीर्ण परिभाषा उचित नहीं कही जा सकती है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुसार "प्रौढ़ शिक्षा केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही अपने को सीमित न रख वरन उसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित की जावे जिसमें प्रत्येक नागरिक जनतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था में भाग लेने को तैयार रहे।"

शिक्षा आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि "यह वह शिक्षा है जिसके द्वारा लोगों में नागरिकता की चेतना उत्पन्न हो और उनमें सामाजिक सुसंगठन की भावना की वृद्धि की जाती है। यह शिक्षा बड़ी आयु के लोगों का केवल अक्षर ज्ञान ही कर सन्तुष्ट नहीं हो जाती। इसका लक्ष्य सामान्य जनता में एक सुनिश्चित मत का निर्माण करना है। इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में समाज शिक्षा लक्ष्य यह रहता है कि लोगों में व्यक्तिगत रूप में और समाज के एक सदस्य के नाते अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सचेष्ट भावना उत्पन्न की जाय। आगे शिक्षा आयोग ने लिखा है "केवल पढ़ लिख लेने की योग्यता प्राप्त कर लेने को हम साक्षरता नहीं मानते। साक्षरता तभी साधक होती है जब वह कार्यक्षम हो—कार्याधारित हो।"

प्रौढ़ शिक्षा का नया स्वरूप—प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना में व्यापक परिवर्तन आया है। अब यह लिखने-पढ़ने और हिसाब-किताब जानने में योग्यता हासिल कर लेने की परम्परागत साक्षरता तक सीमित नहीं है। देश के सामाजिक, आर्थिक दृश्य पट में जो परिवर्तन आ रहा है उसके कारण मानवीय साधना के सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार—"प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत जितना कि स्वयं जीवन है। इसकी आवश्यकताएँ सामान्य स्कूली पढ़ाई से भिन्न हैं।" इसलिए समाज और व्यक्ति की इन नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को तेज किया गया है। औपचारिकेतर शिक्षा के नए दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना है जो सीधे तौर पर समुदाय और व्यक्ति की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा स्थानीय वातावरण एवं राष्ट्रीय विकास से सम्बद्ध हो। यद्यपि

ऐसी शिक्षा सुविधाऐं सभी वर्ग के सीखने वालो को दी जाती हैं लेकिन यह सोचा गया है कि "सुविधाएँ मुख्यत 15-25 के महत्वपूर्ण आयु समूह के युवाओं को दी जायगी। इसके लिए एक प्रौढ़ शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना और सरकार को सलाह देना है।

अन्तराष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 के प्रतिवेदन म कहा गया है कि "नवीन ससार क लिए नवीन व्यक्ति चाहिए"। प्रौढ़ शिक्षा वास्तव मे शैक्षिक प्रक्रिया का स्वाभाविक उच्चतम विकास है। समाज में सभी के विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा का स्वरूप विभिन्न होता है। यह केवल साक्षरता प्रदान करने या थोडा बहुत सास्कृतिक सामाजिक ज्ञान देने के रूप मे नही रहता है। यह तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के समुचित विकास के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। आर्थिक विकास, सामाजिक परिवतन, सुरक्षा, सामाजिक समानता, एव स्वतत्रता की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं। परन्तु यहा के अधिकाश व्यक्ति स्कूल गए ही नही अत भारत जैसे देश म प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओ और उसकी सुविधाओं के अनुसार देश विकास को प्रोत्साहित करने वाली प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्थित की जानी चाहिए।

हम रूढ़िवादी, परम्परागत साक्षरता के स्थान पर क्रियात्मक साक्षरता की देश म आवश्यकता है। ऐसी क्रियात्मक साक्षरता जिससे मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक रूप से समाज में अपना उचित स्थान पाने योग्य बन सके। अर्थात् ऐसी साक्षरता हो जो मनुष्य के मन का शिक्षित कर सके। इस प्रकार की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम म शामिल किए जाँय।

(i) उपचारात्मक शिक्षा
(ii) व्यावसायिक शिक्षा
(iii) स्वास्थ्य शिक्षा
(iv) मनोरजन की शिक्षा
(v) सास्कृतिक शिक्षा
(vi) सामाजिक सगठन की उन्नति के लिए शिक्षा
(vii) राष्ट्रीय साधना के रक्षण और सुधार के लिए शिक्षा
(viii) सामाजिक आदर्शों की प्रेरणा के लिए शिक्षा
(ix) सहयोगी वर्ग और सस्थाओं के निर्माण के लिए शिक्षा

इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं, इच्छाओं से जुड सकेगी।

प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता—प्रौढ़ शिक्षा की नई अवधारणा में 15-25 आयु वर्ग के लोगों को क्रियात्मक साक्षरता को लिया गया है। 80% से अधिक हमारी भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें अधिकांश भाग उन लोगों का है जो आदिवासी और कृषक हैं। ये सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। किसी समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा उसके सदस्यों को समानता का अवसर प्रदान करने हेतु शिक्षा आधारभूत साधन है। आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का कार्यक्षेत्र एवं अर्थ विस्तृत है। यह किसी व्यक्ति के संस्कार ग्रहण में उस सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक अंग है जो कि उसके जीवन पर्यन्त चलती रहती है। उसका उद्देश्य व्यक्तियों के चरित्र निर्माण, अभिरुचि, कुशलता तथा नैतिक गुणों का विकास है जिसकी विधिवत शिक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा स्वयं एक प्रकार की नागरिक प्रक्रिया से प्राप्ति होती है। ग्रामीण कृषक भूमि, आकाश, तथा सजीव वस्तुओं के विषय में पर्याप्त बुद्धिमता के साथ कृषि कार्य की कुशलता एवं कला सीख लेते हैं। अतः इनकी शिक्षा परम्परागत न होकर ऐसे औपचारिकेतर शिक्षा दी जाय जो उन्हें उत्तम वयस्क बनाने में सहायक हो। चूंकि हमारा देश इन्हीं उत्तम नागरिकों की कुशलता पर आधारित है अतः इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक प्रौढ़ एवं माता पिता शिक्षित नहीं होते उनमें प्रेरणा का भाव जागृत नहीं होता अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन और समाज की पुनर्रचना जैसे कोई कार्य अथवा शैक्षिक कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। प्रौढ़ शिक्षा की सही मायने में आवश्यकता देश के विकास हेतु निम्नलिखित पहलुओं के लिए आवश्यक है।

(i) व्यक्ति एवं समाज के विकास हेतु।

(ii) प्रजातंत्र की सफलता हेतु।

(iii) आर्थिक विकास हेतु।

(iv) राष्ट्रीय एकता हेतु।

(v) नागरिकता की सच्ची शिक्षा के लिए।

(vi) नवीन ज्ञान और कौशल सीखने के लिए।

(vii) स्वस्थ मनोरंजन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु।

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य

प्रौढ़ों की शिक्षा का उद्देश्य निम्नानुसार हो सकता है।

1—शालाओं में वंचित युवाओं को बुनियादी ज्ञान एवं पढ़ने-लिखने का कौशल प्राप्त करने हेतु प्रेरणा देना तथा उनमें क्रियाशील अवगणित विकास करना।

2—उनके अन्दर कृषि सम्बन्धी कुशलताएँ एवं कृषिएतर कौशल का जिनमें विभिन्न शिल्पों का भी समावेश हो, विकास करना।

3—स्वस्थ जीवन, परिवार-कल्याण, खाद्य-पदार्थों की सुरक्षा, सहयोगी समितियों, कल्याणकारी क्रियाओं एवं नागरिकता के विषय में ज्ञान देना।

4—उनमें समुचित अभिरुचि तथा शैक्षिक एवं नवाचार प्रवृत्तियां सहित अन्य समुचित विभिन्न विकासात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना।

हिन्दुस्तानी तालिमी संघ ने प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं—

1—प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रौढ़ों की साक्षरता नहीं अपितु प्रौढ़ों की जीवन पर्यन्त शिक्षा है जो उन्हें अनेक सर्वांगीण विकास में सहायता दे।

2—यह शिक्षा जीवन पर्यन्त और प्रत्येक स्तर के लिए उपयोगी होनी चाहिए।

3—जिस प्रकार के भी शिल्प का चयन किया जाय वह दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो, शिक्षा का माध्यम बन सके और पर्याप्त प्रवीणता के साथ जीवन से सम्बन्धित विषयों पर सिखाया जा सके।

4—सामान्य ज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचि तथा उनके सामाजिक एवं नागरिक वातावरण के अनुकूल हो। अतः इस प्रकार के विषय अपनाए जाँय जिनसे उनमें वैयक्तिक तथा घर एवं गाँव की सफाई का ध्यान सदैव बना रहे, भाई चारे की भावना का विकास हो, वे मानव अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित नियम और परम्पराओं का ज्ञान विकसित हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्राथमिक नियम, पारिवारिक लेखा जोखा और माता-पिता के कर्त्तव्य आदि विषयों से पूरी जानकारी प्राप्त हो।

5—उत्तम जीवन हेतु प्रौढ़ शिक्षा मेला, त्योहारों और सांस्कृतिक समारोहों से सम्बन्धित हो।

6—गाँव का स्कूल प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। अतः प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध गाँव के स्कूल से होना चाहिए। इससे एक ओर वो प्रौढ़ प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकता को समझेंगे, दूसरी ओर बालक भी प्रौढ़ शिक्षा की प्रभावात्मकता की जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वयं जीवन में उस दोष से बचेंगे।

समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बाँट सकते हैं—

(i) व्यक्तिगत दृष्टि से।

(ii) सामाजिक दृष्टि से।

प्रौढ़ शिक्षा का आरम्भ बाल्यकाल में उत्पन्न कमी को दूर करना है। जो बालक नहीं सीख पाया उसे बाद के वर्षों मे सीखता है जिससे उसकी बहुत सी युग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक जीवन के प्रति उसका ज्ञान बढ़े।

शिक्षा शास्त्री प्रो० एस० एन० मुकर्जी ने प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा के के तीन उद्देश्य बताएँ हैं।

(i) साक्षरता का विकास करके स्वस्थ मन का निर्माण करना।

(ii) आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(iii) कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूक रखने के लिए नागरिकता की भावना विकसित करना।

प्रौढ़ शिक्षा की उपलब्धियां—देश में 1971 तक प्रौढ़ शिक्षा की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

(संख्या लाखों में)

| आयुवर्ग | 1961 की जनगणना | | 1971 की जनगणना | |
|---|---|---|---|---|
| | साक्षरों का संख्या/प्रति० | निरक्षरों की संख्या/प्रति० | साक्षरों की संख्या/प्रति० | निरक्षरों की संख्या/प्रति० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5-14 | 336 6 | 803 2 | 523 3 | 973 6 |
| | (29 5) | (70 5) | (34 9) | (65 1) |
| 15-24 | 263 3 | 468 8 | 430 1 | 475 9 |
| | (36 0) | (64 0) | (47 5) | (52 5) |
| 25-34 | 192 3 | 481 9 | 260 0 | 506 1 |
| | (28 5) | (71 5) | (33 9) | (66 1) |
| 35 और उससे ऊपर | 262 7 | 917 7 | 366 2 | 1126 7 |
| | (22 3) | (77 7) | (24 5) | (75 5) |

(कोष्ठक मे दिये आंकड़े सम्बन्धित आयुवर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं)

उपर्युक्त तालिका से इतना तो स्पष्ट है कि साक्षरता, का प्रतिशत बढ़ा है किन्तु दूसरा पहलू भी है कि निरक्षरों की संख्या हर वर्ग में बढ़ी है।

5-14 आयु वर्ग में 1961 से 1971 में निरक्षरों की संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई है, 15-24 आयु वर्ग में निरक्षरों की संख्या में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है, 25-34 आयु वर्ग में ढाई गुनी और 35 से ऊपर के आयु वर्ग लगभग चार गुनी निरक्षर हो गये हैं। ये आँकड़े हमारे लिये चुनौती भरे हैं।

**प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र**—प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र असीमित है। यह एक जीवन पर्यन्त शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा में अनेक पक्ष सन्निहित हैं यथा व्यावसायिक, सामाजिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि।

भारतीय शिक्षा आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित बातों के समावेश की बात कही है—

(i) निरक्षरता का निर्मूलन।

(ii) निरंतर शिक्षा।

(iii) पत्राचार पाठ्यक्रम।

(iv) पुस्तकालय।

(v) प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान।

(vi) प्रौढ़ शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन।

अतः प्रौढ़ शिक्षा निरन्तर शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए जो विशेष रूप से दो विभिन्न वर्गों के लिये उपयुक्त हो। पहला वर्ग उन लोगों का है जो शैक्षिक संस्थाओं में या अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित सायं शिक्षा की कक्षाओं में अंशकालिक अध्ययन के लिये दूसरों के साथ मिलकर समूह बनाते हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें अपने घर पर स्वयं पढ़ना है जो उन्हें इस उद्देश्य से मिले किन्तु अपनी सुविधा अनुसार सहायता चाहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो विविध उद्देश्य पूरा करे।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो० कबीर ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिखा है कि समाज शिक्षा बहुमुखी कार्यक्रम में निहित है जिसका उद्देश्य वयस्कों की आवश्यकताओं को यथा सम्भव अधिकतम रूप से पूरा करना है, इस कार्यक्रम में पाँच बातें हैं—

(i) साक्षरता।

(ii) स्वास्थ्य नियमों का ज्ञान।

(iii) वयस्कों के आर्थिक स्तर को उन्नत करने का प्रशिक्षण।

(iv) नागरिकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ [illegible] की शिक्षा।

प्रौढ शिक्षा का आरम्भ बाल्यकाल मे उत्पन्न कमी को दूर करना है। जो बालक नही सीख पाया उसे बाद के वर्षों म सीखता है जिससे उसकी बहुत सी युग सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति हो, आर्थिक विकास और सास्कृतिक जीवन के प्रति उसका ज्ञान बढे।

शिक्षा शास्त्री प्रो० एस० एन० मुकर्जी ने प्रौढ शिक्षा या समाज शिक्षा के के तीन उद्देश्य बताएँ हैं।

(i) साक्षरता का विकास करके स्वस्थ मन का निर्माण करना।

(ii) आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(iii) कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूक रखने के लिए नागरिकता की भावना विकसित करना।

प्रौढ़ शिक्षा की उपलब्धियां—देश मे 1971 तक प्रौढ शिक्षा की उपलब्धिया निम्नानुसार हैं—

(सख्या लाखों मे)

| आयुवर्ग | 1961 की जनगणना साक्षरो की सख्या/प्रति० | 1961 की जनगणना निरक्षरो की सख्या/प्रति० | 1971 की जनगणना साक्षरो की सख्या/प्रति० | 1971 की जनगणना निरक्षरो की सख्या/प्रति० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5-14 | 336 6 (29 5) | 803 2 (70 5) | 523 3 (34 9) | 973 6 (65 1) |
| 15 24 | 263 3 (36 0) | 468 8 (64 0) | 430 1 (47 5) | 475 9 (52 5) |
| 25-34 | 192 3 (28 5) | 481 9 (71 5) | 260 0 (33 9) | 506 1 (66 1) |
| 35 और उससे ऊपर | 262 7 (22 3) | 917 7 (77 7) | 366 2 (24 5) | 1126 7 (75 5) |

(कोष्टक में दिये आँकडे सम्बन्धित आयुवर्ग की कुल जनसख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं)

उपर्युक्त तालिका से इतना तो स्पष्ट है कि साक्षरता, का प्रतिशत बढ़ा है किन्तु दूसरा पहलू भी है कि निरक्षरों की सख्या हर वर्ग में बढ़ी है।

(ii) महिला मण्डल की स्थापना।

(iii) रेडियो फारम की स्थापना।

(iv) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) विकास मेलों का आयोजन।

(vi) विचार समूहों का गठन।

5 शालाओं में समुदाय का क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करना।

6 शिक्षकों अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क।

7 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

8 दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग।

9 प्रशासन एवं देख-रेख के लिए कुशल संगठन।

10 प्रौढ़ निरक्षरों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेरित करना।

11 साक्षरता कार्यक्रम में निरन्तरता बनाये रखना।

प्रौढ़ शिक्षा हेतु किये गये प्रयास

1 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन।

2 निम्नलिखित कार्यक्रम हाथ में लिये गये —

(i) कृषकों का व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम।

(ii) 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम।

(iii) शहरी श्रमिकों के लिए औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम।

3 1975-76 से 15-25 आयु वर्ग के लिए औपचारिकेतर शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 15-25 आयु वर्ग के युवकों को ऐसी अनुकूल शिक्षा देना है जो उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप तथा स्थानीय परिस्थितियों से सम्बद्ध हो। [illegible] यह है कि इस आयु वर्ग के [illegible] में [illegible] भावना का विकास किया जाय। यह कार्यक्रम 1975-76 में देश के 110 जिलों में प्रारम्भ किया गया। 1977-78 में 50 और [illegible]।

(v) समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओ के अनुरूप मनोरजन के स्वस्थ साधनो की व्यवस्था करना।

इस प्रकार प्रौढ शिक्षा एक व्यापक जीवन की शिक्षा है और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता है। क्रियात्मक साक्षरता ही इसका सच्चा स्वरूप और विषय क्षेत्र हो सकता है।

प्रौढ शिक्षा मे क्रियात्मक साक्षरता हेतु सुझाव

प्रौढ शिक्षा की विधियाँ सामान्यत कई हो सकती हैं। इन्हे मोटे रूप म तीन भागो मे बाँटा जा सकता है—

(i) अध्यापक प्रधान विधियाँ।

(ii) छात्र प्रधान विधियाँ।

(iii) सहयोगात्मक विधियाँ एव सामूहिक विधियाँ।

किन्तु जैसा कहा गया है कि प्रौढ शिक्षा का अर्थ अब व्यापक रूप म लिया गया है। अत इस प्रकार की शिक्षा के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम होगे—

1 सामाजिक आर्थिक स्थितियो तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाओ का सर्वेक्षण।

2 ऐसी कक्षाओ की व्यवस्था जिनम व्यावहारिक साक्षरता का पाठ्यक्रम हो इसम क्रियाशील कृषि सम्बन्धी ज्ञान एव विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमो का ज्ञान सम्मिलित किया जाय। इस कक्षा के माध्यम स स्थानीय शिल्प का मौखिक तथा अमौखिक पद्धति से शिक्षण किया जा सकता है।

3 शैक्षिक सामग्री का विकास।

(i) क्रियात्मक साक्षरता मे शामिल होने वाले सदस्यो के लिये।

(ii) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो स सम्बन्धित पठन तथा प्रदर्शन सामग्री।

(iii) अभ्यास पुस्तके।

(iv) शिक्षको हेतु मार्ग दर्शिका।

4 ग्रामीण क्षेत्रो म सामुदायिक क्रियाओ का आयोजन।

(i) युवक मण्डल की स्थापना।

(ii) महिला मण्डल की स्थापना।

(iii) रेडियो फारम की स्थापना।

(iv) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(v) विकास मेला का आयोजन।

(vi) विचार समूहों का गठन।

5 शालाओं में समुदाय का क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करना।

6 शिक्षकों अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क।

7 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

8 दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग।

9 प्रशासन एवं देख-रेख के लिये कुशल संगठन।

10 प्रौढ निरक्षरों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेरित करना।

11 साक्षरता कार्यक्रम में निरंतरता बनाये रखना।

प्रौढ शिक्षा हेतु किये गये प्रयास

1 राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा बोर्ड का गठन।

2 निम्नलिखित कार्यक्रम हाथ में लिये गये —

(i) कृषकों का व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम।

(ii) 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम।

(iii) शहरी श्रमिकों के लिये औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम।

3 1975-76 से 15-25 आयु वर्ग के लिये औपचारिकेतर शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य 15 25 आयु वर्ग के युवाओं को ऐसी सम्पूर्ण शिक्षा देना है जो उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप तथा स्थानीय परिस्थितियों से सम्बद्ध हो। लक्ष्य यह है कि इस आयु वर्ग के संवेदनशील युवाओं में मानवीय साधनों का विकास किया जाय। यह कार्यक्रम 1975-76 में देश के 110 जिला केन्द्रों में आरम्भ किया गया। 1977-78 में 50 और केन्द्र खोले गये।

4 1975-76 से ही औद्योगिक श्रमिकों के आम शैक्षणिक स्तर और उत्पादकता को बढ़ाने म मदद देने के उद्देश्य से शहरी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जारी रखे गये ।

5 इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक सगठनो को वित्तीय सहायता दी गई । 150 से अधिक सगठन प्रौढ शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रमो मे सहयोग कर रहे हैं ।

6 यूनीसेफ की सहायता प्राप्त प्रायोजना द्वारा क्रियात्मक साक्षरता हेतु योजना का क्रिया न्वयन ।

# पर्यावरणीय शिक्षा

## (Environmental Education)

हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अनुसार—"दो तरह की शिक्षा होती है—एक तो पढ़न-लिखने की शिक्षा, स्कूल में जब बच्चा जाता है तो आप उसको पढ़ाते है। यह शिक्षा दिन के खास समय प्रारम्भ होती है और जब बच्चा घर जाता है तो एक खास समय में वह समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी शिक्षा भी है और वह है जिस समय बालक जन्म लेता है तभी से शुरू होती है और जब वह बड़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है तब तक वह कुछ सीखता जाता है। ऐसी शिक्षा का ही हमें देश मे प्रचार करना है। व्यक्ति चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनी घर का, चाहे शहर का हो या देहात का, एक ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करने की प्यास उसके अन्दर आ जाये। यह हमारे अध्यापकगण का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, यह बीज, यह प्यास, हमारे बच्चो के दिलो मे वे डालें।"

प्रधान मंत्री जी के उपयुक्त विचार हमारे लिये चुनौती हैं। हमने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। अभी तक हमारी शिक्षा जीवनोपयोगी नहीं बन सकी क्योंकि जनजीवन, वातावरण से दूर थी। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप शिक्षा योजना मे समाविष्ट होना ही चाहिये। पर्यावरण पर आधारित शिक्षा ही बालकों के लिये हितकर एव रुचिपूर्ण होगी। पर्यावरण की शिक्षा ही सही शिक्षा है।

### संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

(1) संसार के विभिन्न क्षेत्रों के देशों में पर्यावरण शिक्षा पर विचारों, समाचारों, एव अनुभवो को बढ़ावा देना।

(2) पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य विषय वस्तु और प्रविधियों पर समन्वित अनुसंधान के विकास को प्रोत्साहित करना।

(3) पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र म नवीन प्रविधियो, पाठ्यक्रमों, अध्यापकीय सामग्री व कार्यक्रमों की योजना करना।

(4) पर्यावरण शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक कर्मचारी वर्ग, शिक्षक, प्राध्यापक, योजना तैयार करने वाले, शोध कार्यकर्त्ता, व शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण व स्तरोन्नयन।

(5) पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों में लगे देशों को तकनीकी सहायता व सेवाएँ उपलब्ध कराना।

शैक्षिक व्यवसाय के संगठनों के अखिल विश्व संघ (W C O T P) ने शैक्षिक संगठनों के अखिल भारतीय संघ को एक पायलट-प्रायोजना सौंपा। *यह प्रायोजना म० प्र० शासन शिक्षा विभाग की अनुमति से प्रारम्भ की गई।* म० प्र० शासन ने हमेशा ही नवीन चुनौतियों और नवाचारों के प्रति अपनी अनुकूलता दिखाई है। म० प्र० मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों का राज्य है और पर्यावरण शिक्षा की प्रायोजना उसे जीवन से जोड़ देगी। ग्रामीण शालाओं और शाला के बाहर के लिये अधिक उपयोगी शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण मुख्य कार्य होगा। पाठ्यक्रम कृषि वातावरण पर आधारित होगा। अब ग्रामीण विकास के लिये शिक्षा, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान देगी। शिक्षा का हमारा उद्देश्य नवीन नौकरियों की व्यवस्था, खेतिहर भूमि का पूर्ण वितरण, स्वास्थ्य सुधार, उत्तम भोजन की वृद्धि, व्यक्तियों के लिये मकान, तथा शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की संभावनाओं की प्राप्ति होना चाहिये।

म० प्र० में पर्यावरण शिक्षा के तात्कालिक कार्य

(1) म० प्र० के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा के वे विषयांश सामिल किये जायँ जो रा० शै० अनु० प्रशि० परिषद के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में हैं।

(2) कक्षा 1 व 2 के लिये ... व वि... विषय की भाँति पढाने ... म में ... म० प्र० का पाठ्यक्रम प... रित हैं।

(3) किसी भी नवाचार की ... अन्य ... की योजना ... क... चाहिये

(4) अ... ओ... व ...

(5) अधिक से अधिक शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा के तत्वों का समझना चाहिये।

(6) शाला और समाज का उत्पादक सम्बन्धों मे एकीकृत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरे शब्दों मे अपने बच्चो व प्रौढों को पर्यावरण के मामले में शिक्षा देना, पर्यावरण की समस्याओ के प्रति उन्हें जागरूक करना, सामाजिक उपयोगी अभिवृत्तियों की उत्पत्ति तथा समस्याओ का हल खोजने की क्षमताओं का विकास करना है। इसमें समाज का भाग लेना व सहयोग आवश्यक है। अत हमें समाज पर आधारित पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है।

(7) अध्यापक व समाज के नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थानीय पर्यावरण को ध्यान मे रखकर प्रशिक्षण दिया जाय।

(8) स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर वातावरण पर आधारित शैक्षिक सामग्री तैयार करना।

(9) शाला के बाहर औपचारिकेतर शिक्षा की आवश्यकता है और शाला कुटुम्ब व समाज के बीच की खाई को भरा जाना चाहिये।

मध्य प्रदेश की पाइलट प्रायोजना के उद्देश्य

(1) यह योजना भारत व एशिया के अन्य देशो के लिये आदर्श व प्रेरणा प्रस्तुत करेगी जिससे वे इसी प्रकार की प्रायोजना को स्वीकार कर सके।

(2) यह एक ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करेगी जो कि कृषि पर्यावरण पर आधारित होगा।

(3) वह प्राथमिक शाला पाठ्यक्रम में एकीकृत दृष्टिकोण का उन्नयन करेगी जिसका कि आधुनिकीकरण व पुनरीक्षण होगा।

(4) अध्यापकों को वर्तमान पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने व उसे कृषि पर्यावरण पर आधारित करने की आवश्यकता महसूस करने मे सहायता दी जायगी।

(5) विभिन्न स्थानो की पर्यावरण सम्बन्धी स्थितियों मे अन्तर रहता है अत शिक्षक कृषि पर्यावरण पाठ्यक्रम पर आधारित पाठों का स्वयं तैयार करेंगे। यह ग्रामीण आवश्यकताओ तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप होगा।

(6) शिक्षक पर आधारित व्यूह रचना का विकास करना जिससे जनता में जागरूकता बढ़े और पर्यावरण शिक्षा के बारे में जनता की अभिवृत्ति में परिवर्तन होने में सहायता मिल सके।

(7) अध्यापकों की शिक्षा शास्त्रियों और अन्य लोगों को पाठ्यक्रम निर्माण कार्य में सम्मिलित करना जिससे पाठ्यक्रम सभी को स्वीकार्य हो।

(8) अन्य देशों के ऐसे विशेषज्ञों से चर्चा करना जो अपने देशों में इस प्रकार के कार्यक्रमों से सम्बद्ध हों।

(9) विभिन्न क्षेत्रों में तैयार किये गये पाठों पर चर्चा एवं उनका क्षेत्र परीक्षण।

**पर्यावरण शिक्षा पर परामर्शदायी समिति**—1978 में, म० प्र० के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में पर्यावरण शिक्षा पर एक परामर्शदाता समिति का निर्माण हुआ जिसके सदस्यों के रूप में लोक शिक्षण संचालक, तथा ग्रामीण विकास व पर्यावरण विज्ञान के अनेक विशेषज्ञ लिए गये। इस समिति ने प्रदेश के 4 जिलों होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, और देवास की 16 पूर्व माध्यमिक शालाओं में पाइलट योजना प्रारम्भ करने की अनुमति दी।

**पर्यावरणीय शिक्षा क्या है ?**—हमारे पर्यावरण के तीन अंग हैं—पृथ्वी, हवा और जल। इन तीनों के विषय में ज्ञान और मूल्यों का विकास करना ही पर्यावरणीय शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा का लक्ष्य विश्व जनसंख्या का पर्यावरण और उससे सम्बन्धित समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना है तथा मनुष्यों में ऐसा ज्ञान, कुशलता, अभिवृत्तियाँ, प्रोत्साहन पैदा करना है कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से वर्तमान समस्याओं का हल निकाल सकें तथा नई समस्याओं को पैदा न होने दें। अतः पर्यावरण शिक्षा केवल प्रदूषण रोकने, प्रकृति के असंतुलन को रोकने, जल प्रदूषण, हवा और भोजन का प्रदूषण रोकने से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि इसके अलावा भी अधिक कुछ है।

पर्यावरण को सीखने के स्रोत के रूप में प्रयोग करना कोई नया विचार नहीं है। मनुष्य हमेशा ही प्रकृति से सीखता आया है। उसने अपनी आवश्यकताओं, जीवन की परिस्थितियों के आधार पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कुशलताओं और अभिवृत्तियों का विकास किया है।

पर्यावरणीय शिक्षा के तीन अंग हैं जो एक दूसरे से गुथे हैं।

1 पर्यावरण द्वारा सीखना—यह कुशलताएँ विकसित करने हेतु पर्यावरण का उपयोग है। यह प्राथमिक कक्षाओं से सम्बद्ध है।

2 पर्यावरण के विषय में सजगता—पर्यावरण की जैविक तथा अजैविक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना।

3 पर्यावरण के लिए संरक्षा—पर्यावरण को जानना, इसे सुरक्षित रखना।

पर्यावरण शिक्षा द्वारा मुख्य रूप से तर्क करने, पूछने, जानने की क्षमता का विकास होता है। यह शिक्षा बालक को अपने चारों ओर के वातावरण, संसार की वस्तुओं के बारे में एकत्रीकरण, वर्गीकरण प्रयोग और उसके निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा करती है। पर्यावरण का कोई भी पहलू अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त है। पर्यावरण शिक्षा में भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों परिवेश निहित हैं। अभी तक सैद्धान्तिक रूप से इस भावना थी, अब वास्तविक और क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

पर्यावरण का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। पर्यावरण के अन्तर्गत हमारे चारों ओर की वस्तुएँ, क्षेत्र और परिस्थितियाँ शामिल हैं। यह शिक्षा एक ऐसा सबल साधन है जिसके द्वारा बालक में ऐसी कुशलताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जाता है जिनके माध्यम से वह प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक परिवेशों पारस्परिक सम्बन्धों की स्पष्ट कल्पना करते हुए उनकी मानव जीवन व विकास में उपयोगिता समझने हेतु सामर्थ्यवान बनाता है। इन तीन परिवेशों में उपयोग के अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि पर्यावरणीय शिक्षा हमारी शिक्षा का अनिवार्य अंग है। प्राथमिक स्तर के बालक के परिवेश या पर्यावरण से आशय केवल उसके निकटतम भौगोलिक पर्यावरण से ही नहीं है वरन् जिन घटनाओं, समस्याओं और आविष्कारों से उसे प्रतिक्रिया करनी होती है वह सभी उसके परिवेश में है। उसका घर, उसका परिवार, उसकी शाला, उसका पड़ोस, गाँव और आस-पास के नदी-नाले, पहाड़ पहाड़ियाँ, जंगल वनस्पतियाँ, एवं जीव जन्तु तो उसके परिवेश में हैं। वह पृथ्वी और आकाश में भी रुचि लेता है। इतना ही नहीं सामाजिक और धार्मिक उत्सवों और पर्वों के माध्यम से वह राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक महत्व के महापुरुषों की जीवन घटनाओं और गाथाओं के सम्पर्क में आता है जो हमारे इतिहास, संस्कृति के विकास में सहायक हुई हैं। वह अपने दैनिक [illegible] में
ऊर्जा के विभिन्न रूपों और तरह तरह की मशीनों के उपयोग के
के आविष्कारों के सम्पर्क में भी आता है जिससे उसका जीवन
है। इस कारण इन सब के प्रति उसकी रुचि स्वाभाविक है
अध्ययन में वह उसके प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही

रुचि लेता है और उनके लिए ये अंग परस्पर इतने सुसम्बद्ध होते हैं कि उन्हें अलग करना बालक के लिए अस्वाभाविक ही होगा।

पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता—छोटी कक्षाओं में बालक इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि वे विशेषतः विज्ञान तथा गणित के अमूर्त सिद्धान्तों को समझ सकें। वे मूर्त वस्तुओं की ओर आकृष्ट होते हैं। वे सामान्य वस्तुओं तथा घटनाओं के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं, अतएव पर्यावरणीय अध्ययन के द्वारा उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्तियाँ एवं स्वस्थ आदतों का विकास हो सकेगा, वे अच्छे नागरिक बन सकेंगे। और चूंकि इस आयु के बालक समूह में काम करना पसंद करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन, समूह काम के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा तथा बालक अध्ययन में न केवल रुचि लेगा वरन् स्वयं सक्रिय रहेगा।

मनोवैज्ञानिक पक्ष (अ)—यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बालक शालाओं में कुछ सीखता है उससे कहीं अधिक शाला के बाहर सीखता है। बालक का निकटवर्ती पर्यावरण उसका सामाजिक सम्पर्क, मित्र मण्डली एवं गृह का वातावरण उसके वास्तविक शिक्षक हैं जिनसे वह अनुकूल या प्रतिकूल प्रेरणाएँ प्राप्त करता है। अतएव यह आवश्यक है कि छोटी आयु के बालक की शिक्षा वातावरण से निरन्तर सम्बन्धित है तथा प्राथमिक स्तर की प्रथम दो कक्षाओं में सम्पूर्ण शिक्षा का अधिकांश भाग पर्यावरणीय शिक्षा के स्वरूप में हो। पियेट (Piaget) एवं अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधकार्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बालक जब तक 11 या 12 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनमें सामान्यतः औपचारिक व सैद्धान्तिक तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। छोटे बच्चे जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं सम्पूर्ण वातावरण को एक पूर्णतः प्राप्त इकाई के रूप में देखते हैं न कि विभिन्न घटनाओं से पृथक पृथक समूह के रूप में जो अलग अलग विषय विभागों में विभाजित है। इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसी शिक्षण संकल्पनाओं या प्रकरणों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जो बालकों की रुचि के अनुसार हो तथा जो प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्थिति से सैद्धान्तिक औपचारिक विषय शिक्षण की ओर ले जाने वाले हों।

(ब) पर्यावरणीय शिक्षा पूर्णतः औचित्य पूर्ण है क्योंकि—

(1) वातावरण की यह शिक्षा बच्चों को उनके निकटवर्ती सामाजिक व भौतिक परिवेश से परिचित करायेगा।

(2) उनमें अच्छी स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी आदतों का विकास होगा।

(3) वे सामाजिक व व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छे चरित्र के प्रति संवेदनशील होंगे।

तात्पर्य यह है कि पयावरणीय शिक्षा वह दुनिया है जो कक्षा से लगी हुई है जहा जाया जा सकता है जिसे देखा व अनुभव किया जा सकता है व जो विषय वस्तु से सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान से खेल और मेले से, पोखरे, झरनो, चाद, सितारो व पास पडोसो के जीवित प्राणियो आदि से प्राप्त की जा सकती है।

पर्यावरणीय शिक्षा के लाभ

(1) बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे।

(2) ऐसा ज्ञान सार्थक वैज्ञानिक व यथार्थवादी होगा।

(3) बालको मे से 'क्या' और 'कैसे' की प्रक्रिया का विकास होगा।

(4) प्रत्यक्ष अनुभवो का सग्रह विविध वर्गीय होगा।

(5) ऐसा सग्रह बाल मस्तिष्क मे सही प्रतिभाओ (Images) का निर्माण करेगा जिसके आधार पर उपयुक्त प्रत्ययो (Cencepts) का निर्माण होगा।

(6) शिक्षा जीवनोपयोगी होकर वास्तविक भी होगी।

(7) बालको मे निरीक्षण, प्रयोग तथा आत्म क्रिया की प्रवृत्तियो का विकास होगा।

(8) उनमे वैज्ञानिक ढग पर चिन्तन करने की सूझ अथवा अन्तर्दृष्टि का विकास हो सकेगा।

**शिक्षण विधियो का उन्मुखीकरण**—पर्यावरण शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण विधियो को नवीन परिप्रेक्ष्य मे देखना होगा। ये कोई नवीन विधिया नही होगी। केवल परम्परागत विधियो म ही सशोधन कर नए आयामो को जोडना होगा। ऐसी विधियो का प्रयोग करना होगा जो बालक/बालिकाओ के न केवल मानसिक परिवेश के अनुकूल हो बल्कि शहरी और ग्रामीण पर्यावरण से भी समरस हो। ऐसी विधि का लक्ष्य यह होगा कि बालको मे प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक ढग से चिन्तन करने व तर्क करने की क्षमता का विकास हो सके। वे आत्मक्रिया या स्वय विश्लेषण द्वारा अपनी जिज्ञासा एव उत्सुकता को समाधान कर सकें और उनमे खोज, अन्वेषण, एव प्रयोग कर सकने की मानसिक अभिवृत्ति विकसित हो सके। वे प्रत्यक्ष परिवेश परक ज्ञान का अर्जन करे जिससे वे जीवनोपयोगी तत्वो को केवल सैद्धान्तिक रूप मे ग्रहण ही न बल्कि अपने जीवन मे व्यवहृत भी कर सकें।

इसके लिए शिक्षकों का भी उन्मुखीकरण आवश्यक होगा। उन्मुखीकरण में निम्नलिखित लक्ष्यों की ओर ध्यान देना होगा—

(1) ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शिक्षा।

(2) प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति।

(3) प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग।

(4) प्रकृति दर्शन।

(5) वस्तु संग्रह।

पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित बातें समाविष्ट होना चाहिए—

(1) पर्यावरण से सम्बन्धित कहानी, लघुकथाएँ मौखिक दृष्टान्त।

(2) रोचक मौखिक कार्य

(3) प्रत्यक्ष अनुभव और मौखिक अभ्यास।

(4) शैक्षिक पर्यटन।

(5) दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग।

(6) सजीव एवं निर्जीव तत्वों का प्रत्यक्ष अध्ययन।

(7) इकाई अन्त में सतत मूल्यांकन।

क्या पढ़ाया जाए—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना होगा।

(1) छोटे बालकों की आयु, क्षमता व मानसिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय शिक्षा अतिरेकता के दोष से मुक्त हो।

(2) बच्चे इस योग्य बन सकें कि वे स्वस्थ रहने के सामान्य नियमों को जानें, उन्हें प्रयोग करें व अपने रहन-सहन को उनके अनुकूल बनावें।

(3) वे स्वच्छता के नियमों का पालन करें व वातावरण को भी शुद्ध रखें।

(4) वे शुद्ध वायु पर्याप्त प्रकाश, व सूर्य शक्ति के महत्व से अवगत हों व जीवन के लिए उनकी आवश्यकताओं से अवगत हों।

(5) उनमें सन्तुलित व पौष्टिक आहार ग्रहण करने व स्वास्थ्य के लिए उनकी उपादेयता की आदत का विकास हो।

(6) वे यह जान सकें कि पेड़ पौधे वन-सम्पदा एवं वन्य प्राणी मानवीय वातावरण के अभिन्न अंग हैं एवं उन्हें व्यर्थ ही नष्ट न करें उनकी सुरक्षा एक गहन उत्तरदायित्व है।

विज्ञान व गणित—पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा बालक म ऐसी कुशलताओ एव अभिवृत्तियो का विकास किया जाता है जो उस अपन चारो ओर के जैविक, भौतिक वातावरण का समझने के लिए आवश्यक होती है। प्रकृति के साधनो का उपयोग यदि सावधानीपूवक न किया गया तो घातक असतुलन उत्पन्न होगा। इस प्रकार पर्यावरणीय अध्ययन के अन्तगत बालक-बालिकाओ को वायु प्रदूषण, अपोषण, प्राकृतिक साधनो की सुरक्षा तथा पोषक भोजन की कमी जैस तत्वो का विज्ञान क अन्तगत पढाया जाना चाहिए। इट, खिडकी, दरवाजे, फल-फूल, तितली, पौधे वृक्ष आदि के द्वारा जोड-घटाना, गुणा भाग, सिखाया जा सकता है।

समाजिक विज्ञान—इसम प्राकृतिक व सामाजिक दोनो परिवश सम्मिल है।

भाषा शिक्षा—भाषा आत्मभिव्यक्ति का सवशक्तिमान साधन है। इसम सवेदनशाल सामान्य चिन्तन स लेकर गहन तक एव विचार-विमर्ष एव निणय शक्ति की मानसिक योग्यताओ का एकीकृत समावेश रहता है जो आयु व अनुभव की वृद्धि के साथ विकसित होता है। पर्यावरणीय शिक्षा म भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। इसमे निम्नलिखित बातो का ध्यान रखना होगा—

(1) पुस्तकें उपयुक्त तैयार की जायें, इनम सशोधन, परिवतन परिवधन किया जाय।

(2) शब्द भडार पर्याप्त हो।

(3) पाठय-सामग्री बच्चो के दैनिक जावन से सम्बन्धित हो।

(4) स्थानीय पर्यावरण का ध्यान म रखा जाय।

मध्य प्रदेश म पर्यावरणीय शिक्षा के क्रान्तिकारी कदम का शुरूआत की गई है।

# दूरदर्शन द्वारा शिक्षा

*(Education through Television)*

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास करना है। प्रजातांत्रिक देश के सुयोग्य नागरिक तैयार करना हमारी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है अत कक्षा में परम्परागत पुस्तकों का अध्ययन, अध्यापन ही पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा की प्रक्रिया को व्यावहारिक जगत के अधिक निकट लाना होगा, तथा ज्ञान बढ़ाने मे सभी उपलब्ध साधन अपनाने होंगे। आज विज्ञान और तकनालॉजी का युग है। आज की दुनियाँ म आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और टकनालॉजी का ज्ञान होना किसी भी देश का अपनी गरीबी और बेकारी दूर करने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब कई गुना शालाएँ बढ गई हैं, छात्र संख्या कई गुनी हो गई है। हमें शिक्षा, अध्यापन के क्षेत्र म भी परिवर्तन करना होगा। हमें अध्यापन के परम्परागत तरीके बदलने होंगे। टेलीविजन, रेडियो से शिक्षा दी जाने लगी है।

वर्तमान विज्ञान के युग में विकासशील देश के लिए आवश्यक है कि वहाँ के नागरिक एव भावी नागरिक आधार भूत वैज्ञानिक सिद्धान्तों की जानकारी रखें तथा उनम वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो। इस उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर भारत शासन ने शालाओं में विज्ञान एव गणित को अनिवार्य विषय के रूप मे पढाने का निश्चय किया। इस दिशा मे नए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित किया गया। इस पाठ्यक्रम को विभिन्न राज्यो ने अपनी-अपनी सुविधा एव स्थिति अनुसार सशोधित कर अपना लिया है। मध्य प्रदेश मे इस कार्य के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित हुई कि अधिकाश शिक्षक जो प्राथमिक एव मिडिल स्कूलों मे हैं वे विज्ञान, गणित विषयों में निष्णात (Expert) नहीं हैं। हमारे स्कूल भी ग्रामीण अचलो के दूर दराज क्षेत्रों मे हैं, जहाँ विज्ञान अथवा अन्य विषयो की शैक्षणिक सुविधा भी नहीं है। अत बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की दिशा मे हमने दूरदर्शन का उपयोग किया।

दूरदर्शन का शिक्षा में प्रयोग—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा देने का प्रथम प्रयोग अमरीका मे हारवर्ड विश्वविद्यालय के हरोल्ड हुट महोदय ने किया।

उन्होंने परम्परागत शिक्षण से हट कर दूरदर्शन (Television) का उपयोग किया। अनेक विरोधों के उपरान्त इसे सभी लोगों ने स्वीकार किया कि टेलीविजन, शिक्षा देने के लिए आधुनिकतम उत्तम साधन है। प्राय सभी विकसित एव विकासशील देश शिक्षा देने के लिए दूरदर्शन का उपयोग कर रहे हैं।

म० प्र० मे 1 अगस्त 1975 से अमेरिकी उपग्रह एस० टी० एस० 6 से दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। जहाँ एक ओर पिछड़े हुए गाँवों के प्राथमिक स्तर के बालकों को सामान्य विज्ञान पढ़ाने के लिए दूरदर्शन का प्रयोग किया गया वहीं एक साथ कम समय मे एव कम खर्च मे अधिक से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को पाठ्यवस्तु और पाठ्यविधि मे प्रशिक्षण हेतु भी दूरदर्शन का प्रयोग किया गया। आधुनिक समस्याओं के हल के लिए अन्तरिक्ष तकनीकी के अनुप्रयोग के प्रयत्नों का यहीं से प्रारम्भ हुआ। लिखने-पढ़ने के पाठों का उपग्रह के माध्यम से प्रसारण हुआ। उसी उपग्रह से ग्रामीण आम जनता के लिए कृषि, तकनीकी, सिंचाई, पोषण, भोजन की तैयारी, अन्न संरक्षण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, शिशुओं की देखभाल, तथा अन्य ऐसे ही विषयों सम्बन्धी निर्देश प्रसारित हुए जिससे कि उनका जीवन स्तर उठे। विषयों की विविधता तथा जन जीवन से सम्बद्धता के कारण ही यह उपग्रह "लोकों मुख उपग्रह" की ख्याति अर्जित कर सका।

मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्र छत्तीसगढ को उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग हेतु चुना गया। छत्तीसगढ अंचल के 400 ग्रामों मे दूरदर्शन सैटों की स्थापना की गई। रायपुर जिले मे 169 केन्द्र, दुर्ग जिले मे 90 केन्द्र, राजनांदगाँव जिले मे 58 केन्द्र, बिलासपुर जिले मे 83 केन्द्र, इस प्रकार कुल 400 केन्द्र खोले गए और 1 अगस्त 1975 से ही दूरदर्शन के माध्यम से प्रातःकाल प्राथमिक शालाओं के लिए तथा सायंकाल प्रौढ़ों के लिए रोचक और ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। सन् 1975 के अक्टूबर मे सभी 400 दूरदर्शन केन्द्रों मे 4000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए 12 दिवसीय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमे प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र के 10 शिक्षकों का एक टीचर मानीटर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। टीचर मानीटरों को पूर्व में ही रा० शै० अ० प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उन्मुखीकृत किया गया था। जुलाई 1976 मे 4000 शिक्षकों का भी विज्ञान प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार कुल 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

उपर्युक्त 400 शालाओं मे जिनमे यह दूरदर्शन का प्रयोग चला उनमे 50,000 छात्र पढ़ते थे। 196 दिनों तक प्रतिदिन $22\frac{1}{2}$ मिनट का दूरदर्शन

कार्यक्रम दिखाया गया, दूसरे शब्दों मे छात्रों ने 73 घंटो के दूरदर्शन कार्यक्रम का लाभ उठाया। ये कार्यक्रम 5 से 12 वर्ष के बच्चों ने एक साथ देखे। यह भी पहले से सोचा गया था कि शाला के बाहर के बच्चे भी इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें इस दृष्टि से यह प्रयत्न किया गया कि कार्यक्रमों को कक्षा शिक्षण तक ही सीमित न रखा जाय। अतः ये कार्यक्रम बच्चों के लिए प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री के रूप में ही रखे गए। फिर भी अधिकांश कार्यक्रम ऐसे थे जो प्राथमिक शाला पाठ्यक्रम से सीधे सम्बद्ध थे। दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ, शिक्षकों को जो पढ़ाने में सहायता मिली वह शिक्षा जगत के लिए अभूतपूर्व है।

म० प्र० में दूरदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ—1 अगस्त 1957 से 31 जुलाई 1976 तक जो दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा का प्रयोग किया गया उसकी निम्नांकित उपलब्धियाँ हुईं—

(i) शिक्षकों और छात्रों को वैज्ञानिक धारणाओं को अधिक स्पष्ट करने में सहायता मिली।

(ii) बालक क्रियाकलापों तथा सामूहिक चर्चाओं में सम्मिलित हुए।

(iii) बच्चों के आचरण में परिवर्तन आया।

(iv) शिक्षा के प्रति बालकों में लगाव पैदा हुआ।

(v) विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्धि।

(vi) कक्षाओं में उपस्थिति में वृद्धि।

(vii) विज्ञान की ओर विद्यार्थियों की अभिरुचि।

(viii) स्वतः निर्मित उपकरण निर्माण करने के कौशल में वृद्धि।

(ix) छात्रों में समस्या निवारण-मूलक प्रवृत्ति का जागरण।

(x) शिक्षकों का प्रशिक्षण।

हमारा देश और प्रदेश गाँवों में दूर-दूर फैला हुआ है अतः दूरदर्शन द्वारा शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व और आवश्यकता है।

दूरदर्शन द्वारा शिक्षा से लाभ—आज का युग तकनीकी और वैज्ञानिक छलांग का युग है। हमें परम्परागत और दकियानूसी विधियों का त्यागकर वैज्ञानिक विधियों और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा से निम्नलिखित लाभ हैं—

1 शिक्षा प्रसार का द्रुतगामी साधन—हमारा देश गाँवों में बसा है। अभी भी काफी बड़ी संख्या अशिक्षित है। म० प्र० में स्थिति और भी

चिन्तनीय है। 6-14 आयुवर्ग के 60% ही बालक/बालिकाएँ शालाओं में हैं। दूर-दूर तक फैले ग्रामीण अचलों के बालकों, प्रौढ़ों को शिक्षा देने, शिक्षकों का प्रशिक्षित करने के लिए दूरदर्शन एक अत्यंत उपयोगी साधन है।

2 अछूते स्थानों, वस्तुओं का ज्ञान—सभी विषयों में ऐसे-ऐसे स्थानों, वस्तुओं का वर्णन होता है जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं है और न कभी देख सकते है। दूरदर्शन द्वारा उनका ज्ञान कराया जा सकता है। कार्य और प्रक्रियाएँ उन्हें स्पष्ट चित्रों द्वारा समझाई जा सकती हैं।

3 कक्षा अध्यापन आकर्षक और सरल—दूरदर्शन द्वारा कक्षा अध्यापन को काफी रोचक और सरल बनाया जा सकता है। विद्यार्थी दूरदर्शन द्वारा शिक्षण मे काफी रुचि लेते हैं और पढ़ाई हुई वस्तु को हृदयगम कर लेते हैं।

4 छात्रों के लिए रोचक—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा मे छात्रगण थकते नहीं हैं उन्हें पाठ या पाठ्यवस्तु रोचक लगते है। बिना ऊब हुए वे घटों मन लगाकर पढ़ सकते हैं।

5 छात्रों की उपस्थिति मे वृद्धि—हमारी शालाएँ अनाकर्षक हैं, पढ़ाने की विधियाँ पिटी-पिटाई है। अत छात्र शालाओं मे नहीं आते हैं, लेकिन दूरदर्शन द्वारा शिक्षा उन्हें रोचक लगती है, अत उपस्थिति मे आशातीत वृद्धि होती है।

6 दर्ज संख्या मे वृद्धि—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा देने मे दर्ज संख्या में काफी वृद्धि होती है। कार्यक्रमों म मनोरंजन, दृश्य, श्रव्य सभी तत्व रहते हैं, अत बालक अधिक से अधिक शालाओं म भर्ती होते हैं।

7 दृश्य और श्रव्य दोनो इन्द्रियों का सक्रिय होना—शिक्षक जब कक्षा मे पढ़ाता है तो बालक केवल सुनते रहते हैं, लेकिन दूरदर्शन मे वे सुनते भी हैं और देखते भी है। अत उनका मन ज्यादा एकाग्र रहता है।

8 दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास—दूरदर्शन के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्र नेताओं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम केवल रेडियो पर सुन लेते हैं, सुनने से उतना असर नहीं होता जितना प्रत्यक्ष देखकर और सुनकर होता है। इस दृष्टि से दूरदर्शन का अपना विशेष महत्व है।

9 बालकों का सामूहिक चर्चाओं मे सलग्न होना—दूरदर्शन का कार्यक्रम देख सुनकर बालक फिर सामूहिक चर्चाओं मे सलग्न होते हैं, आपस में

चर्चाएँ करत हैं और इस प्रकार उनम चर्चा करन एव तर्क शक्ति को बढाने म सहायता मिलती है।

दूरदर्शन द्वारा शिक्षा की हानियाँ—जहाँ एक ओर दूरदर्शन, शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है वही दूसरी ओर उसक उपयोग की हानियाँ भी हैं।

1 प्रतिक्रिया का अभाव—शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षक प्रेरणा देता है और छात्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। दूरदर्शन द्वारा वह प्रेरणाएँ तो मिलती रहती हैं किन्तु वह अपना प्रतिक्रिया व्यक्त नही कर पाता है। शिक्षा वास्तव म क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा ही होती है।

2 शिक्षा बोझिल और द्रुतगामी—दूरदर्शन द्वारा शिक्षा इतना जल्दी-जल्दी दी जाती है कि छात्र प्रतिक्रिया व्यक्त न कर पान से बोझिल हो जाता है, शिक्षा की गति इतनी तीव्र होती है कि वह समझ नहीं पाता है।

3 शिक्षक के व्यक्तित्व का अभाव दूरदर्शन द्वारा शिक्षा म शिक्षक न होने से छात्रो को शिक्षा एक यान्त्रिक जैसी मालूम होती है। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्रों पर पडता है, उसके आचार-विचार, वेशभूषा से छात्र प्रभावित होता है। अत शिक्षक के प्रति जो श्रद्धा का भाव होता है वह इसमे नही होता है।

4 छात्र शिक्षक सम्पर्क का अभाव—इसम छात्र और शिक्षक का सम्पर्क ही नही हो पाता है। छात्र अपने शिक्षक का देखता है और शिक्षक अपने छात्रो को। अध्यापन विधि तदनुसार तब्दील की जा सकती है। शिक्षक, छात्रो की व्यक्तिगत भिन्नताओ कठिनाइयो का भी ध्यान रखता है जब कि दूरदर्शन द्वारा शिक्षा म सभव नही है।

5 छात्रो की समस्याओ का उचित हल नहीं—शिक्षक जब कक्षा म शिक्षण करता है तो शका समाधान भी करता जाता है लकिन दूरदर्शन म केवल सूचनाए, ज्ञान की बात ही बताई जाती है बीच मे शका समाधान करने का छात्र को अवसर नही मिलता है। शिक्षण क समय हम छात्रो की प्रवृत्तिया, मनोवृत्तियो का निर्माण करत हैं। यह सभी बाते छात्रो और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष विचारो के आदान-प्रदान द्वारा ही सभव है।

6 सभी छात्रो को एक जैसी शिक्षा—छात्रो का मानसिक स्तर अलग-अलग होता है, अलग अलग वातावरण स भी छात्र आए हुए होते हैं,

शिक्षक अपने छात्रों की व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का निवारण करता है। लेकिन दूरदर्शन द्वारा सभी स्तर के बालकों को एक ही समय एक जैसी शिक्षा दी जाती है जो ठीक नहीं कही जा सकती है।

उपर्युक्त लाभ और हानि के मुद्दों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि दूरदर्शन द्वारा हानियाँ हैं लेकिन लाभ अधिक हैं, वैज्ञानिक युग में हम नवीनतम शैक्षिक उपकरणों साधनों का उपयोग करना ही चाहिए। रही बात इसकी कि हमारा देश गरीब देश है और जो काम सस्ते में और सरलता से हो सकता है उसमें मँहगे उपकरण साधन आवश्यक प्रतीत नहीं होते हैं। जीवन के मूल्य भी कुछ होते हैं। सभी चीज यांत्रिक विधि से चलने लगे तो जीवन नीरस हो जायगा और उसमें रसता का अभाव हो जायगा। शिक्षा द्वारा जो जीवन के सही मूल्य, प्रेम, दया, स्नेह आदर समर्पण के भाव पैदा होते हैं, वे सभी बंद हो जायगे, फिर जीवन में रह ही क्या जायगा? इसी भौतिकता के कारण हमारे प्राचीन गुरुकुलों और आज के स्कूलों में कितना फर्क आ गया है। दूरदर्शन आए तो आए हमारे गुरुओं की परम्परा नहीं टूटनी चाहिए।

o

# पढ़ो और कमाओ योजना

(Learn and Earn Scheme)

हमारा अतीत भी अच्छा था, भविष्य भी अच्छा होगा लेकिन हम लगता है कि वर्तमान मे ही हम कहीं भटक गए हैं। अंग्रेजों के समय से मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का हम ढोल पीटते आ रहे हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली मे बदलाव नहीं कर पाया है। शालाएं खोली, छात्र संख्या और शिक्षक संख्या में वृद्धि हुई, साक्षरता बढ़ी लेकिन ठीक इसके विपरीत भयंकर बेरोजगारी और निरक्षरता भी बढ़ी है। अपने व्यव साय को छोड़कर बालक बालिकाएं पढ़कर नौकरी की तलाश मे दौड़ने लगे। कहावत चरितार्थ हो गई कि "अधिक पढे सो घर से गए, थोड़ पढ़े सो हल से गए"। हमारी सारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था-अस्त व्यस्त सी हो गई है।

वस्तुत ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह व्यावहारिक हो। ज्ञान के द्वारा हमारे संस्कारों, कार्यों एवं व्यवहार का परिष्कार होता है। हमारी प्राचीन शिक्षा "जीवन के लिए शिक्षा" थी। वह शिक्षा व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध थी, उसमे ज्ञान और कर्म एक सूत्र मे बंधे थे। उस समय गुरुकुल प्रणाली मे भी छात्रगण विद्या अध्ययन करते थे और अपना काम भी स्वयं करते थे। इस प्रकार अध्ययन के साथ स्वावलम्बन की शिक्षा भी उन्हें मिलती थी।

जैसा हम जानते हैं कि मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल कार्यालीय काय के लिए क्लर्क और अफसर पैदा करना मात्र था, अत शिक्षा का समाज, श्रम, उत्पादकता और व्यावहारिक कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। शिक्षित वर्ग श्रम, ग्राम्य जीवन और उत्पादकता से अलग होता गया। अत अंग्रेजी शासन काल से ही शिक्षाविदों ने शासन का ध्यान इस और आकर्षित करने के प्रयास किए कि शिक्षा को व्यावसायोन्मुखी बनाया जाय।

1 वुड का शिक्षा डिस्पेच (1854 ई०)—वुड्स डिस्पेच मे कहा गया कि वतमान शिक्षा पुस्तकीय है अत व्यावसायिक शिक्षा एव हाथ से काय करने अर्थात् हस्तकला की शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी।

2 हन्टर कमीशन (1882)—इसके बाद हन्टर कमीशन द्वारा भी शिक्षा को व्यावसायोन्मुखी बनाने की सिफारिश की गई थी किन्तु तत्कालीन शासन ने इस ओर कतई ध्यान नही दिया। इसके उपरान्त नियुक्त शिक्षा आयोग ने टेक्नीकल और औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र मे कुछ अनुशसाएँ की किन्तु व्यावसायिक शिक्षा की दिशा म कोई प्रयास नहीं किए गए।

3 एवट एव वुड रिपोट—1936 के आसपास जब बडी सख्या म विश्वविद्यालयीन स्नातकों को रोजगार न मिलने या उनमे चयन न हो सकने की समस्या उत्पन्न हुई तब तत्कालीन ब्रिटिश शासन न दो शिक्षाविदो एव एवाट एव वुड को शिक्षा के पुनर्गठन खास तौर पर व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओ का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। एवाट एव वुड की अनुशसाओ का यह प्रभाव हुआ कि नए ढग की तकनीकी सस्थाएँ खोली गई जिन्हे आजकल पोलीटेकनीक कहा जाने लगा है। किन्तु हमारी जनसख्या वृद्धि सामान्य शिक्षा और उससे बढती बेरोजगारी के कारण व्यावसायिक शिक्षा की दिशा मे शासन द्वारा की गई नाम मात्र की यह पहल कारगर सिद्ध नहीं हुई।

4 महात्मा गाधी की बुनियादी शिक्षा एव वर्धा सम्मेलन—हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शिक्षा का व्यावसायोन्मुखी बनाने की भरसक चेष्टा एव अपील की। स्वय भी शिक्षा विद होने के नाते बुनियादी शिक्षा को प्रतिपादित किया जिसमे शिक्षा को ग्रामोन्मुखी बनाने, उत्पादन से सम्बद्ध करने और हस्तकौशल प्रधान बनाने की ओर जोर दिया गया था। उनका कहना था कि उत्पादन कार्य को न केवल शालेय पाठ्यक्रम मे रखा जाय बल्कि शिक्षा को उद्योग केन्द्रित बनाया जावे।

महात्मा गांधी के नई तालीम के शिक्षा दर्शन को काय रूप में परिणित करने के लिए अक्टूबर 1973 मे राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया जिसमे निम्नानुसार प्रस्ताव पारित हुआ। "यह सम्मेलन महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समथन करता है। इस 7 वष की कालावधि तक शिक्षा का स्वरूप किसी न किसी प्रकार शारीरिक एव उत्पादन कार्य से जोडा जाना चाहिए और अन्य सभी क्षमताओं का विकास अथवा प्रशिक्षण जहाँ तक बालक के वातावरण से सम्बन्धित हस्त उद्योग ( शिल्प ) के अनुकूल

चाहिए।" वैसे गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा रूस में पोलीटक्नीकल प्लान से सैद्धातिक एव व्यावहारिक दोनों पक्षो में समान थी। आज रूस म पोलाटेक्नीक्ल स्कूला का एसा जाल सा बिछा है कि उनकी सारी शिक्षा व्यावसायो मुखी हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि हम गाँधी जी की बुनियादा शिक्षा को ठीक ढग से लागू नही कर सके।

5 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) एव उद्योग—भारत की स्वाधीनता के बाद ही नियुक्त सेकण्डरी एज्युकेशन कमीशन जिसे मुदालियर कमीशन कहा जाता है, न भी व्यावसायिक शिक्षा की दिशा मे देश को उ मुख करन के लिए प्रत्येक उच्चतर ।माध्यमिक शाला म उद्योग विषय को अनिवाय रूप से पढाए जान पर बल दिया था। इसका उद्देश्य यह था कि महात्मा गाधी का बुनियादी शिक्षा का तारतम्य उच्च शिक्षा तक चल सके एव इन उद्योगो के माध्यम से छात्र अपने भावी व्यवसाय की ओर व्यवहारिक रूप से उन्मुख हो सकें। हमारे साधनो की कमी, रुचि का अभाव, उद्योगो का गलत चयन के कारण हमें कोई लाभ नही मिल सका। हमारी शिक्षा की आलाचना और भी तीव्रतर होती गइ।

6 शिक्षा आयोग (1964-66) एव कार्यानुभव—प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक तालमल रखन और समरसता स्थापित करने क उद्देश्य से गठित 'शिक्षा आयोग' (1964-66) जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है, न भी उत्पादक काय को शिक्षा का एक अविभाज्य अग के रूप मे स्वीकार किया है। प्राद्योगिकी एव वैज्ञानिक उपकरणो की बढती हुई आवश्यकता की दृष्टि से कोठारी आयोग न महात्मा गाँधी को बुनियादी शिक्षा एव माध्यमिक शिक्षा आयोग के 'उद्याग' को कार्यानुभव के नाम से सम्बोधित किया। प्रारभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक 'कार्यानुभव' की उपादयता पर बल देते हुए आयोग न उसे वर्तमान तकनीक से निकटता के साथ सम्बद्ध करने की अनुशसा की है। प्राकृतिक वातावरण मे कल-कारखानें अथवा कृषि क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से काय करन का सुझाव ही आयोग ने दिया है एव उसी दिशा मे अधिक प्रवीणता उपलब्ध कर छात्र अपनी आजीविका का साधन भी उसे बनावे। इस क्रम म 10+2+3 पद्धति की अनुशसा भी आयोग द्वारा की गई है। आयोग द्वारा अनुशसित कार्यानुभव का अथ विद्यालय, घर, कृषि शाला, खेत या कारखाना मे आयोजित उत्पादन काय या इसी प्रकार की किसी उत्पादन स्थिति म भाग लेना है। एक सुव्यवस्थित कार्यानुभव कार्यक्रम के द्वारा उच्च कक्षाओ म नगद या उत्पादित द्रव्य के रूप म कुछ आय है

की संभावना है जिससे बालक अपना खर्च भी चला सकता है। कार्यानुभव की शिक्षा किताबी ज्ञान की अपेक्षा हाथ से काम पर ज्यादा बल देती है। इस प्रकार यह गांधी जी की विचार धारा से मेल खाती है।

7 ईश्वर भाई पटेल समिति एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य—जून 1977 में गठित "ईश्वर भाई पटेल समिति" ने शिक्षा में कार्यानुभव की उपयोगिता एवं उपादेयता को तो स्वीकार किंतु उसने यह अनुभव किया कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वह वर्तमान साधनों की दृष्टि से अधिक महत्वाकांक्षी योजना प्रतिभासित होती है। अतः इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अनुशंसा सहित उसे "समाजोपयोगी उत्पादक कार्य" का नाम दिया तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उसे अनिवार्य स्थान देने की सिफारिश की।

8 राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977—श्री ओम नारायण की अध्यक्षता में 18 से 20 दिसम्बर 1977 तक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में अनुशंसा की गई कि शाला समय का 50 प्रतिशत समय उत्पादक, रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए।

म० प्र० की पढ़ो कमाओ योजना—महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का आधार उद्योग एवं 'शिक्षा आयोग' की कार्यानुभव की सिफारिशों को वास्तविक असली जामा पहनाने में अग्रणी होने का कार्य हमारे प्रदेश में वर्ष 1978 में "पढ़ो और कमाओ योजना" प्रारम्भ कर किया गया। मध्य प्रदेश के शालेय शिक्षा जगत में 2 अक्टूबर 1978 गांधी जयन्ती दिवस एवं अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण दिवस है। इस ऐतिहासिक दिवस पर छह केन्द्रों–रायपुर, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, सीहोर और खरगौन स्थित शा० उ० मा० विद्यालयों में छात्रों के लिए एक नवीन 'पढ़ो कमाओ योजना' प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में इन केन्द्रों पर उद्योग विभाग के निर्देशन में टाट पट्टी एवं चाकस्टिक निर्माण होता है। उत्पादक कार्य करने वाले छात्रों, निर्देशकों को उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। अतः शालेय शिक्षा में यह एक क्रांतिकारी योजना है जिसके तहत बच्चे पढ़ने के साथ-साथ कुछ अर्जित भी करते हैं और स्वावलम्बन का पाठ भी सीखते हैं।

लोक शिक्षण संचालक म० प्र० ने जुलाई 1979 में इस योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। समिति के सदस्यों ने स्कूल शिक्षक एवं अभिभावकों से साक्षात्कार किया एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत

शिक्षा सचिव, लोक शिक्षा संचालक एवं खादी ग्रामोद्योग परिषद के प्रबंध निदेशक ने इसका परीक्षण किया। सभी पहलुओं पर विचार कर एवं सभी ओर से समर्थन प्राप्त होने पर शिक्षा में लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से शिक्षा विभाग म० प्र० ने इस योजना के अविलम्ब क्रियान्वयन का निर्णय लिया। तदनुसार 2 अक्टूबर 1979 को 101 टाटपट्टी एवं 101 चाकस्टिक बनाने के उत्पादन केन्द्र खोले गए। प्रदेश की शालाओं में इस योजना के प्रति अपार उत्साह है। 30 जून 80 तक इन उत्पादन केन्द्रों पर 10 लाख रुपया का टाटपट्टी एवं डेढ़ लाख रुपया की चाकस्टिक तैयार की जा चुकी है।

योजना की आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि—काम, उद्योग, उत्पादक काम, कार्यानुभव या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पूर्ण रूप से मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक बालक में रचना, संग्रह एवं आत्मदर्शन की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक उत्पादक या रचनात्मक कार्य में बालक की उपर्युक्त प्रवृत्तियों के प्रकाशन का सर्वाधिक अनुकूल अवसर उपलब्ध होता है। फिर भी इतने बड़े अन्तराल के बाद भी बालकों को इस ओर उन्मुख नहीं किया जा सका यह एक चुनौती है। महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा से लेकर वर्तमान ईश्वर भाई पटेल समिति तक सभी शिक्षा विद, आयोग, उत्पादक काम रचनात्मक काम की उपादेयता, आवश्यकता को बताते चले आ रहे हैं। शिक्षा विदों के मार्ग-दर्शन, तथा शासन द्वारा पहल किए जाने के बाद भी उत्पादक काम अपने सही रूप में क्यों नहीं उभर कर आ सके? यह एक समस्या थी जिसके कारण इस समस्या का निकटता से अध्ययन आवश्यक समझा गया।

म० प्र० में मार्च 1980 तक 60 हजार प्राथमिक शालाएं (जिनमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र शामिल हैं) 10,071 पूर्व माध्यमिक शालाएँ थी। सामान्यतः प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र टाटपट्टियों पर बैठते हैं। हमारे पास इतना बजट प्रावधान नहीं रहता है कि सभी शालाओं को न्यूनतम आवश्यकता—टाटपट्टी और चाक उपलब्ध करा सकें। शासकीय प्रयास एवं जनसहयोग का दोहन करने पर भी समस्या की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी तरह इन शालाओं के लिए एक करोड़ मूल्य का चाकस्टिक खरीदी जाती है। मध्य प्रदेश में चाकस्टिक उत्पादन के लिए कोई बड़ा उद्योग केन्द्र नहीं है। सन् 1937 से म० प्र० में बुनियादी शिक्षा का आरम्भ हुआ था, तब से शालाओं में उत्पादक काम को प्रोत्साहन देने के लिए अविरल प्रयत्न किए जाते रहे हैं। सन् 1966 में शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बाद शालाओं में कार्यानुभव को प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को प्रारम्भ करते

की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप राज्य ने समाजोपयोगी कार्य (एस० यू० पी० डब्ल्यू) के अन्तर्गत एक विस्तृत योजना विकसित करने का प्रयास किया है। वस्तुत "पढो और कमाओ" योजना इसी प्रयास का एक नया स्वरूप है।

योजना के उद्देश्य—पढो और कमाओ योजना के निम्नानुसार उद्देश्य हैं—

1 प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण मे सहायक—हमारी वर्तमान शिक्षा बालक के जीवन और समाज की आवश्यकताओ और आकाक्षाओ से जुडी हुई नही है। सविधान मे किए गए वायदे कि 6-14 आयु समूह के बालको की प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराई जाय, को पूरा नही कर सके हैं। 6-14 आयु वर्ग के लगभग 50 प्रतिशत ही बालक-बालिकाएँ शालाओ मे आ सके हैं और इतने ही शालाओ के बाहर हैं। कारण स्पष्ट है कि बालक अपने माता पिता के साथ जीविकोपार्जन मे लगे रहते हैं और शिक्षा उन्हे उतनी तत्काल फलदायी नही दिखती है। 'पढो कमाओ योजना' से उन्हे पढने के साथ साथ अर्थ की प्राप्ति भी होगी। अत बालक शालाओ मे आयेंगे और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

2 शिक्षा मे क्षति और अवरोध का निदान—बालक इसलिए शाला छोड देते हैं कि वे अपने माँ बाप का घरेलू कार्यों में सहायता करते है। प्राथमिक स्तर आते-आते लगभग 60 प्रतिशत से भी अधिक बालक शाला छोड देते है, आठवी तक तो लगभग 75 प्रतिशत छोड देते है। इस प्रकार शिक्षा मे काफी क्षति की स्थिति निर्मित हुई है। इस योजना मे चूकि बालको को पारिश्रमिक मिलना है अत इस समस्या पर काबू पाया जा सकेगा।

3 सृजनात्मक क्षमता का विकास—आज की शिक्षा जो केवल पुस्तकीय हैं उनसे बालक का सर्वांगीण विकास नही हो पाता है, छात्रो को कार्य का अवसर नही मिलता है। इस योजना से छात्र, कार्यों मे व्यस्त रहेंगे। अभी टाटपट्टी, चाक का निर्माण हो रहा है आगे अन्य काष्ठकला आदि के काय भी करेंगे। इस प्रकार उत्पादक कार्यों मे कार्यरत रहकर छात्रो मे कौशल का विकास होगा एव उनमे सृजनात्मक भाव विकसित होगा।

4 बालक/बालिकाओ को स्वावलम्बन की ओर उन्मुख करना—इन उत्पादक कार्यों को करते हुए बालक अध्ययन के साथ साथ कुछ अर्जित भी करेंगे जिससे उनके व्यय की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार वे अपने छात्र जीवन मे तो स्वावलम्बी बनेंगे ही साथ उनमे प्रवीणता प्राप्त कर अपनी जीविका भी भावी जीवन मे चला सकेंगे।

शिक्षा सचिव, लोक शिक्षा संचालक एवं डायरेक्टर, ग्रामोद्योग परिषद के प्रबंध निदेशक ने इसका परीक्षण किया। सभी ने अनुभूति पर विचार कर एवं इस ओर से स्पष्ट ज्ञात हुआ। पर शिक्षा के लोक व्यवहार, डायरेक्टर के उद्देश्य से शिक्षा विभाग म० प्र० में इस योजना के परिणाम क्रियान्वयन का निर्णय लिया। तदनुसार 2 अक्टूबर 1979 को 101 टाटपट्टी एवं 101 चाकस्टिक बनाने के उत्पादन केन्द्र खोले गए। अन्य भी शालाओं में इस योजना के प्रति अपार उत्साह है। 30 जून 80 तक इन उत्पादन केन्द्रों पर 10 लाख रुपयों की टाटपट्टी एवं 32 लाख रुपयों की चाकस्टिक तैयार की जा चुकी है।

योजना की आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि—कार्य, उद्योग, उत्पादक कार्य, कार्यानुभव या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पूर्ण रूप से मनोविज्ञान पर आधारित है। बालक बालक में रचना, संग्रह एवं आत्मदर्शन की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इस दृष्टि से उत्पादक या रचनात्मक कार्य में बालक की उक्त प्रवृत्तियों के प्रकाशन का सर्वाधिक अनुकूल अवसर उपलब्ध होता है। फिर भी इतने बड़े अन्तराल के बाद भी बालकों को इस ओर उन्मुख नहीं किया जा सका यह एक चुनौती है। महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा से लेकर वर्तमान ईश्वर भाई पटेल समिति तक सभी शिक्षा विद्, आयोग, उत्पादक कार्य रचनात्मक कार्य की उपादेयता, आवश्यकता को बताते चले आ रहे हैं। शिक्षाविदों के सारे प्रयत्न, तथा शासन द्वारा पहल किए जाने के बाद भी उत्पादक कार्य अपने सही रूप में क्यों नहीं उभर कर आ सके? यह एक समस्या थी जिसके कारण इस समस्या का निराकरण से अत्यन्त आवश्यक समझा गया।

म० प्र० में मार्च 1980 तक 60 हजार प्राथमिक शालाएँ (जिनमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र शामिल हैं) 10,071 पूर्व माध्यमिक शालाएँ थीं। सामान्यतः प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र टाटपट्टियों पर बैठते हैं। हमारे पास इतना बजट प्रावधान नहीं रहता है कि सभी शालाओं को न्यूनतम आवश्यकता—टाटपट्टी और चाक उपलब्ध करा सकें। शासकीय प्रयास एवं जनसहयोग का दोहन करने पर भी समस्या की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी तरह इन शालाओं के लिए एक करोड़ मूल्य की चाकस्टिक खरीदी जाती है। मध्य प्रदेश में चाकस्टिक उत्पादन के लिए कोई बड़ा उद्योग केन्द्र नहीं है। सन् 1937 से म० प्र० में बुनियादी शिक्षा का आरम्भ हुआ था, तब से शालाओं में उत्पादक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए अविरल प्रयत्न किए जाते रहे हैं। सन् 1966 में शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बाद शालाओं में कार्यानुभव को प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को आरम्भ करने

की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप राज्य ने समाजोपयोगी कार्य (एस० यू० पी० डब्ल्यू) के अन्तर्गत एक विस्तृत योजना विकसित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः "पढ़ो और कमाओ" योजना इसी प्रयास का एक नया स्वरूप है।

योजना के उद्देश्य—पढ़ो और कमाओ योजना के निम्नानुसार उद्देश्य हैं—

1 प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक—हमारी वर्तमान शिक्षा बालक के जीवन और समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई नहीं है। संविधान में किए गए वायदे कि 6-14 आयु समूह के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराई जाय, को पूरा नहीं कर सके हैं। 6-14 आयु वर्ग के लगभग 50 प्रतिशत ही बालक-बालिकाएँ शालाओं में आ सके हैं और इतने ही शालाओं के बाहर हैं। कारण स्पष्ट है कि बालक अपने माता पिता के साथ जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और शिक्षा उन्हें उतनी तत्काल फलदायी नहीं दिखती है। 'पढ़ो कमाओ योजना' से उन्हें पढ़ने के साथ साथ अर्थ की प्राप्ति भी होगी। अतः बालक शालाओं में आयेंगे और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

2 शिक्षा में क्षति और अवरोध का निदान—बालक इसलिए शाला छोड़ देते हैं कि वे अपने माँ बाप का घरेलू कार्यों में सहायता करते हैं। प्राथमिक स्तर आते-आते लगभग 60 प्रतिशत से भी अधिक बालक शाला छोड़ देते हैं, आठवीं तक तो लगभग 75 प्रतिशत छोड़ देते हैं। इस प्रकार शिक्षा में काफी क्षति की स्थिति निर्मित हुई है। इस योजना में चूंकि बालकों को पारिश्रमिक मिलता है अतः इस समस्या पर काबू पाया जा सकेगा।

3 सृजनात्मक क्षमता का विकास—आज की शिक्षा जो केवल पुस्तकीय है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, छात्रों को कार्य का अवसर नहीं मिलता है। इस योजना से छात्र, कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अभी टाटपट्टी, चाक का निर्माण हो रहा है आगे अन्य काष्ठकला आदि के कार्य भी करेंगे। इस प्रकार उत्पादक कार्यों में कार्यरत रहकर छात्रों में कौशल का विकास होगा एवं उनमें सृजनात्मक भाव विकसित होगा।

4 बालक/बालिकाओं को स्वावलम्बन की ओर उन्मुख करना—इन उत्पादक कार्यों को करते हुए बालक अध्ययन के साथ साथ कुछ अर्जित भी करेंगे जिससे उनके व्यय की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार वे अपने छात्र जीवन में तो स्वावलम्बी बनेंगे ही साथ उनमें प्रवीणता प्राप्त कर अपनी जीविका भी भावी जीवन में चला सकेंगे।

5 पुस्तकीय ज्ञान को उत्पादक कार्य से जोड़ना—पुस्तकीय ज्ञान से केवल मानसिक विकास हो सकता है, शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के लिए उत्पादक कार्य ही अधिक उपयोगी होते हैं। इस प्रकार पुस्तकीय ज्ञान को उत्पादक कार्यों से सम्बद्ध कर इस योजना द्वारा बालक का समन्वित विकास हो सकेगा।

6 छात्रों को प्रायोगिकी की ओर उन्मुख करना—विकासशील देश में छात्रों को तकनीकी ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इन उद्योगों के माध्यम से हम अपने छात्रों में ऐसी प्रेरणा दे सकेंगे तथा ऐसी पृष्ठभूमि निर्मित कर सकेंगे कि भविष्य में वे कल कारखानों के लिए कुशल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हो सकें।

7 खाली समय का उचित उपयोग—शालाओं में खाली समय का स्वस्थ्य उपयोग करना शिक्षकों और छात्रों की समस्या रहती है। यदि बालकों को उनके खाली समय में उपयुक्त एवं रोचक उत्पादक कार्य मिल सके तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास तो करेंगे ही, समाज के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होंगे।

8 शाला के भवन, उपकरण और जनशक्ति का उपयोग—अभी शाला भवन उपकरणों और छात्र एवं शिक्षकों की शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता था। इस योजना से हमारे स्कूल जीवन्त कारखाने होंगे जहाँ ज्ञान के साथ बालकों को अर्थ प्राप्ति भी होगी। बालकों की फालतू शक्ति का उपयोग होगा। शाला में उपलब्ध उपकरणों का भी समुचित उपयोग होगा।

9 बालकों में श्रम की भावना का विकास—पढ़ लिखकर बालक श्रम से कतराते हैं। इस योजना द्वारा उन्हें अध्ययन के समय उत्पादक कार्य करते रहने से श्रम का महत्व ज्ञात होगा तथा उनमें श्रम की भावना का विकास होगा।

10 बेरोजगारी की समस्या का निदान—इससे बेरोजगारी की समस्या का स्वतः निदान हो जाता है। अध्ययन के समय भी बालक कुछ अर्जित करता है पढ़कर भी वह नौकरी के लिए भटकता नहीं फिरेगा।

11 पढ़ो और कमाओ की भावना का संगम—यह एक अद्वितीय संयोग होता है कि बालक उत्पादक कार्यों को करते, सीखते, ज्ञान प्राप्त करते हुए कुछ कमाते भी हैं।

12 अनुशासन की भावना का विकास—खाली रहने से दिमाग शैतान बनता है। कार्य करते रहने से बालक व्यस्त रहते हैं उनमें अनुशासन की भावना पैदा होती है।

13 भ्रातृत्व भावना का विकास—साथ-साथ काम करते रहने से आपस मे भाई चारे की भावना विकसित होती है।

14 छुआ छूत की भावना दूर होना—सभी बालक जब एक साथ काम करते हैं तो उनमे अपने ही आप छुआ-छूत की भावना हट जाती है सब मिल-जुल कर कार्य करते हैं।

15 स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ मस्तिष्क—बालक जब पढ़ने के साथ-साथ उत्पादक कार्य करेंगे तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ होने से मस्तिष्क भी सही दिशा म काम करेगा।

उत्पादक कार्यों को करने मे कठिनाइयाँ

1—आवश्यक पूजी का अभाव—देश के अन्य राज्यों के समान ही यद्यपि म० प्र० मे बुनियादी शिक्षा एव कार्योमुखी शिक्षा को अंगीकार किया गया था किन्तु इच्छित सफलता प्राप्त न होने का प्रमुख कारण आवश्यक पूँजी और उपकरणो का अभाव था। हमारे पास इतने वित्तीय प्रावधान नही हैं कि प्रत्येक शाला के लिए आवश्यक पूँजी और उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें। कच्चा माल प्राप्त करना भी समस्या है जिसके लिए पूजी आवश्यक होती है।

2—उत्पादित माल के विक्रय की समस्या—यह निश्चित है कि कुशल कारीगरों द्वारा उत्पादित अच्छे माल की अपेक्षा छात्रों द्वारा बनाया गया माल उतना आकर्षक नही होता है, अत माल के विक्रय की समस्या रहती है।

3—अभिप्रेरणा का अभाव—बालक उसी कार्य मे रुचि लेता है जिसमे उसे फायदा हो। निश्चित रूप से इन कौशलों का दीर्घगामी प्रभाव उनके भावी जीवन पर पडता है परन्तु अभी तक उनका तत्काल लाभ नही था अत कार्यानुभव विकसित नही हो सके। परिणाम-स्वरूप किसी म भी रुचि नही रही। गांधी जी ने बार-बार यह कहा था कि छात्रो को पारिश्रमिक मिलना चाहिए ताकि व स्वावलम्बी बन सके, किन्तु यह सम्भव नही हुआ।

4—प्रदेश में टाटपट्टी एव चाक के निर्माण के आधार—पढ़ो कमाओ योजना म प्रारम्भ में टाटपट्टी और चाक का निर्माण ही चुना गया है इसका मुख्य आधार यह है —

1—इन शैक्षिक वस्तुओं का प्रमुख उपभोक्ता स्वयं शिक्षा विभाग ही है, अतः इन चीजों के लिए बाजार खोजने की आवश्यकता नहीं है।

2—राज्य की अनेक बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं, शालाओं में टाटपट्टी और चाक स्टिक बनाने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं।

3—टाटपट्टी बनाने के लिए लकड़ी के करघे कम खर्चीले हैं और इनके रखरखाव तथा मरम्मत के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है।

4—कक्षा चौथी से 11वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी इन करघों पर आराम से कार्य कर सकते हैं और इन्हें बनाने के लिए कोई समस्याएँ उपस्थित नहीं होती हैं। लगभग एक सप्ताह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण इन करघों के संचालन के लिए पर्याप्त होता है।

5—टाटपट्टी बनाने की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है और उत्पादन केन्द्र छुट्टियों के दिन तथा शाला समय के पूर्व और बाद में खुले रखे जा सकते हैं ताकि अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें एवं धन कमा सकें।

6—चाकस्टिक भी शालाओं के लिए अत्यन्त आवश्यक है और शिक्षा-विभाग स्वयं इसका उपभोक्ता है।

7—चाक के निर्माण में लगने वाला साँचा कम खर्चीला और सरलता से चलाया जाने वाला है। इसके रख रखाव में भी कुछ खर्च नहीं होता है।

8—चाक बनाने के लिए आवश्यक जिप्सम पावडर अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान में उपलब्ध है और उसका लाना ले जाना भी सरल है।

9—प्रायः छात्राएँ चाक बनाने में अधिक रुचि लेती हैं और इसमें सामूहिक कार्य की भी गुंजाइश है।

10—जिप्सम पाउडर और पानी को समान मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण को साँचे में डाल दिया जाता है और पन्द्रह मिनट के बाद 100 चाकस्टिक, सुखाने के बाद दूसरे दिन के उपयोग हेतु तैयार हो जाती है।

11—इस प्रक्रिया में छोटे बच्चे विशेष रुचि लेते हैं तथा तात्कालिक परिणाम उन्हें उल्लास से भर देता है।

उत्पादन केन्द्रो के प्रकार—योजना के अन्तगत दो प्रकार के केन्द्र कायरत होंगे —

1—बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाएं—ये केन्द्र उत्पादन केन्द्रा के साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र के रूप म भी काय करेंगे । ये केन्द्र उन शिक्षको का भी प्रशिक्षित करेंगे जो बाद म पूव माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शालाओ मे प्रशिक्षक के रूप मे काय करेग । अत इन केन्द्रा को प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र ( ट्रेनिग-कम-प्रोडक्सन सेन्टर—टी०सी० पी० सी० ) कहा जायगा ।

2 उत्पादक केन्द्र—बाकी शालाएँ जहाँ केन्द्र होंगे व केवल उत्पादक केन्द्र होंगे ।

पारिश्रमिक—इसम छात्रो और प्रभारी शिक्षक दोना को पारिश्रमिक देने का प्रावधान है । बनाए गए माल के अनुपात म उन्हे पारिश्रमिक दिया जाता है ।

काय का समय—कार्य करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था है —

1—उद्योग के कालखण्ड म छात्र काम कर सकेंगे ।

2—दो पारी वाली शाला मे पहली बारी के छात्र दूसरी पाली मे और दूसरा पाली के छात्र पहली पाली मे काय करेग ।

3—अवकाश के समय या शाला समय के पूव या बाद मे, छुट्टी के दिन भी उद्योग कक्ष खुले रहेंगे और छात्र उत्पादन काय कर सकते हैं ।

प्रायोजना की प्रशासनिक व्यवस्था—इस प्रायोजना की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार का गइ है —

1—लोक शिक्षण सचालनालय म एक प्रकोष्ठ स्थापित है जिसम एक सहायक सचालक को इसका प्रभारी बनाया गया है ।

2—प्रत्यक सभागीय शिक्षा अधीक्षक कायालय म भी एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका काय एक अधिकारी देखना है ।

3—उत्पादन केन्द्रा की समस्याओ के निराकरण के लिए तथा सस्था मे जाकर मार्ग-दशन देन हेतु प्रत्यक सभाग मे एक-एक योग्य उद्योग-शिक्षक को निर्देशक के रूप मे नियुक्त किया गया है ।

4—म० प्र० खादी एव ग्रामोद्योग परिषद् की ओर से भी दो उद्योग विशेषज्ञ तथा एक अधिकारी इस काय की व्यवस्था को सुगम रूप से चलाने क लिए नियुक्त किए गए हैं ।

5—छात्रों के कार्य की प्रगति को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वर्ष में एक बार प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्था की गई है। संभाग में प्रथम आने वाले छात्रों तथा छात्राध्यापकों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। ये प्रतियोगिताएं राज्य शिक्षक प्रशिक्षक मण्डल के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आयोजित होंगी।

6—राज्य शिक्षा संस्थान में योजना के लिए मार्गदर्शन एवं योजना का मूल्यांकन करने के लिए "पढ़ो कमाओ योजना" प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

योजना का मूल्यांकन—इस योजना का मूल्यांकन 3 वर्ष के प्रयोग के बाद 1981 में किया जायगा। वैसे म० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् अपनी पूंजी विनियम की दृष्टि से प्रतिवर्ष मूल्यांकन करती है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के कार्य के लिए अभिलेख रखे जाते हैं। प्राचार्य द्वारा विषय शिक्षकों के सहयोग से उद्योगशील छात्रों के विषयवार मूल्यांकन के परिणामों का गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि उत्पादन की आय के लोभ का उसके ज्ञानार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तीन वर्ष के अन्त में दैनिक लेखों, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रायोगिक कार्य के द्वारा योजना का मूल्यांकन किया जायगा। मूल्यांकन एवं नियोजन का कार्य राज्य शिक्षा संस्थान के मार्ग-दर्शन में किया जायगा।

भावी व्यूह रचना

1—साहित्य सृजन—पढ़ो और कमाओ योजना के अन्तर्गत सभी उद्योगों पर साहित्य सृजन का काम राज्य शिक्षा संस्थान म० प्र० के तत्वावधान में सम्पन्न होगा। इसमें न केवल उद्योगों पर पुस्तकें बनाई जावेंगी वरन् उद्योगों से सम्बन्धित ज्ञान और कार्य द्वारा शिक्षा तथा स्वाभाविक सम्वाद पर भी साहित्य तैयार किया जावेगा।

2—यह योजना छात्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। अनेकों शालाओं से उत्पादक कार्य के नए क्षेत्रों की सूचियों व सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इस योजना को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जायगा।

3—शीघ्र ही निकट भविष्य में कुछ उत्पादक कार्य जैसे—फर्नीचर निर्माण, चमड़ा उद्योग, कुर्सी बुनाई, बुक बाइंडिंग, सिलाई आदि के उद्योग भी जोड़े जा सकते हैं।

4 - केन्द्रों की संख्या में वृद्धि होगी तदनुसार इसके लिए प्रशासनिक अमले की भी व्यवस्था होने की आशा है।

**शालाओ मे उत्पादक काय सम्बन्धी राष्ट्रीय सगोष्ठी**

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के 91वें स्थापना दिवस पर स्कूलो मे उत्पादक काय विषय पर 31 जुलाई से 2 अगस्त 1980 तक एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, इसमे 17 प्रदेशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। राष्ट्रीय सगोष्ठी मे निम्नानुसार विचार पारित किए गए—

1—कक्षा 1 से 10 तक उत्पादक काय को शिक्षा का अभिन्न अग बनाया जाय। इस हतु विद्यालयो म सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावे तथा छात्रो को पारिश्रमिक दिया जावे।

2—विद्यालयो म अध्ययन की अवधि 5 से घटाकर 4 घटे की जावे, शेष 1 घट का उपयोग छात्रो द्वारा उत्पादक काय म किया जावे।

3—विद्यालया मे उत्पादक काय के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया जावे।

4—विद्यालय के प्राचाय को एक अलग खाता खोलकर उत्पादक काय की राशि उसमे जमा करने तथा छात्रा को पारिश्रमिक देने की अनुमति दी जाय।

5—शासकीय विभागा के उपयाग म आने वाली सामग्री का उत्पादन विद्यालया म किया जाय ताकि बनी हुई सामग्री के विक्रय मे सुविधा हो।

6 प्रशिक्षण सस्थाओ म चल रह उद्योग कार्यों से आमूल परिवतन किया जाय ताकि छात्राध्यापक उन उत्पादन कार्यों म कुशल हो जिन्हे विद्यालय के छात्र करना चाहते हैं।

7 समाचार पत्र टेलीविजन, रेडियो आदि जन सचार माध्यमो से विद्यालया मे उत्पादक काय की योजना का व्यापक विज्ञापन किया जावे।

**समाजोपयोगी कार्यों की सूची**—राष्ट्रीय सगोष्ठी ने निम्नलिखित समाजोपयोगी उत्पादन कार्यों की सूची स्थानीय परिवेश म कच्चे माल की सहज उपलब्धि के आधार पर प्रस्तावित का गई—

(अ) कार्यालयीन उपयोग की वस्तुएँ—

| | |
|---|---|
| 1—गोद | 4—टाग |
| 2—स्याही | 5—फाइल |
| 3—लिफाफ | 6—फाइल पैड |

7—फाइल कवर
8—स्टाम्प पैड
9—रूलर
10—लकड़ी के पेपर वट
11—सील स्टैंड
12—रबर स्टाम्प मेकिंग
13—पिन कुशन (लकड़ी का)
14—सूचना पटल
15—फर्नीचर रिपेयरिंग
16—बुक बाइंडिंग
17—रद्दी की टोकरी
18—बाँस की चिक
19—कुर्सी की बुनाई करना
20—झाड़ू बनाना
21—लकड़ी की ट्रे

(ब) शिक्षण सामग्री—

1—डस्टर
2—ब्लैक बोर्ड-रोल अप तथा सादा
3—पाइंटर
4—की बोर्ड
5—ब्लैक बोर्ड स्टैंड
6—डस्टर (टबुल एवं दावात का)

(स) छात्राओं के लिए—

1—सिलाई
2—बुनाई
3—नाहिल वर्क
4—मशीन द्वारा स्वेटर बुनाई

8952

(द) प्रयोगशाला सामग्री संग्रह—

1—पुष्प क्रम सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों का संग्रह
2—विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह
3—विभिन्न प्रकार के बीज तथा फलों का संग्रह।
4—विभिन्न प्राणियों (जीव जन्तुओं) का संग्रह।

उपर्युक्त सूची कार्यकारी समूह द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त तैयार की गई है। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।

# शाला सगम योजना

(School Complex Scheme)

आवश्यकता—शिक्षा आयोग (1964-66) ने अनुशंसा की है कि माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक सुधार, शिक्षा म गुणात्मक विकास तथा प्रशासन मे कसावट लाने एव प्रशासन के विकेन्द्रीकरण करने क लिए शाला सगमो की स्थापना की जाय। वतमान म जिला शिक्षा अधिकारियो को इतना अधिक काम है कि व प्रायमिक और पूव माध्यमिक शालाओ का समुचित निरीक्षण और पर्यवेक्षण नही कर पाते हैं। जिले का विस्तृत फैलाव होने से शिक्षकों, छात्रो, कमचारियो की समस्याओ, कठिनाइयो का निवारण भी शीघ्र नही हो पाता है। शाला सगम योजना के तहत सत्ता और प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होगा और इसम शिक्षक कमचारियो की समस्याए सुलझाने मे सहायता मिलेगी। आज के माहौल मे विभिन्न प्रकार की शालाएँ अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलाप रही हैं। अगर कोई शाला या शिक्षक अच्छे हैं, उत्कृष्ट काय कर रहे हैं तो उसका दूसरी शाला या शिक्षक पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। उसी प्रकार अगर कोई शाला खराब है तो उसके सामने कोई आदश नही हैं। कुछ शालाओ म अच्छे उपकरण हैं वहाँ के छात्र लाभान्वित होते हैं दूसरी ओर जहाँ उपकरणो की कमी है वहा के छात्र वचित रह जाते हैं। अत एक क्षेत्र या परिसर की शालाए मिलकर आपस मे काय करे मिल जुलकर अपनी समस्याए हल करें, अपने अच्छे कार्यो से एक दूसरे को प्रभावित करें यही शाला सगम का मूल मत्र है। विभिन्न स्तर की सस्थाओ को दल में मिलकर काय करना चाहिए।

शाला सगम की व्यवस्था—कोठारी आयोग की अनुशसा के अनुसार एक उच्चतर माध्यमिक शाला के आसपास 6 से 8 किलो मीटर क क्षेत्र की 5-6 पूव माध्यमिक शालाएँ तथा 25 से 30 प्राथमिक शालाए मिलाकर एक शाला सगम बनाया जाय। केन्द्र म स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचाय को शाला सगम का प्रभारी बनाया जायगा। इसके दूसरे खण्ड मे प्रत्येक पूव माध्यमिक शाला एक उपकेन्द्र के रूप म। इसस सम्बद्ध समस्त प्राथमिक शालाए। पूव माध्यमिक शाला का प्रधानाध्यापक सभापति। केन्द्रीय उ० मा०

शा० के प्राचार्य को निरीक्षण और पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए एक उप प्राचार्य वेतन मान 400-800 दिया जायगा। कार्यालयीन कार्य के लिए एक गणक तथा एक लिपिक दिए जाने का प्रावधान होगा।

शाला संगम के उद्देश्य—शाला संगम के निम्नानुसार उद्देश्य हैं—

1 शालाओं का अलगाव दूर करना, उन्हें निकट लाना।
2 प्रशासन का विकेन्द्रीकरण।
3 प्रशासन में कसावट लाना।
4 शिक्षा में गुणात्मकता का विकास।
5 शैक्षिक व्यवस्था में सुधार।
6 शैक्षिक साधनों। उपकरणों का समुचित उपयोग।
7 पूर्व माध्यमिक शालाओं, प्राथमिक शालाओं का समुचित निरीक्षण और पर्यवेक्षण।
8 शालाओं एवं शिक्षकों की कठिनाइयों का त्वरित निवारण।
9 मिल जुलकर सम्मिलित रूप में सुधार कार्य के लिए प्रोत्साहित करना।
10 आपस में एक दूसरे का सहयोग एवं मार्ग दर्शन देने के लिए प्रेरित करना।

कार्य एवं अधिकार—तीन प्रकार के कार्य एवं अधिकार होंगे।

1 शैक्षिणक अधिकार
2 वित्तीय अधिकार
3 प्रशासनिक अधिकार

(1) शैक्षणिक अधिकार

1 एक इकाई के रूप में संगम के सभी स्कूलों के लिए समान मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्धारण।
2 समस्त विद्यालयों में ऐसी सुविधाएँ जो अलग अलग नहीं दी जा सकती हैं उन्हें पूरे संगम के उपयोग हेतु सामूहिक रूप में उपलब्ध कराना। ये सुविधाएं केन्द्रीय स्कूल (शाला संगम केन्द्र) में उपलब्ध होंगी, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, फिल्म, आदि। इसी प्रकार प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का भी गठन केन्द्रीय शाला

मे होगा तथा सगम क अन्तगत आने वाले सभी स्कूल उसका उपयोग कर सकेंगे ।

3 शिक्षको का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शालासगम के केन्द्र पर गोष्ठियाँ आयोजित की जा सकती हैं जिसम शैक्षिक समस्याओ पर चर्चा की जा सकती है ।

4 पूरे सगम स्कूलो के लिए मिल जुलकर एक योजना बनाई जा सकती है जो सभी के लिए समान होगी ।

5 आवश्यकतानुसार एव सगम मे शिक्षको को आवश्यकता वाले स्कूल म शिक्षण के लिए भेजा जा सकेगा ।

6 केन्द्रीय उ० मा० शाला के प्राचाय एव विषय विशेषज्ञ, शिक्षक शैक्षिक गतिविधियो का पर्यवेक्षण करेंगे तथा उचित निर्देशन की व्यवस्था करेंगे ।

7 वार्षिक परीक्षाओ का आयोजन सभी शालाओ म एक साथ और एक जैसा होगा ।

8 सगम क सभी स्कूलो के लिए शाला पचाग का निर्माण एव उसक अनुसार कार्यों का आयोजन ।

9 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय एव बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाओ के विस्तार सेवा विभाग के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र म होने वाले नवीन परिवतना स शिक्षको को परिचित करान हतु काय गोष्ठिया का आयोजन ।

10 नवीन योजनाओ क आयोजन मे सक्रिय सहयोग दना ।

(2) वित्तीय अधिकार

1 सगम के अ तगत आने वाले सभी शालाओ के शिक्षको कमचारियो को वेतन वितरण का अधिकार सगम क द्र के प्राचार्यों को होगा ।

2 सगम की शालाओ के लिए सामान क्रय करन का अधिकार केन्द्रीय प्राचाय का होगा ।

3 टूटी-फूटी चीजो के अपलेखन का अधिकार प्राचार्यों का होगा ।

4 जन सहयोग स वित्त व्यवस्था करना तथा उसके व्यय का अधिकार ।

5 आवश्यकतानुसार शिक्षको को यात्रा भत्ता अग्रिम प्रदान करन एव यात्राभत्ता देयको को पारित करन का अधिकार शालासगमो के केन्द्रीय प्राचार्यों का होगा ।

(3) प्रशासनिक अधिकार

1—निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अधिकार।

2—केन्द्रीय उ० मा० वि० के प्राचार्य को संगम के अन्तर्गत आनुपाल शालाओं के शिक्षक कर्मचारियों के नियुक्ति स्थानान्तर सम्बन्धी अधिकार होंगे।

3—शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेने जाने के लिए शिक्षकों के भेजने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

4—एक शाला से दूसरी शाला में शिक्षकों को भेजने का अधिकार।

5—शिक्षकों, कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने का अधिकार।

6—छुट्टियाँ, अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार।

7—अन्य समस्याएं एवं प्रकरण निपटाने का अधिकार।

8—शिक्षण के लिए संगम की शालाओं में उपलब्ध सामग्री एवं चीजों का आदान प्रदान भी प्राचार्य कर सकेंगे।

9—शैक्षिक कार्यों में सहायता करने के लिए सहायक शाला निरीक्षकों का सहयोग प्राचार्य को प्राप्त रहेगा।

10—शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं शिक्षा के सार्व व्यापीकरण के लिए योजना बनाना, योजनाओं का कार्यान्वयन करना और मूल्यांकन आदि के सभी अधिकार शाला संगम के प्राचार्य को रहेंगे।

शाला संगम से लाभ

1—मूल्यांकन एवं जाँच के लिए उत्तम पद्धतियों का सूत्रपात।

2—सामूहिक रूप से ऐसी साधन सामग्री उपलब्ध कराना जो कि अलग-अलग रूप से शाला को देना सम्भव नहीं है।

3—उच्चतर माध्यमिक शाला से विशिष्ट विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था।

4—योग्यता प्राप्त शिक्षकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा कम योग्यता वाले शिक्षकों का स्तर ऊँचा उठाने की व्यवस्था।

5—छुट्टी पर जाने वाले शिक्षकों की व्यवस्था।

6—पाठ्यपुस्तकों का चयन एवं मूल्यांकन, शिक्षक संदर्शिका बनाना एवं सहायक सामग्री का निर्माण।

7—पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना में सुधार।

8—पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन तथा उनके लिए अन्तर्शालेय रंग-मंच उपलब्ध कराना।

9—अन्तर्शालेय स्पर्धाओं का आयोजन।

10—अच्छे व्यक्तियों का चुनाव।

**शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन**

(1) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पाठ्क्रम पुनर्रचना।

(2) विशेष पाठों के अध्ययन के लिए उपकरणों का निर्माण।

(3) सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग।

(4) प्रदर्शन पाठों का आयोजन।

(5) नए शिक्षकों को पाठसूत्र एवं तैयारी के लिए प्रेरित करना।

(6) नई पद्धतियों का प्रदर्शन।

(7) शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान।

(8) शिक्षकों द्वारा अन्य शालाओं के शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण।

(9) शिक्षा आदान प्रदान।

(10) उद्योग एवं कला विषयों के शिक्षण का आयोजन।

(11) सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु कार्य गोष्ठियाँ तथा सम्मेलन।

(12) गृह कार्य सुधार योजना।

(13) परीक्षा का आयोजन।

(14) विषय समितियों का गठन।

**पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन**

निम्नांकित सहगामी क्रियाएँ आयोजित की जा सकती हैं—

1—विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम।

2—अन्तर्शालेय वाद विवाद।

3—अन्तर्शालेय खेलकूद।

4—सांस्कृतिक कार्यक्रम।

5—सम्मिलित रूप से पत्रिका का प्रकाशन।

6—विविध समारोह।

7—राष्ट्रीय पर्व।

8—कार्यानुभव ।

9—बालचर ।

10—शालेय पत्रिका ।

11—शिक्षकों, छात्रों द्वारा दर्शनीय स्थानों का भ्रमण ।

उपलब्ध साधनों का विनिमय

1—विषय सामग्री ।

2—पुस्तकें ।

3—खेल-सामग्री ।

4—सहायक सामग्री ।

5—सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सामग्री ।

6—फर्नीचर ।

7—विज्ञान सामग्री ।

इस प्रकार शाला संगम एक ऐसी इकाई होगी जो स्वयं में परिपूर्ण होगी। इससे शैक्षिक कार्य में गति आयगी। प्रशासन सक्षम होगा। सहयोग की भावना का विकास होगा।

म० प्र० में शाला संगम योजना का प्रयोग

यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजना क्र० 1—प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु सन् 1972 में शाला संगम बनाए गए थे, किन्तु उनका वह स्वरूप नहीं था जो होना चाहिए। जैसे ही वह योजना समाप्त हुई शाला संगम भी समाप्त हो गए।

उसके बाद से आज प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है, अतः पुनः सर्वेक्षण कर पुनः शाला संगम बनाए जाना प्रस्तावित किया गया।

वर्ष 80-81 में प्रयोग के तौर पर 54 शैक्षिक जिलों में से 12 जिलों में यह योजना लागू की गई है। प्रयोग के जिले और उनके अन्तर्गत शालाएँ व शाला संगम इस प्रकार है

| क्र० जिला | शास०उ०मा० शालाएँ | पूर्व मा०श० | प्रथम०शालाएँ | शाला सगम |
|---|---|---|---|---|
| 1— देवास | 22 | 126 | 664 | 13 |
| 2—सिवनी | 27 | 147 | 928 | 23 |
| 3—जाजगीर | 28 | 283 | 1557 | 32 |
| 4—होश गाबाद | 33 | 168 | 965 | 23 |
| 5—दुग | 28 | 190 | 911 | 26 |
| 6—सतना | 42 | 185 | 1022 | 36 |
| 7—महासमुन्द | 32 | 221 | 1574 | 28 |
| 8—शिवपुरी | 18 | 108 | 643 | 15 |
| 9—टीकमगढ | 19 | 108 | 643 | 16 |
| 10—अम्बिकापुर | 33 | 90 | 754 | 25 |
| 11—राजगढ | 22 | 122 | 685 | 16 |
| 12—उज्जैन | 33 | 179 | 870 | 25 |

प्रारम्भ मे इन शाला सगमो पर विशेष वित्तीय भार नही पडेगा। प्रयोग के बाद पूरे राज्य मे शिक्षा आयोग की अनुशसाओ के आधार पर तथा नए परिप्रेक्षा मे सर्वेक्षण कर शाला सगमो की स्थापना की जा सकेगी।

म० प्र० में इस योजना के तहत प्रस्ताव है कि प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पोषक माध्यमिक शालाओ को तथा उनकी भी पोषक प्राथमिक शालाओ को मिलाकर एक शाला सकुल ( स्कूल काम्पलेक्स ) बनाया जायगा तथा उसमें स्थित सभी प्राथमिक, मिडिल, तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था का भार शाला सगम के प्राचार्य को दिया जायगा। आसपास को छोटे उच्चतर माध्य० विद्यालय होगे व भी शाला सगम के सदस्य होंगे। विद्यमान जिला शिक्षा अधिकारी और समागीय शिक्षा अधीक्षको के कार्यालयो के बदले हर जिले मे एक जिला शिक्षा अधीक्षक रखा जाना प्रस्तावित है जो प्रथम श्रेणी का अधिकारी होगा जो शाला सकुल के प्राचर्यों पर नियत्रण रखेगा तथा उसकी सहायता से पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था करेगा। इस तरह हर राजस्व जिले के लिए एक जिला शिक्षा अधीक्षक होगा। इनका काय देखने के लिए क्षेत्रीय सयुक्त सचालक होंगे। वतमान समागीय शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय समाप्त होंगे। सहायक जिला शाला निरीक्षक जो अभी तक शिक्षक के स्तर के होते हैं वे व्याख्याता के स्तर के हो तथा उनका नाम प्राथमिक तथा

माध्यमिक शालाओ का नियमित तथा लगातार निरीक्षण करना होगा। इस निरीक्षण प्रति वेदना के आधार पर व्यवस्था तथा पढ़ाई के स्तर मे सुधार करने की जिम्मेदारी शाला सगम के प्रधान प्रचार्य की होगी।

सतर्कता—शाला सगम की विभिन्न शालाओ म मतैक्य होने के लिए कुछ बाते आवश्यक हैं—

(1) किसी प्रकार का तनाव का वातावरण न बने।

(2) मित्रता की भावना के साथ मार्ग दर्शन।

(3) निरीक्षण अधिकारी के रूप म कार्य न किया जाय।

(4) शिक्षको म विश्वास और सद्भाव पैदा किया जाय।

(5) आपस मे मधुर सम्बन्ध रहे।

(6) धीरे-धीरे और प्रभावपूर्ण ढग से कार्य किया जाय।

(7) रुचि और उत्साह वर्ष भर बना रहे।

(8) योजना मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके।

(9) अधिक लिखा पढी और कठोरता से काम न लिया जाय।

(10) कम स कम आर्थिक भार शालाओ पर डाला जाय।

# होशंगाबाद विज्ञान योजना

(Hoshangabad Science Project)

पृष्ठभूमि—सभी ओर से शिक्षा में परिवर्तन की मांग जोर पकड़ रही है। परम्परागत शिक्षा और प्रणाली से कोई सन्तुष्ट नहीं है। कुछ विद्वान आज की शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की कहते हैं और कुछ व्यावसायिक। पुस्तकीय ज्ञान को निरर्थक माना जाने लगा है। एक वर्ग की राय तो यहां तक है कि तकनीकी शिक्षा की निरर्थक है। कला के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्ति तो बेकार हैं ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी नौकरी की तलाश में है। दुख तो उस समय होता है जब मशीन बिजली तथा विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति स्वतन्त्र धंधा नहीं कर पाते हैं और मामूली सी नौकरी के लिए हायतोबा मचाते हैं। इन सबके मूल में शिक्षा की गलत पद्धति है। जिस तरह कला समूह के छात्रों को व्याख्यान देकर शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा भी भाषण द्वारा दी जाती है। हमारे बालक विज्ञान की शिक्षा को रट लेते हैं। पेड़ के कितने भाग होते हैं, फूलों के कितने अंग होते हैं, किसी चीज की बनावट कैसी होती है? इन सबके बारे में हम बालकों को रटवा देते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण लेड आक्साइट (सीसे के आक्साइड) से होता है। कभी कभी बालक सीसे का शीशा रटकर उसका पर्याय कांच भी रट लेता है और अंत में "कांच को गर्म करके आक्सीजन बनती है" यह गलत धारणा उसे रह जाती है। ज्यामिति की आकृतियां हमने कागज पर ही डाइंग बक्स के सहारे बच्चों को सिखाई हैं कभी उनका उपयोग या व्यावहारिक रूप में उन्हें बड़े रूप में बनाने की बात नहीं समझाई और न ही उनके अनुभवों को कुरेदा कि वे कुछ उसके आधार पर ही जिज्ञासा का उत्तर दे सकें। परिणाम वही हुआ जो हमारे सामने है कि ज्ञान को रटकर भाषण तो दे सकते हैं लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से अपंगु हैं।

देश की परम्परागत शिक्षा ने विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। भारत में उपाधि प्राप्त वैज्ञानिकों की संख्या विश्व में तीसरे नम्बर पर है किन्तु वैज्ञानिक खोज करने वालों में भारत का स्थान साठवें नम्बर पर भी नहीं है। विज्ञान शिक्षण का वर्तमान पद्धति से समाज का पीछा होना अनि-

कार्य है। शिक्षा में परिवर्तन की बात तो बड़े-बड़े मनीषी और जन नेता तो करते हैं लेकिन परिवर्तन किस दिशा में और कैसा हो यह सही रूप में किसी ने भी नहीं सुझाया। हमारे सामने आज भी शिक्षा के बारे में अनेक प्रश्न हैं यथा रटकर परीक्षा देने के बाद उन तथ्यों की जीवन में सार्थकता क्यों नहीं रह जाती है? बच्चे को वे तथ्य विज्ञान के क्या रटना पड़ते हैं जो उनकी भावी जिन्दगी में काम नहीं आते हैं? उस ज्ञान से क्या लाभ जिससे व्यावहारिक समस्याएं न सुलझाई जा सकें। प्रारम्भिक शालाओं में विज्ञान की पढ़ाई की पद्धति का सर्वेक्षण एवं विवेचन करने पर ये प्रश्न उभरकर सामने आए कि बच्चों की चिन्तन शक्ति का विकास क्यों नहीं होता है? रटने और समझ का कोई सम्बन्ध नहीं है। उस शिक्षा का क्या लाभ है जो शाला की चहारदीवारी में प्राप्त होकर वास्तविक जीवन में अनुभवों से दूर है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो कक्षा एक में भर्ती होते हैं उनके 70-80 प्रतिशत बालक कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पूर्व शाला छोड़ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम केवल 20 प्रतिशत बालकों के लिए ही आगे की शिक्षा का लाभ आय कर रहे हैं। 80 प्रतिशत बालकों के लिए हमने कुछ नहीं सोचा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम शिक्षा के उद्देश्य पुनः परिभाषित करना होंगे। विज्ञान की शिक्षा द्वारा बालकों में ऐसे कौशल और अभिवृत्तियों का विकास करना होगा जिससे वे अपने परिवेश और अनुभव से सही शिक्षा प्राप्त कर सकें और जो उनके जीवन में काम आ सके।

होशंगाबाद विज्ञान की शुरुआत---इस तरह के ढेर सारे सवालों का हल खोजने के लिए डा० अनिल सद्‌गोपाल और उनके सहयोगियों ने म० प्र० में एक प्रयोग प्रारम्भ करने का निर्णय लिया ताकि शिक्षक या पुस्तक के द्वारा प्रश्न और उत्तर एक साथ देकर चिन्तन व विचार को कुंठित कर देने वाली पद्धति से हटकर विज्ञान पढ़ाने को एक ऐसी पद्धति विकसित हो सके कि विज्ञान के सवाल बच्चों के सामने एक ओर चुनौती बन सकें तो दूसरी ओर उन्हें प्रश्नों से जूझने की प्रेरणा मिल सके। होशंगाबाद जिले की दो स्वैच्छिक संस्थाएँ-फ्रेंड्स रूरल सेन्टर (Friends Rural Centre) रसूलिया और किशोर भारती बनखेड़ी सामने आई। विज्ञान पढ़ाने की खोजपूर्ण प्रयोग निष्ठ और पर्यावरण पर आधारित पद्धति को विकसित करने का इन्होंने बीड़ा उठाया।

सन् 1972 में रसूलिया और किशोर भारती ने मिलकर एक पुस्तक तैयार कर फरवरी 1972 में लोक शिक्षण संचालक म० प्र० को प्रस्तुत किया। बच्चे स्वयं अपने हाथों से प्रयोग करें, प्रयोगों को अवलोकन करें और

लियें। फिर उन अवलोकन के आधार पर अपने साथियो और शिक्षको से चर्चा करके स्वय ही मुक्त रूप से निष्कर्ष निकालें। छात्रो को शिक्षक से सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाय और उन सवालो का हल खोजने के लिए उचित प्रयोगों की रचना करने के लिए सक्षम बनाया जाय। शिक्षक की भूमिका सर्वज्ञाता होने के बजाय, प्रेरणा स्रोत, मार्ग-दर्शक व सहयोगी जैसी होनी चाहिए। इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए परम्परागत, छात्र शिक्षक सम्बन्ध, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धति यदि बदलने पडे तो उसकी भी तैयारी हो। परीक्षा लेने का ढग भी बदल दिया जाये। प्रस्तुत प्रस्ताव मे सरकारी स्कूली ढाँचे मे इस अभिनव प्रयोग को करने की पूरी स्वतत्रता की अपेक्षा की गई।

म० प्र० राज्य शासन ने होशगाबाद जिले के सोलह स्कूलो में इस प्रयोग को करने की अनुमति प्रदान की। इनमे से नौ स्कूल रसूलिया के आसपास होशगाबाद ब्लाक मे चुने गए और सात स्कूल किशोर भारती के आस-पास बनखेडी ब्लाक मे। इस प्रयोग का प्रारम्भ करने की प्रमुख भूमिका अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण सघ (भौतिकी अध्ययन ग्रुप) और टाटा इस्टीट्यूट आफ फडामण्टल रिसर्च (भारत सरकार) बम्बई के शिक्षको, वैज्ञानिको और शोध छात्रो ने निभाई। इस कार्य के लिए मई 1972 मे उन्मुखीकरण हेतु 40 शालेय शिक्षक चुने गए। ये शिक्षक अधिकाश हाइ स्कूल या हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण थे और कुछ स्नातक। अधिकाश शिक्षको का या तो विज्ञान विषय नही था या था तो उससे काफी दिनो से सम्बन्ध छूट चुका था। प्रारम्भ मे शिक्षको ने प्रश्न पूछने मे झिझक दिखाई लेकिन बाद मे वे खुलकर चर्चा करने के लिए आश्वस्त हो गए। ऐसे शिक्षको का शिविर अपने आप मे एक बडी और अभूतपूर्व घटना थी। इस उन्मुखीकरण शिविर मे खोजपूर्ण एव प्रयोग निष्ठ विधि अपनाई गई। शालेय शिक्षको ने वैज्ञानिको, शिक्षाविदों और शोध छात्रो के साथ विज्ञान के प्रयोग किए और गहन चर्चा की। एक प्रयोग किया गया। एक पौधे की टहनी काटकर लाल स्याही के घोल मे रखी गई। लगभग आधे घटे बाद पत्तियो की शिराएँ लाल होने लगी। यह देखकर शिक्षक ने डा० अनिल सदगोपाल जी से पूछा कि यदि नीली स्याही के घोल मे टहनी रखे तो क्या होगा। डा० अनिल जी ने वज्ञिझक उत्तर दिया कि "मुझे नही मालूम—इसके लिए तो प्रयोग ही करना होगा।' उन शिक्षक ने तत्काल कहा, "तो फिर आपको पी० एच० डी० कैसे प्राप्त हो गई।" वस्तुत इस घटना से शिक्षको को भी यह बात समझ मे आई कि उन्हे भी कक्षा मे ऐसी

स्थिति म बच्चो के सामने यह मानना पडेगा कि "मैं नही जानता, पर आओ इसका उत्तर मिलकर खोजा जाय।"

ग्रामीण शालाओ मे होशगाबाद विज्ञान के प्रयोग—शिक्षकों के उन्मुखीकरण के बाद जुलाई 1972 से सोलह शासकीय मिडिल स्कूलो म इन प्रशिक्षित शिक्षको ने नए ढग से विज्ञान पढाना प्रारम्भ किया। उह प्रयोग हेतु एक उपयुक्त किट दी गई। बच्चे चार-चार की टोलियो म बटकर प्रयोग करते और शिक्षक के साथ भ्रमण भी करत। लगातार प्रश्न और उत्तर का सिलसिला जारी रहता। प्रशिक्षण देन वाल समूह क सदस्य बराबर समय समय पर शालाओ म जात और कक्षा की परिस्थिति म बच्चो और शिक्षकों की कठिनाइयो को समझन व उनको हल करन के सुझाव रखत। प्रयोगनिष्ठ विधि से सम्बन्धित सब समस्याओ, बच्चो और शिक्षकों के सुझावो और अन्य जानकारी को भी इकट्ठा किया जाता था। स्कूल अनुवतन (Follow up) की यह प्रक्रिया और जानकारी एव सुझाव, शिक्षको को प्रशिक्षित करने का एक आवश्यक अग माना गया और साथ-ही-साथ इन अनुभवो, जानकारी एव सुझावो का उपयोग पुस्तक, किट व प्रशिक्षण विधि क विकास मे किया गया।

सामा यत हमारी प्रचलित पाठ्यपुस्तक शहरो म बैठकर नगरीय परिवेश के आधार पर लिखी जाती हैं लेकिन इस कायक्रम म काय-पुस्तक, किट और शिक्षण विधि उ ही परिस्थितियो मे तैयार किए गए जिनम विद्यार्थी व शिक्षक थे। धीरे-धीरे यह अनुभव हुआ कि विज्ञान का जो हम हौवा समझ बैठे थ वैसा नही है। विज्ञान की शिक्षा न तो विदेशी है और न महगी है। विज्ञान तो हमारे परिवेश क आस-पास ही खेत, जगल, नदी, नाला, पहाडो, अमराइयो म बिखरा पडा है जो उन्होने खोज निकाला। इस प्रकार सोलह स्कूलो मे होशगाबाद विज्ञान शिक्षण जारी रहा और विज्ञान शिक्षा की शालाओ तक अनवरत दौड धूप जारी रही।

होशगाबाद विज्ञान का विस्तार—सन् 1973 क प्रारम्भ म दिल्ली विश्वविद्यालय और इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टक्नालॉजी (कानपुर बम्बई) क वैज्ञानिक और शोध छात्र भी इस योजना म जुड गए। दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम को इस काय स सम्बद्ध होन क लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता दी। देश की शिक्षा क इतिहास म यह प्रथम सुअवसर था जब यह बात व्यावहारिक रूप म स्वीकार की गई कि स्कूली स्तर पर और वह भी गाँव के स्कूलों म, शिक्षा म परिवतन और सुधार क लिए विश्वविद्यालय क लोगो की महत्वपूण भूमिका है। विश्वविद्यालय अनुदान क इस

पहल से म० प्र० शिक्षा विभाग ने भी अपने महाविद्यालयों के शिक्षकों को इस कार्यक्रम से जुड़ने की अनुमति प्रदान की। पिछले तीन वर्षों से खण्डवा, धार, रामपुरा और बड़वानी के शासकीय महाविद्यालयों के कुछ अध्यापकों ने शालेय अनुवर्तन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया। अक्टूबर 1977 में शिक्षा विभाग ने एक उत्साही प्राध्यापक को उनके महाविद्यालय से इस कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस प्राध्यापक को तीन वर्षों की "टीचिंग फेलोशिप" देकर उच्च शिक्षा की सामाजिक सार्थकता के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया।

इस कार्यक्रम में ठोस परिणाम और नए नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षण पद्धति के विकास का क्रम जारी है। सन् 1977 के अक्टूबर में एन० सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली और लोकशिक्षण सचालनालय के संयुक्त तत्वावधान में किशोर भारती में एक कार्यगोष्ठी हुई। इस कार्यगोष्ठी में जिले भर के लगभग 40 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। इन्होंने विशेषज्ञों के साथ बैठकर यह तथ्य उजागर किया कि गाँव की परिस्थितियों में वहाँ के कार्यकर्ता समाज सेवक और शिक्षक आपस में मिलने वाली चीजों से पढ़ाई का रोचक बनाने वाली शिक्षण सामग्री बना सकते हैं। उन्होंने नए साधनों का निर्माण भी किया और ग्रामीण पर्यावरण की जबरदस्त संभावनाओं को उजागर किया।

1977 में यह प्रश्न सामने आया कि परम्परागत शिक्षा प्राप्त बालक और प्रयोग निष्ठ विधि से पढ़ाए गए बालकों के ज्ञान संचय में कोई अन्तर तो नहीं है? आँकड़ों के संकलन और विवेचन से ज्ञात हुआ कि प्रयोगनिष्ठ विधि से शिक्षित बालक, परम्परागत विधि से शिक्षित बालकों की तुलना में ज्ञान संचय की दृष्टि से किसी भी विषय में पीछे नहीं रहे। इस विधि से विद्यार्थियों में न केवल विद्यार्थी अपनी तर्कशक्ति, अवलोकन क्षमता, कल्पनाशीलता आदि गुणों का विकास किया वरन् साथ-साथ स्वयं ज्ञान अर्जित करने के तरीके भी सीख लिए। प्रयोगनिष्ठ विधि की सफलता के इस मूल्यांकन को कसौटी के रूप में स्वीकार किया गया।

सन् 1976-77 से किशोर भारती, बनखेड़ी और फ्रेंड्स रूरल सेन्टर रसूलिया के कार्यकर्ताओं और शिक्षा विभाग म० प्र० ने विचार किया कि जब तक इस प्रयोग को अन्य शासकीय शालाओं में लागू न किया जाय तब तक इसका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व स्वीकार नहीं हो सकता है। प्रश्न सामने यह था कि ऐसे योग्य और निष्ठावान व्यक्ति जो इसी प्रयोग के लिए समर्पित हो कहाँ से आयेंगे। 1977 अक्टूबर में एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली तथा

शिक्षा विभाग म० प्र० के अधिकारियों तथा रसूलिया और किशोर भारती संस्थाओं के विज्ञान प्रशिक्षकों ने शासकीय तंत्र के अन्दर ही निष्ठावान और सक्षम कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करने के निर्णय लिए। स्रोत पुरुषों को, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं, शासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से लिया जाय तथा ये 40-50 स्रोत पुरुष होशंगाबाद जिले के सभी मिडिल स्कूलों में इस पद्धति के फैलाव के लिए कार्य करेंगे साथ में इस कार्यक्रम से सम्बद्ध पुराना विज्ञान शिक्षण दल भी रहेगा। दूसरा एक कार्यकारी समूह (Working group) की भी कल्पना की गई जिसमें होशंगाबाद जिले के ही उ० मा० विद्यालयों के शिक्षक, सहायक जिला शाला निरीक्षक और मिडिल स्कूलों के कुछ प्रधानाध्यापक शामिल किए गए। कार्यकारी समूह का प्रमुख कार्य शालेय अनुवर्तन, कक्षा की परिस्थिति में शिक्षक की समस्याओं को सुलझाना और नए सुझावों को इकट्ठा करना होगा। इस प्रकार कोठारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर म० प्र० में प्रथम बार विश्वविद्यालय स्तर से लेकर हायर सेकेण्डरी और मिडिल स्कूलों तक एक साधा सूत्र स्थापित किया गया।

शिक्षा विभाग म० प्र० एवं एन-सी ई-आर-टी० नई दिल्ली, ने जुलाई 1978 से होशंगाबाद जिले के 206 मिडिल स्कूलों में बच्चों को प्रयोगनिष्ठ विधि से विज्ञान शिक्षण देने का निर्णय लिया। लोक शिक्षण संचालनालय म० प्र० ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुवर्तन का वित्तीय भार उठाया तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली ने विज्ञान के किट्स देने का निर्णय लिया तथा भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों को इस कार्यक्रम में जुटने के लिए पांच साल का एक बजट स्वीकृत किया। म० प्र० पाठ्य पुस्तक निगम ने पिछले 6 वर्षों से संशोधित की गई एक नए ढंग की कार्यपुस्तक को होशंगाबाद जिले के लिए विशेष रूप से प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया।

होशंगाबाद पद्धति—बच्चे अपने हाथ से विज्ञान के प्रयोग करते हैं और उन पर अपने साथियों तथा शिक्षकों से चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका प्रेरक, मार्गदर्शक तथा सहयोगी की तरह है। शिक्षक अपनी ओर से बच्चों को कुछ भी नहीं बताते हैं। इन विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसे बच्चे रट लें। बच्चा स्वयं करता है और सीखता है। इसे प्रयोगनिष्ठ विधि कहा गया है। इस प्रयोगनिष्ठ विधि के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, कक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली विकसित की गई है। इसको होशंगाबाद पद्धति या प्रायोजना के नाम से

जाना जाता है। होशंगाबाद प्रायोजना के जनक डॉ० अनिल सदगोपाल का कहना है कि प्रयोग कर रहे बच्चे ज्ञान की दृष्टि से पीछे नहीं हैं वरन् इस समय उनमें अभिव्यक्ति की कुछ कमी है। हमने प्रयोगनिष्ठ विधि को अपनाया है। इस विधि में परम्परागत विद्यालयों की भाँति शिक्षक अपनी ओर से कुछ नहीं बतायेगा वरन् छात्र स्वयं प्रयोग करेंगे और धारणा समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे चूकि प्रयोग करके सीखते हैं अतः वे जानते सब कुछ हैं। उनमें ज्ञान तो अधिक है केवल वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमने परम्परागत विद्यालयों में अपनाई जाने वाली उस पद्धति को छोड़ दिया है जिसमें शिक्षक के शब्दों या या पुस्तक की भाषा को रटकर बच्चे बताने लगते हैं। परम्परागत शालाओं के बच्चे जब रटी हुई बात को दुहराते हैं तो हमें भ्रम होता है कि उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। अगर हमने परम्परागत पद्धति से हटकर बच्चों के ज्ञान की जाँच का प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से इन नए बच्चों के ज्ञान से हम संतुष्ट हो जाते। ज्ञान और अभिव्यक्ति में सम्बन्ध अवश्य है लेकिन अभी प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था है कुछ वर्षों में अभिव्यक्ति की कमजोरी भी मिट जायगी।

होशंगाबाद विज्ञान पद्धति करके सीखो के सिद्धान्त पर आधारित है। है। हमारा सम्पूर्ण प्रयोग पूर्ण अनुभव, पूर्ण पर्यावरण तथा पूर्ण ज्ञान के सूत्र पर आधारित है। प्रयोगनिष्ठ विधि में केवल प्रयोग ही नहीं होते वरन् आवश्यकतानुसार हम अवलोकन और भ्रमण भी कराते हैं। विज्ञान शिक्षण के लिए मँहगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस धारणा को तोड़ने का प्रयास इस पद्धति और प्रायोजना में किया गया है।

पाठ्यपुस्तकें बनाने का यहाँ एक तरीका अपनाया गया है। विज्ञान शिक्षण दल, बच्चों और शिक्षकों से समझता है, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए पुस्तक में सुधार करते हैं। जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति ठीक तरह से नहीं होने लगती है जिसको प्राप्त करने के लिए पाठ लिखा है तब तक लगातार संशोधन किया जाता है। किशोर भारती में जाकर कोई भी इस प्रक्रिया को देख सकता है।

होशंगाबाद प्रायोजना में कक्षा 6 से सभी प्रयोग अवलोकन पर आधारित है। कक्षा 7 से बच्चों में चिन्तन विकसित करने का प्रयास किया जाता है। कक्षा 8 में अधिक विकास किया जाता है। अभी इस प्रयोग को प्राथमिक स्तर पर प्रारम्भ करने में कुछ कठिनाई है। डॉ० अनिल ने बताया कि उनका सम्बन्ध टाटा इंस्टीट्यूट बम्बई से है। वहाँ माध्यमिक स्तर के बच्चों

पर ही प्रयोग किया गया है, अत उसका ही अनुभव यहाँ उपयोग किया जा रहा है। दूसरे प्राथमिक स्तर के बच्चे आयु मे छोटे होते हैं अत उनके साथ प्रयोग करने म कठिनाई हुई। उन बच्चों का पढाने के लिए अभी हमारे पास कौशल नहीं है। प्राथमिक शालाओं मे अधिकाश गरीब बच्चे रहत हैं अत हमें पहले गरीबी से जुडना होगा और अभी हम तत्काल वैसा नहीं कर पा रहे हैं।

करके सीखने का सिद्धान्त हम बहुत पहले जानते थे और उसके महत्व को भी जानत थे। किन्तु अभी तक प्रशिक्षण सस्थाओ में इसके महत्व पर भाषण दत रहे इसे व्यवहार मे कभी नहीं लाए। 'करके सीखा' के सिद्धान्त को होशगाबाद परियोजना में मूर्त रूप दे दिया गया है। इस प्रयोग से हम इतने चमत्कृत हुए कि इसे एक नवीन पद्धति, अनूठी पद्धति और नवाचार कह डाला। वास्तव मे यह विधि नई नहीं है हम सभी जानत थे और भाषण देत थे। उत्साही शिक्षक यदा-कदा इसके द्वारा कक्षा मे विज्ञान शिक्षण भी दत थे। यह ता पुरातन विधि है इसका केवल प्रयोग नया है। इस प्रयोग से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाषण या पुस्तक पढने से या पढ़ाने से सही शिक्षण नहीं हो सकता है वरन् बच्चा स्वय करे और सीखे अर्थात् कर्म और ज्ञान साथ-साथ चले। कर्म रूपी ताना मे ज्ञान रूपी बाना साथ-साथ बुना जायेगा तभी शिक्षा रूपी सुन्दर वस्त्र बन कर तैयार होगा।

होशगाबाद पद्धति की कार्य विधि, समस्याएँ व चुनौतियाँ—होशगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर 1980 तक लगभग ढाई वर्ष पूरा कर चुका है। इस अवधि म अनेक समस्याएँ और चुनौतियाँ भी आई हैं। एक प्रशिक्षण शिविर जून 1978 मे होशगाबाद मे आयोजित किया गया। इस शिविर में कार्यक्रम से पहली बार जुडने वाले आठ दल के सदस्यों का उन्मुखीकरण किया गया। इसके बाद जुलाई 1978 में जिले भर के लगभग 250 माध्यमिक शिक्षक और कार्यकारी दल के लगभग 100 सदस्य नर्मदा महाविद्यालय मे विचार-विमर्श हेतु एकत्र हुए। इन दोनो शिविरो में रमूलिया और किशोर भारती के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, टाटा इस्टीटयूट आफ फन्डामेण्टल रिसर्च, इण्डियन इस्टीटयूट आफ टेक्नालॉजी, रीजनल कालेज भोपाल शासकीय महाविद्यालयो के शिक्षाविद दैनान्दिन मार्ग दर्शन प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। उसके बाद कई शिविर और हो चुके हैं। होशगाबाद जिले के 500 से अधिक शिक्षक प्रयोगनिष्ठ विधि से विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

एन-सी-ई आर टी० से प्राप्त किट्स के वितरण तथा शिक्षक गोष्ठियों के लिए जिले की ग्यारह उच्चतर माध्यमिक शालाओं को संगम केन्द्र बनाया

गया है। इन सगम केन्द्रो तथा अन्य उच्चतर माध्यमिक शालाओ के शिक्षको, सहायक जिला शाला निरीक्षको तथा मिडिल स्कूलो के प्रधान पाठको एव शिक्षको के बीच शैक्षणिक मुद्दो को लेकर सम्पर्क एव सवाद का वातावरण बन चुका है। कार्यकारी दल को अब कार्यक्रम मे अधिकाधिक शैक्षणिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

होशगाबाद विज्ञान के विस्तार मे कुछ कठिनाइयाँ भी आती है, जैसे किट्स का समय पर न मिलना। प्रयोग को कक्षा 1 से 11 तक विस्तार करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तथा उपकरणो की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान के सस्ते किट्स तैयार किए जाय, कुछ वहाँ किए भी गए हैं। शाला सगम योजना से भी उपकरणो की समस्या हल की जा सकती है। शिक्षको के प्रशिक्षण भी गभीर योजना बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाओ के माध्यम से हो सकती है।

कहना न होगा कि डा० अनिल सदगोपाल जी तथा उनके साथियो ने अपने अथक परिश्रम, लगन और साधना से होशगाबाद जिले मे बहुत ही महत्वपूर्ण एव अनुकरणीय कार्य करके अन्य शिक्षको के लिए मार्ग प्रशस्त करे।

**विज्ञान की नई पद्धति के आकर्षण**

1—करके सीखो पर आधारित,

2—पर्यावरण और अनुभवो पर आधारित

3—बालक की अहम् भूमिका।

4—शिक्षक का तटस्थ रहना किन्तु मार्गदर्शक के रूप में।

5—शालात्यागियो को वापिस शाला लाने मे सहायक।

6—शिक्षा के आमूल परिवर्तन मे सहायक।

7—विज्ञान का ग्रामीणीकरण।

8—बालको की जिज्ञासा का समाधान।

9—बालको की तर्क शक्ति को उभारना तथा अध्ययन मे नई रोचकता लाना।

10—विज्ञान की सस्ती और सहज प्रणाली।

11—बालको मे नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

12—बालको को पूरी स्वतन्त्रता।

13—शालाओ की उदासी खतम होकर मुखर वातावरण।

14—प्रयोगनिष्ठ विधि द्वारा समस्त विषयो का शिक्षण।

15—बालकों में कौशल का विकास।

## विज्ञान की परम्परागत शिक्षण पद्धति और नवीन पद्धति में अन्तर

पहले विज्ञान की शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका अधिक था। शिक्षक प्रयोग करके दिखाता था और छात्र मान लिया करते थे कि जो कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वही ठीक है। उसमें छात्र को देखने का कम अवसर था। उदाहरण के लिए शिक्षक ने बताया चुम्बक में दो ध्रुव होते हैं तो बालक ने मान लिया। अब नई पद्धति मे स्थिति भिन्न है छात्र चुम्बक के साथ खेलगा, उलझेगा और उसके बारे में कई जानकारियाँ प्राप्त करेगा। नई विधि में शिक्षक की भूमिका अहम् नही है, शिक्षक तटस्थ है। वह केवल प्रयोग करते हुए बालक को यदि वह कहीं हट रहा है तो इशारा मात्र करेगा ताकि छात्र अपना प्रयोग सही कर सके। किसी योजना का फल तत्काल नही मिलता आने वाली पीढ़िया में मिलेगा। अभी बहुत कुछ जानना है। इस नई विधि में बच्चे विशेषता से भी एक कदम आगे हैं। प्रयोग निष्ठ विधि की कसौटी शिक्षक और बच्चा है। लोगो ने विज्ञान को अचम्भा और हौवा बना दिया है। जब हम कहते हैं कि बच्चा को विज्ञान सिखाना है तो एक चित्र बनता है प्रयोगशाला का, क्योंकि बिना इसके पढ़ाएँगे कैसे? हमारे यहाँ छात्र तब करेंगे जब महंगे उपकरण हो, काफी पैसा हो, लेकिन सी० वी० रमन, बसु जैसे वैज्ञानिकों ने मामूली उपकरणों से खोजें की। सीखने के सस्ते और सरल तरीके हैं। खेती की सारी प्रक्रिया विज्ञान से भरी हुई है। जो हौवा विज्ञान का हमारे भीतर बिठा दिया गया है उसे भगाना है। हम गरीब देश के निवासी हैं, इसलिए यह कहना कि हम विज्ञान नही सीख सकते, गलत है। हम सस्ते उपकरणों से नया विज्ञान पैदा करेंगे, सीखेंगे, यही नई पद्धति की प्रमुख विशेषता है।

## शालेय शिक्षा से सम्बन्धित यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजनाएँ
(Unicef Projects Relating to School Education)

आज के इस युग मे इस विश्वास को सारे विश्व के लोगो ने स्वीकार किया है कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन शिक्षा है। शिक्षा से से एक नैतिक, औद्योगिक एव व्यावसायिक किन्तु रक्तहीन क्रान्ति सभव है। तद नुसार भारत, शिक्षा के गुणात्मक विकास एव विस्तार हेतु सतत प्रयत्नशील है।

भारत स्वतत्र होते ही हमने सविधान की धारा 45 मे यह स्वीकार किया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को अनिवार्य रूप से शालाओ मे शिक्षा हेतु लाया जाय और उन्हे नि शुल्क शिक्षा दी जाय। यह सवैधानिक दायित्व 1960 तक पूरा हो जाना चाहिए था। किन्तु वतमान म हमारे देश म 6-11 आयु के शाला म दर्ज बालक-बालिकाओ का प्रतिशत 83 है और 11-14 वर्ष के बालक-बालिकाओ का दर्ज प्रतिशत 37 है। म० प्र० मे इन्ही आयु वर्गों म दज सख्या प्रतिशत क्रमश 63 और 30 5 है। म० प्र० म शिक्षा के सार्व व्यापीकरण की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है।

शाला न जाने वाले छात्रो मे अनुसूचित जाति, जन जाति ग्रामीण अचल के बालक तथा बालिकाएँ अधिक हैं। अनेक प्रयासो के बावजूद भी हम प्राथमिक शिक्षा के सावजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नही कर पा रहे है। ये बालक सावभौमिक शिक्षा समस्या के केन्द्र बिन्दु है। प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है और उसके सख्यात्मक तथा गुणात्मक सुधार के लिए बहु आयामी प्रयास किए जाते है। पाठ्यक्रम नवीनीकरण, पाठ्यपुस्तको म सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण म सुधार, औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्था, बहु बिन्दु प्रवेश आदि अनेक कायक्रमो के द्वारा हम प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

'यूनीसेफ' भारत म शिक्षा के गुणात्मक विस्तार और विकास के लिए अनेक शैक्षिक प्रायोजनाओ के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। ये सभी प्रायोजनाएँ प्राथमिक शिक्षा के मास्टर प्लान के परिच्छेद छह म सन्निहित है और यह परिच्छेद भारत शासन और यूनीसेफ द्वारा स्वीकृत दस्तावेज है।

राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रायोजनाओ का सचालन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, करती है। मध्य प्रदेश म ये प्रायोजनाएँ शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य शिक्षा सस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा सस्थान के मार्फत सचालित हैं। मध्य प्रदेश म यूनीसेफ की सहायता से पाँच प्रायोजनाऐ शिक्षा के गुणात्मक एव सख्यात्मक सुधार की दिशा मे कार्यान्वित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा म बहुमुखी प्रायोजनाएँ समस्या के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आधार पर प्रारम्भ की गई हैं।

प्रदेश मे इस प्रकार की सचालित प्रायोजनाएँ इस प्रकार हैं—

1—प्रायोजना क्र० 1—प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण।

2—प्रायोजना क्र० 2—प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण।

3—प्रायोजना क्र० 3—सामुदायिक शिक्षा एव सहयोग की विकासात्मक गतिविधियाँ।

4—प्रायोजना क्र० 4—प्राथमिक शालाओ मे पोषण स्वास्थ्य एव परिवेश स्वच्छता शिक्षा।

5—प्रायोजना क्र० 5—प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम।

**प्रायोजना क्र० 1—प्रारम्भिक शालेय विज्ञान प्रशिक्षण**

यह योजना म० प्र० मे 1972 से एन-सी-ई-आर टी० के माध्यम से प्रारम्भ की गई थी। प्रदेश मे यह प्रायोजना राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा सचालित की गई। यह प्रायोजना मुख्यत विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास की दिशा मे अग्रसर रही। जब विज्ञान का नवीन पाठ्यक्रम राज्य की प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओ मे लागू किया गया तो प्रारम्भिक शालाओ के शिक्षको मे इसे कार्यान्वित करने की क्षमता एव योग्यता उत्पन्न करने की एक गभीर समस्या उठ खडी हुई। इस समस्या का मुलझान के लिए विभाग द्वारा विज्ञान प्रशिक्षण की एक वृहद् योजना तैयार की गई और जुलाई 1972 म राज्य के लगभग 1,00 लाख शिक्षको को विज्ञान प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया गया।

उद्देश्य —प्रायोजना के प्रमुख उद्देश्य ये थे—

1—विज्ञान शिक्षा का पुनगठन और विस्तार।

2—विज्ञान शिक्षक को प्रभावशाली बनाना।

3—पाठ्यक्रम का समुन्नत करना।

4—पाठ्यपुस्तको, शिक्षकों, प्रयोगशालाओं की विज्ञान शिक्षण हेतु व्यवस्था करना।

5—विज्ञान शिक्षा का गुणात्मक विकास।

**योजना का क्रियान्वयन**

1—यह योजना चार चरणो मे क्रियान्वित की गई। प्रत्येक चरण में 10-12 जिले लिए गए। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को शाला सगमो म विभक्त किया गया था। एक शाला सगम मे 100 125 शिक्षक कार्यरत थे।। शाला सगम का केन्द्र एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया और उसके आस-पास की पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शालाओ को उससे सम्बद्ध किया गया।

2—शाला सगम केन्द्र के विज्ञान व्याख्याताओं को राज्य विज्ञान सस्थान एव अन्य शिक्षा महाविद्यालयो के माध्यम से उन्मुखीकृत किया गया जिन्होने स्रोत पुरुषों के रूप मे कार्य किया।

3—प्राथमिक एव पूर्व माध्यमिक शालाओ के प्रत्येक शिक्षक को पूरे एक वर्ष तक विज्ञान प्रशिक्षण दिया गया जिसमे 10 माह पत्राचार पाठ एव उनके अध्ययन मे प्रत्यक्ष मार्ग दर्शन तथा लगभग डेढ माह सस्था प्रशिक्षण शामिल हैं।

4—शाला सगम केन्द्र के प्राचार्य एव स्रोत शिक्षकों को मानदेय की व्यवस्था का मुख प्रावधान है।

5—जो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्ह प्रमाण पत्र तथा 50 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है।

प्रगति—यह प्रायोजना विभिन्न चरणो को पूरी करती हुई प्रदेश के समस्त प्राथमिक और पूर्व माध्यामिक शालाओं म पहुँच चुकी है। यह प्रायोजना अपनी पूर्णता पर है।

**प्रयोजना क्र० 2 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण (PECR)**

**(Primary Education Curriculum Renewal)**

अनेक प्रयासो के बावजूद भी हम सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकें। इसका मुख्य कारण यह रहा कि जो शिक्षा हम बालको को देते आए हैं वह बालक तथा समाज की आकाक्षाओ एव आवश्यकताओ से जुडी हुई नहीं थी। बदलते समय और परिवेश मे अब हमे इसकी ओर ध्यान देना है।

पाठ्यक्रम का नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है। शैक्षिक सुविधाओं के फैलाव एवं प्रसार के साथ-साथ पाठ्यक्रम का गुणात्मक नवीनीकरण एवं विकास आवश्यक है। बालक की जीवन पद्धति एवं उसे प्राप्त सामाजिक, आर्थिक अवसरों से इस पाठ्यक्रम का तालमेल मिलना अत्यन्त आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम बालक के जीवन, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं तथा समाज में उसके जीवन सम्बन्धी समस्याओं पर आधारित हो। अन्य विषयों के अतिरिक्त पोषण आहार, परिवेश की स्वच्छता, नागरिक सहभागिता एवं मार्गदान आदि का समावेश हो। परिणामस्वरूप ऐसे पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में स्थानीय वातावरण एवं स्थानीय आवश्यकताओं को भी सम्मिलित करना आवश्यक है।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने कहा है कि शिक्षा को चार मूल लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए जो—

(अ) उत्पादकता में सहायक हो।

(ब) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को शक्ति प्रदान करें तथा प्रजातंत्र को शक्तिशाली बनाएँ।

(स) आधुनिकता की गति में तेजी लाए और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन द्वारा चरित्र निर्माण करें।

अतः इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि हमारे अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के पूर्व शाला त्याग देते हैं, एक सम्मिलित प्रयत्न, पाठ्यक्रम के सामाजिक विस्तार का तथा उसमें उत्पादक एवं उपयोगी नागरिकों के निर्माण एवं उनके प्रशिक्षण का किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम का विस्तार और विकास इस प्रकार किया जाय कि वह बालकों की भौतिक, भावनात्मक एवं सौन्दर्य-बोध में सहायक हो सके। सामान्यतः शालाएँ बालकों के व्यक्तित्व के इन क्षेत्रों की उपेक्षा करती हैं तथा उसके बौद्धिक विकास पर ही ध्यान देती हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन के नए दबाव डाले हैं। यह स्पष्ट है कि शिक्षा तक सबकी पहुँच तथा समान अवसरों की प्राप्ति अभी कोसों दूर है। शिक्षा तक सबकी पहुँच प्रथम आवश्यक कदम है परन्तु इस कार्य को समान अवसरों की प्राप्ति के द्वारा समर्थन दिया जाना है। अभी भी गाँवों के समीप शाला सुविधा होने हुए भी ग्रामीण आदिवासी बच्चे शाला छोड़ देते हैं। अतः शाला की बालकों को रोक रखने की शक्ति का विकास उद्देश्य युक्त एवं रुचिकर शिक्षा के पाठ्यक्रम देकर

तथा मूल्यांकन की सरल पद्धति स्वीकार कर, किया जा सकता है। एक सम सामयिक पाठ्यक्रम के विकास के लिए बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पहचानना होगा। क्रियाशील शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का स्थानीय स्वरूप दना होगा।

उद्देश्य —प्रायोजना के निम्नानुसार उद्देश्य हैं

1—प्राथमिक शिक्षा का सवसुलभ बनाने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीनीकरण।

2—बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जन जाति, पहाड़ी तथा शहर के सुविधा वंचित बालकों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना तथा उन्हें सामान्य सैद्धान्तिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

3—शिक्षा का बालक और समाज की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना।

4—नवीकृत पाठ्यक्रम चर्या के आधार पर शिक्षा सामग्री तैयार करना।

5—नवीन पाठ्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षा तकनीकी का विकास करना।

6—पाठ्यचर्या तथा शिक्षा सामग्री के लिए शिक्षक समुदाय का प्रशिक्षित करना।

7—क्षति एवं अवरोध कम करने का प्रयास करना।

8—गुणात्मक एवं शैक्षिक सुविधाओं का ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों म विस्तार करना।

9—स्थानीय परिवेश के माध्यम से बालकों की सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना।

10—नवीन विकसित पाठ्यक्रम का प्रायोगिक शालाओं के माध्यम से परीक्षण।

**प्रायोजना की सीमा**—प्रयोग के लिए यह प्रायोजना प्रारम्भ में वर्ष 1976 से तीन बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं-कुंडेश्वर (जिला टीकमगढ़) पेंड्रा (जिला बिलासपुर) और पिपलौदा (जिला रतलाम) के तत्वावधान में प्रत्येक के अंतर्गत 10-10 प्राथमिक शालाओं के हिसाब से 30 प्रायोगिक शालाओं म चालू की गई थी। वर्ष 1980-81 स इसका विस्तार 10 और बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत 100 अन्य प्राथमिक शालाओं में किया गया है।

**प्रस्तावित पाठ्यक्रम**—इस शिक्षा क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के लिए पाठ्यक्रम की शिक्षा योजना म निम्नलिखित विषय शिक्षण हेतु सम्मिलित किए गए हैं।

1—भाषा—(मातृ भाषा) शिक्षा के विशेष उपकरण के रूप में भाषा शिक्षण को विशेष स्थान एव महत्व दिया जाता है।

2—सामाजिक अध्ययन—कक्षा 1 व 2 म सामाजिक अध्ययन को परिवेशीय अध्ययन के रूप म पढाया जाना चाहिए तथा कक्षा 3, 4, 5 म स्वतत्र विषय के रूप म पढाया जाता है। कक्षा 1 व 2 में परिवेशीय शिक्षा म प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोना सामिल होगे।

3—गणित—बच्चा का परिचय सख्याओ एव उनका दैनिक जीवन मे उपयोग स कराया जायगा।

4—सामा य विज्ञान—प्राथमिक कक्षाओ म विज्ञान का शिक्षण वातावरण का शिक्षा के रूप म होना चाहिए। कक्षा एक व दो सामाजिक एव प्राकृतिक पर्यावरण को सयुक्त रूप से तथा बाद मे दो विषयो म यथा वातावरणीय शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञान।

5—कार्यानुभव—कार्यानुभव के प्रमुख उद्देश्य बालका को हाथ से काम करन के अवसर प्रदान करना है ताकि वे प्रमुख कार्यों हेतु आवश्यक क्षमता उत्पन्न कर सकें।

6—कला शिक्षण—बालका को अपनी कल्पना और भावनाओ क अभिव्यक्तीकरण हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करन हेतु कला शिक्षण को सामिल किया गया है।

प्रायोजना की प्रगति

1—नवाकृत पाठ्यक्रम रचना—राज्य म प्रचलित पाठ्यक्रम को वातावरण तथा पिछडे क्षेत्रो की आवश्यकताओ स जोड कर बनाया गया।

2—राज्य तथा जिला स्तरीय समितियाँ गठित की गई।

3—शिक्षका तथा बुनि० प्रशि० सस्थाओ के स्टाफ का उन्मुखीकरण किया गया।

4—कम पुस्तिकाओ तथा पूरक पुस्तिकाओ का लेखन कार्य किया गया।

5—शिक्षका के लिए मार्गदर्शिकाओ का निमाण।

6—छात्रा की दर्ज सख्या बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण किया गया।

7—क्षेत्रीय परीक्षण के लिए यूनतम अधिगम सातत्य की रूपरेखा बना कर परीक्षण किया गया।

8—कार्यानुभव कार्य को उत्पादन से जोड़ा गया।

प्रायोजना क्र० 3—सामुदायिक शिक्षा एवं सहयोग की विकासात्मक गतिविधियाँ—(Developmental Activities in Community Education and Participation) (DACEP)

भारत की 80 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। अधिकांश जनता ग्रामीण एवं आदिम है और इनकी सामाजिक स्थिति साधारण है। भारतीय जन समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास विभिन्न पहलुओं से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में शिक्षा का विकास तेजी से और अधिक हुआ है। किसी समाज के भाग्य को सुधारने में एवं उसके सदस्यों को समान सुअवसर जुटाने में शिक्षा एक बुनियादी साधन है। इस देश में चाहे शालाएँ न रही हों किन्तु सुसंगठित शिक्षा का प्रावधान हमेशा रहा है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तृत अर्थ माना जाता है। उनकी शिक्षा जीवन पर्यन्त चलती है। चरित्र निर्माण, नैतिक गुणों का विकास, परिवार में सहयोग के साथ रहना बुजुर्गों द्वारा कहानी, रामायण, महाभारत सुनना और उनसे शिक्षा ग्रहण करना आदि उनकी सही शिक्षा है।

इस देश में औपचारिकेतर और अनौपचारिक शिक्षा हमेशा से जनप्रिय रही है। किन्तु बीच में औपचारिक शालाएँ अधिक से अधिक साक्षरता कार्यक्रमों में उलझती गई अतः हमारी औपचारिक या स्कूली शिक्षा जन जीवन से अलग-विलग होती गई। शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने की समस्या, विशेषकर शैक्षिक दृष्टि से पिछले समुदाय में एक चुनौती है। सामुदायिक विकास के कार्यान्वयन से सम्बद्ध गत अनुभव और अन्य शैक्षिक कल्याण कार्यक्रम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि समुदाय की क्रियात्मक सम्बद्धता और सहभाग किसी कार्यक्रम की सफलता हेतु नितान्त आवश्यक है। जिस समुदाय के लिए कार्यक्रम संयोजित किये जाँय उसे शिक्षित होना चाहिए अतः निरन्तर उपयोगी कार्यक्रमों का प्रावधान आवश्यक है। ग्रामीण तथा कृषक गण परम्पराओं से अधिक जुड़े रहते हैं और किसी भी परिवर्तन की आकांक्षा नहीं करते हैं। अतः केवल बालकों और प्रौढ़ों को शिक्षित करने मात्र से हम अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होगा। इसमें सम्पूर्ण समुदाय को समाविष्ट करना होगा और उन्हें शिक्षित भी करना होगा। समुदाय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए तथा समाज का रूपान्तर करने हेतु सामुदायिक शिक्षा और उसका सहभाग ही प्रभावी कदम है।

शिक्षा जैसे विकासात्मक कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता अनिवार्य है। समूचे समुदाय को शिक्षित किया जाना है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत न

केवल समुदाय को शिक्षित करना है वरन् शिक्षा में उसकी सहभागिता भी है। इस संबंध में 'लर्निंग टु बी' से उद्धरण देना उपयुक्त होगा।

Education is developing continually to the point where it is becoming a function of the entire society. Larger and larger sections of population should therefore take part in it.

Auxaliaries and specialists from other professions should be called in to work beside professional teachers. Authorities should also enlist the co-operation of pupils and students in such a way that they teach themselves while instructing others and become imbued with the idea that acquiring an 'intellectual capital' involves its possessor in the duty of sharing it with others.

(Learning to be 218-219)

यह प्रायोजना भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने यूनीसेफ की सहायता से शैक्षिक विकास की गति को तेज करने हेतु प्रारम्भ की है। प्रायोजना के अन्तर्गत 0–35 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या की उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना है। जब प्रौढ़ वर्ग स्वयं शिक्षा की ओर उन्मुख होगा तब वे अपने बालक बालिकाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे तथा तभी लोकव्यापीकरण की दिशा में उनकी सहभागिता एवं सक्रियता होगी।

प्रायोजना की विचार-पद्धति (Approach) की दो धारणाएं हैं—

(1) बालकों की शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह उनके सामाजिक, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन और विकास के साथ कदम मिलाकर चले, एवं

(2) इन समूहों की शिक्षा-सेवा को सशक्त बनाकर अन्य सेवाओं को भी अधिकतम शक्तिशाली एवं उपयोगी बनाया जाय।

प्रायोजना के उद्देश्य

(1) प्रायोजना का प्रथम उद्देश्य ऐसी नवीन शैक्षणिक क्रियाओं का विकास एवं जाँच करना है जो उस बृहद् समुदाय की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को सीमित साधनों से, पूर्ण कर सकें, जो अभी आंशिक या पूर्ण किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहते हैं। सम्पूर्ण जन

समुदाय विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग, पहाड़ी इलाका, आदिम एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक यह प्रायोजना सीमित क्षमता की एक पहुँच है। लड़कियों और माताओं को शिक्षित करने की भी कठिन समस्या है।

(2) द्वितीय उद्देश्य के अन्तर्गत ऐसी शिक्षा का प्रावधान करना है जिसकी सहायता से छात्र उस विरोधाभास को दूर कर सकें जो शाला में सीखे गए ज्ञान और घर अथवा वातावरण में इस समय मौजूद हो।

उपयुक्त उपागम (Access) इस बात पर निर्भर है कि—

(अ) बालक को सार्थक शिक्षा दी जाय जो उसके सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में धीरे-धीरे क्रमिक परिवर्तन एवं संशोधन ला सके। यह समुदाय की शिक्षा एवं प्रेरणा से ही उपलब्ध किया जा सकता है। यह केवल शिशुओं और शाला के बाहर बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ही लक्षित नहीं करेगी अपितु शाला परित्यागी तथा माताओं को भी प्रभावित करेगी।

(ब) एकीकृत शैक्षिक सेवाओं से इन समूहों में विशेषकर ब्लाक में ही ब्लाक के विकास हेतु एकीकृत सेवा कार्यक्रम अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन को पुनः लागू कर उसे बढ़ाया जा सकता है।

प्रायोजना के विशिष्ट उद्देश्य

(1) शिशु, शाला से बाहर के बच्चे, स्कूल परित्यागी बच्चे तथा माताएँ जो अभी भी आंशिक एवं पूर्णरूप से शिक्षा से वंचित हैं उनकी न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

(2) बालक एवं प्रौढ़ विशेषकर स्त्रियों को शिक्षित करने की प्रक्रिया में समुदाय को भी सम्बद्ध करना।

(3) औपचारिकेतर शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना।

(4) बालक की देख-भाल की एकीकृत सेवाओं एवं समुदाय में प्राप्त अन्य सामाजिक कल्याण सुविधाओं के प्रभाव को बढ़ाना।

(5) शाला परित्यागी बालक को इस योग्य बनाना कि वह किसी स्तर पर शिक्षा की मुख्य धारा से स्वयं को जोड़ सके।

(6) शाला न जाने वाले किशोरों एवं प्रौढ़ों को क्रियात्मक शिक्षा (Functional Education) या व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना।

(7) सम्पूर्ण समुदाय का विकास करना और प्रजातंत्र के आदर्शों के अनुसार उनमें नागरिक गुणों का विकास करना।

प्रयोजना के कार्यक्रम

(1) शिक्षा को प्रभावी, व्यावहारिक तथा सार्थक बनाने हेतु समग्र समुदाय का सहयोग प्राप्त करना।

( ) समुदाय का स्वास्थ्य, स्वच्छता, नागरिकता, पोषक आहार तथा व्यावहारिक शिक्षा के विकास में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

(3) विभिन्न आयु समूहों से सहभागियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जीवनोपयोगी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।

(4) सहभागियों की दैनिक आय न उद्योग की विकसित तकनीक का ज्ञान देकर तथा सहकारिता के आधार पर विकास करने का प्रयास करना।

(5) समुदाय के विभिन्न योग्य सदस्यों से उनकी क्षमता अनुसार क्रियात्मक शिक्षा के कार्यक्रमों से सहयोग प्राप्त करना।

विशिष्ट कार्यक्रम—प्रयोजना क्र० 3 के अन्तर्गत 0-25 आयुवर्ग के लिए विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं —

(1) 0-3 वर्षीय आयु समूह के बच्चों तथा माताओं हेतु कार्यक्रम

0-3 आयु समूह के बच्चों के लिए माताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। इसमें गर्भ प्रसव पूर्व तथा प्रसवोपरान्त रखी जाने वाली सावधानियों हेतु प्रशिक्षण, अन्धविश्वासों से मुक्ति तथा खेल का महत्व आदि का ज्ञान दिए जाने का आयोजन है।

(2) 3-6 वर्ष के आयु समूह हेतु कार्यक्रम

यह आयु भावोद्वेलन तथा स्वानुभव की आयु है। इस आयु में बालक जो कुछ सीखता है उसका आधार क्रिया है। अतएव इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, यात्रा में भ्रमण, समूह गान, समूह में खेलना, अभिनय, समूह वाद विवाद, प्रकृति, परिक्रमा, पालतू पशुओं से प्रेम, रचनात्मक क्रियाकलापों आदि से ज्ञान की व्यवस्था की गई है।

(3) 6-14 वर्ष के आयु समूह हेतु कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 6-14 आयु वर्ग के उन बालकों के लिए है जो किसी कारणवश शाला में वंचित रह या प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पूर्व किसी बिन्दु पर शाला का नियमित अध्ययन छोड़ गए। इन बालक बालिकाओं के लिए और अनौपचारिक पाठ्यक्रम की योजना है किन्तु यह पाठ्यक्रम कार्यानुभव केन्द्रित है।

(4) 15-25 वर्ष की आयु वर्ग हेतु कार्यक्रम

शाला से वंचित युवाओं के लिए यह कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उन्हें क्रियात्मक शिक्षा देना है तथा जीवन में स्वावलम्बन की शिक्षा प्रदान करना है। अतः उनके ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध जो उद्योग हैं यथा कृषि, पशुपालन, आंगनबाड़ी, चर्मकला, बीड़ी पत्ता आदि की उनको व्यवस्थित जानकारी प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, मनोरंजन, सहकारिता आदि के कार्यक्रम चलाना भी है।

प्रायोजना में आयु का बंधन नहीं है। यह जीवन पर्यन्त शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें शारीरिक, मानसिक सांस्कृतिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। ये कार्यक्रम तीन स्तरों पर क्रियान्वित किए जाते हैं —

1—प्रौढ़ों के लिए कार्यक्रम

2—महिलाओं के लिए महिला मण्डल

3—युवकों के लिए युवक मण्डल

इनमें शैक्षिक, स्वास्थ्य, नैतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यों का अभ्यास कराया जाता है।

प्रायोजना का क्षेत्र

मध्य प्रदेश में यह प्रायोजना वर्ष 1976 से प्रायोजना क्र० 2 के साथ ही 2 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दो ग्रामों में चल रही है। बुनियादी प्रशिक्षण संस्था कुंडेश्वर (जिला-टीकमगढ़) की देख-रेख में ग्राम पठा और बुनियादी प्रशिक्षण संस्था पेंड्रा (जिला बिलासपुर) की देख-रेख में ग्राम बघी में योजना के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तार के चरणों में 5 अन्य केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 5 अन्य केन्द्रों के लिए विचाराधीन है। यह प्रायोजना राज्य शिक्षा संस्थान म० प्र० भोपाल के निर्देशन में क्रियान्वित हो रही है। इस योजना में औपचारिकेतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रायोगिक क्षेत्र का चुनाव एवं सर्वेक्षण

सामुदायिक एवं सहभागिता की शिक्षा हेतु दो ग्रामों का चुनाव करके सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों को स्थापित किया गया। टीकमगढ़ जिले में कुण्डेश्वर विकास खण्ड का ग्राम पठा तथा बिलासपुर जिले में पेण्ड्रा विकास खण्ड का ग्राम बंधा प्रयोगार्थ चयन किये गये।

सामुदायिक केन्द्रों के रूप में चुने गये दोनों ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया सर्वेक्षण में निम्नानुसार जानकारी एकत्र की गई—

1 ग्राम की जनसंख्या मे पुरुष एव महिलाओं की संख्या, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सुविधा वंचित वर्ग की संख्या।

2 साक्षरता की स्थिति।

3 0-3, 3 6, 6-14 एव 15-25 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या।

4 शाला की शिक्षा से लाभ न उठाने वाले 6-14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या।

5 मुख्य व्यवसायो के आधार पर जनसंख्या का विवरण

6 उपलब्ध सुविधाएँ—सामुदायिक केन्द्र के लिये, बालवाड़ी के लिये, क्रियाशील शिक्षा के लिये।

7 उपलब्ध सुविधाएँ—बस सेवा, ग्राम पचायत, ग्राम सेवक, युवक मण्डल, महिला सभा।

8 स्थानीय सलाहकार व्यक्ति

9 खेल के क्रिया-कलाप

10 कच्चे माल की उपलब्धि

11 सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक प्रदत्त

12 कार्यक्रमो हेतु श्रेष्ठ स्थान

13 क्रियात्मक शिक्षा के लिये उपयुक्त समय

14 बालिकाओ एव माताओ के लिय कार्यक्रम

किए गए कार्य—इस प्रायोजना में राज्य शिक्षा संस्थान के निर्देशन में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न हो चुके हैं।

1—सम्बन्धित शिक्षकों एव पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

2—सामुदायिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

3—मार्गदर्शिकाओं का निर्माण

4—उद्योग प्रशिक्षण तथा आय वृद्धि के प्रयास

5—विभिन्न आयु समूह के सहभागिता हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा।

6—कार्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन।

7—राज्य एव जिला स्तर पर विभिन्न शासकीय विभागों के समन्वय से समितियों का निर्माण।

म० प्र० मे प्रायोजना क्र० 3 के अन्तगत चलाए जा रहे कार्यानुभव—

1—कुडेश्वर केन्द्र (ग्राम—पठा म)

अ—साबुन बनाना

ब—मोमबत्तिया बनाना

स—जूट का काय

द—चाक बनाना

2—पेण्ड्रा केन्द्र (ग्राम—बधी मे)

अ—सीलिंग वैक्स (चपडा)

ब—रस्सी बनाना

स—रबड का काय

द—अगरबत्ती

य—लाई बनाना।

प्रायोजना क्र० 4 पोषण आहार स्वास्थ्य एव परिवेश की स्वच्छता
(Nutrition Health Education and Environmental Sanitation)

यह प्रायोजना यूनीसेफ की सहायता से म० प्र० मे राज्य विज्ञान शिक्षा सस्थान के निर्देशन म मण्डला जिले में वर्ष 1976 से प्रारम्भ का गई। प्रथम चरण मे इसका परीक्षण किया जा रहा है तत्पश्चात् 500 प्राथमिक शालाओ मे पुन इसका परीक्षण होगा।

बालक एव समाज एक दूसर के प्रतिबिम्ब हैं। अत आहार पोषण एव परिवेश स्वच्छता की जानकारी न केवल दोनो को पहुँचे बल्कि बदलते हुए परिवेश मे इस जानकारी का उपयाग करने के लिए दोनो का ही समान रूप से बाध्य किया जाना चाहिए।

इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य पाठ्यक्रम मे बिना पढाई का भार अधिक किए हुए पोषण आहार एव परिवश की स्वच्छता सम्बन्धी धारणाओ का पाठ्यक्रम म समावेश करना है।

प्रायोजना के उद्देश्य

(1) भोजन सम्बन्धी खाद्य-पदार्थों का ज्ञान व महत्व बताना।

(2) उपलब्ध खाद्य-पदार्थों को स्वादिष्ट व पौष्टिक बनाने हेतु प्रयास करना।

(3) खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में सहायता करना।

(4) भोज्य पदार्थों का संरक्षण व संग्रहण करना।

(5) समुचित पर्याप्त भोजन की आवश्यकता, उचित पोषण का शारीरिक, मानसिक विकास एव स्वच्छ तथा सुखी जीवन म योगदान का अवलोकन करना।

यह प्रायोजना बहुसख्यक समुदायो की न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकताओ की पूर्ति का आशिक पहलू है। अल्पसुविधा प्राप्त घरों के बच्चे कुपोषण, अस्वास्थ्य-कर परिवेश तथा रुग्णताओ के कारण शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक अध्ययन लेटिन अमेरिका म किया गया तो पता चला कि बच्चे वर्ष में 50 दिन बीमारियो के कारण शाला नही जा पाते हैं, यद्यपि भारत म ऐसा कोई अध्ययन नही किया गया है तथापि सुविधा वचित क्षेत्रो मे ऐसी ही दय नीय और चिन्तनीय स्थिति है। यह स्थिति शिक्षा के लोकव्यापीकरण में बाधक है।

आज का बालक कल का नागरिक है, एक ओर हम उसकी शिक्षा की चिता कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य और आहार का भी ध्यान रखना होगा। देश मे कुपोषण और अद्धपोषण की समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। हमारी आबादी का लगभग 14 प्रतिशत भाग 6-11 आयु वग का है अत सरकार द्वारा इनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बालको के कुपोषण का मुख्य कारण हमारी नासमझी है गरीबी उतनी नही है। हम सस्ती चीजो मे पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। जो हमे प्राप्त हो रहा है उसी को सही और स्वच्छ ढग से खाएँ तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने बच्चो को स्वस्थ रख सकते हैं। अत शिक्षा के द्वारा हम इस कुपोषण और अर्द्धपोषण की समस्या को हल कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, शहर के गन्दी बस्तिया, आदिवासी क्षेत्रो म यह समस्या काफी जटिल है।

भारत सरकार ने प्रथम पचवर्षीय योजना से ही इस सम्बन्ध म काफी प्रयत्नशील है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू० एच० आ०), फूड एग्री कल्चर सगठन (एफ० ए० ओ०) एव यूटीसन प्रोजेक्ट इस कार्य म सलग्न हैं। डॉ० जानसन जिसे पोषण आहार और स्वास्थ्य शिक्षा का मसीहा माना जाता है, का कहना था कि हम बालको को केवल पोषण आहार तथा परिवेश स्वच्छता की शिक्षा ही दे, बाकी शिक्षा की उनको आवश्यकता नही है। यूनीसेफ की सहायता से एन० सी० ई० आर० टी० एव आई० सी० एम० आर० के सहयोग से प्राथमिक शालाओ में "पोषण आहार और परिवेश स्वच्छता

शिक्षा" की प्रायोजना प्रारम्भ की गई है। पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बाटा गया है। इनके मुख्य केन्द्र हैं तामिलनाडु, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र यह प्रायोजना राज्य विज्ञान संस्थान तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के निर्देशन में मण्डल-जिले के डिंडोरी ब्लाक में प्रायोगिक रूप में चलाई जा रही है।

स्वास्थ्य नागरिक बनने के पूर्व बालक की प्राथमिक नींव मजबूत, निरोग व सहनशील होना अनिवार्य है। बच्चों में संक्रामक रोग तथा तत्वों की कमी से अनेक रोग शीघ्र हो जाते हैं। उनमें यह जागरूकता पैदा की जाती है कि वे स्वच्छ रहें, सुन्दर बनें तथा अपने परिवेश की स्वच्छता और सुन्दरता का भी ध्यान रखें। बालक के विकास की गति बडी तीव्र होती है। उन्हें और अधिक शक्ति के लिए आवश्यक तत्व चाहिए। बालक घर से बाहर भी रहता है। स्कूल के नए वातावरण में जाता है जहा उसे अनेक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक स्थिति से सामना करना पडता है। उसकी बहुत सी शक्ति इस नई स्थितियों से सामना करने में भी खर्च होती है। ऐसी अवस्था में उसे पौष्टिक एवं तत्वों से युक्त भोजन न मिला तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विटामिनों की कमी से हजारों बालक प्रतिवर्ष अन्धे होते हैं तथा अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर असमय में ही काल-कवलित हो जाते हैं। अतः हम अपनी वर्तमान हालत में ही जो कुछ मिल रहा है उसी में ही *सस्ते खाद्य-पदार्थों से आवश्यक तत्व बालकों को उपलब्ध कराना* होगा।

इसके साथ ही स्वयं की तथा परिवेश की स्वच्छता भी अत्यन्त आवश्यक है। बालक को स्वयं साफ रहने के साथ-साथ आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की शिक्षा भी उसे देना होगा। बालकों की अच्छी आदतों का निर्माण सिखाना होगा जिससे वह भविष्य में स्वस्थ, स्वच्छ और सुखी जीवन-यापन कर सके। हम सभी का यह कर्त्तव्य है कि स्कूली और किताबी शिक्षा के साथ-साथ पोषण आहार और परिवेश स्वच्छता की शिक्षा भी बालकों को दी जाय तथा इसके लिए उनके मां बाप को भी शिक्षित करना होगा।

पोषण शिक्षा का कार्यक्रम विकसित करने हेतु निम्न क्रमवत कार्यवाही प्रस्तावित है —

1— शाला में पढ़ने वाले एवं उनके माता-पिता की भोजन संबंधी आदत, भोजन के रूप में उपयोग होने वाली वस्तुएँ उनके पकाने की विधियाँ इन सबका सर्वेक्षण करना।

2—उनके वातावरण में होने वाली उपज, फल, फूल, जंगलों में पाई जाने वाली आहार योग्य वस्तुओं का सर्वेक्षण।

3—'आहार में उपयोगी वस्तुओं का रासायनिक विश्लेषण, प्रोटीन, चिकनाई, शकरा, विटामिन तत्वों की मात्रा।

4—उनकी उम्र, एवं अवस्था के अनुसार प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला संतुलित भोजन प्रस्तावित करना।

5—शालाओं में मौसमी फल, सब्जियां उगाने का प्रयास करना।

6—बालकों के लिये संतुलित आहार सामूहिक रूप से सस्ते दामों पर बनाकर शालाओं में वितरित करना।

7—बालकों, महिलाओं तथा मनुष्यों की समय-समय पर डाक्टरी जाँच कर उपचार करने का प्रबन्ध करना।

8—पोषण शिक्षा संबंधी दिन, सप्ताह, माह आदि मनाने का शाला एवं समुदाय में प्रबंध करना।

9—पोषण शिक्षा के तत्वों को अन्य विषयों से समावेश करना।

10—समय-समय पर बालकों की आहार संबंधी आदतों का सर्वेक्षण करना।

प्रायोजना क्र० 5—प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम

(Comprehensive Access to Primary Education)

(C A P E Project)

शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 'केप' योजना एक नया कार्यक्रम है। यह प्रायोजना 9-14 आयु वर्ग के सुविधाहीन बच्चों के लिए यूनीसेफ की मदद से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्य शिक्षा संस्थान म० प्र० के निर्देशन में वर्ष 79-80 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना उन बालक बालिकाओं के लिए है जो औपचारिक शालाओं में कतिपय कारणों से नहीं आ पाते है। ऐसे बालकों के लिए ऐसी पाठ्यचर्या का विषय सामग्री निर्मित करना है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जीवन सम्बन्ध मूलक हो।

क्षेत्रीय विभिन्नताओं, सामाजिक विषमताओं तथा विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जन के साधनों के कारण विषय सामग्री बहु व्यापक लचीली, स्थानीय विशिष्टताओं के अवसरों सहित एवं सामाजिक दृष्टियों से उपयोगी होगी। इसका

सम्बन्ध बच्चे के वास्तविक परिवेश से होगा। इस तरह की पाठ्य सामग्री का निर्माण एवं उसका परीक्षण शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सहायक होगा।

*प्रायोजना का उद्देश्य*—*इस प्रायोजना का उद्देश्य दूर स्थानों में अलग-अलग* अंचलों में रह रहे बच्चों के लिए सामग्री तैयार कराकर उन्हें शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना है। निर्मित अध्ययन सामग्रियाँ समुदाय की तथा स्थानीय विशिष्टयों पर आधारित होंगी।

प्राथमिक शिक्षा के व्यापक उपागम की यह परियोजना (केप) एक नया प्रयास है, केवल इसलिए नहीं कि यह अब तक उपेक्षित बच्चों के लिए है बल्कि इसलिए भी कि इसमें नई युक्ति एवं नई दृष्टि को अपनाया गया है। इस परियोजना में स्कूल के बाहर के बच्चों तक पहुँचने और उन्हें शिक्षित करने की *कोशिश की जायगी, चाहे वे बच्चे कहीं भी हों। उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य* नहीं किया जायगा किन्तु यदि उनकी इच्छा होगी तो इसकी व्यवस्था की जायगी। इन बच्चों के लिए अधिगम सामग्री विषयोन्मुख पाठ्यपुस्तकें नहीं होंगी अपितु इसमें कम समय के शिक्षण माड्यूल होंगे जो उनकी विशिष्ट जरूरतों और समस्याओं पर आधारित होंगे। अधिगम सामग्री का लक्ष्य उनको लिखना, पढ़ना और गणित की जानकारी देने के बजाय उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना होगा।

केप योजना का क्षेत्र

9-14 आयु वर्ग के ऐसे बालक—

—जो शाला त्यागी हों,

—जो कभी शाला न गए हों,

—जो मुख्यतः सुविधा वंचित क्षेत्रों से सम्बन्धित हों।

विशेषकर हरिजन, आदिवासी, ग्रामवासी अथवा पिछड़े क्षेत्रों के इन बच्चों के जीवन की समस्याओं पर आधारित शिक्षण सामग्री, पैकेजों, माड्यूलों ऐपीसोड तथा केपसूलों के रूप में तैयार की जा रही है।

बड़ी संख्या में अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० देहली, योजना का राष्ट्रीय स्रोत केन्द्र होगा, राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान स्रोत केन्द्र होगा, अन्य स्रोत केन्द्र होंगे। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ, विकास खण्ड आदि।

कृत कार्य

1—बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों का उन्मुखीकरण।

2—बुनियादी प्रशि० संस्थाओं के व्याख्याताओं का प्रशिक्षण।

3—अधिगम पाठों (पैकेज) का निर्माण प्रारम्भ।

पाठ्यचर्या में निरूपित परिवर्तन

पाठ्यचर्या विकास के मानदण्ड बनाते समय निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जायगा।

1—सम्बन्ध

2—लचीलापन

3—स्थानीय विशिष्टताएं

4—समाजोपयोगी कार्य एवं समाज सेवा। -

सम्बन्ध—इस पाठ्यक्रम का बच्चों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से तथा बालक और समुदाय की आवश्यकताओं से सम्बन्ध होगा। पाठ्यक्रम की विषय सामग्री में राष्ट्र और समाज की समस्याएँ सामान्य तौर पर एवं बच्चों तथा समुदाय की समस्याएँ विशेष तौर पर प्रतिबिम्बित होगी।

लचीलापन—सम्बन्ध मूलक पाठ्यक्रम में लचीलापन आवश्यक है अन्यथा प्रासंगिकता क्षणिक होगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए अधिगम अनुभवों का विभिन्न प्रकार का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए वरन् वह उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल अलग-अलग प्रकार का होगा। अधिगम सामग्री अधिगम अनुभवों, प्रसंगों के सन्दर्भ में तैयार होगी। ज्ञान शाखा परक विषयों के बजाय विकास समस्याएँ, वैयक्तिक, सामाजिक या सामुदायिक समस्याएँ विषय-सामग्री का रूप लेगी। इस प्रकार तत्काल परिवेश से सम्बद्ध स्थानीय विशिष्टताओं का अधिगम सामग्री में समावेश किया जा सकेगा।

स्थानीय विशिष्टताएं—सम्बद्ध और लचीले पाठ्यक्रम में स्थानीय विशिष्टताओं का अवयव होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की विषय सामग्री समस्याओं पर आधारित होना चाहिए और उसे सारे बालक के चारों ओर के वास्तविक परिवेश से लिया जाना चाहिए।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवा

समाजोपयोगी कार्य बालक की शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दसवर्षीय पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की रिपोर्ट

के अनुसार सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक काय (Socially Useful Productive Work—S U P W) ऐसा सोद्देश्य एव अथपूण हाथ से किया जाने वाला कार्य है जिसके परिणामस्वरूप समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो। बच्चे की जरूरता से सम्बन्धित सोद्देश्य उत्पादक काय और सेवाएँ छात्र के लिए भी अर्थपूर्ण सिद्ध होगी। इस कायक्रम का उद्देश्य बच्चों को कक्षा के भीतर और बाहर सामाजिक एव आर्थिक कायकलापों मे भाग लेने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे विभिन्न कार्यों की प्रक्रियाओं और उनमे निहित वैज्ञानिक सिद्धान्तों को समझने की क्षमता प्राप्त कर सके।

**पाठ्यचर्या का विकेन्द्रीकरण**—बालकों के लिए पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया और उसकी विषय-सामग्री म आमूल परिवर्तन की दृष्टि अपनाई गई है।

(1) पाठ्यक्रम विकेन्द्रीकृत होगा और यह क्षेत्र म काय कर रह कायकर्ताओं द्वारा तैयार होगा। यह विद्यार्थियों और समुदाय की अपनी स्थिति मे अन्त क्रिया (Interaction) का परिणाम होगा। इसमे स्थानीय विशिष्टता का तत्व पर्याप्त मात्रा मे प्रतिबिम्बित होगा।

(2) पाठ्यक्रम की विषय-सामग्री जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से ली जायगी जो विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण होगा। विषय-सामग्री विभिन्न अधिगम प्रसगों, अधिगम अनुभवों समस्याओं, और गतिविधियों के सग्रह के रूप म होगी जिन्ह स्वय अधिगम माड्यूलों के रूप म परिवर्तित किया जायगा।

(3) विकास कायक्रमों के आस पास चुने गए अधिगम प्रसगों के ये माड्यूल अल्प समय के होगे (1 से 3 घटे तक या आवश्यकतानुसार और भी कम समय के)।

(4) यह मानते हुए कि शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का और उसके फलस्वरूप जीवन म गुणात्मक सुधार का प्रमुख साधन है, विषय-सामग्री का विकास बच्चे के परिवेश और उसके परिवार, समुदाय के विकास सम्बन्धी पहलुओं से किया जायगा—जैसे अनाज का अधिक उत्पादन, बिजली उत्पादन लघु उद्योगों से सम्बन्धित काय-कलाप, वनरोपण, भू सरक्षण, भाग्यवाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद उन्मूलन आदि आदि। इस प्रकार शिक्षा न केवल जीवन के लिए बल्कि जीवन म भी होगी। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा म सातत्य स्थापित किया जायगा।

(5) विकेन्द्रित पाठ्यक्रम की बुनियादी आवश्यकता के रूप म अधिगम प्रसंगो के विषय, यथासभव, क्षेत्र म ढूढे पहचाने जायेंगे ताकि उनसे विद्यार्थी की आवश्यकताओ का सही और प्रामाणिक सम्बन्ध प्रतिबिम्बित हो ।

*पाठ्यक्रम के विकास के अभिकरण (Agencies)*

पाठ्यक्रम के विकास के निम्नलिखित अभिकरण होंगे ।

1—प्राथमिक स्कूल

2—खण्ड या जिला स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक कार्यालय

3—प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण सस्थाएँ

4—विकास एव विस्तार अधिकारी ।

●

# भारत मे पचवर्षीय योजनाएँ एव शैक्षिक आयोजन

(Five-Year Plans and Educational Activities in India)

भारत मे शैक्षिक आयोजना का इतिहास काफी नया है। शैक्षिक आयोजन का प्रथम प्रयास 1938 में एक अशासकीय समिति (Un official Body) द्वारा किया गया तथा दूसरा 1944 मे केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। प्रथम आयोजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक विकास के सन्दर्भ मे शैक्षिक विकास की ओर ध्यान देने का था और इस प्रकार इसे पूर्ण आयोजना कहा जा सकता है। दूसरी आयोजना मे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान मे नही रखा गया किन्तु एक भावी योजना तैयार की गई। चूकि ये योजनाएँ कार्यान्वित नही की जा सकी इसलिए इनका कोई शिक्षा पर प्रभाव नही हुआ। तृतीय प्रयास भारत के स्वतत्र होने के उपरान्त 1951 मे किया गया जब कि प्रथम पचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ। इस आयोजन मे शिक्षा का राष्ट्रीय विकास का एक अग माना गया, लक्ष्य निर्धारित किए गए, प्राथमिकताएँ निश्चित की गई तथा वित्त की व्यवस्था की गई।

1 स्वतत्रता के पूर्व की अवधि

प्रथम राष्ट्रीय योजना—भारतीय अधिनियम 1935 के अन्तगत राज्यो का स्वायत्तता प्रदान की गई तथा 1937 म अधिकाश राज्यो म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। इस बीच एक केन्द्रीय सरकार बनाने की बात भी सोची गई और इसी के अनुक्रम मे एक राष्ट्रीय क्रियाकलापो की विस्तृत योजना बनाने की बात भी सामने आई। 1938 मे प० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता म एक राष्ट्रीय योजना परिषद् का गठन हुआ। योजना परिषद् ने अपनी दो उपसमितिया शैक्षिक विकास की योजनाएँ तैयार करने के लिए निर्माण की। एक उपसमिति सामान्य शिक्षा के लिए जिसके अध्यक्ष डा० राधाकृष्णन थे तथा दूसरी उपसमिति तकनीकी शिक्षा के लिए निर्माण की गई जिसके अध्यक्ष डॉ० मेघनाथ साहा थे। युद्ध एव शान्ति के उद्देश्यों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस तथा सरकार के बीच असहमति एव विचार भिन्नता हो जाने से प्रान्तीय सरकारे भग हो गइ तथा योजना का काय रुक गया।

2 युद्धोत्तर काल की शक्षिक विकास आयोजना

1943 म गवनर जनरल ने इच्छा प्रकट की कि भारत म युद्धोत्तर काल के विकास के लिए एक योजना बनाई जाय जिसम शिक्षा को भी शामिल किया जाय। अत इस सम्बन्ध म शासकीय प्रयास किया गया। इसी बीच 1938 स 1943 के बीच नियुक्त गई समितियो की शिक्षा के सम्बन्ध मे रिपोर्ट भी आ चुकी थी अत उससे शिक्षा के सम्बन्ध म भावी योजना निर्णय का आधार भी मिल गया। तत्कालीन शिक्षा आयुक्त भारत सरकार जॉन सार्जेंट ने शिक्षा समितियो की रिपोर्टों का समन्वय कर युद्धोत्तर काल के शैक्षिक विकास के सम्बन्ध म योजना का एक मसौदा तैयार किया जिसे सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। यह शैक्षिक योजना 40 वर्षीय थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य था देश की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताएँ क्या है, उन्ह कब तक पूरा किया जा सकता है और उनका क्या व्यय होगा। चूकि योजना क क्रियान्वयन म असली मुद्दा आर्थिक पक्ष का होता है अत उसकी समुचित व्यवस्था न होने से योजना केवल कागजी बनकर रह गई।

सार्जेंट योजना आकडो मे

| | आयु वग अनुमानित दज सख्या | शिक्षा का स्तर कक्षाएँ | अनुमानित वार्षिक व्यय लाखो म |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 6 आयु वग (10 लाख) | पूव प्राथमिक (नर्सरी कक्षाएँ) | 320 00 |
| 2 | 6-11 वष (359 लाख) | जूनि० बसिक (कक्षा I-V) | 11400 00 |
| 3 | 11 14 वष (156 लाख) | सीनियर बेसिक (VI-VII) | 8600 00 |
| 4 | (अ) 14-17 वष (73 लाख) | (अ) हाई स्कूल्स (IX-XI) | 7900 00 |
| 5 | (ब) 17-22 वष (75 हजार) | (ब) तकनीकी, वाणिज्य एव कला स्कूल्स | 1000 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | (अ) 17-22 आयु वर्ग (2 40 लाख) | (अ) विश्वविद्यालयीन शिक्षा | 960 00 |
| | (ब) 17-22 आयुवग (25 हजार) | (ब) तकनीकी, वाणिज्य एव कला महाविद्यालय | इसका व्यय उपयुक्त 4(ब) म सामिल है। |
| 7 | 17-19 आयु वग (20 लाख) 20-22 आयु वग (1 80 लाख) | शिक्षक प्रशिक्षण पूव स्नातक स्नातक | 620 00 |
| 8 | 10-40 आयु वग (9 करोड) | प्रौढ शिक्षा | 300 00 |
| 9 | 14-20 आयु वग (320 लाख) | मनोरजन एव सामाजिक क्रियाकलाप | 100 00 |
| 10 | | रोजगार ब्यूरो | 60 00 |
| | | कुल व्यय | 31260 00 लाख |

## स्वतत्र भारत मे शैक्षिक आयाजन

**योजना आयोग की स्थापना**—1947 म दश आजाद हुआ। उसके बाद सभी दिशाओ म राष्ट्रीय विकास का काय हाथ म लिया गया। केन्द्र सरकार ने 15 माच 1950 मे योजना आयोग की स्थापना की तथा राज्या एव केन्द्र सरकार की मदद स राष्ट्र की सम्पूण आयाजना का इसे भार सौपा गया। योजना आयोग का काय विस्तृत नातिया बनाना, प्रोग्राम बनाना, विभिन्न समितियो की रिपाट पर विचार कर राष्ट्र के स्रोता को देखत हुए योजना का मसौदा तैयार करना तथा राशि निर्धारित करना है।

**काय विधि**—शैक्षिक आयोजना के लिए दो स्तरा पर प्रस्ताव बनत है प्रथम राज्य स्तर पर जहाँ शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय अपन प्रस्ताव बनाते हैं दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयाग द्वारा। इन दोना स्तरो के प्रस्तावो पर विचार करन तथा एक मसौदा तैयार करने के लिए कायकारी दल का निमाण होता है जिसम योजना आयाग के प्रतिनिधि केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय तथा राज्यो क शिक्षा विभाग क प्रतिनिधि सामिल

होते हैं । यह कार्यकारी दल छोटी-छोटी समितियाँ नियुक्त करता है जो शिक्षा के विभिन्न शाखाओं, पहलुओं पर विचार कर अपनी राय व्यक्त करती हैं। राज्य स्तर पर भी ऐसी समितियां बनती हैं जिनकी राय केन्द्रीय समिति मानती है। सभी समितियों के प्रस्तावों को एक कर शिक्षा मंत्रालय अपने प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत करता है। योजना आयोग अन्य क्षेत्रों के विकास प्रस्तावों के साथ राष्ट्रीय उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए पंच वर्षीय योजना का मसौदा '(Draft) तैयार करता है। इस राष्ट्र को राष्ट्रीय 'विकास परिषद् (National Development Council) अंतिम रूप देता है और स्वीकार करता है।

योजना का स्वरूप निर्धारित करने, लक्ष्य तथा प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, विभिन्न सेक्टर्स को राशि उपलब्ध कराने तथा अन्य ऐसे ही मामलों के लिए राष्ट्र विकास परिषद् सर्वोच्च संस्था है। देश का प्रधान मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। केन्द्रीय मंत्रीगण तथा राज्यों के मुख्य मंत्रीगण इसके सदस्य होते हैं। अंतिम रूप से स्वीकृत पंचवर्षीय योजना के मसौदे को जनता की आम राय जानने के लिए प्रकाशित किया जाता है। सही सुझावों का मसौदे में शामिल कर लिया जाता है। लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप से निर्धारित कर राशि का बंटन कर योजना को अंतिम स्वरूप देकर स्वीकृत कर दी जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने-अपने बजट में आयोजना के लिए राशि देकर संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में पास करवा लेती है और इस प्रकार पंचवर्षीय योजना को जनता की स्वीकृति मिल जाती है।

पंचवर्षीय योजनाएँ—सही रूप में राष्ट्रीय क्रियाकलापों की विस्तृत योजना स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन वर्ष बाद प्रारम्भ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारम्भ हुई। अभी तक की पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि इस प्रकार है—

| | | |
|---|---|---|
| 1951–56 | प्रथम पंचवर्षीय योजना | |
| 1956–61 | द्वितीय | ,, |
| 1961–66 | तृतीय | , |
| 1969–74 | चतुर्थ | ,, |
| 1974–79 | पाँचवी | ,, |
| 1980–85 | छटी | ,, |

इन सभी योजनाओं में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का अंग माना गया तथा समाजवादी समाज के निर्माण में शिक्षा की अहं भूमिका को स्वीकार किया गया है।

10 निर्धारित लक्ष्य—पचवर्षीय योजनाओ म शिक्षा के विभिन्न स्तरा पर निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए।

| स्तर | आयटम | 1950-51 वास्तविक | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना | चतुर्थ योजना | पांचवी योजना | छठी याजना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्तर | दर्ज सख्या हजारा मे | 19150 | 28550 | 32540 | 50290 | 69500 | 91200 | |
| 6-11 आयु वग | प्रतिशत | 42 6 | 60 0 | 62 7 | 76 4 | 92 2 | 103 | |
| माध्यमिक स्तर | " | 3120 | — | 6387 | 10160 | 19000 | 28800 | |
| 11-14 आयु वर्ग | | 12 7 | — | 22 5 | 29 8 | 47 4 | 57 | |
| उ० मा० स्तर | " | 1220 | — | 3070 | 4610 | 9000 | 14400 | |
| 14-17 आयु वग | | 5 8 | 15 0 | 11 7 | 15 7 | 22 1 | 23 | |
| विश्वविद्यालय स्तर | " | 300 | 720 | — | 1100 | 1600 | — | |
| 17 23 आयु वग | | 0 7 | 1 4 | 1 8 | 1 9 | 2 4 | — | |

प्रथम पचवर्षीय योजना—भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना 1951 से प्रारम्भ हुई और 1955-56 मे पूरी हुई। इस योजना मे कहा गया कि जब तक मनुष्यो की शिक्षा और विकास नही होगा कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है और उत्पादन वढाने के लिए भी शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि पर्याप्त स्रोत जुटाए जाँय और शैक्षिक विकास का पूरा-पूरा प्रयास किया जाय।

प्रथम योजना मे प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अलावा अन्य स्तरो पर कोई लक्ष्य निर्धारित नही किए गए। बाकी अन्य योजनाओ म सभी स्तरो पर कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। प्रथम योजना मे शिक्षा के लिए निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई।

(i) विभिन्न स्तरो पर उपलब्ध सुविधाओ का विकास एव सुदृढीकरण।
(ii) शिक्षा की विकसित विधियो म नवाचार एव शोध।
(iii) प्राथमिक एव माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण।
(iv) बालको, शिक्षको, प्रौढो के लिए साहित्य का निर्माण।
(v) वैसिक एव सामाजिक शिक्षा के लिए समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
(vi) तकनीकी एव व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिकतम सुविधाओ का विकास।
(vii) विश्वविद्यालयीन शिक्षा के स्तर मे सुधार तथा स्नातकोत्तर कार्य एव शोध का विकास।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र से 66% अनुदान हिन्दी के प्रचार-प्रसार योजनाओ के लिए, 60% अनुदान स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयो, पूर्व प्राथमिक शालाओ, स्कूल सह सामुदायिक केन्द्रो तथा समाज शिक्षा के कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुई।

प्रथम आयोजना के लिए 2069 करोड की राशि निर्धारित की गई जिसमे से 151 66 करोड जो कि पूरी योजना राशि का 7 34 प्रतिशत है, शिक्षा के लिए प्रावधानित की गई।

योजना के लक्ष्य शालेय शिक्षा के लिए प्रथम योजना मे अग्रानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए—

(i) प्रथम पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 6 11 और 11 14 आयु वग के लगभग 60% बालको को दर्ज करना ।

(ii) 6-11 आयु वर्ग की छात्राओ का दज प्रतिशत जो 1950 51 म 23 3% था, उसे 1955-56 मे 40% तक ले जाना ।

(iii) उच्च० माध्यमिक स्तर पर 15 प्रतिशत दज सख्या का लक्ष्य तथा बालिकाओ का खास तौर पर 10 प्रतिशत दज संख्या लक्ष्य पूरा करना ।

लक्ष्यो को निर्धारित करने के बाद यह भी अनुमान लगाना कि उपलब्ध शासकीय स्रोतो से 6-11 आयुवग के 55 7 प्रतिशत तथा 11-17 आयुवर्ग के 13 3 प्रतिशत बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अत शेष के लिए स्थानीय साधनो का उपयोग किया जाय तथा छात्रो को क्राफ्ट के माध्यम उत्पादन कराकर पूरा किया जाय ।

6-14 आयुवग के छात्रो के लिए बुनियादी शिक्षा पद्धति स्वीकार की गई । बुनियादी शिक्षा पद्धति मे शिक्षको को प्रशिक्षण दिया गया । शिक्षको की भर्ती की गई । 5 वष के बजाय 8 वर्षीय पूरी बुनियादी शिक्षा पद्धति अनुशसित की गई । परम्परागत प्राथमिक शालाओ की अपेक्षा बुनियादी शालाए खोली गई तथा पुरानी शालाओ मे क्राफ्ट चालू करने के लिए क्राफ्ट शिक्षको को प्रशिक्षित करने की अनुशसा की गई ।

माध्यमिक शिक्षा—चूकि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हो चुका था और माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलू आयोग के परीक्षण के अन्तगत थे अत योजना म कुछ खास मुद्दो को ही ध्यान मे रखा गया । माध्यमिक शिक्षा के निम्नानुसार उद्देश्यो की ओर योजना मे ध्यान दिलाया गया था—

(i) शिक्षा हमारे किशोर बच्चो की मनोवैज्ञानिक जरूरतो से सम्बद्ध हो ।

(ii) *शिक्षा हमारी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियो से जुडी हो । शिक्षा* का आधार व्यावसायोन्मुख हो ।

(iii) बुनियादी शिक्षा से सम्बन्ध हमारी माध्यमिक शिक्षा हो । बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के पाठयक्रम म कोई अन्तर नही होना चाहिए ।

(iv) माध्यमिक शिक्षा ऐसी हो जो अधिक छात्रो मे नेतृत्व की भावना पैदा कर सके । माध्यमिक शिक्षा नेतृत्व की शिक्षा हो ।

द्वितीय पचवर्षीय योजना (1956-61)—द्वितीय पचवर्षीय योजना में देश के कुल योजना बजट का 6 4 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित था और यह राशि 307 00 करोड थी। यह राशि प्रथम याजना से 80 प्रतिशत ज्यादा थी। इस योजना मे प्रथम योजना मे हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई।

(i) बुनियादी शिक्षा
(ii) प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) का विस्तार
(iii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में डायवर्सी फिकेसन
(iv) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयो के शैक्षिक स्तर म सुधार
(v) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओ का विस्तार।
(vi) समाज शिक्षा एव सस्कृति के विस्तार कार्यक्रमो का क्रियान्वयन।

इस योजना मे भी प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और केन्द्र ने शत-प्रतिशत राशि इस हेतु प्रदान की। जिन कायक्रमा को 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ, वे थे—प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओ की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, हाई स्कूलो को हायर सेकेण्डरी स्कूलो म तब्दील करना, मल्टी परपज शालाएँ स्थापित करना तथा इनके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षा विभागा म याजना और सांख्यिकी कक्षा का निमाण तथा हिन्दी का प्रचार और प्रसार।

तृतीय पचवर्षीय योजना (1961-66)—तृतीय योजना मे शिक्षा के लिए आयोजना बजट 500 00 करोड था जो कि कुल आयोजना राशि का 7 5 प्रतिशत था। योजना काल मे व्यय की राशि 156 00 करोड केन्द्र द्वारा दी गई तथा 440 00 करोड राज्य सरकारों द्वारा वहन की गई। प्रावधानित राशि से व्यय ज्यादा हुआ।

तृतीय योजना म शिक्षा के निम्नलिखित मुद्दो पर अधिक ध्यान दिया गया—

(i) 6-11 आयु वग के बच्चो की शिक्षा सुविधाओं मे विस्तार।
(ii) माध्यमिक एव विश्वविद्यालयीन स्तर पर विज्ञान शिक्षण मे सुधार एव विस्तार।
(iii) प्रत्येक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास।
(iv) शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार एव सुधार।

(v) छात्र वृत्ति, वृत्तिका, फीस माफी एव छात्रो का आर्थिक सुविधाओ मे वृद्धि।

(vi) छात्राओ की शिक्षा का असनुलन दूर करने के लिए बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न।

(vii) प्रारम्भिक शिक्षा का बुनियादी पद्धति म उ मुखीकरण।

(viii) शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालको म राष्टीय एव भावात्मक एकता पैदा करना।

शिक्षक प्रशिक्षण तथा बालिका शिक्षा के लिए केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा सुविधाओ, तथा शालेय स्तर पर बालको को छात्र वृत्तिया हेतु 75 प्रतिशत राशि केन्द्र से दी गई। तीसरी योजना के अन्त मे 6-11 आयु वग मे 76 7 प्रतिशत, 11-14 आयु वग के 30 8 प्रतिशत तथा 14-17 आयु वर्ग के 16 2 प्रतिशत दज सख्या का लक्ष्य प्राप्त कर सके जब कि दूसरी योजना के अन्त मे इन्ही आयु समूहो मे दर्ज सख्या का प्रतिशत क्रमश॰ 62 4, 22 5 और 10 6 था।

चतुथ पचवर्षीय योजना ( 1969-70 से 1973-74)—चौथी योजना अपने नियमित समय से तीन साल बाद प्रारम्भ हो सकी। इसकी अवधि 1969-70 से 1973-74 तक रही।

चौथी योजना का उद्देश्य 6 से 14 वष के छात्रो को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देन के सवैधानिक निर्देश को पूरा करने की दिशा मे प्रगति करना था। शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर स्तरो पर समेकन और विविधीकरण पर अधिक बल दिया गया जिससे विभिन्न प्रकार के उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो। इस योजना मे शिक्षा के सभी स्तरो पर गुणात्मकता का विकास करन तथा पूव योजनाओ म किए गए काय और प्रगति की समीक्षा कर उसे आगे बढान पर बल दिया गया। निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई—

(i) प्रारम्भिक शिक्षा—निशुल्क और अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा मे क्षति एव अवरोध की समाप्ति तथा पाठयक्रम का कार्योन्मुख बनाना।

(ii) माध्यमिक शिक्षा—व्यावसायिक तथा टर्मिनल कोर्सेस का प्रावधान, तथा विज्ञान शिक्षा का सुदृढीकरण।

(iii) विश्वविद्यालयीन शिक्षा—छात्रो की रुचि का तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोडना, विज्ञान, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध काय का विस्तार।

(iv) शिक्षक प्रशिक्षण—शिक्षक प्रशिक्षण मे सुधार एव विस्तार तथा शिक्षकों की योग्यता वृद्धि पर वार्षिक वेतन वृद्धियो तथा वेतन मे सुधार।

(v) शोध कार्य—पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धतियो मे शोध कार्य।

(vi) सामाजिक शिक्षा—प्रौढ शिक्षा तथा क्रियात्मक साक्षरता का विस्तार।

(vii) पाठ्य पुस्तकें—पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषाओ मे लिखा जाना।

(viii) छात्रों को वित्तीय सुविधाएँ—छात्र वृत्तियाँ तथा शिक्षा के लिए वज मे वृद्धि।

(ix) शिक्षा की तकनीकी—इसे सुधारा जायगा। कम व्यय में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करना। शिक्षा सुविधाओ का पूरा पूरा उप याग और दोहन, समाज से शिक्षा के लिए सहयोग प्राप्त करना।

तीसरी और चौथी योजना के मध्य तीन वर्ष का अन्तराल रहा जिसमे वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित होती रही। इन तीन वर्षों मे शिक्षा योजना के लिए 322 4 करोड की राशि निर्धारित थी जिसमे से 240 9 करोड सामान्य शिक्षा और 81 5 करोड तकनीकी शिक्षा के लिए थी।

संशोधित चतुर्थ योजना के लक्ष्य

(i) शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाए, आर्थिक विकास में सहायक हो तथा विशेष विकास के कार्यों हेतु मानव शक्ति को प्रशिक्षित करे।

(ii) प्रारम्भिक शिक्षा का विकास।

(iii) पिछडे क्षेत्रों, जातियों और बालिका शिक्षा पर विशेष बल तथा उनके लिए शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(iv) माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान।

(v) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के स्तर तथा शोध कार्य मे सुधार।

(vi) पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार तथा पुनर्लेखन।

(vii) शिक्षा की उपलब्ध सुविधाओ का पूरा पूरा उपयोग।

चतुर्थ आयोजना मे शिक्षा के लिए 872 66 करोड रुपया की राशि निर्धारित की जो पूरी आयोजना का 3 5 प्रतिशत थी। इस राशि म से 822 66

करोड की राशि पब्लिक सेक्टर तथा 50 करोड की राशि प्रायवेट सेक्टर के अन्तर्गत थी। राज्य की राशि मे से 271 00 करोड केन्द्र ने तथा 1551 66 करोड प्रान्त सरकारों ने हिस्सेदारी की। 69 1 करोड की राशि सामान्य शिक्षा तथा 125 5 करोड तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित थी।

चार पचवर्षीय योजानाओ मे शिक्षा पर व्यय

व्यय करोडो मे

| मदें | प्रथम योजना 1951-56 | द्वितीय योजना 1956-61 | तृतीय यो० 1961-66 | चतुर्थ योजना 1969-74 |
|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शिक्षा | 84 80 (55 5%) | 92 39 (33 6%) | 186 00 (36 0%) | 239 00 (30 4%) |
| माध्यमिक शिक्षा | 20 20 (13 2%) | 50 87 (18 5%) | 90 09 (18 0%) | 140 (17 8%) |
| विश्वविद्यालय शिक्षा | 13 70 (8 9%) | 45 39 (16 5%) | 75 00 (15 0%) | 195 00 (24 8%) |
| तकनीकी शिक्षा | 20 20 (13 2%) | 52 20 (19 0%) | 130 00 (26 0%) | 106 00 (13 5%) |
| अन्य शैक्षिक कार्यक्रम | 14 00 (9 2%) | 34 07 (12 4%) | 25 00 (5 0%) | 89 5 (11 4%) |
| योग | 152 90 (100%) | 275 00 (100%) | 500 00 (100%) | 786 00 (100%) |

उपलब्धियाँ पहली चार पचवर्षीय योजनाओ म शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर क्रमानुसार उपलब्धियाँ रही—

दज सख्या (लाखों मे)

| क्र० | शिक्षा का स्तर | 1950-51 की स्थिति | प्रथम योजना के अत मे | द्वितीय योजना के अत म | तृतीय योजना के अत मे | चतुर्थ योजना के अत में |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | कक्षा 1 से 5 विद्यार्थी | 191 50 | 251 70 | 349 90 | 504 70 | 637 19 |
| | 6-11 आयु वग की कुल सख्या का प्रतिशत | 42 6 | 52 8 | 62 4 | 76 7 | 84 0 |
| 2 | कक्षा VI से VII के विद्यार्थी | 31 2 | 42 9 | 67 0 | 105 3 | 150 45 |
| | 11-14 आयु वग की सख्या का प्रतिशत | 12 7 | 16 5 | 22 5 | 30 8 | 35 0 |
| 3 | कक्षा IX से XI-XII के विद्यार्थी | 12 2 | 18 8 | 28 9 | 50 4 | 74 75 |
| | 14-17 आयु वग की जनसंख्या का प्रतिशत | 5 3 | 7 4 | 10 6 | 16 2 | 20 0 |
| 4 | विश्वविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी | 3 6 | 6 3 | 8 9 | 14 9 | 31 71 |
| | 17-23 आयु वग का प्रतिशत | 0 8 | 1 4 | 1 8 | 2 7 | 3 5 |

शिक्षा संस्थाएँ और शिक्षक

| शिक्षा की संस्थाएँ शिक्षक | 1950-51 | 55-56 | 60-61 | 65-66 | 73-74 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक/जूनि० | | | | | |
| बेसिक स्कूल | 209671 | 278135 | 330399 | 391064 | 461864 |
| शिक्षक | 537918 | 691249 | 741515 | 944377 | 1231622 |
| मिडिल/सीनि० | | | | | |
| बेसिक स्कूल | 13596 | 21730 | 49663 | 75798 | 87702 |
| शिक्षक | 85496 | 148394 | 345228 | 527754 | 758210 |
| हाई/हायर से० | | | | | |
| स्कूल | 7288 | 11093 | 19372 | 29863 | 39584 |
| शिक्षक | 126504 | 189794 | 296305 | 479060 | 739641 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा के हर स्तर पर चारों योजनाओं में प्रगति हुई है।

पाँचवी योजना (1974-1979)—पाँचवी योजना में भी शिक्षा के हर स्तर पर गुणात्मक और संख्यात्मक विस्तार का प्रयास किया गया। पाँचवी योजना में शिक्षा के लिए 1285 करोड़ की राशि निर्धारित थी जिसमें 1129 करोड़ सामान्य शिक्षा तथा 156 करोड़ तकनीकी शिक्षा हेतु रखे गए।

पाँचवी योजना में निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया गया है—

(i) सामाजिक न्याय दान के निश्चय सम्बन्धी सर्वोपरि कार्यक्रम के रूप में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।

(ii) शिक्षा पद्धति को विकास की आवश्यकताओं तथा रोजगार की स्थिति के अनुसार बदलना।

(iii) शिक्षा के स्तर में सुधार।

(iv) सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यों में विद्यार्थियों सहित विद्वत समुदाय का योगदान प्राप्त करना।

(v) हरिजन आदिवासियो तथा बालिकाओ की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास।

विशेष प्रयासो के बावजूद भी प्राथमिक स्तर पर चौथी योजना के अत म 84 प्रतिशत बालक-बालिकाएँ शालाओ मे आ रहे थे, पाँचवी योजना के अत तक 84 5% बालक-बालि० दर्ज हो सके। इस प्रकार पूरी योजना काल में केवल आधे प्रतिशत की दर्ज सख्या म वृद्धि हो सकी। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 3 प्रतिशत दर्ज संख्या म वृद्धि तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आधा प्रतिशत दर्ज सख्या मे वृद्धि हो सकी है। शालाओ की सख्या शिक्षक संख्या म अवश्य वृद्धि हुई है। चौथी योजना की अपेक्षा पाँचवी योजना म योजना व्यय में 5 करोड की वृद्धि हुई है।

छठवी पचवर्षीय योजना (1980 85)—छठी योजना भी अपने योजनाबद्ध समय से एक वर्ष आगे बढ गई। पाँचवी योजना की समाप्ति पर रोलिंग प्लान की योजना का विचार किया गया और छठी योजना 1979-83 के लक्ष्य निर्धारित किए गए। बाद मे रोलिंग प्लान का विचार त्याग दिया गया और पूर्वानुसार पचवर्षीय योजना 1980-85 का मसौदा तैयार किया गया।

अगस्त 1977 मे राज्य व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रो के शिक्षा मत्रियो की शिक्षा से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न बातो पर विचार-विमर्श के लिए एक सभा का आयोजन हुआ जिसमे निम्नानुसार अनुशसाएँ की गई—

(i) छठी पचवर्षीय योजना के अत तक सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति।

(ii) प्रौढ शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम।

(iii) शिक्षा की नई प्रणाली को उचित सशोधनो सहित छठी पचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व लागू करना।

(iv) विशेष क्षेत्रो की प्राथमिकता देते हुए छठी पचवर्षीय योजना म शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र म शामिल करना।

(v) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा।

(vi) हरिजन आदिवासियो की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम।

छठी योजना मे बालिकाओ की शिक्षा, पिछडे क्षेत्रो के वर्गों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम लागू किए जायेंगे। अनेक प्रोत्साहन कार्यक्रम जिनमे अभिभावकों को आर्थिक प्रोत्साहन भी सामिल हैं, लागू किए जाना प्रस्तावित हैं। सख्यात्मक विस्तार के साथ गुणात्मक विस्तार की ओर अधिक ध्यान दिया

जायगा। खेल-कूद और समाज कल्याण की ओर भी विशेष बल दिया जायगा। छटी योजना मे लगभग 2000 करोड की योजना राशि निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है जिसमे से लगभग 1825 करोड की राशि सामा य शिक्षा तथा 175 करोड की राशि तकनीकी शिक्षा के लिए होगी।

6 11 आयुवर्ग मे दर्ज सख्या का लक्ष्य 103 पतिशन, 11-14 आयु वग में 57 प्रतिशत तथा 14-17 आयु वर्ग मे 23 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पाचवी योजना की उपलब्धि तथा छठी योजना के लक्ष्य

| शिक्षा का स्तर | पाँचवी योजना मे उपलब्धि (1978-79) | छठी योजना के लक्ष्य (1980-85) |
|---|---|---|
| कक्षा I-V के कुल छात्र (लाखो मे) | 721 60 | 912 00 |
| 6-11 आयु वग मे प्रतिशत | 84 5 | 103 |
| कक्षा VI-VIII मे कुल छात्र (लाखो मे) | 181 80 | 288 |
| 11-14 आयु वर्ग मे प्रतिशन | 38 10 | 57 00 |
| कक्षा IX-XI-XII के कुल छात्र (लाखो मे) | 83 2 | 144 0 |
| 14-17 आयु वग मे कुल प्रतिशन | 20 6 | 23 |
| 17-23 आयु वर्ग के कुल छात्र (लाखो मे) | 42 1 | — |

पाँचवी तथा छठी योजना में शिक्षा पर व्यय एवं लक्ष्य

(राशि करोड़ों में)

| मदें | चार योजनाओं में व्यय | पाँचवी योजना प्रावधान | पाँचवी योजना प्रतिशत | व्यय | छठी योजना की राशि प्रावधान | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रारम्भिक शिक्षा | 694 7 | 410 | 31 9 | 300 | 900 | 45 |
| माध्यमिक शिक्षा | 366 6 | 250 | 19 5 | 163 | 268 | 14 |
| विश्वविद्यालय | 421 0 | 292 | 22 7 | 210 | 265 | 13 |
| सामाजिक शिक्षा | 56 22 | 18 | 1 4 | 9 | 200 | 10 |
| संस्कृति | 25 73 | 37 | 2 9 | 25 | 65 | 3 |
| अन्य शैक्षिक कार्यक्रम | 177 6 | 122 | 9 5 | 92 | 118 | 6 |
| योग सामान्य शिक्षा | 1741 8 | 1129 | 87 9 | 799 | 1816 | 91 |
| तकनीकी शिक्षा | 380 7 | 156 | 12 1 | 102 | 170 | 9 |
| महायोग | 2122 5 | 1285 | 100 | 901 | 1986 | 100 |

मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा

म० प्र० का निर्माण 1 नवम्बर 1956 को हुआ। उस समय प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को थी। जिस समय प्रदेश का निर्माण हुआ इसके सामने अनेक समस्याएँ थी। प्रमुख समस्याएँ निम्नानुसार था।

(1) राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप शिक्षा की नए सिरे से व्यवस्था

दर्ज सख्या (लाखो म)

| शाला का स्तर | 1956 | 60-61 | 65-66 | 69-70 | 73-74 | 78-79 | छठा योजना के लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्तर | 15 36 | 20 10 (49 17 प्रतिशत) | 28 48 (55 93 प्रतिशत) | 29 90 (54 6 प्रतिशत) | 44 17 (72 01 प्रतिशत) | 44 50 (63 प्रतिशत) | 59 69 (70 12 प्रतिशत) |
| पूर्व मा० स्तर | 1 86 | 3 16 (15 18 प्रतिशत) | 5 63 (22 42 प्रतिशत) | 6 98 (23 2 प्रतिशत) | 7 96 (23 39 प्रतिशत) | 11 43 (30 5 प्रतिशत) | 19 83 (35 प्रतिशत) |
| उ० मा० स्तर | 0 57 | 1 24 (6 69 प्रतिशत) | 2 69 (12 33 प्रतिशत) | 3 52 (13 0 प्रतिशत) | 3 86 (13 2 प्रतिशत) | 4 33 (13 5 प्रतिशत) | 7 00 (16.0 प्रतिशत) |

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पाँचवी योजना क अ त तक दर्ज सख्या तीन गुनी हो गई, पूव माध्यमिक स्तर पर लगभग 6 गुनी और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 8 गुनी हो गई।

शिक्षा सस्था

| शाला का प्रकार | 1956 | 60-61 | 65-66 | 69-70 | 73-74 | 78-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पूव प्राथमिक | 214 | 415 | 417 | 548 | 712 | 970 |
| प्राथमिक | 44499 | 57064 | 71631 | 78984 | 114402 | 114902 |
| पूव माध्यमिक | 15326 | 21898 | 33402 | 36309 | 39744 | 56876 |
| उच्चतर माध्यमिक | 7507 | 13730 | 21437 | 23842 | 22918 | 32931 |

# इकाई शिक्षण एव सतत् मूल्याकन योजना

## (Unit Educatio𝑛 and Evaluation)

पृष्ठभूमि—हम लाग हमेशा से परम्परावादी रहे हैं। शिक्षा में तो हम और भी परम्परागत ढग से याय करत रहे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किए गए प्रयोग तत्काल फल नही देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र म हमन अनक प्रयाग किए और जब तक उसके परिणाम आने को हुए हमने दूसरा प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। हमने अपने तरीके से बालको को पढ़ाया, अलग अलग ढग से परीक्षाए ली और विद्यार्थी अपने भाग्य से उत्तीण या अनुत्तीर्ण होते गए। साल भर बालक परिश्रम करता था और वार्षिक परीक्षा के समय यदि किसी पर्चे म बीमार पड गया तो वप भर की मेहनत बेकार चली जाती थी। अर्थात् उसकी वप भर की गई मेहनत थोडी ही दर म बेकार हो जाती थी। विषया के पाठ्यक्रम को परम्परागत ढग से अनेक कक्षा मे बाँट दिया गया था। विषयाशो का आपस मे कोई विशप सम्बन्ध नही था और न ही विभाजन का काई शैक्षिक आधार। हर विषयांश अपने आप म लगभग स्वतन्त्र था और पूरे पाठयक्रम म यह ढीलेपन से सम्बद्ध था। विषयाशो के अलग अलग करने की यह पद्धति पाठ्यक्रम रचना के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त म परे थी। इससे प्रत्यक विषय म विभिन्न पक्षा एव अशो से पूणता एव एकीकरण लाना सभव नही था। लेकिन यह आवश्यक है कि पाठयक्रम का गठन और एकीकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर हो।

पाठयक्रम के प्रस्तुतीकरण की पुरानी पद्धति म प्रत्येक शाला मे भिन्न-भिन्न रीति और गति से शिक्षण एव ज्ञान दिया जाता था। कही शिक्षक अल्प समय म पाठयक्रम की पाठ्यवस्तु को पूरा कर दत थे और किसी शाला म पूरी वप म भी पाठयक्रम पूरा नही हाता था। कही-कही शेष बचा पाठयक्रम दो चार दिन अतिरिक्त समय मे कक्षाएँ लगाकर पूरा कर दिया जाता था। इसी प्रकार की ढर्रेशाहा म हमारी शिक्षा चल रही थी। बालक शालाओ म आत थे कभी नही भी आते थे। जब साल भर के परिश्रम का मूल्याकन एक बार ही हाता था तो निश्चित ही बालक अनुत्तीण होते थे और अनुत्तीण होने के बाद या तो बालक शाला छोड जाते या एक ही कक्षा मे कई साल बने रहते थे। कक्षा एक व दो में

अत्यन्त दयनीय और चिन्तनीय स्थिति थी। 100 बालक कक्षा में भर्ती होते हैं तो लगभग 31 बालक कक्षा 5 उत्तीर्ण करते हैं और 66 लड़के बीच में शालाएँ छोड़ जाते हैं। कक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते 24 छात्र ही रह जाते हैं। वे जानते थे कि साल भर के बीच उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में कोई मूल्यांकन होना ही नहीं है यदि छिमाही परीक्षा होती भी थी तो उसका उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने में कोई योगदान नहीं था। अतः निराशा के वातावरण में बालक अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। उन्हीं को देखा देखी अन्य बालक भी शालाओं में नहीं आए। हमने अपनी गलती बच्चों के सिर पर थोपी। इन सब परिस्थितियों ने हमें कुछ सोचने को मजबूर किया। हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अतः इन सब समस्याओं से निपटने के लिए इकाई शिक्षण और सतत् मूल्यांकन की योजना प्रारम्भ की गई।

**इकाई वार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण**—म० प्र० में समस्त प्राथमिक शालाओं में वर्ष 1972-73 से प्राथमिक कक्षाओं में इकाई वार पाठ्यक्रम तैयार तदनुसार अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक इकाई शिक्षण के साथ साथ सतत् मूल्यांकन का कार्य भी किया जा रहा है। वर्ष 1974-75 से पूर्व माध्यमिक शालाओं तथा जुलाई 1975 से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में इकाई वार शिक्षण प्रारम्भ किया गया।

प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इकाई शिक्षण में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को नए सिरे से गठित किया गया है। यह पुनर्गठन अधिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं तर्कपूर्ण है। प्रत्येक इकाई ज्ञान का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण, समग्र एवं विस्तृत गठन है जो अपनी उप-इकाइयों से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। इकाईयों का निर्माण बालक की रुचि एवं आवश्यकताओं पर आधारित हैं या इस विषय या पाठ के किसी विशिष्ट उद्देश्य पर। मारिसन महोदय जो इस योजना के समर्थक थे, ने इकाइयों का आधार छात्रों के व्यक्तित्व में कोई विशेष परिवर्तन लाना भी बतलाया है। हमारे प्रदेश में पाठ्यक्रम अधिकतर विषय केन्द्रित है। यहाँ प्रायः इकाइयों का आधार प्रकरणों की आपसी एकता एवं एकरूपता और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में एवं मानसिक शक्तियों में वांछित परिवर्तन लाना है। विषय के उद्देश्यों को स्पष्ट एवं निश्चित बनाने के लिए इकाई शिक्षण बहुत उपयोगी एवं प्रभावी है।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि परम्परागत शिक्षण में समय की पाबन्दी नहीं थी। किन्हीं शालाओं में पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त कर दिया जाता

परखने के लिए प्रत्येक इकाई म अका की प्राप्ति का स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। उत्तम स्तर के लिए 5 अक, अच्छे स्तर के लिए 4, साधारण के लिए-3, पास होने याग्य के लिए-2, असतोषजनक के लिए-1 तथा अनुत्तीर्ण के लिए-0 अक। इस तरह शून्य और एक अक पाने वाले छात्रों का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए कक्षा शिक्षक अतिरिक्त प्रयास करता है और सामान्य स्तर लाने हेतु बराबर मूल्याकन भी करता है। इस तरह सतत् मूल्याकन म एक योग्य शिक्षक अपने छात्रा के प्रति इतना सवेदनशील और सचेत रहता है कि कोई भी छात्र कमजोर रहने की बहुत कम गुजाइश रखता है।

इस प्रकार मासिक मूल्याकन, छिमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सभी म छात्रा के सीख पाने के स्तर के अनुरूप निम्नलिखित आधारो पर ली जाती है—(1) लेखन के आधार पर, (2) मौखिक मूल्याकन, (3) प्रयोगात्मक कार्यों के आधार पर मूल्याकन, (4) प्रेक्षण विधि पर आधारित मूल्याकन, (5) प्रत्यक्ष सम्पर्क, (6) छात्रा के सृजनात्मक क्रिया कलाप।

लिखित परीक्षा मे निबन्धात्मक, वर्णनात्मक वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय प्रश्नो के आधार पर मूल्याकन होता है। मौखिक मूल्याकन कक्षा पहली और दूसरी के लिए ही है। छात्रा के विविध क्रिया कलाप जैसे हस्तकौशल, मूलाद्योग, गृह काय तथा साक्षात्कार को आधार मानकर भी मूल्याकन किया जाता है।

## इकाई शिक्षण और सतत् मूल्याकन के लाभ

(1) सतत् मूल्याकन इकाई शिक्षण का अभिन्न अग है। प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर उसका मूल्याकन होता है अत छात्रा म नियमित अध्ययन करने की आदत का विकास हुआ है।

(2) बालक कक्षाओ मे भी ध्यान देते हैं वह जानता है कि प्रत्येक इकाई के बाद उसकी परीक्षा होगी।

(3) बच्चे परिश्रम करते हैं और प्रत्येक लघु परीक्षा की तैयारी करते जाते है।

(4) बालको को प्रति माह अपनी उपलब्धि का ज्ञान होता रहता है। परीक्षा फल का ज्ञान अनुप्रेरणा के लिए एक मान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है।

(5) बालको म प्रतिस्पर्धा और उत्साह की भावना पैदा होती है।

(6) पहले मात
एक बार ह
विवरण मिल

(7) पालकों और

(8) एक सफल
भली भाँति

(9) छात्रो और

(10) बच्चो को

(11) अनुशासन की

(12) अध्यापको

(13) छात्रो का

(14) छात्र को

(15) प्रशासकीय
हाने से निरीक्ष
का काय चल

(16) पालक के स्थ
को जाने मे अधि
भी वही अश पू

(17) शिक्षको मे निर्या

(18) कमजोर बच्चो
की पूर्ति इकाई

इस प्रकार इकाई
कदम है। इसमे शिक्षा
शालाओ के पाठयक्रम का
शिक्षण और सतत् मूल्याक
चुकी है। यह पद्धति मनोवै
अभी तक इसके काफी अच्छे

# प्रारम्भिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण

(Universalisation of Elementary Education)

हमारा चितन हमेशा उटपटा सा रहता है। हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सोचते हैं। ऊपर वाला की चिता हम पहले करते हैं बाद मे नीचे वालो की। हमारी शिक्षा म भी हमने वही चि तन की दिशा को माडा है। बडे बच्चो की चिता हमन काफी की है और बहुत उनका ध्यान रखा है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खूब खोले हैं और खोलते चले जा रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया। उसी के मानस पुत्रो के रूप म प्रा ता मे भी उच्च शिक्षा अनुदान आयोगो का गठन हुआ। हमने शालेय शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग की कभी कल्पना ही नही की है। एक शिक्षक तथा कुछ राशि स्वीकृत कर हम प्राथमिक शाला खोल देते हैं, शिक्षक कहाँ रहगा, शाला कहाँ लगेगी इसकी कोई बात नही ? महाविद्यालय, विश्वविद्यालयो के छात्रो को जो माहौल, जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे छोटे बच्चो को कहाँ मिलेंगी ? छोटो को तो हम कही भी चबूतरे पर, पटेल के वराडे मे या मदिर मे बिठाल कर पढा सकत हैं। महाविद्यालयो, विश्व-विद्यालयो के अपने भवन ही नही कही-कही अनुपम भवन हैं, विशाल बहुमजिली अट्टालिकाएँ हैं। ये सब उन छात्रो के लिए हैं जो उम्र म बडे हैं तथा थोडे समय के लिए शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, लगता है जैसे तफरीह करने जाते हो। वहा, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तकालय, खेल-कूद की सुविधा, छात्रावास आदि सभी ठीक ठाक हैं, किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा जिस महौल मे अपने बच्चे प्राप्त कर रहे हैं उसे हम सभी जानते हैं। छोटे बच्चे बेचारे कुछ बोलने नही, कहने नही इसलिए उन्हे शायद सुविधाएँ नही मिल पाती हैं, या दानवीरो का कमी है, या फिर वित्तीय साधन इतने नही हैं कि हम सबको बराबर सुविधाएँ जुटा पावें। यह भी सच है कि प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले छात्रो की सख्या ज्यादा है और साधन सीमित है। परिवार और देश का समीकरण कुछ भिन्न मालूम पडता है। परिवार मे जहाँ छोटो को ज्यादा हिस्सा मिलता है सुख सुविधाएँ ज्यादा मिलती है कुछ वैसे भी और कुछ रो कर, रूठकर वहाँ देश मे यह समीकरण उल्टा मालूम पडता है। बडे लोग कुछ सुविधाएँ वैसे ही लेत हैं

और दाब धौंस से। छोटा भी जहाँ भी पढ़ाया जाय, जो भी पढ़ाया जाय सब ठीक सा लगता है। ऐसी स्थिति में जो होना था वही होता चला आ रहा है। अब हमारे सामने असली मुद्दा है प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का और वह भी सीमित वित्तीय साधनों के अन्तर्गत। वस्तुतः हमारे सामने यह एक गंभीर चुनौती है।

प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए गठित राष्ट्रीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमे छात्रों की दर्ज संख्या की दृष्टि से पिछड़े आठ राज्यों की सूची मे म० प्र० का भी नाम सामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 33 वर्ष बाद और म० प्र० निर्माण से अब तक शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अन्तर्गत 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का संकल्प है। लेकिन इतने साल बाद भी यह संकल्प पूरा नहीं हो सका। 6-14 वर्ष के 109 लाख बच्चे म० प्र० में हैं। इनमे केवल 55.9 लाख शालाओं में पढ़ने हैं अर्थात् 51% ही शालाओं में आ सके हैं। 6-11 वर्ष के 63.05% तथा 11-14 आयु वर्ग के 30.5% बच्चे ही स्कूलों मे पढ़ते हैं। संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए 6-11 आयु वर्ग के शेष 37 प्रतिशत बच्चे तथा 11-14 आयु वर्ग के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में लाने का भगीरथ प्रयास हमे करना है। इसके लिए हमें समयबद्ध और व्यावहारिक योजना बनानी होगी।

शिक्षा के लोक व्यापीकरण की समस्याएं—प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के मार्ग मे अनेक समस्याएँ हैं। म० प्र० मे प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं—

1—प्रदेश का विस्तृत फैलाव।

2—भौगोलिक असमानताएँ तथा परिस्थितियाँ।

3—अनुसूचित जाति और जन जाति।

4—जितने बालक बालिकाएँ शालाओं से बाहर हैं उनमें दो तिहाई संख्या बालिकाओं की है। इस प्रकार बालिकाओं की एक बड़ी संख्या शालाओं में लानी है।

5—पालकों की गरीबी तथा उनकी शिक्षा के प्रति उदासीनता।

6—सबसे जटिल समस्या शालात्यागी बच्चों की है। प्रदेश में 100 बालक जो कक्षा 1 में भर्ती होते हैं केवल 34 ही कक्षा 5 पास करते हैं और केवल 19 ही कक्षा 8 पास करते हैं।

7—शालाओ मे बालकों को लाने के साथ असली समस्या यह है कि वे कक्षा 8 उत्तीर्ण करने तक शाला न छोड़ें।

8—वित्तीय समस्या।

9—शालाओं का वातावरण अनाकर्षक, शाला समय उपयुक्त न होना तथा पाठ्यक्रम उपयोगी न होना।

म० प्र० मे वतमान स्थिति

1 प्राथमिक शिक्षा—म० प्र० म 75 प्रतिशत बस्तिया मे या उनसे 1 कि० मी० के अन्दर प्राथमिक शालाए है। शेष 25 प्रतिशत बस्तियों में प्रदेश की कुल 10 प्रतिशत जनसख्या है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 6-11 आयु वर्ग के बच्चे जो 79-80 वर्ष की स्थिति मे 38 प्रतिशत हैं, और प्राथमिक शालाओ म नही आ रहे है उनमे से लगभग 10 प्रतिशत तो इसलिए नही आते कि आस पास शाला उपलब्ध नही है जब कि 28 प्रतिशत अन्य कारणो से नही आते हैं। इन 10 प्रतिशत बच्चो के लिए हम शालाएँ खोलनी होगी। 30 सितम्बर 1978 की स्थिति म 300 से अधिक जनसख्या वाली लगभग 2400 बस्तियो मे जिनम 1150 आदिवासी क्षेत्रों म हैं, स्कूल नही हैं। वर्ष 80-81 मे ऐसी सभी बस्तियो मे शालाएँ खोली गई हैं। इसके अलावा 300 से कम जनसख्या वाली लगभग 24000 बस्तियो म शालाए नही है जिनम से 12000 बस्तियाँ आदिवासी क्षेत्र म हैं। इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि आदिवासी एव पिछडे क्षेत्रो म जनसख्या विरली होती है, आदिवासी क्षेत्रो म स्थित ऐसी बस्तियो मे अधिक-से-अधिक शालाएँ खोलने का प्रयास किया जाना होगा। गैर आदिवासी क्षेत्रो मे भी हम ऐसी जगह उदारता से शालाएँ खोलने की अनुमति शासन से मिलना चाहिए जहाँ कुछ जन सहयोग प्राप्त हो सके।

2 पूर्व माध्यमिक शिक्षा—म० प्र० मे 78-79 की स्थिति मे 6 प्राथमिक शालाओ के लिए एक पूर्व माध्यमिक शाला है (अखिल भारतीय औसत प्रति 9 प्राथमिक शाला पर दो पूर्व माध्यमिक शाला है)। एक पूर्व माध्यमिक शाला औसतन लगभग 50 वर्ग कि० मी० (अखिल भारतीय औसत 30 वर्ग कि० मी०) तथा लगभग 5000 जनसख्या (अखिल भारतीय औसत 5500 जनसख्या) के लिए है। यद्यपि जनसख्या के आधार पर हम अखिल भारतीय औसत से बेहतर हैं तथापि क्षेत्रफल के औसत म अखिल भारतीय स्तर के 60 प्रतिशत पर ही हैं। यह सब विरल आबादी का वजह से है। क्षेत्रफल म भी अखिल भारतीय स्तर म पहुँचने के लिए यदि ऐसे स्थान म जहाँ से तीन

किलो मीटर क्षेत्र म (क्षेत्रफल लगभग 28 वग कि० मी० होगा) जिसम 500 या अधिक जनसख्या है एक पूव माध्यमिक शाला खोलनी होगी। इस प्रकार लगभग 8500 पूव माध्यमिक शालाए आवश्यक होगी। प्रदश म जिस रफ्तार से पूव माध्यमिक खोली गई हैं उस हिसाब से हम लगभग 20 वष मे ये शालाएँ खोल सकेंगे। सविधान के सकल्प को पूरा करने के लिए अधिक पूव माध्यमिक शालाएँ खोलनी होगी। शालाएँ खोलने के लिए मुख्य रूप से दो खर्चे होन है—एक तो शिक्षको का वतन तथा दूसरा इमारत बनाने म। शिक्षको के वेतन का खच पहले वष लगभग 4500, दूसरे वष लगभग 10,000, तीसरे वष लगभग 19,000 तथा चौथे वष म लगभग 22,000 रु० होता है। उसके बाद प्रति वष लगभग 25000 रु० खर्च होता है। इस आधार पर 8500 पूव माध्यमिक शालाएँ खोलने से चौथे वष से लगभग 25 करोड रु० प्रतिवष लगेग। शालाभवन बनाने म लगभग 1 लाख रु० लगत हैं, इस हिसाब से शाला भवनो पर भी एक विशाल राशि व्यय होगी।

र्ज सख्या की समीक्षा (1978) (दज सख्या लाखो मे)

| आयुवग | भारत बालक | बालिका | योग | प्रतिशत | म० प्र० बा० | बालि० | योग | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-11 | 432 | 281 | 713 | 85 | 29 88 | 13 98 | 43 86 | 62 06 |
| 11-14 | 125 90 | 59 10 | 185 | 47 | 7 79 | 2 66 | 10 45 | 28 24 |
| 6-14 | 557 90 | 340 10 | 898 | 69 | 37 67 | 16 64 | 54 31 | 50 75 |

उपयुक्त आँकडो से स्पष्ट है कि 6-11 आयु वग म हम राष्ट्रीय स्तर से लगभग 22 प्रतिशत पीछे है, 11-14 आयु वग म 12 प्रतिशत और 6-14 आयु वग म 18 प्रतिशत दज सख्या म पिछडे हुए हैं।

छटी योजना 80 85 की स्थिति—म० प्र० म छटी योजना के अत म जो समावित वालको की सख्या प्रक्षेपित की गई है वह इतनी ज्यादा है कि हमे अतिरिक्त भर्ती होने वाले छात्रो के लिए काफी शैक्षिक सुविधाए जुटानी होगी।

मध्य प्रदेश

| आयु वग | 31 माच से 85 को बालका की कुल संख्या (लाखो मे) | | अतिरिक्त दर्ज होन वाला की सख्या (लाखो म) | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | बालिकाएँ | कुल | बालिकाएँ |
| 6-11 | 85 13 | 40 66 | 41 27 | 26 70 |
| 11-14 | 48 08 | 23 30 | 27 63 | 20 64 |
| 6 14 | 133 21 | 63 96 | 68 90 | 47 34 |

इस प्रकार यदि छठी याजना के अत तक हमे सविधान की मशा को पूरा करना है और 6-14 आयु वग के सभी बालक-बालिकाओ को शालाआ म लाना है तो 69 लाख लडका को जिनमे लगभग 47 लाख लडकिया हागी—इन सबके लिए हमे अतिरिक्त व्यवस्था करना होगा।

**छठी योजना मे व्यूह रचना**—छठी योजना 1980 85 म लक्ष्या को प्राप्त करने के लिए हमे काफी प्रयास करना होगा। चूकि वित्तीय साधना की कमी रहती है अत सीमित साधना मे ही अधिकतम लाभ लेने का प्रयास करना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु हमे प्रमुख रूप से जिन दिशाओ म वृहद काय करना है, वे ये हैं—

(1) बालिकाओं की शिक्षा।

(2) अनुसूचित जाति और जन जातियो की शिक्षा।

(3) शाला त्यागी और शाला अप्रवेशी बालको की शिक्षा।

(4) शिक्षा म गुणात्मकता के प्रयास।

(5) शालाओ म भौतिक सविधाआ का विकास।

**बालिकाओ की शिक्षा**—शिक्षा के लोक व्यापीकरण म सबस प्रमुख समस्या बालिकाआ की शिक्षा की है। 30 सितम्बर 1979 की स्थिति म 6-11 आयु वर्ग की बालिकाआ का दज प्रतिशत 42 है तथा 11-14 आयु वग मे

15 30 प्रतिशत हैं। अगर दूसरे शब्दो म कहा जाय तो हम कह सकते हैं कि 6-11 आयु वर्ग की 58 प्रतिशत तथा 11-14 आयु वर्ग की 83 7 प्रतिशत बालिकाए स्कूलो के बाहर हैं। बालिकाओ की इतनी बडी सख्या को स्कूलो म लाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है इसके लिए हम बहु आयामी प्रयास करना होगा। बालिकाओ की दर्ज सख्या बढाने के लिए कुछ प्रयास जो हो रहे हैं व छठी योजना म भी चालू रहेगे तथा कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं—

1—गरीब बालिकाओ के लिए गणवेश की व्यवस्था।

2—हरिजन तथा आदिवासी छात्राओ को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें।

3—बालिकाओ के लिए छात्रावासो की व्यवस्था।

4—उपयोजना क्षेत्र म आश्रम शालाओ की स्थापना।

5—पूर्व प्राथमिक सह प्राथमिक शालाओ की स्थापना।

6—महिला शिक्षको की नियुक्ति।

7—औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रो द्वारा 9-14 आयुवर्ग की शाला त्यागी व शाला अप्रवेशी छात्राओ की शिक्षा व्यवस्था।

8—महिला शिक्षको के लिए आवास गृहो का निमाण।

9—गरीब अभिभावको के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।

10—छात्राओ की रुचि एव आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तको म परिवर्तन।

11—उपयोजना क्षेत्र म विशेष कार्यक्रम।

अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

मध्य प्रदेश मे अनुसूचित जाति और जनजातियो की एक विशाल जनसंख्या है। प्रदेश म 13 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा कुल आबादी का 21 प्रतिशत जन जातियाँ हैं। इतनी विशाल आबादी के शैक्षिक पिछडेपन को दूर करना भी एक बडा काम होगा। इनकी शिक्षा की स्थिति इस प्रकार है—

अनुसूचित जाति ( दज सख्या 1979-80)

| आयु वग | बालक | बालिका | योग | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 6-11 | 448992 | 151615 | 600607 | 62 2 |
| 11-14 | 109453 | 20203 | 129656 | 25 4 |

अनु० जन जाति

| आयुवग | बालक | बालिका | योग | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 6-11 | 539979 | 176243 | 716222 | 49 5 |
| 11-14 | 79787 | 16069 | 95856 | 12 2 |

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित और अनु० जनजाति की शिक्षा भी काफी पीछे है । छठी योजना के अत तक इनकी दज सख्या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गहन प्रयास करना होगा—

छठी योजना मे इन वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष याजनाए प्रस्तावित हैं—

(1) अनुसूचित एव जन जाति के छात्रा के लिए मध्या ह आहार की व्यवस्था ।

(2) कक्षा 3 से 11 तक अध्ययनरत अनु जाति व जन जाति के छात्र-छात्राओ को निशुल्क पाठ्य पुस्तके ।

(3) छात्राओ का मुफ्त गणवेश ।

(4) छात्र वृत्तियो की अदायगी ।

(5) गरीब अभिभावका को आर्थिक प्रोत्साहन देकर छात्र सख्या मे वृद्धि ।

(6) छात्र वृद्धि हेतु शिक्षको को प्रोत्साहन ।

(7) 300 या 300 से अधिक जनसख्या वाली बस्तिया म शालाएँ खोली जाना ।

(8) पूव प्राथमिक सह प्राथमिक शालाओं की स्थापना ।

(9) विरली आबादी वाल क्षत्रा म आश्रम शालाओ की स्थापना ।

(10) छात्रवृत्ति की स्थापना ।
(11) मिलन मई कार्यक्रमो का आयोजन ।
(12) खेल कूद के लिए विशेष कार्यक्रम ।
(13) विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु म्युजियम का स्थापना ।
(14) स्थानीय भाषा म पाठ्य पुस्तकों की रचना एव शिक्षण ।
(15) स्काउटिंग एव गाइडिंग मे प्रशिक्षण ।
(16) शिक्षक शिक्षिकाओ के लिए आवास गृहो का निर्माण ।
(17) पुस्तकालयो की स्थापना ।
(18) 9-14 आयु वग के शाला त्यागी एव शाला अप्रवशी, सुविधा वचित बालकों के लिए औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रो की स्थापना ।

शाला त्यागी एव शाला अप्रवेशी बालको की शिक्षा

9-14 आयु वर्ग के ऐसे छात्र छात्राएँ जिन्होंने बीच मे शाला छोड़ दी है या स्कूल गए ही नही, उनके लिए औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्था फरवरी सन् 1975 से म० प्र० म प्रारम्भ की गई है। वष 1979-80 तक प्रदेश म 2450 औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र सचालित हैं जिनमे लगभग 45000 छात्र छात्राए अध्ययनरत हैं। छठी योजना म लगभग 60 हजार केन्द्रो की आवश्यकता होगी, क्योकि छात्रों की वृहद् सख्या जो शालाओं से बाहर है यदि शिक्षित करना है तो यही एक विकल्प है। हमारे पास इतने औपचारिक साधन नही हैं कि हम इन छात्रो का स्कूल खोलकर शिक्षित कर सकें। वित्तीय प्रावधान के अनुसार प्रति वष इन्हें खोला जाना आवश्यक होगा।

शिक्षा मे गुणात्मकता के प्रयास—शिक्षा क लोक व्यापीकरण के लिए यह एक आवश्यक बात है कि बालक शाला आने के साथ शाला मे रहे भी। इसके लिए हमे शिक्षा मे गुणवत्ता के प्रयास करने होंगे। छठी योजना मे कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार किए जान का प्रावधान है—

(1) पाठय पुस्तको का पुनरीक्षण ।
(2) शिक्षको का विज्ञान एव भाषा म प्रशिक्षण ।
(3) राज्य शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना ।
(4) आदर्श शालाओं की स्थापना ।
(5) प्रशासन का सुदृढी करण ।
(6) शाला सगमो की स्थापना ।
(7) स्थानीय भाषा म शिक्षण ।

(8) पाठ्यक्रम मे स्थानीय आवश्यकतानुसार परिवर्तन ।

(9) पुस्तकालयो की स्थापना ।

(10) शालाओ की स्थापना ।

**भौतिक सुविधाओ का विकास**—प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए शालाओ और शिक्षको के लिए भौतिक सुविधाएँ भी आवश्यक हैं। निम्नानुसार भौतिक सुविधाएँ छठी योजना म किए गए हैं—

(1) शालाओ म फर्नीचर टाट पट्टी का प्रदाय ।

(2) विज्ञान किट का प्रदान ।

(3) शाला भवनो का निर्माण ।

(4) शिक्षको के लिए आवास गृहो का निर्माण ।

उपर्युक्त कायक्रमो के क्रियान्वयन के बाद भी हम छठी योजना के अ त तक 6-11 आयु वर्ग मे लगभग 80 प्रतिशत तथा 11-14 आयु वर्ग मे लगभग 40 प्रतिशत दर्ज सख्या का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे जो वतमान राष्ट्रीय स्तर से भी कम होगा। इस प्रकार हम एक विशाल और पवित्र काय म जुटना होगा। हमे अपने सीमित साधनो मे ही पूरा प्रयास करके इस पुनीत काय को पूरा करना है। यद्यपि हमारे पास भौतिक और वित्तीय साधनो की कमी है लेकिन हमारे पास चाह है और लक्ष्य तक पहुँचने की आकाक्षा है। इसलिए मजिल अवश्य मिलेगी।

## छात्रवृत्तियाँ एव प्रतिभा की खोज

### (Scholarships and Talent Search)

प्रत्येक व्यक्ति का अवसर की समानता मिलना चाहिए जिसस वह शिक्षित होकर देश का अच्छा नागरिक बन सके और स्वय का भी विकास कर सके। सामाजिक न्याय के आदश की प्राप्ति तभी समव है जब कि प्रत्येक शिक्षा प्राप्त करन योग्य व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र का क्यो न हो, शैक्षिक अवसरो की समानता मिले। हमारे देश और विशेषतौर से मध्य प्रदेश में अनेक भौगोलिक, सास्कृतिक, आर्थिक विपमताएँ और भिन्नताएँ हैं। मध्य प्रदेश के एक ही सभाग मे इदौर नगर या इन्दौर जिला सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है तो उसी सभाग का झाबुआ जिला सबसे कम साक्षरता वाला *जिला है। अनेक सुविधाएँ होते हुए भी शैक्षिक अवसरो की असमानताए* विद्यमान है।

शक्षिक अवसरो की विषमताओ के कारण

1—हम अभी भी सभी बस्तियो मे शालाए नही खोल सके हैं, अत जहाँ शालाएँ हैं वहा के बालको को अधिक शिक्षा की सुविधा हैं और जहा शाला नही हैं वहा के बालको को शिक्षा प्राप्त करन का कम अवसर मिलता है।

2—जहाँ या जिन बस्तियो म शालाएँ भी हैं वहाँ के गरीब वग के बालक शिक्षा प्राप्त करने मे समर्थ बालको से पीछे रहते हैं।

*3—सभी जगह की शालाओ मे समान सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अतः* शिक्षा के समान अवसर भी नही हैं।

4—बालको का घरेलू, परिवेश भी भिन्न-भिन्न हैं, जो शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक प्रमुख कारण है। सुविधा वचित व्यक्तियो के बालक बालिकाएँ, ग्रामीण और आदिवासी अचलो मे निवास करने वाले बालक-बालिकाए, शहर के निवासियो की अपेक्षा शिक्षा प्राप्ति के कम अवसर प्राप्त कर पाते हैं।

5—गरीबी-देश एवं प्रदेश में व्याप्त गरीबी भी अवसरों की समानता में बाधक है।

उपर्युक्त विषमताओं को दूर करना इतनी जल्दी आसान नहीं है क्योंकि अभी तो हम शिक्षा खोजते जा रहे हैं। शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा लोकतंत्र की प्रगति और सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के अवसरों की समानता उपलब्ध कराने हेतु सघन प्रयास किए जाय। इससे हम विषमताओं को पूरा-पूरा दूर न भी कर सकें तो भी कम तो कर ही सकते है।

शैक्षिक अवसरों की विषमता का मध्य प्रदेश या देश में सबसे प्रमुख कारण हैं—गरीबी/मनुष्य को अपने बाल बच्चों के पेट भरने की समस्या सबसे प्रमुख है। वह शिक्षा की बात बाद में सोचता हैं और रोटी की बात पहले। अत शैक्षिक अवसरों की विषमताओं को हटाने के लिए प्रमुख प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम अभिभावकों या उनके बालकों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद दें। अत यह आर्थिक मदद हम छात्रों को छात्र वृत्तियाँ प्रदान कर दे सकते हैं। इससे एक ओर जहा प्रतिभा की खोज होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें अच्छी शालाओं की व्यवस्था कर उन्हें अनुकूल शिक्षा भी दे सकते है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए सुविधा हीन तथा प्रतिभावान बालकों को शिक्षा के सुअवसर जुटाने के उद्देश्य से तथा प्रतिभाओं की खोज कर उनके विकास के मार्ग विकसित करने के लिए छात्रवृत्तियों के कार्य क्रम का अत्यधिक महत्व दिया गया है। छात्रवृत्तियों पर होने वाले व्यय में निरंतर वृद्धि की जा रही है। देश की समस्त शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभाओं तथा सुविधाहीन गरीब बालक बालिकाओं को चाहे वे किसी वर्ग या क्षेत्र में हों, छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के प्रति शासन पूर्णतया सजग है। पूर्व में छात्रवृत्तियों का लाभ केवल शहरी या उच्च वर्ग के बालकों को ही प्राप्त हो पाता था क्योंकि गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बालक उस स्तर तक नहीं आ पाते थे जिस स्तर पर उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती थी, परन्तु वर्तमान में शासन का ध्यान गरीब एवं पिछड़े वर्गों तथा ग्रामीण अंचलों में छिपी प्रतिभाओं की ओर भी गया है। इन प्रतिभाओं की निरन्तर खोज की जा रही है तथा उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करके शैक्षिक अवसरों की विषमताओं को दूर करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं एवं इस दिशा में हमने काफी सफलता भी प्राप्त की है।

छात्रवृत्तियाँ एव शिष्य वृत्तियाँ प्रदान करने के कार्यक्रम को दो स्तरो में विभक्त किया जा सकता है —

(1) केन्द्रीय स्तर पर
(2) राज्य स्तर पर।

केन्द्रीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तिया

ये छात्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। ये छात्रवृत्तियाँ योग्यता के आधार पर दी जाती है तथा इनका सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करती है। भारत सरकार प्रत्येक राज्य को जनसख्या के आधार पर कुछ निश्चित छात्रवृत्तिया बाँट देती है। इन्हें राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमो के अनुसार देती हैं। ये राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ निम्नानुसार हैं।

(1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ( सार्वजनिक परीक्षा ) मे प्राप्त अको के आधार पर दी जाने वाली राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति।
(2) आवासीय माध्यमिक स्कूलो के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।
(3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना।
(4) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना।
(5) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति।
(6) राष्ट्रीय सांस्कृतिक खोज छात्रवृत्ति।

छात्रवृत्तियो का विवरण—इन राष्ट्रीय छात्रवृत्तिया का विवरण इस प्रकार है—

(1) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति—उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या हाई स्कूल परीक्षा (सार्वजनिक परीक्षा) मे प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्यक प्रान्तो के लिए अलग-अलग सख्या निश्चित है। हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी के बाद पढने वाले छात्र छात्राओ को य प्रदान की जाती हैं।

(2) आवासीय छात्रवृत्ति योजना—हर प्रदेश म कुछ आवासीय पब्लिक स्कूल हैं। प्रतिभावान छात्रो को आवासीय छात्रवृत्ति परीक्षा द्वारा चुनकर उन्हें आवासीय पब्लिक स्कूलो मे भर्ती कर शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती है।

(3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा/छात्रवृत्ति योजना—इस परीक्षा द्वारा अच्छे प्रतिभावान बालको को चुनकर उन्हे छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे वे आगे की पढाई चालू रख सकें।

(4) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना—शिक्षा के क्षेत्र म भारत शासन की अनेक योजनाओ मे से विज्ञान प्रतिभा खोज एक महत्वपूर्ण

नियम

1 राज्य क प्रत्यक विकास खण्ड क लिए दो छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है।

2 इस परीक्षा म कक्षा 8 की सावजनिक परीक्षा म उत्तीण छात्र प्रति ब्लाक प्रथम 20 छात्र बैठ सकत हैं।

3 ये छात्र वृत्तियाँ तीन वर्षों के लिए हैं जो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ मे नियमित पठन पर दी जाती है। प्रति वष 9 वी एव 10 वीं कक्षाओ म उत्तीण होना आवश्यक है।

4 राज्य की चयनीकृत आदश उच्चतर माध्यमिक शालाओ मे अध्ययन करने पर ही छात्रवृत्ति मिलती है।

5 ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति की राशि 100 रु० प्रति माह है जो कक्षा उत्तीण करन पर तीन वर्षों तक प्राप्त होती है।

6 समुदायिक विकास खण्ड/आदिम जाति विकास खण्ड के 10 हजार जनसख्या स कम जनसख्या वाले क्षेत्र म स्थित पूव माध्यमिक शाला से आठवी कक्षा उत्तीण करने वाला छात्र जो विकास खण्ड की प्रावीण्य सूची म प्रथम 20 छात्रो म आया हो इस परीक्षा मे बैठ सकता है।

योजना का क्रियान्वयन—ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत म० प्र० म आयोजित परीक्षा म छात्रवृत्ति की स्थिति इस प्रकार है—

| योजना वष | निर्धारित छात्र वृत्तिया की सख्या | छात्रवृत्तिया क पात्र छात्रो की सख्या | छात्रवृत्ति की राशि |
|---|---|---|---|
| 1971-72 | 914 | 597 | 110800 |
| 1972-73 | 914 | 853 | 932500 |
| 1973-74 | 914 | 772 | 1308000 |
| 1974-75 | 914 | 726 | 14,72,800 |
| 1975-76 | 914 | 779 | 11,15,000 |
| 1976-77 | 914 | 779 | 11,15,000 |
| 1977-78 | 914 | 775 | 11,80,000 |
| 1978-79 | 914 | 805 | 12,12,425 |
| 1979-80 | 916 | 824 | 17,45,000 |

म० प्र० म सन् 1972 से लेकर वष 1980 तक ग्रामीण प्रनिभावान छात्रो की कक्षावार स्थिति तथा व्यर्थ गई छात्र वृत्तिया इस प्रकार हैं—

| वष | छात्रो की सख्या | कक्षा | व्यर्थ गई छात्र-वृत्तिया |
|---|---|---|---|
| 1971-72 | 558 | 9 वी | 317 |
| 1972-73 | 1045 | 9 वी, 10वी | 61 |
| 1973-74 | 1572 | 9वी, 10वी एव 11वी | 142 |
| 1974-75 | 1941 | वही | 188 |
| 1975-76 | 1325 | तथैव | 68 |
| 1976-77 | 1416 | तथैव | 135 |
| 1977-78 | 1416 | तथैव | 139 |
| 1978-79 | 1718 | तथैव | 108 |
| 1979-80 | 1800 | तथैव | 92 |

उपर्युक्त आकडा से पता चलता है कि लगभग 20% छात्र वृत्तियाँ व्यय चली जाती है।

(6) राष्ट्रीय सास्कृतिक प्रतिभा खोज छात्र-वृत्ति—सस्कृति के क्षेत्र मे प्रतिभाओ को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सास्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन छात्र वृत्तिया का भी राज्यवार कोटा निश्चित है।

राज्य स्तर पर प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तिया

राज्य स्तर पर प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ/शिष्यवृत्तियाँ भी कई प्रकार की है। प्रजातान्त्रिक देश मे शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने की दिशा मे छात्र वृत्तियाँ एव शिष्य वृत्तियाँ एक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रतिभावान, मेधावी तथा निधन छात्रा की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु छात्रवृत्तियो एव शिष्य

में 45% से कम अक प्राप्त करने वाला कोई भी छात्र इसका पात्र नहीं हो सकता है।

2—हरिजन/आदिवासी छात्रा के लिए छात्रवृत्तियाँ—उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत प्रत्येक हरिजन आदिवासी छात्र, छात्रा को निर्धारित दर पर आ० जा० क० विभाग द्वारा छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

3—मृत अपग शासकीय कर्मचारियों के बालकों का छात्रवृत्ति—यह छात्र वृत्ति 3 वर्षों के लिए देय होती है।

4—शालाओ मे श्रेष्ठ खिलाडियो के लिए खेलकूद छात्रवृत्ति—छात्र वृत्तियों की कुल सख्या 28 है जिसम आधी छात्राओ के लिए है।

5—पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत छात्रा को छात्र वृत्तियाँ—पूव माध्यमिक स्तर पूण के करने पर ये छात्र वृत्तियाँ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी 3 वप के लिए चालू रहती है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा सचालित परीक्षा म सफल होने पर यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ होती है।

6—समपण करने वाले डाकुओ के बालको एव दस्यु पीडित बालकों को छात्र वृत्तियाँ—यह सीमित साधनो वाले छात्रों को देय होती हैं और इनका निर्धारण कलेक्टर करता है।

7—सैनिक स्कूल रीवा म अध्ययनरत बालको को छात्रवृत्तियाँ—सैनिक स्कूल रीवा म अध्ययन रत सभी उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रो को छात्रवृत्ति दी जाती है।

8—ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्र वृत्ति—ग्रामीण प्रतिभाओ की खोज एव उन्हें शिक्षा के सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण शालाओं से कक्षा 8 उत्तीण छात्र जो विकास खण्ड की प्रावीण्य सूची मे प्रथम बीस मे स्थान प्राप्त करते हैं, इस छात्र वृत्ति की परीक्षा मे बैनिके-पात्र होते हैं। प्रति विकास खण्ड 2 छात्रवृत्तिया प्रदान की जाती हैं। 100 रु० प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। अवधि तीन वर्ष है।

9—सास्कृतिक प्रतिभा खोज—भारत के समस्त राज्यो में 100 छात्र-वृत्तियाँ हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर देय हैं, केन्द्र सरकार देती हैं। राज्य सरकार तो केवल चयन का काम करती है।

10—मृत सैनिकों के बच्चों एवं पत्नियों को छात्रवृत्ति—पिछले भारत पाक युद्ध या भारत चीन युद्ध में मृतक सैनिकों के बच्चों एवं सैनिक की पत्नियों को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्र वृत्तियाँ प्रदान की जाती है।

11—योग्यता एवं निर्धनता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति—उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक वर्ष के लिए तथा पुनः प्रार्थना पत्र देने पर आगामी वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है।

12—उच्चतर माध्यमिक शालाओं में संस्कृत विषय (डी ग्रुप) में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां—इन छात्र वृत्तियों की संख्या पूरे प्रदेश के लिए प्रति कक्षा 74 है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्र को कक्षा 9 से 11 तक संस्कृत विषय 'डी' ग्रुप में लेना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति 3 वर्षों के लिए देय है।

महाविद्यालयीन स्तर पर छात्र वृत्तियां

1—हरिजन एवं आदिवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे प्रत्येक हरिजन, आदिवासी छात्र/छात्रा को छात्र-वृत्ति दी जाती है।

2—संगीत तथा कला हेतु छात्र वृत्तियां—ये छात्र वृत्तियां, गायन, वादन चित्रकला, मूर्तिकला एवं वस्तुकला आदि के लिए दी जाती हैं, अवधि 2 वर्ष, राशि 25 रु० प्रति माह।

3—शारीरिक शिक्षा छात्रवृत्ति—उपाधि पाठ्यक्रम हेतु छात्र वृत्तियाँ दी जाती हैं। स्नातक स्तर पर तीन वर्षों एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए दो वर्षों के लिए छात्र वृत्तियाँ दी जाती हैं।

4—विज्ञान के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति—विज्ञान के मेधावी छात्रों को स्नातक स्तर पर 60 रु० प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 75 रु० प्रतिमाह के हिसाब से 2 वर्ष के लिए देय होती हैं। भारत शासन द्वारा बी० एस० सी० के लिए 150 रु० प्रति माह, एम० ए० सी० के लिए 200 तथा पी० एच० डी० के लिए 350 रु० प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं।

5—योग्यता एवं निर्धनता के आधार पर विशेष छात्र वृत्तियाँ—एक मुश्त अनुदान योग्य छात्रों को निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर

एव पालन की आयु सीमा के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अन्य छात्र वृत्तियाँ

1—संगीत एव कला के लिए छात्र वृत्तियां—गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु कला, प्रत्येक के लिए तीन-तीन छात्र वृत्तियाँ हैं। ये योग्यता के आधार पर निश्चित होती हैं।

2—नौ सेना तथा सेना छात्रवृत्तियां-इनकी संख्या 8 है। ये छात्र वृत्तियां योग्यता के आधार पर कमाण्डेन्ट, भारतीय राष्ट्रीय मिलिटरी कालेज देहरादून, केप्टन सुपरिन्टेन्डेन्ट ट्रेनिंगशिप बम्बई, तथा डिप्टी डायरेक्टर मरीन इंजीनियरिंग कलकत्ता, की सिफारिशों पर स्वीकृत की जाती हैं। ये छात्र वृत्तियाँ 100/-प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए स्वीकृत होती हैं।

3—राष्ट्रीय छात्र सेना छात्रवृत्ति—इन छात्र वृत्तियों की संख्या 8 हैं। इनमें से 6 छात्र वृत्तियां छात्रों के लिए हैं, जल, थल और वायु सेना में प्रत्येक के लिए दो दो के हिसाब से। शेष 2 छात्र वृत्तियाँ थल सेना में छात्राओं के लिए हैं।

4—शारीरिक शिक्षा छात्रवृत्ति—पत्नोपाधि एव प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ये छात्र वृत्तियां हैं। प्रत्येक के लिए 15-15 छात्र वृत्तियाँ हैं।

5—संस्कृत शालाओं में छात्र वृत्तियाँ एवं शिष्य वृत्तियाँ—

(अ) प्रथम स्तर पर 100 छात्र वृत्तियाँ एवं शिष्य वृत्तियाँ।

(ब) मध्यमा स्तर पर—इस स्तर पर छात्रवृत्तियां वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा अन्य समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक पाने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

प्रथमा स्तर पर 10 रु० प्रति माह के हिसाब से 3 वर्षों के लिए पूर्व मध्यमा स्तर पर 20 रु० प्रतिमाह के हिसाब से 2 वर्षों के लिए तथा उत्तमा स्तर पर 25 रु० प्रति माह के हिसाब से 2 वर्षों के लिए छात्र वृत्ति एवं शिष्य वृत्ति देय है।

वर्तमान कार्यक्रम की अपर्याप्तता

1 छात्र वृत्ति देने का कार्यक्रम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

2 वर्तमान में यह कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। इसमें कुछ विस्तार की कमी

भी आवश्यकता है। बहुत से गरीब छात्र अभी भी आर्थिक परेशानी की वजह से बीच मे पढना छोड देते हैं। हरिजन एव आदिवासी छात्रो के लिए तो अनिवार्य रूप से छात्र वृत्तिया और शिष्य वृत्तिया, नि शुल्क पाठ्यपुस्तको का प्रावधान है कि तु जो गरीब हैं कि तु गैर आदिवासी हैं उन्ह छात्र वृत्तियाँ या अ य वित्तीय सहायता का पूरा-पूरा प्रावधान नही है।

2—बहुत सी छात्र वृत्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। ऐसी व्यवस्था की कमी है कि इनका पूरा लाभ उठाया जा सके।

3—छात्र वृत्तियों के लिए उपयुक्त छात्र चयन करने क तरीके भी पूणतया ठीक नही हैं।

4—ग्रामीण बालको का स्तर कुछ कम होने से वे शहरी बालको की प्रति-स्पर्धा मे नही आ पाते हैं।

5—राष्ट्रीय छात्र वृत्तियो का पूरा पूरा लाभ नही उठाया जा रहा है। कही कोई कमी अवश्य है।

6—किसी छात्र वृत्ति के लिए निश्चित शालाओ मे ही पढने का बधन है, जो उपयुक्त नही प्रतीत होता है।

7—जो छात्रवृत्ति धारी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीण कर शालाए छोड कर चले जाते हैं उनके सम्ब ध मे कोई जानकारी नही रहती है। अत उन्ह माग दशन देने हेतु कोई कार्यक्रम नही रह जाता है।

8—छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह नही मिलती है जिससे गरीब छात्रो को दिक्कत आती है।

9—छात्रवृत्तियो की राशि भी पर्याप्त नही है।

छात्र-वृति कायक्रम मे सुधार हेतु सुझाव

छात्रवृत्ति योजना की अपर्याप्तता को ध्यान म रखते हुय निम्नांकित सुझावो को काय रूप दिया जाना आवश्यक है—

(1) शालेय स्तर पर छात्रवृत्तियो के कायक्रम मे विस्तार किया जाना चाहिये। इन छात्र वृत्तिया को महाविद्यालयीन स्तर पर भी चालू रखा जाना चाहिये ताकि बालको की पढाई का क्रम न टूटे।

(2) छात्रवृत्तियो के लिय योग्य छात्रों को चयन करने के लिय तरीको म सुधार एव कुछ नये तरीके खोजे जाँय ताकि निष्पक्ष रूप स छात्रो को लाभ मिल सके।

(3) छात्र वृत्तियाँ प्रदान करने की दृष्टि से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को अलग-अलग माना जाय।

(4) छात्र वृत्तिया के लिय बालकों को प्रेरित करन क लिये गहन प्रचार-प्रसार आवश्यक है।

(5) शिक्षा सस्थाएँ सत्रारम्भ स ही मेधावी छात्रा का चयन कर आवश्यकतानुसार उनका विकास करने तथा प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिये उन्हें तैयार करने हेतु सस्थागत योजना बना सकती हैं।

(6) छात्रवृत्ति धारियो के अध्ययन हेतु जो शालाएँ शासन द्वारा चयन की जाती हैं उनको सर्व सुविधा सम्पन्न बनाया जाना चाहिये।

(7) छात्रवृत्ति पाने वाले जो छात्र हायर सेकेण्डरी या मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु मार्गदर्शन, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा उनके बारे म सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनके लिय विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किये जाँय।

(8) छात्र वृत्तियों की राशि समय-समय पर बढाई जानी चाहिय जिससे छात्रों को असुविधा न हो।

(9) छात्र वृत्ति अदायगी की प्रक्रिया सरल बनाई जाय।

(10) छात्र वृत्ति की राशि प्रति माह वितरित की जानी चाहिय।

(11) राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिय छात्रों को तैयार करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाया जावे।

●

# सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो टीचिंग)

(Micro-teaching)

पृष्ठभूमि—बालकों की शिक्षा के लिये शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण साधन है अतः अच्छे शिक्षकों की तैयारी के लिये हम अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र मे इसी मूल कर्तव्य के प्रति हमारी प्रशिक्षण संस्थाए तथा शिक्षा महाविद्यालय समर्पित हैं। प्रशिक्षण संस्थाओ, शिक्षा महाविद्यालयो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है किन्तु गुणात्मक दृष्टि से उतना अपेक्षित विकास नही हुआ है। इन प्रशिक्षण संस्थाओ, शिक्षा महाविद्यालयो म प्रचलित कार्यक्रमो की प्राय यह आलोचना की जाती है कि व अत्यधिक जड एव परम्परावादी होने के कारण शिक्षा के बदलते हुये लक्ष्यो को पूरा करने मे भी असमर्थ हैं। इन कार्यक्रमो मे व्यावहारिक कार्य के बजाय सैद्धान्तिक चर्चाओ को अधिक स्थान दिया गया है। सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो सैद्धान्तिक ज्ञान हम देते है उसका हमारे मार्गदर्शन एव पर्यवेक्षण मे किये जाने वाले अध्यापन अभ्यास से बहुत कम सम्बन्ध रहता है। इन प्रशिक्षण संस्थाओ, शिक्षा महाविद्यालयो में जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है यह व्यवहार मे कम उपयोग होता है उनसे न तो प्रशिक्षण प्राप्तकर्त्ता ही संतुष्ट है और न ही प्रशिक्षण देने वाले विद्वत्जन, फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। हमे ऐसा लगता है कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करने की अपेक्षा शिक्षा-शास्त्री तैयार कर रहे हैं। शिक्षा महाविद्यालयो, प्रशिक्षण संस्थाओ के 200 दिनो के शिक्षा सत्र मे केवल 40 काल खण्ड म ही अध्यापन अभ्यास कराया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप देने एव उसम सुधार करने के लिय सभी आयोगो ने अपने विचार प्रकट किये हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) कोठारी आयोग (1964-66) तथा वतमान मे एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनेक सगोष्ठियो मे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नई दिशा देने के लिये कार्यक्रमों पर चर्चा हो चुकी है। इन शिक्षा आयोगो ने प्रशिक्षण संस्थाओ के आपसी सम्बन्धो तथा शिक्षा संस्थाओ से सम्बन्ध, पाठ्यक्रम पाठ्य विधियो, शिक्षण विधियों आदि के सम्बन्ध मे विस्तृत विचार प्रकट किये हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण धुरी है जिस पर शिक्षा की गुणवत्ता आधारित है। किन्तु शिक्षक प्रशिक्षण की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है। पाठ-सक्ष निर्माण की विधि में मनोविज्ञान के उत्प्रेरणा एवं सीखने सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्तों के लिये स्थान नहीं है। ज्ञानवर्धन के ही ऊपर अधिक ध्यान दिया जाता है और शिक्षा के अधिक स्थायी उद्देश्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम परम्परागत तरीके से हरबट के पाँच पदों (steps) का मशीन की तरह अनुकरण करते हैं। पाठ्यायोजना और अध्यापन अभ्यास के लिये पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन भी अधिक प्रभावकारक नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण में प्रयुक्त विधियों तथा शालाओं में प्रति दिन काम आने वाली विधियों में कोई समानता नहीं रहती है। शिक्षक प्रशिक्षक भी इन विधियों में कोई आस्था पैदा नहीं कर पाते हैं जिनका कि वे समर्थन करते हैं। परिणाम यह होता है कि छात्राध्यापक अपनी प्रशिक्षण उपाधि लेकर श्यामपट पर लेखन के साथ व्याख्यान की पुरानी पद्धति अपना लेते हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति हमें शिक्षकों की तैयारी के समग्र कार्यक्रम पर गम्भीरता से विचार करने को बाध्य करती है। यदि हम शिक्षण के उद्देश्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त करना है तो सामान्य शिक्षण और कक्षा में शिक्षक व्यवहार पर गम्भीरतापूर्वक एवं निरन्तर अनुसंधान करना होगा। विभिन्न प्रकार की नई प्रविधियों, कक्षा शिक्षण में शिक्षक के व्यवहार, गुण आदि के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन करना होगा। पुरानी कार्यप्रणाली, शिक्षा पद्धतियाँ हमें बदलनी होंगी और नई विधियों का प्रयोग करना होगा जिससे शिक्षकों में शिक्षण कला के बहुमुखी पक्ष विकसित हो सकें। सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो टीचिंग) प्रणाली इस दिशा में एक नई विचार धारा है जो कि शिक्षक को सम्पूर्ण कार्यकाल में एक कुशल शिक्षक बनाये रखती है।

सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग—माइक्रो टीचिंग का सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक अभिनव प्रविधि (तकनीक) है। इसका प्रारम्भ छठवें दशक के प्रारम्भ में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। यह पद्धति विश्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त की जा रही है। इस प्रविधि के अनेक पहलुओं पर शोध कार्य हो चुके हैं। यह प्रविधि शिक्षकों के कक्षागत व्यवहारों में परिवर्तन हेतु प्रभावी पायी गई है। बर्लिनर, बोग, गुडकाइन्ड, कालनबेच, पासी शाह, अब्राहम आदि अनेक विद्वानों ने इसे प्रविधि के सम्बन्ध में शोध कार्य किये हैं। यह प्रविधि प्रश्नोत्तर कौशल (Questioning Skill), पुनर्बलन (Re-inforcement) कौशल के विकास में भी अत्यन्त प्रभावी पाई गई है।

# राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान एव बालिका शिक्षा निधि समिति

(National Teacher Welfare Foundation and Girls Education Fund Committee)

समाज म शिक्षको के सम्मान और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना तथा सकट काल मे उनकी सहायता की दृष्टि से अपन देश म राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना भारत शासन के शिक्षा मत्रालय द्वारा 25 जून 1962 म की गई। प्रतिष्ठान का मुख्यालय दिल्ली म है तथा प्रत्येक राज्य एव केन्द्र शासित क्षेत्रो म कायकारिणी समितियाँ हैं। मध्य प्रदेश म कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मत्री होत हैं तथा सचालक लोक शिक्षण इसके सचिव-कोषाध्यक्ष।

प्रतिष्ठान की गतिविधियाँ सचालित करन के लिए शिक्षक कल्याण निधि है। इस निधि म जनता, अभिभावक, बालका एव शिक्षको के चन्दे से धन एकत्रित होता है। शिक्षकगण इस निधि को अपन वग की सामूहिक सुरक्षा का साधन मानकर इसम यथाशक्ति चन्दा देते हैं एव अन्य लोग शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर आर्थिक मदद करते हैं। प्रति वष लगभग 4-5 लाख रुपया इस निधि मे एकत्र होता है। राज्य म जो भी राशि एकत्र हाती है उसमे स 20 प्रतिशत राशि केन्द्रीय निधि म चली जाती है तथा 80 प्रतिशत राशि राज्य मे शिक्षक कल्याण गतिविधियो को चलाने के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति क पास रह जाता है। इस शिक्षक कल्याण निधि का उपयाग प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित नियमो के द्वारा किया जाता है। सारा धन सग्रह राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के नाम पर होता है और उसके खाते मे जमा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एक बडी केन्द्रीय निधि स्थापित कर रहा है जिसकी सहायता से निकट भविष्य में देश व्यापी शिक्षक कल्याण योजनाएँ प्रारम्भ की जा सकेंगी। म० प्र० म अभी तक 30 लाख से ज्यादा रुपयों की राशि एकत्र हुई जिसम से 80 प्रतिशत राशि राज्य म रही तथा उससे अनेक शिक्षक कल्याणकारी योजनाएँ सचालित की गई।

**म० प्र० शाखा के कार्य**

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की मध्य प्रदेश शाखा के कार्य कलाप इस प्रकार हैं—

(1) संभागीय मुख्यालयों में राज्यस्तरीय शिक्षक दिवस आयोजन—वर्ष 1974 तक राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह प्रदेश स्तर पर राजधानी भोपाल में ही आयोजित किया जाता था तथा इसमें केवल परम्परा का निर्वाह मात्र होता था। इससे इन आयोजनों में शिक्षकों तथा अन्यों की रुचि घटने लगी थी। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस आयोजनों की इस नीरसता और निर्जीवता को भंग करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि यह आयोजन बारी-बारी से प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर आयोजित किया जाय। उक्त निर्णय के अनुसार 1975 का शिक्षक दिवस राजधानी से परे हटकर रायपुर में आयोजित किया गया। इस प्रकार के आयोजनों से शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्णतः सजीव एवं सशक्त हो उठा है और इसके माध्यम से शिक्षकों तथा अन्य नागरिकों के बीच परस्पर सौहार्द एवं सम्मान की एक अपूर्व भावना विकसित हुई है।

(2) राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार—अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने के लिए वर्ष 1974 से म० प्र० में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है। राष्ट्र-स्तर पर इस प्रकार की शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना विगत अनेक वर्षों से चल रही है किन्तु उस योजना की एक परिसीमा यह थी कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों की संख्या के अनुपात में काफी कम थे तथा ये पुरस्कार 20 वर्ष से अधिक शैक्षिक अनुभव वाले शिक्षकों को प्राप्त होते हैं जो कि पुरस्कार प्राप्ति के समय तक अपने सेवा काल के अन्तिम चरण में पहुँच चुके होते हैं।

कर्तव्यशील, परिश्रमी एवं सृजनशील शिक्षकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने की इस व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा के मध्यकाल में 10 से 20 वर्ष की सेवा वाले, उत्कृष्ट शिक्षकों के प्रोत्साहन एवं सम्मान की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस राज्य के शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने की एक उत्कृष्ट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संभाग से दो उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रमाण पत्र तथा 501 रुपये नगद

पुरस्कार देकर राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के समारोह के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। इस राज्य स्तरीय पुरस्कार व्यवस्था के फलस्वरूप कम दैनिक अनुभव वाले शिक्षकों को भी अपना शिक्षण उत्कृष्ट बनाने हेतु नई प्रेरणा मिली है।

(3) शिक्षकों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्तियां—म० प्र० में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में ऐसे अनेक शिक्षक हैं जिनका कि सारा जीवन दूसरों के घर में दीपक जलाने में व्यतीत हो जाता है किन्तु वे निर्धनता एवं शिक्षा केन्द्रों से दूर कार्यरत होने से अपने बच्चों को उच्च तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार के शिक्षकों के होनहार पुत्र/पुत्रियों की आर्थिक सहायता करने का निर्णय भी प्रतिष्ठान द्वारा लिया गया तथा इस निर्णय के फलस्वरूप यह योजना लागू कर दी गई है। इसके अन्तर्गत 1000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रति छात्र प्रदान की जाती है।

(4) संकटग्रस्त शिक्षकों/शिक्षक परिवारों को आर्थिक सहायता—शिक्षक कल्याण निधि से राज्य शाखा मुख्यतः संकटग्रस्त शिक्षकों और शिक्षक परिवारों को सहायता पहुँचाती है। यह सहायता प्रतिष्ठान की महासमिति द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर दी जाती है। शिक्षकों/शिक्षक परिवार के सदस्यों की बीमारी, कन्या विवाह, शिक्षकों की विधवाओं के भरण-पोषण, चोरी, अग्निदाह की पूर्ति, अपंगता की स्थिति आदि कार्यों के लिए इसमें सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षक कल्याण की कई अन्य योजनाएँ भी शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के विचाराधीन हैं—

(i) राज्य के चुने हुए अस्पतालों में शिक्षकों एवं उनके परिवारों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष चिकित्सा वार्डों का निर्माण।

(ii) प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शिक्षक सदन का निर्माण।

(iii) राज्य के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में शिक्षकों एवं उनके आश्रितों के लिए अवकाश गृहों की स्थापना।

(iv) शिक्षकों की सहकारी संस्थाएँ निर्मित कर उनके माध्यम से राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के विक्रय की व्यवस्था करना।

इन योजनाओं के क्रिया वयन के लिए मुख्य समस्या समुचित राशि उपलब्ध होने पर निर्भर है। इसलिए सबका यह पुनीत कर्तव्य है कि शिक्षक कल्याण निधि के लिए मुक्त हस्त से दान दिया जाय।

बालिका शिक्षा-निधि समिति

मध्य प्रदेश मे बालिका शिक्षा निधि की स्थापना राज्य शासन द्वारा 14 नवम्बर 1972 म की गई एव पजीयन 13 दिसम्बर 1972 का किया गया। बालिका शिक्षा निधि समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है जिससे अधिक से अधिक सख्या मे बालिकाओं को शालाओ म लाया जा सके। इस समिति के सरक्षक मध्य प्रदेश के राज्यपाल, साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्य मत्री एव उपाध्यक्ष शिक्षा मत्री हैं। इनके अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति इस प्रकार है।

1 अध्यक्ष—शिक्षा मत्री
2 उपाध्यक्ष—शिक्षा सचिव
3 सदस्य—वित्त सचिव
4 ,, —आदिम जाति कल्याण विभाग के सचालक
5 ,, —सचालक समाज कल्याण म० प्र०
6 ,, —अध्यक्ष म० प्र० महिला शिक्षा परिषद्
7 सचिव—सचालक लोक शिक्षण।

समिति के मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य की बालिकाओं का शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से निशुल्क गणवेश देना, पुस्तकें प्रदान करना, मध्यान्ह भोजन, एव महिला शिक्षिका आवास-गृहो का निर्माण तथा अन्य बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम। म० प्र० शासन शिक्षा-विभाग समय-समय पर इस समिति को अनुदान देता है।

बालिका शिक्षा निधि से निम्नानुसार कार्यक्रम हाथ म लिए जायेंगे—

1—पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना—कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना।

2 निशुल्क गणवेश—गरीब बालिकाओं को निशुल्क गणवेश।

3 मध्याह्न भोजन—गरीब बालिकाओं को शालाओ में लाने के लिए मध्याह्न आहार की व्यवस्था।

4 शिक्षिका आवास गृह—ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाएँ अपनी आवास सुविधा न होने से वहाँ नहीं जाती हैं। अतः बालिका शिक्षा निधि से शिक्षिका आवास गृहों के निर्माण विचाराधीन हैं।

उद्देश्य

(1) राज्य में बालिका शिक्षा प्रसार करना विशेषकर प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर।

(2) पिछड़ी जातियों एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा के साधन जुटाना।

(3) छात्राओं को बिना मूल्य गणवेश की व्यवस्था करना।

(4) छात्राओं को बिना मूल्य पुस्तकें देने की व्यवस्था करना।

(5) छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।

(6) महिला शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना।

(7) बालिका शिक्षा प्रसार हेतु अन्य उपयोगी एवं सम्बद्ध कार्य करना।

कार्यकाल—शासकीय सदस्य, पदेन सदस्य होंगे। अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। आजीवन सदस्य मृत्यु पर्यन्त सदस्य होंगे।

कार्यालय—सचालनालय लोक शिक्षण म० प्र० भोपाल।

# पाठ्यक्रम एव पाठ्यपुस्तक नवीनीकरण

## (Curriculum and Renewal of Text Books)

पाठयक्रम नवीनीकरण की आवश्यकता—दिन प्रतिदिन बदलता हुआ ज्ञान एव विज्ञान तथा टेक्नालाजी के द्रुतगति के विकास के परिणामस्वरूप संसार के प्रत्येक देश म पाठयक्रम के नवीनीकरण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। आवश्यकताओ के अनुरूप हम अपने पाठ्यक्रमो को बदलना आवश्यक होता है। अमरिका जैसे विकसित राष्ट्र जहाँ पाठयक्रम पूर्ण रूप से सशोधित और विकसित है वहाँ भी पाठयक्रम मे परिवर्तन और परिवर्धन की माँग की जाती है फिर भारत जैसे विकासशील देश म तो पाठयक्रम के बदलाव वह भी समय-समय पर अत्यन्त आवश्यक है। हमारा परम्परागत पाठयक्रम इतना बोझिल है तथा पुराना है कि उसमे सशोधन आवश्यक हो गया है। इसमे अनेक नई बातो को जोडना होगा और पुरानी अनावश्यक बातो को निकालना होगा।

भारत मे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य कार्यालयो के लिय कर्मचारी और अधिकारी पैदा करना था जो तन से भारतीय हो किन्तु मन से अंग्रेज तथा अंग्रेजियत के हामी हो। फलस्वरूप पाठयक्रम भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरचित किया गया। स्वतन्त्र भारत म शिक्षा म परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा के आधार पर पाठयक्रम मे परिवर्तन किया गया। पाठयक्रम, सविधान की भाँति देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अतएव उसे जनजीवन की आवश्यकताओ, आकाक्षाओ बदलते हुये सामाजिक मूल्यो, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी बारीकियो से मेल खाता हुआ होना चाहिये। शिक्षा आयोग (1964 66) के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यो म उत्पादकता, सामाजिक, राष्ट्रीय समन्वय, आधुनिकीकरण को बढावा एव सामाजिक नैतिक एव आत्मिक मूल्यो का सम्मिलित किया जाना चाहिय। इस प्रकार अभी तक जो शिक्षा पर आरोप था कि वह बालक और समाज से अलग है उसका निराकरण हो सकेगा। अत पाठयक्रम और उससे फिर दी जाने वाली शिक्षा को जीवन की आवश्यकताओ एव प्रतिदिन की सामाजिक

समस्याओ से जोडना हागा। शिक्षा का जीवन जीने वालो के जजबातो से जोडन के लिय पाठयक्रम म परिवतन आवश्यक है।

पाठयक्रम नवीनोकरण के लिये आवश्यक तत्व—किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम नवीनीकरण के लिये निम्नलिखित बातो की आवश्यकता होती है।

1—सावधानीपूर्वक किया गया समुचित शाध जिससे सिखाये जान वाले नान का चुनाव आधार उपयुक्त ढग से निर्धारित किया जा सक। यह काय राज्य स्तरीय शिक्षा सस्थाना, एन० सी० ई० आर० टी० तथा शिक्षा महाविद्यालयो द्वारा किया जावे।

2—बालको के अध्ययन के लिये पाठयपुस्तके, अध्ययन सामग्री एव अय आवश्यक उपकरणो का समुचित विकास।

3—शिक्षका का उमुखीकरण, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा शिक्षा सगठना द्वारा।

4—शालाओ को प्रयाग करन की समुचित स्वत त्रता। इनके प्रयाग म लाय जान वाले पाठ्यक्रम अलग स विकसित किय जाय।

5—पाठयक्रम को उपलब्ध शिक्षका, साधना, भौतिक सुविधाओ का मद्दे नजर रखत हुये सुधारना।

6—सशाधित या परिवर्धित पाठ्यक्रम का क्रमश लागू करना। यह आवश्यक नही है कि सभी शालाओ म नवीकृत पाठयक्रम एक साथ तथा सभी विषयो मे प्रारम्भ किया जाय। शाला के साधना के अनुरूप एक या अनक विषया क नवीकृत पाठ्यक्रम का लागू करन की स्वत त्रता दी जानी चाहिय। प्रारम्भ म भाषा, विज्ञान और गणित विषया के नवीनीकृत पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जा सकता है।

7—माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सामान्य एव नय पाठयक्रम दोना म कुछ समय तक बाह्य परीक्षा का प्रबन्ध।

8—सम्पूण राज्य म विषय शिक्षक सगठनो का विकास करके विषय शिक्षण को सम्पन्न तथा उनत बनाना, साथ ही इन विषया के मूल्याकन म सुधार करना। यह काय शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् को करना चाहिय।

9—कुछ शालाओ मे क्षेत्र परीक्षण के बाद सम्पूण प्रदेश मे लागू करना।

2—बालक विज्ञान में जिज्ञासा के तरीके सीखे तथा वह समुदाय के जीवन में विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग कर सके।

3—बालकों को चार मूल शरीर सम्बन्धी कार्यों में सुविधाओं का विकास करना चाहिए। वह समुदाय के जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग कर सके।

4—बालक प्रथम भाषा जो प्राय उसकी मातृ भाषा होती है उस स्तर तक सीखे जहाँ वह हाव-भाव से तथा लेखीबद्ध बातचीत से अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सके। वह द्वितीय भाषा पढ़ना भी सीखे।

5—बालक स्वच्छता एवं स्वच्छ जीवन व्यतीत करने हेतु अपना दृष्टिकोण विकसित करे।

6—बालक कुछ उपयोगी कार्य करे तथा श्रम के प्रति आदर की स्वस्थ अभिरुचि विकसित करे।

7—बालक अच्छाई एवं सुन्दरता में रुचि उत्पन्न कर सके तथा आसपास को भी देखे-भाले।

8—बालक दूसरों से सहयोग करना सीखे तथा सामान्य भलाई हेतु साफ-साफ कार्य करने की उपयोगिता को सराहे। अन्य वांछनीय चारित्रिक एवं व्यक्तित्व के गुण जैसे पहल (Initiative) नेतृत्व, दया, ईमानदारी के विकास के साथ घर, स्कूल तथा पड़ोस उसके कार्य की सूझबूझ का विकास हो।

9—बालक स्वतन्त्र रूप से अपने आपको रचनात्मक क्रियाओं में व्यक्त कर सके तथा स्वाध्याय की आदत बना सके।

उपर्युक्त उद्देश्य और परम्परागत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की तुलना यह स्पष्ट करती है कि प्राथमिक शिक्षा के कुछ नवीन उद्देश्य माने गए हैं—ये उद्देश्य हैं—क्रियानुभव, स्वस्थ जीवन, पड़ोस में उचित स्वच्छता, समाज के जीवन में विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग तथा रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति।

**यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रायोजना द्वारा प्राथमिक पाठ्यक्रम नवीनीकरण**

यूनीसेफ सहायता प्राप्त प्रया० —क्र० 2—"प्राथमिक पाठ्यक्रम नवीनीकरण के अन्तर्गत प्रायोगिक स्कूलों में पाठ्यक्रम परिवर्तन का आधार वही होगा जैसा 10+2 शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर सुझाया गया है।

इसी प्रकार प्रायोजना क्र० 5—"प्राथमिक पाठ्यक्रम व्यापक उपागम" में भी हमारा लक्ष्य वही है। विशिष्टता यह है कि हम उपेक्षित और सुविधा

वंचित बालकों को शिक्षित करें, उन्हें जीवन की शिक्षा दे क्योकि इस वर्ग की अभी तक हम जितनी चिन्ता करनी चाहिए थी नहीं की थी।

नवीन शिक्षण तकनीक—नवीन विकसित एव परम्परागत पाठ्यक्रम को ठीक से व्यवस्थित करने तथा लागू करने के लिए कार्यानुभव, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों को सक्षम बनाना होगा। शाला स्तर पर विशेष विषयों का चुनाव कब, कैसे किया जाय यह सुनिश्चित करना होगा। नवीन शिक्षण विधियों तथा तकनीकों से शिक्षकों को परिचित कराना होगा। उन्हें उन्मुख करना होगा। अवलोकन, प्रश्नोत्तर, भ्रमण, रेडियो, चलचित्र आदि का उपयोग, प्रयोगशाला आदि नवीन विधियों मे उन्हें पारगत करना होगा। पर्यवेक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए।

नवीन शिक्षण तकनीको का उपयोग कैसे बढाया जाय ?

(1) वर्कशाप, सेमीनार, शालाओं का अवलोकन आदि आयोजन हों।

(2) शिक्षक मार्ग दर्शिकाएँ तैयार की जाँय।

(3) शिक्षकों को नवाचार मे स्वतंत्रता दी जाय।

(4) भाषा, विज्ञान, कार्यानुभव के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाय।

(5) शिक्षा संस्थाओं, राज्य स्तरीय संस्थाओं को, शिक्षा महाविद्यालयों को अपने क्षेत्र मे नई तकनीकों के विकास के लिए सक्रिय किया जाय।

(6) विषय शिक्षक संगठनों का विकास किया जाय।

(7) शिक्षा प्रशासन में मुस्तैदी लाई जाय।

पाठ्यपुस्तक नवीनीकरण की आवश्यकता—स्वतंत्र भारत में हमने जो शिक्षा के लोकव्यापीकरण का संकल्प लिया था वह इतने वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। राष्ट्रीय-स्तर पर 6-11 आयु वर्ग में 83% दर्ज संख्या तथा 11-14 आयुवर्ग में 38 प्रतिशत दर्ज संख्या के लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। म० प्र० मे यह स्थिति और भी खराब है। यहाँ 6-11 आयु वर्ग के 63% तथा 11-14 आयु वर्ग के 30.5 प्रतिशत बालक बालिकाएँ ही शालाओं में आ रहे हैं। 6-14 आयु समूह को लें तो लगभग आधे बालक/बालिकाएँ शालाओं से बाहर हैं। हमने छात्र वृत्तियाँ, मुफ्त पुस्तकें, गणवेश और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है तो भी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। जो बच्चे स्कूल आते भी हैं व कतिपय कारणों से शाला त्याग देते हैं। कक्षा 5 पास करने के पूर्व लगभग 66% बालक शाला त्याग देते हैं

और कक्षा 8 पास करते-करते 75 प्रतिशत शाला त्याग देते हैं। इन सबके प्रमुख दो कारण हैं—बालकों की गरीबी तथा शिक्षा म अरुचि।

किए गए सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट हुई है कि सभी बच्चे जो शाला-त्यागी या शाला अप्रवेशी हैं वे निधन सभी नही है। कुछ उत्तम समर्थ हैं। हमारी जो धारणा थी कि हमारी शिक्षा हमारा पाठ्यक्रम हमारी पाठ्यपुस्तके जीवन की इच्छाओ, आकाक्षाओ के अनुरूप नही हैं, शिक्षा जीवन से अलग विलग है वह स्पष्ट रूप से सामने आया है। यदि सभी बच्चो को पढाना है तो अविलम्ब दो काम करने होंगे, एक तो एक ऐसा पाठयक्रम बनाना होगा जो बच्चो और समाज की आवश्यकताओ के अनुरूप हो और उनके भविष्य के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए सक्षम बना सके। दूसरा काम हमे करना होगा पाठ्यपुस्तकों मे परिवतन का।

शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए जीवनोपयोगी बनाना होगा। पुस्तको का जीवन से जोडने पर ही व गाँव म रहने वाले बहुसख्यक समाज के लिए जीवनोपयोगी बन सकेंगी। इससे शिक्षा की सार्थकता बढेगी और उसम आकर्षण बढेगा। वतमान पाठ्यपुस्तको मे विषयवस्तु को समझाने की शैली जो अपनाई गई है वह बहुत व्यय साध्य है एव सभी परिवेशो के अनुकूल नही है। उदाहरण के लिए छोटे बालको को पानी उबालने के लिए काच का बीकर और स्प्रिट लैंप का उदाहरण देकर समझाया गया है। कक्षा 1 मे "न" नल का "ज" जहाज का आदि बताकर वणमाला के अक्षरो को समझाया गया है। गाँव के बच्चो न बीकर, स्प्रिट लैंप, नल और जहाज नही देखा है। यदि हम पाठ्यपुस्तको के उदाहरण बच्चो के आसपास के परिवेश से दे तो उनकी समझ मे भी आयगा और वे अध्ययन मे रुचि भी लेंगे।

बालिकाएँ तथा उनके अभिभावक भी शिक्षा म रुचि नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें बालिकाओं की रुचि और आवश्यकताओ के अनुकूल नही हैं। अत हम उनके लिए उपयोगी एस पाठयक्रम और पाठयपुस्तके निर्माण करना होगा जिसमे बालिकाओ को एसा ज्ञान मिल सके जो उन्हे भविष्य मे सुखद जीवन निर्वाह करने मे सहायक सिद्ध हो।

आज पूरी तरह विद्यालयो मे पाठयपुस्तको की तानाशाही चल रही हैं। शिक्षकगण उसी को पढाते-समझाते हैं जो पाठयपुस्तको म लिखा रहता है। पुस्तकें ही ज्ञान राशि की सचित कोष बन गई है। शिक्षक स्वय चिंतन न कर पुस्तक पढता है और छात्र को भी किताब पढने का निर्देश देता है। परिणाम यह हुआ कि हमारा सम्बन्ध वास्तविक स्थिति से छूट गया है, हम

अपने वास्तविक जीवन, परिवेश से अलग हो गए हैं। शिक्षक और छात्र में सोचने, चिन्तन करने की शक्ति समाप्त हो रही है। पाठ्यपुस्तक में जिस प्रकार हिन्दी के पाठ पढ़ाए जाते हैं उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन में भी वाचन कराया जाता है। न तो विज्ञान में प्रयोगों की आवश्यकता समझी जाती है और न ही भूगोल में मानचित्रों की। चूंकि शिक्षकगण पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर हो गए हैं अतः पाठ्यपुस्तकों को इस प्रकार लिखने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है कि वे बच्चों के परिवेश के आधार पर लिखी जावें ताकि वे अपने परिवेश से जुड़े रह उसमें उनका तादात्म्य बना रहे।

एक ओर हम देखते हैं कि शिक्षक और छात्र बिल्कुल ही पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर हैं दूसरी ओर हमारी पुस्तकें शहरी परिवेश पर आधारित हैं अतः ग्रामीण बच्चों को ग्राह्य और बोधगम्य नहीं हैं। अतः पाठ्यपुस्तकों के नवीनीकरण की योजना आवश्यक हुई। इस योजना के अनुसार ग्राम भारती, बालिका भारती, गृह भारती, माँ भारती आदि पुस्तकें तैयार की गई हैं। आदिवासी बालकों के लिए वन भारती तैयार हुई है।

**ग्राम भारती**

(1) कक्षा 1 से 5 तक समस्त विषयों की नई किताबें जो ग्रामीण परिवेश के लिए लिखी गई हैं, ग्राम भारती कहा गया है। इनमें म० प्र० शासन द्वारा स्वीकृत प्राथमिक शाला पाठ्यक्रम का यथावत स्वीकार किया गया है।

(2) ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र पर ग्राम भारती का दर्शन विकसित किया गया है।

(3) सभी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में हैं। हिन्दी व क्षेत्रीय बोलियों में प्रयोग हो रहे शब्दों के सम्बन्धों के आधार पर एक विशिष्ट भाषा नीति का पालन किया गया है।

(4) ग्राम भारती की पुस्तकें शासन द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के समतुल्य एवं समान स्तरीय बनाई गई हैं।

(5) प्रचलित राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें शहरी परिवेश पर आधारित होने के कारण ग्रामीण बच्चों के लिए अबोध गम्य एवं अमनोवैज्ञानिक थीं अतः ग्राम भारती की पाठ्यपुस्तकों में शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम की अन्तर्धारणाओं एवं विषयवस्तु को ग्रामीण बच्चों के

(3) यह भिन्न प्रकार की शिक्षा नही है। इसका स्तर बालको क स्तर स लग नही है दोना का पाठ्यक्रम एक हा है परीक्षा एक समान है।
(4) बालिका भारती की पुस्तका को ग्रामीण पर्यावरण पर आधारित करके बालिकाओ के लिए इस प्रकार लिखा गया है कि उनके लिए बोधगम्य तथा जीवनोपयोगी बन सके।
(5) सभी विषया के लिए प्राथमिक स्तर की बालिका भारती पाठ्य-पुस्तकें लिखी गई हैं तथा सभी को इच्छानुसार पाठ्यपुस्तकें पढने की छूट रहगी।

गृह भारती—कक्षा 1 से गृह विज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित कर जो पुस्तके लिखी जायगी उन्ह गृह भारती कहा जायगा। गृह विज्ञान और गृह भारती म आधारभूत अन्तर है। गृह विज्ञान तो एक विषय है जब कि गृह भारती एक पूर्ण शिक्षा दर्शन है। गृह भारती म गृह विज्ञान विषय का कार्य के रूप म, ज्ञान का आधार माना गया है। बुनियादी शिक्षा म महात्मा गाँधी ने उद्योग, प्रकृति और समाज के माध्यम से शिक्षा देने के जिस सिद्धान्त को रखा था उसी का यह व्यावहारिक रूप है। बच्चियां विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगी जैसे कि खाना बनाएँगी, कपडा सिलेंगी या घर सजाऐंगी। यह सभी कार्य करने के लिए उन्ह जितना गणित, विज्ञान, भाषा की आवश्यकता होगी उतना ज्ञान व स्वाभाविक रूप म प्राप्त करती रहगी।

गृह भारती मे एसा पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है जो जीवन की आवश्यकताओ पर आधारित हो और जिसकी समस्त सामग्री ग्रामीण समाज मे उपलब्ध हो। गृह भारती का पाठ्यक्रम बनाने के लिए तीन प्रकार स प्रयास होगा—

(1) अध्यापिकाएँ ग्रामीण बालिकाओ के कार्यकलापो का अध्ययन कर उसके भविष्य के सभी क्षेत्रो की आवश्यकताओं का समझें और उसके परिवेश, साधन, और स्रोता का पता लगावें। इस प्रकार स्वय सोचकर पाठ्यक्रम बनाया जावेगा तो सही स्वाभाविक और व्यावहारिक होगा।
(2) कक्षा 1 से गृह विज्ञान प्रारम्भ होकर स्नातकोत्तर तक चलेगा। इस गृह भारती का सकाय कहा जायगा। गृह भारती का सकाय कक्षा 1 से प्रारम्भ होकर विश्वविद्यालय तक होगा।
(3) इसका पाठ्यक्रम और स्तर म० प्र० शासन द्वारा स्वीकृत सभी विषया के पाठ्यक्रम क अनुरूप ही रहेगा।

# शैक्षिक साँख्यिकी

## (Educational Statistics)

**साँख्यिकी क्या है ?** हम कई काम करते तो रहते हैं लेकिन जानते नही हैं कि वह क्या है ? महिलाऐं घरो मे रोजाना ही दाल, चावल बनाती हैं, दो चार चावल टटोलकर पूरे चावलो के पकने या कच्चे होने का पता लग जाता है। पूरे महीने का बजट हम सभी बनाते हैं, तापक्रम की नाप करते हैं, जनसख्या की गणना करते है। इन सभी रोजमर्रा के क्रियाकलापो म सांख्यिकी एव सांख्यिकी विधिया स्पष्ट नजर आती है। सांख्यिकी म आंकडो का पक्षपात रहित, सकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एव विवेचन निहित है। इस प्रकार साख्यिकी उन तथ्यो के सकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण से मिलकर बना है जो विधिपूर्वक सकलित किए गए हो जिनके सकलन मे किसी प्रकार का पक्षपात न किया गया हो और जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के हेतु सकलित किए गए हो।'

**साख्यिकीय आकडो की विशेषताऐं**--साख्यिकीय तथ्यो / आंकडो की चार प्रमुख विशेषताए होनी चाहिए—

(1) पक्षपात रहित—सारे तथ्य / आकडे पक्षपात रहित हों।

(2) समय पर उपलब्ध हो—आकडे समय पर उपलब्ध हो तभी सही उपयोग हो सकता है।

(3) सही हो--जो तथ्य एकत्र किए जाय वे सही हों।

(4) प्रमाणिकता--तथ्य प्रमाणिक हो।

**शक्षिक सांख्यिकी क्या है ?**—शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के तथ्य या आंकडे शैक्षिक साख्यिकी के अन्तगत आते हैं यथा छात्रो की सख्या, विभिन्न आयु वर्ग मे उनकी सख्या, स्तर वार छात्र सख्या, शिक्षक सख्या, परीक्षा परिणाम, शिक्षा से सम्बन्धित आय व्यय के आंकडे, शाला भवनो की सख्या आदि आदि।

आज के युग म साख्यिकी का महत्व काफी बढ गया है। आज कोई भी सूचना बिना सांख्यिकी के अधूरी मानी जाती है। हम कितना भी लम्बा चौडा भाषण दे लेकिन उसमें तथ्य या आंकडे न दिए जाय तो वह वजनदार नहीं

बन सकता है। सांख्यिकी द्वारा हमारे कथन की पुष्टि होती है। प्रदेश या राष्ट्र की आर्थिक, शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक विस्तार आदि ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय आँकड़ों का उपयोग करते हैं। आयोजना कार्य बिना सांख्यिकी तथ्यों की सहायता लिए हो ही नहीं सकता है। अनुसंधान तो सांख्यिकी के बगैर असम्भव न सही, अधूरा तो है ही। कई तथ्यों का पूर्वानुमान सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया जाता है। अगले 5–10 वर्षों में हमारी जनसंख्या क्या होगी उसके लिए क्या-क्या आवश्यकताएँ होंगी इनका पूर्वानुमान सांख्यिकी द्वारा ही लगाया जा सकता है।

सांख्यिकी के कार्य एवं उद्देश्य—सांख्यिकी के निम्नानुसार कार्य और उद्देश्य हैं—

(1) *जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना*—जटिल तथ्यों को सांख्यिकीय विधियों द्वारा हम सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उससे मस्तिष्क में स्पष्ट बात समझ में आ जाती है। रेखा चित्र, स्तम्भ चित्र आदि द्वारा स्पष्ट बात समझने आ जाती है।

(2) तथ्यों से सम्बन्धित आकड़ों को प्रकट करना—जटिल तथ्यों को सरलता से प्रकट किया जा सकता है। यदि हम कहें कि अधिकांश छात्र पढ़ने आ रहे हैं तो स्पष्ट बात नहीं होती है यदि इसी को कहा जाय कि 80 प्रतिशत बालक शालाओं में आ रहे हैं तो स्थिति का सही अन्दाज लगता है।

(3) तुलनात्मक अध्ययन—एक प्रकार के तथ्यों की तुलना दूसरे तथ्यों से करने पर सही स्थिति पता लगती है। उदाहरण के लिए आदिवासी छात्रों की शिक्षा की तुलना जब हम गैर आदिवासी छात्रों से करते हैं तो ही सही स्थिति हमारे सामने आती है। पिछली जनगणना के आँकड़ों से अभी की जनगणना के आँकड़ों से करने पर कई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या कितनी बढ़ी, साक्षरता कितनी बढ़ी, आदि अनेक बातों का अन्दाज तुलना करने पर ही होता है।

(4) शोध कार्यों में सहायता—शोध कार्य में सांख्यिकी अत्यन्त आवश्यक है। सांख्यिकी शोध कार्य में सहायता करती है। जब तक सांख्यिकी का प्रयोग न होगा शोध-कार्य प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है।

सांख्यिकीय निष्कर्षों के सोपान—आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित सोपान (Steps) प्रयोग में लाये जाते हैं—

(1) कार्य की आयोजना (*Planning*)

(2) आँकड़ो का एकत्रीकरण (Collection of Data)

(3) आँकड़ो का सम्पादन (Compilation of Data)

(4) वर्गीकरण तथा सारिणीयन (Classification & Tabulation of Data)

(5) प्रस्तुतीकरण (Presentation)

(अ) ग्राफ द्वारा

(ब) रेखा चित्रों द्वारा

(स) चित्रो द्वारा

(6) विश्लेषण (Analysis of Data)

(7) विवेचन (Interpretation of Data)

(8) रिपोर्ट लिखना (Report Writing)

इन सोपानो से गुजरते हुए जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वे सही होंगे।

शिक्षा मे सांख्यिकी का प्रयोग—आज शिक्षा के क्षेत्र मे सांख्यिकी के प्रयोग की अनिवार्यता काफी बढ़ गई हैं। शिक्षा मे सांख्यिकी का प्रयोग इस प्रकार है—

1 बालको की व्यक्तिगत भिन्नता पता लगाने के लिए—आज यह अनिवार्य हो गया है कि बच्चो की व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाय जिससे उनके अनुकूल उन्हे शिक्षा दी जा सके। इसके लिए बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण होने लगे हैं।

2 दो विषयो के प्राप्तांको मे सह सम्बन्ध निकालने के लिए—बालको के दो परीक्षाओ के प्राप्तांको के बीच सह सम्बन्ध गुणांक निकालकर यह ज्ञात किया जाता है कि किन-किन विषयो म समान योग्यता निहित है।

3 परीक्षाओ का प्रमापीकरण (Standarisation)—आजकल परीक्षाओ का प्रमापीकरण करने हेतु मनोवैज्ञानिको न भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान्य स्तरों का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है जैसे प्रतिशतीय सामान्य स्तर (Percentile Norm) आयु सम्बन्धी सामान्य स्तर (Age Norm), श्रेणी सम्बन्धी सामान्य स्तर (Grade Norm) आदि। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय विधियो का प्रयोग किया जाता है।

4 शैक्षिक शोध मे उपयोग—शिक्षा सम्बन्धी शोधो यथा पाठक्रम मे सुधार, शिक्षा सम्बन्धी मार्ग दर्शन, बालको द्वारा गृह कार्य किया जाना,

पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तको की उपयुक्तता, शाला समय और अवकाश की उपयुक्तता, आदि विषयो पर शोध कार्यों मे सांख्यिकी का प्रयोग नितान्त आवश्यक है।

5 आयोजना कार्यों के लिए—शैक्षिक आयोजन मे सांख्यिकी का प्रयोग अपरिहार्य रूप से किया जाता है। शिक्षा की वार्षिक, एव पचवर्षीय योजनाएँ *सांख्यिकी पर ही आधारित हैं। अगले वर्षों म हमे कितनी शालाएँ खोलनी* होगी, कितने शिक्षक चाहिए होंगे, क्या व्यय होगा, साधन, उपकरण शाला भवन कितने आवश्यक होंगे यह सब सांख्यिकी द्वारा ही पूर्वानुमान लगाकर आयोजना किया जाना सभव है।

6 बजट में उपयोग—शैक्षिक बजट तो पूरा सांख्यिकीय आँकडो का ही है। पिछले वर्षों मे कितना व्यय हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में कितना बजट शिक्षा के लिए आवश्यक होगा यह सब सांख्यिकी द्वारा ज्ञात-कर योजना बनाना सभव होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग मे सांख्यिकी के बगैर न तो हम सोच सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, और न कुछ बोल सकते हैं। सांख्यिकीय आँकडो के साथ कही हुई बात ही सही और स्पष्ट मानी जा सकती है।

देश एव मध्य प्रदेश से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी

(1) साक्षरता प्रतिशत (1971)

| | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| कुल | 29 45 | 22 14 |
| पुरुष | 39 45 | 32 70 |
| महिला | 18 70 | 10 92 |

(2) स्कूल जाने योग्य बालक बालिकाओं की कुल जनसख्या (1978)

| | भारत | | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|---|
| | | कुल जनसख्या | |
| आयु वर्ग | बालक-बालि० | प्रतिशत | बालक-बालि० |
| 6-11 | 8 37 करोड | 13 5% | 71 3 लाख |
| 11-14 | 4 60 ,, | 7 4% | 37 7 ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-17 | 4 20 ,, | 6 8% | 43 5 ,, |
| 6-17 | 17 20 ,, | 27 7% | 152 5 ,, |

(3) शालाओं की संख्या (78-71)

| संस्थाओं का प्रकार | भारत | म० प्र० |
|---|---|---|
| 1 पूर्व प्राथमिक शालाएँ | 9172 | 482 |
| 2 प्राथमिक शालाएँ | 474993 | 54417 |
| 3 मिडिल स्कूल | 110902 | 9540 |
| 4 उच्चतर मा० शालाएँ | 43842 | 2133 |
| 5 इन्टर कालेज | 3017 | ^ |
| 6 बुनि०प्रशि०संस्थाएँ | 857 | 47 |
| 7 शिक्षा महाविद्यालय | 496 | 15 |
| 8 कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय | 3271 | 230 |
| 9 विश्वविद्यालय | 106 | 10 |

(4) छात्र संख्या स्तर वार (1978-79) (संख्या लाखों में)

| स्तर | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| 1 कक्षा I-V (लाखों में) | 723 90 | 44 50 |
| 6-11 आयु वर्ग में प्रतिशत | 48 9 | 63 0C |
| 2 कक्षा VI-VIII (लाखों में) | 185 10 | 11 43 |
| 11-14 आयु वर्ग में प्रतिशत | 39 8 | 30 50 |
| 3 कक्षा IX-XI-XII | 90 80 | 4 33 |
| 14-17 आयु वर्ग में प्रतिशत | 20 6 | 13 00 |

(5) शिक्षक संख्या (1978-79)

| शालाएँ | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| 1 प्राथमिक शालाएँ | 1294793 | 111208 |
| 2 पूर्व माध्यमिक शालाएँ | 812075 | 55586 |
| 3 उच्च/उच्चतर माध्य० शालाएँ | 749096 | 31691 |
| योग | 28,55,964 | 1,98,735 |

6 हरिजन आदिवासियों छात्रों की दज सख्या (लाखों में) (1978-79)

| | भारत | | मध्यप्रदेश | |
|---|---|---|---|---|
| स्तर | हरिजन | आदि | हरि० | आदि० |
| 6-11 आयु वर्ग | 101 59 | 42 01 | 5 46 | 6 38 |
| | (79 9) | (66 4) | (65 2) | (49 50) |
| 11-14 आयु वग | 19 02 | 6 40 | 1 21 | 0 89 |
| | (26 5) | (17 9) | (8 42) | (12 63) |
| 14-17 आयु वग | 8 26 | 2 71 | 0 34 | 0 23 |
| | | | (2 15) | (3 68) |

(7) शिक्षक छात्र अनुपात

| | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| प्राथमिक | 40 | 38 |
| माध्यमिक | 32 | 25 |
| उच्चतर माध्यमिक | 25 | 22 |

(8) एक शाला द्वारा घोषित औसत क्षेत्रफल (वग कि० मी०)

| | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| प्राथमिक शाला | 6 | 8 |
| माध्यमिक शाला | 30 | 50 |
| उच्चतर मा० शाला | 75 | 213 |

(9) एक शाला द्वारा लाभान्वित औसत जनसख्या

| | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| प्राथमिक शाला | 1335 | 800 |
| माध्यमिक शाला | 5500 | 5000 |
| उच्चतर मा० शा० | 14,750 | 20,000 |

(10) प्रति शाला औसत दज सख्या

| | भारत | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|
| प्राथमिक शाला | 150 | 74 |
| माध्यमिक शाला | 160 | 158 |
| उच्चतर माध्यमिक शाला | 620 | 335 |

भारत मे शिक्षा के विभिन्न स्तरो की शिक्षा सस्थाएँ, छात्र सख्या एव शिक्षक सख्या

| (अ) सस्थाएँ | 1950-51 | 55 56 | 60-61 | 65-66 | 78-79 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) प्राथमिक/जू० बेसिक | 209671 | 278135 | 330399 | 391064 | 474952 |
| (2) मिडिल/सीनि० बेसिक | 13596 | 21730 | 49663 | 75798 | 110902 |
| (3) हाई/हायर से० स्कूल | 7288 | 10838 | 17257 | 27477 | 46473 |
| (4) बहु० उ० मा० वि० | — | 255 | 2115 | 2386 | — |
| (5) प्रशिक्षण संस्थाएँ | 782 | 930 | 1138 | 601 | 857 |
| (6) ट्रेनिंग कालेज | 53 | 107 | 478 | 1272 | 1296 |
| (7) कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय | 542 | 772 | 1122 | 1788 | 3271 |
| (8) विश्व विद्यालय | 27 | 32 | 45 | 64 | 106 |
| (ब) छात्र सख्या | | | | | |
| (1) कक्षा 1 से V की दर्ज सख्या (लाखों में) | 191 50 | 251 70 | 349 90 | 504 70 | 723 90 |
| 6-11 आयु वर्ग में प्रति० | 42 6 | 52 8 | 62 4 | 76 7 | 84 9 |
| (2) कक्षा VI से VIII की दर्ज संख्या (लाखों मे) | 31 20 | 42 90 | 67 00 | 105 30 | 185 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 आयु वग में प्रति० | 12 7 | 16 5 | 22 5 | 30 8 | 39 8 |
| (3) कक्षा IX से XI-XII | 12 20 | 18 80 | 28 90 | 50 10 | 90 80 |
| (लाखों मे) | 5 3 | 7 4 | 10 6 | 16 2 | 20 6 |
| 14-17 आयु वग में प्रति० | 3 60 | 6 30 | 8 90 | 14 90 | 30 30 |
| (4) कला विज्ञान, वाणिज्य महावि० मे दर्ज सख्या (लाखो मे) | 0 8 | 1 4 | 1 8 | 2 7 | 4 1 |
| 17-23 आयु वर्ग में प्रति० | 37 8 | 33 0 | 26 9 | 29 5 | — |
| (5) विश्व विद्यालय स्तर पर विज्ञान पर रहे छात्रों का प्रतिशत | | | | | |
| (स) शिक्षक सख्या | | | | | |
| (1) प्राथमिक शालाओं में | 537918 | 691249 | 741515 | 944377 | 1294793 |
| प्रशि० शिक्षको का प्रति० | 58 8 | 61 2 | 64 1 | 70 5 | 85 3 |
| (2) मिडिल स्कूलों मे प्रशि० | 85496 | 148394 | 345228 | 527774 | 812075 |
| शिक्षको का प्रतिशत | 53 3 | 58 5 | 66 5 | 76 9 | 88 0 |
| (3) हाई, हायर सेक० स्कूलो म | 126504 | 189794 | 296305 | 479060 | 749096 |
| (4) महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयो में | 18648 | 27883 | 41759 | 66882 | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,507 | 13,730 | 21,437 | 25,291 | 30,854 | 32,794 |

शाला जाने योग्य हरिजन एव आदिवासी बालक/बालिकाओं की प्रतिशत जनसख्या (1978-85)
(संख्या सैकडो मे)

(Scheduled Caste)

| (1) Croup 6-11 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9427 | 9655 | 9888 | 10128 | 10373 | 10624 | 10880 | 11144 |
| Male | 4884 | 5008 | 5136 | 5267 | 5401 | 5539 | 5680 | 5825 |
| Female | 4543 | 4651 | 4752 | 4861 | 4972 | 5085 | 5200 | 5321 |
| (2) Age Group 11-14 | | | | | | | | |
| Total | 4950 | 5124 | 5304 | 5486 | 5678 | 5876 | 6081 | 6294 |
| Male | 3568 | 2655 | 2746 | 2839 | 2936 | 3035 | 3139 | 3244 |
| Female | 2382 | 2469 | 2558 | 2647 | 2742 | 2841 | 2942 | 3050 |

(3) अनुसूचित जन जाति (Schedule Tribes)

| (1) Age Group 6-11 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14504 | 14855 | 15214 | 15582 | 15959 | 16345 | 16740 | 17145 |
| Male | 7290 | 7481 | 7642 | 7868 | 8069 | 8274 | 8486 | 8702 |
| Female | 7210 | 7374 | 7572 | 7714 | 7890 | 8071 | 8254 | 8443 |
| (2) Age Group 11-14 | | | | | | | | |
| Total | 7615 | 7882 | 8157 | 8441 | 8736 | 9041 | 9357 | 9683 |
| Male | 3837 | 3967 | 4102 | 4242 | 4386 | 4535 | 4689 | 4849 |
| Female | 3778 | 3915 | 4053 | 4199 | 4350 | 4506 | 4668 | 4834 |
| (3) Age Group 14-17 | | | | | | | | |
| Total | 4963 | 5079 | 5197 | 5317 | 5440 | 5566 | 5694 | 5825 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 2555 | 2620 | 2689 | 2758 | 2829 | 2901 | 2975 | 3051 |
| Female | 2408 | 2459 | 3108 | 2559 | 2611 | 2665 | 2719 | 2774 |
| 4) Age Group 14–17 | | | | | | | | |
| Total | 7637 | 7814 | 7996 | 8181 | 8370 | 8564 | 8761 | 8962 |
| Male | 3821 | 3919 | 4022 | 4126 | 4232 | 4311 | 4453 | 4567 |
| Female | 3816 | 3895 | 3974 | 4055 | 4138 | 4223 | 4308 | 4395 |

मध्य प्रदेश निर्माण से अब तक शैक्षिक प्रगति (शालेय शिक्षा)

| (अ) शालाएं | 1956–57 | 1960–61 | 1965–66 | 1970–71 | 1971–75 | 1979–80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व प्राथमिक | 70 | 169 | 276 | 296 | 394 | 482 |
| प्राथमिक एव उपशालाएं | 22-762 | 27,781 | 34,435 | 36,980 | 51,055 | 56,402 |
| पूर्व माध्यमिक | 1,604 | 2,445 | 4,547 | 5,851 | 8,346 | 6,540 |
| उच्चतर माध्यमिक | 414 | 774 | 1,297 | 1,656 | 1,995 | 2,133 |
| (ब) छात्र सख्या | | | | | | |
| पूर्व प्राथमिक | 4,916 | 11,594 | 16,632 | 20,256 | 24,469 | 66,619 |
| प्राथमिक-उपशाला | 12,71,000 | 16,81,000 | 23,75,000 | 25,96,242 | 35,89,766 | 43,12,102 |
| पूर्व माध्यमिक | 3,42,000 | 4,88,000 | 8,16,000 | 9,96,567 | 11,07,866 | 14,78,132 |
| उच्चतर माध्यमिक | 1,55,000 | 2,78,000 | 4,96,000 | 5,89,690 | 6,11,297 | 7,27,239 |
| (स) शिक्षा सख्या | | | | | | |
| पूव-प्राथमिक | 214 | 415 | 471 | 548 | 712 | 780 |
| प्राथमिक-उपशाला | 44,499 | 57,064 | 71,631 | 79,943 | 1,05,485 | 1,13,187 |
| पूव माध्यमिक | 15,326 | 21,898 | 33,402 | 3 ,336 | 46,670 | 57,931 |
| उच्चतर माध्यमिक | 7,507 | 13,730 | 21,437 | 25,291 | 30,854 | 32,794 |

शालेय शिक्षा पर व्यय (लाखों मे)

| | आयोजना | आयोजनोत्तर | योग |
|---|---|---|---|
| 1956–57 | 230,00 | 493,39 | 723,39 |
| 1960–61 | 388,00 | 905,05 | 1293,05 |
| 1965–66 | 730,00 | 2730,51 | 2730,51 |
| 1970–71 | 476,81 | 4341,69 | 4818,50 |
| 1974–75 | 254,19 | 7677,00 | 7931,19 |
| 1979–80 | 918,00 | 11792,00 | 12710,00 |